



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार
2025 की प्रतिवेदन सं. 36
(अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल एवं वाणिज्यिक)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार
2025 की प्रतिवेदन सं. 36
(अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल एवं वाणिज्यिक)

संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई:

लोक सभा -

राज्य सभा -

विषय-सूची		
विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii - xiv
अध्याय-I : प्रस्तावना		
लेखापरीक्षा अधिदेश	1.1	1
लेखापरीक्षा के प्रकार	1.2	1
लेखापरीक्षा का समग्र क्षेत्र	1.3	3
सिविल मंत्रालयों/विभागों का बजट एवं व्यय	1.4	3
लेखापरीक्षा योजना, लेखापरीक्षा संचालन एवं लेखापरीक्षा निष्कर्ष	1.5	4
सीपीएसई पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के पूरक के रूप में जारी नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियां	1.6	5
लंबित एटीएन की स्थिति	1.7	6
अध्याय-II : केन्द्रीय मंत्रालय		
(I) संस्कृति मंत्रालय		
एसआई, उत्तर प्रदेश द्वारा स्मारकों और पुरावशेषों का संरक्षण तथा परिरक्षण पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए)	2.1	7
(II) विदेश मंत्रालय		
अप्रयुक्त स्थान के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में ₹27.43 करोड़ का अधिक व्यय	2.2	66
भारतीय दूतावास, बीजिंग, चीन		
भारतीय दूतावास, बीजिंग, चीन में सम्पत्ति प्रबंधन	2.3	70

विषय-सूची		
विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
भारतीय दूतावास, कोपेनहेगन, डेनमार्क		
₹99.12 लाख का अधिक व्यय	2.4	77
भारतीय दूतावास, तेल अवीव, इजरायल		
₹92.01 लाख का निष्फल व्यय	2.5	80
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई, पुणे तथा गोवा		
₹1.47 करोड़ के विद्युत शुल्क एवं कर का अनियमित भुगतान	2.6	85
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई		
खाली किए गए आरपीओ ठाणे परिसर को अभ्यर्पित करने में अत्यधिक विलंब	2.7	87
(III) मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय		
भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण की कार्य पद्धति पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	2.8	90
(IV) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मुंबई		
अप्रयुक्त गोदाम के किराए तथा सुरक्षा के प्रति ₹1.64 करोड़ का परिहार्य एवं व्यर्थ व्यय	2.9	129
(V) गृह मंत्रालय		
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल		
₹6.53 करोड़ की राशि की निधियों का अवरोधन	2.10	133
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल		
सीएपीएफ द्वारा व्यावसायिक कर की कटौती न करना	2.11	137

विषय-सूची		
विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), 36 बटालियन, गेजिंग, सिक्किम		
₹3.18 करोड़ के विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ स्थान) भत्ते (एससीआरएलए) का अधिक भुगतान	2.12	141
(VI) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय		
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं	2.13	143
(VII) जनजातीय कार्य मंत्रालय		
अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ	2.14	164
अध्याय-III : केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम		
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय		
राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड		
डीपीई दिशानिर्देशों के विचलन में छुट्टी का नकदीकरण	3.1	201
परिशिष्ट	207-237	
अनुलग्नक	239-316	

प्राक्कथन

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में केन्द्र सरकार के सामान्य एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 29 मंत्रालयों (विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेशों को छोड़कर) और सात संवैधानिक निकायों/सचिवालयों तथा उनके क्षेत्रीय कार्यालयों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित वे उदाहरण उल्लिखित हैं जो 2023-24 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए थे और साथ ही वे भी हैं जो पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आए थे परंतु उनको पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका था। 2023-24 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी यथावश्यक शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 29 मंत्रालयों (विधायिका रहित केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर) और संघ सरकार के पांच संवैधानिक निकायों/सचिवालयों से संबंधित 56 अनुदानों के अंतर्गत वित्तीय लेन-देन की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। इन 29 मंत्रालयों और पांच संवैधानिक निकायों/सचिवालयों का सकल व्यय 2023-24 में ₹16,26,975.07 करोड़ था।

इस प्रतिवेदन में सात मंत्रालयों/विभागों और एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा के 16 उदाहरणात्मक मामले¹ शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में शामिल मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विहंगावलोकन नीचे दिया गया है:

अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ: केंद्रीय मंत्रालय

संस्कृति मंत्रालय

एसआई, उत्तर प्रदेश द्वारा स्मारकों और पुरावशेषों का संरक्षण तथा परिरक्षण पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए)

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एसआई) एक केन्द्र सरकार का अभिकरण है जो स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों, जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, की सुरक्षा और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (एएमएसआर अधिनियम) ने “राष्ट्रीय महत्व” पर आधारित अधिसूचना की व्यवस्था स्थापित की, परंतु इसके क्षेत्र को परिभाषित करने या कार्यन्वयन के लिए मानक प्रदान करने का कार्य नहीं किया। अधिसूचनाएं अपूर्ण थीं तथा उनमें महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव था। लगभग 86 प्रतिशत अधिसूचनाओं में केंद्रीय संरक्षित स्मारक (सीपीएम) के क्षेत्र/सीमा के

¹ एक मामला पैरा 1.5 लेखापरीक्षा योजना, लेखापरीक्षा संचालन तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों के अंतर्गत शामिल है (परिशिष्ट-III)

विवरण उपलब्ध नहीं थे। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि उत्तर प्रदेश में तीन प्रमुख एसआई मंडलों में 487 सीपीएम में से केवल 31 स्मारकों (6.4 प्रतिशत) के पास भूमि अभिलेख उत्परिवर्तन के माध्यम से उचित स्वामित्व प्रलेखन थे। एसआई 456 सीपीएम (94 प्रतिशत) का संचालन बिना कानूनी अधिकार के कर रहा था। यूपी में एसआई मंडलों के अभिलेखों के अनुसार 31 सीपीएम अज्ञात रहे। उत्तर प्रदेश में एसआई के संबंधित मंडलों में 96 स्मारकों में अतिक्रमण के मामले सूचित किए गए थे। अनुपयुक्त संरक्षण कार्य, रासायनिक संरक्षण की आवश्यकता वाले स्मारक, संरचनात्मक परिवर्तन तथा राष्ट्रीय महत्व के उपेक्षित स्मारकों के उदाहरण पाए गए। पुरावशेषों को खराब स्थिति में संग्रहीत किया गया था तथा अभी तक केवल 20 प्रतिशत का ही डिजिटलीकरण किया गया था।

(पैराग्राफ सं. 2.1)

विदेश मंत्रालय

अप्रयुक्त स्थान के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में ₹27.43 करोड़ का अधिक व्यय

विदेश मंत्रालय द्वारा अकबर भवन में अप्रयुक्त स्थान को 15 महीने तक अपने पास रखने और नई दिल्ली नगर निगम के साथ वास्तव में उपयोग किए गए स्थान के लिए आनुपातिक लाइसेंस शुल्क को औपचारिक रूप न देने के परिणामस्वरूप अप्रयुक्त स्थान के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में ₹27.43 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.2)

भारतीय दूतावास, बीजिंग, चीन

भारतीय दूतावास, बीजिंग, चीन में सम्पत्ति प्रबंधन

निरंतर वार्षिक रखरखाव अनुबंधों के होने और मरम्मत कार्यों पर अत्यधिक व्यय करने के बावजूद, वर्ष 2011 में निर्मित सोलह में से छः आवासीय इकाइयां 10 से 13 वर्षों की अवधि के भीतर रहने योग्य नहीं रह गई थी। इन छः खाली इकाइयों

की आवश्यक व्यापक मरम्मत कार्यों/नवीकरण में विलंब के परिणामस्वरूप ₹3.22 करोड़ (फरवरी 2025 तक) के किराए का परिहार्य व्यय हुआ।

पुराने चांसरी परिसर (ओसीपी) के पुनर्विकास परियोजना, जिसकी संकल्पना 2009 में की गई थी, अनिर्णय तथा अंतिम उपयोग को अंतिम रूप न देने के कारण विलंबित हो गई है।

2014 से उपयोग में न होने के बावजूद ओसीपी के हीटिंग शुल्क का भुगतान जारी रखने के परिणामस्वरूप ₹74 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.3)

भारतीय दूतावास, कोपेनहेगन, डेनमार्क

₹ 99.12 लाख का अधिक व्यय

भारतीय दूतावास, कोपेनहेगन द्वारा पट्टे पर आवास लेने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित किराया सीमा का पालन न करने के परिणामस्वरूप ₹99.12 लाख का अधिक व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.4)

भारतीय दूतावास, तेल अवीव, इजरायल

₹ 92.01 लाख का निष्फल व्यय

भारतीय दूतावास, तेल अवीव द्वारा अधिग्रहण पूर्व गतिविधियां प्रारंभ करने तथा विदेश मंत्रालय द्वारा विक्रेता द्वारा नियत विस्तारित समय सीमा के भीतर सम्पत्ति के अधिग्रहण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय संस्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के कारण सौदे की समाप्ति हुई तथा इसके परिणामस्वरूप अधिग्रहण पूर्व गतिविधियों से जुड़ी व्यवसायिक/कानूनी सेवाओं हेतु ₹92.01 लाख का व्यय निष्फल हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.5)

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई, पुणे तथा गोवा

₹ 1.47 करोड़ के विद्युत शुल्क एवं कर का अनियमित भुगतान

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मुंबई, पुणे तथा गोवा, ने संविधान के अनुच्छेद 287 तथा महाराष्ट्र विद्युत अधिनियम, 2016 की धारा 3(2) तथा गोवा, दमन एवं दीव विद्युत शुल्क अधिनियम, 1986 की धारा 3(2)(1) के अनुसार, विद्युत शुल्क एवं कर से छूट का दावा करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹1.47 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.6)

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई

खाली किए गए आरपीओ ठाणे परिसर को अभ्यर्पित करने में अत्यधिक विलंब

2017 में पट्टे पर दिए गए परिसर को खाली करने के बावजूद, आरपीओ मुंबई और मंत्रालय द्वारा सात वर्ष से अधिक समय तक सम्पत्ति को अभ्यर्पित करने या उसका वैकल्पिक उपयोग करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹76 लाख का परिहार्य व्यय हुआ एवं ₹1.38 करोड़ की देनदारियां लंबित हुईं।

(पैराग्राफ सं. 2.7)

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण की कार्य पद्धति पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण (एफएसआई) ने 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान 586 समुद्री-यात्राओं की योजना के सापेक्ष में 372 समुद्री-यात्राएं कीं, जिससे 37 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। इस कारण परिचालन लक्ष्यों अर्थात् समुद्र में दिनों की संख्या में 46 प्रतिशत की कमी आई एवं मछली पकड़ने के दिनों की संख्या में 53 प्रतिशत की कमी आई जिसके परिणामस्वरूप घंटों की संख्या और हुकों की संख्या के संदर्भ में मापे गए नमूना प्रयासों में क्रमशः 61 प्रतिशत और 72 प्रतिशत

की कमी आई। 214 नियोजित सर्वेक्षण न होने के कारण संस्थान को मछली पकड़ने के 4,339 दिनों एवं अनुवर्ती 15,149 घंटे के नमूना प्रयास तथा 12.73 लाख हुकों को छोड़ना पड़ा। यहां तक कि संस्थान द्वारा आयोजित 372 समुद्री-यात्राओं के नमूना प्रयास में घंटों और हुकों की संख्या में क्रमशः 37 प्रतिशत और 31 प्रतिशत की कमी थी।

स्टॉक मूल्यांकन अध्ययन के लिए पर्याप्त डेटा का संग्रह सुनिश्चित करने के लिए एफएसआई के पास प्रति सर्वेक्षण मछली पकड़ने के न्यूनतम दिनों की संख्या के लिए कोई निर्धारित मानदंड नहीं थे, जिस कारण मुंबई और मुरगांव बेस पर पांच दिनों से कम मछली पकड़ने वाले दिनों वाली 21 समुद्री-यात्राएँ दर्ज की गईं।

लेखापरीक्षा ने जहाजों की छंटनी की अवधि के दौरान विलंबित निर्णय एवं आकस्मिक स्टाफ/अन्य प्रभागों पर निष्क्रिय व्यय के कारण घाट लगाने/ईंधन प्रभागों पर परिहार्य व्यय पाया।

संस्थान ने आकस्मिक कर्मचारियों की भर्ती और पारिश्रमिक के संबंध में डीओपीटी के अनुदेशों का पालन नहीं किया एवं आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन के बिना व्यय किया।

(पैराग्राफ सं. 2.8)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मुंबई

अप्रयुक्त गोदाम के किराए तथा सुरक्षा के प्रति ₹1.64 करोड़ का परिहार्य एवं व्यर्थ व्यय

अप्रयुक्त गोदाम को खाली करने तथा अभ्यर्पित करने हेतु समय पर कार्रवाई करने में अक्षमता के परिणामस्वरूप अप्रयुक्त परिसर के किराए एवं सुरक्षा पर ₹1.64 करोड़ का परिहार्य एवं व्यर्थ व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.9)

गृह मंत्रालय

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

₹6.53 करोड़ की राशि की निधियों का अवरोधन

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं हुआ तथा नौ वर्षों से अधिक समय तक ₹6.53 करोड़ की राशि की निधियां अवरुद्ध रहीं।

(पैराग्राफ सं. 2.10)

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल

सीएपीएफ द्वारा व्यावसायिक कर की कटौती न करना

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल इकाइयों द्वारा राज्यों (असम, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और त्रिपुरा) में लागू व्यावसायिक कर अधिनियम के नियमों के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप सीएपीएफ में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से ₹26.40 करोड़ का व्यावसायिक कर नहीं काटा गया।

(पैराग्राफ सं. 2.11)

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), 36 बटालियन, गेजिंग, सिक्किम

₹3.18 करोड़ के विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ स्थान) भत्ते (एससीआरएलए) का अधिक भुगतान

एसएसबी 36 बटालियन ने वित्त मंत्रालय के ओएम के प्रावधानों के उल्लंघन में अपने कर्मचारियों को उच्च दर पर विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ स्थान) भत्ता (एससीआरएलए) अदा किया जिसके परिणामस्वरूप ₹3.18 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.12)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं

2017-18 से 2023-24 के दौरान, भारत सरकार तथा राज्यों/यूटी ने अनुसूचित जाति के 181.45 लाख प्री-मैट्रिक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु ₹5,037.83 करोड़ तथा 348.09 लाख पोस्ट-मैट्रिक छात्रों हेतु ₹47,840.58 करोड़ का व्यय किया। इन दोनों छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा में विभिन्न कमियों तथा दिशानिर्देशों से विचलन के मामलों का पता चला। आय तथा जाति मानदण्ड पर ध्यान दिए बिना लाभार्थियों का चयन, लाभार्थियों को छात्रवृत्तियों का कई बार भुगतान, उन छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई जो स्कूलों/संस्थानों में नामांकित नहीं थे, आदि में उल्लेखनीय कमियाँ थीं।

यद्यपि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया है तथा प्रारंभिक सुधारात्मक उपाय प्रारंभ किए हैं तथापि मंत्रालय को, नीति निर्माता तथा नोडल कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में अपनी भूमिका को देखते हुए, संशोधित योजना दिशानिर्देशों के सख्ती से अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु एक मजबूत निरीक्षण तंत्र स्थापित करना अनिवार्य है।

(पैराग्राफ सं. 2.13)

जनजातीय कार्य मंत्रालय

अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ

2017-18 से 2023-24 की अवधि के दौरान, मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 87.10 लाख प्री-मैट्रिक छात्रों पर ₹2,354.51 करोड़ और 151.66 लाख पोस्ट-मैट्रिक छात्रों पर ₹13,695.74 करोड़ खर्च किए। 2017-2021 की अवधि के लिए इन छात्रवृत्ति योजनाओं के परिचालन की लेखापरीक्षा से इनके कार्यान्वयन में कई प्रणालीगत कमियाँ सामने आईं। इनमें छात्रों

के आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए निर्धारित समय-सीमा का अभाव, संस्थानों, जिलों और राज्यों में नोडल अधिकारियों के लिए निर्धारित परिभाषित भूमिका का अभाव, वित्तपोषण पैटर्न से संबंधित योजना दिशा-निर्देशों में अस्पष्टता, केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए संरचित तंत्र का अभाव और निगरानी एवं शिकायत निवारण में कमियां शामिल थीं।

यद्यपि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया है और प्रारंभिक सुधारात्मक उपाय शुरू किए हैं, फिर भी नीति निर्माता और नोडल कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में अपनी भूमिका को देखते हुए मंत्रालय के लिए संशोधित योजना दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निरीक्षण तंत्र स्थापित करना अनिवार्य है।

(पैराग्राफ सं. 2.14)

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड

डीपीई दिशानिर्देशों के विचलन में छुट्टी का नकदीकरण

अर्जित छुट्टी के ऑटोमेटिक नकदीकरण तथा डीपीई दिशानिर्देशों के विचलन में 30 दिनों के बजाए 26 दिनों के आधार पर ईएल/एचपीएल के नकदीकरण के परिणामस्वरूप 2015-16 से 2023-24 के दौरान कम्पनी द्वारा ₹33.68 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

(पैराग्राफ सं. 3.1)

अध्याय-1

प्रस्तावना

1.1 लेखापरीक्षा अधिदेश

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को संघ एवं राज्यों, सरकारी कंपनियों एवं निगमों, निकायों एवं प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में अधिदेश भारत के संविधान तथा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से प्राप्त होता है। सीएजी संविधान द्वारा निर्धारित एकमात्र प्राधिकरण है जिसे संघ एवं राज्यों के लेखाओं की लेखापरीक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अधिनियम की धारा 13 (धारा 17 के साथ पठित) और धारा 16 के अंतर्गत, संघ, प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों के सभी व्यय, सभी प्राप्तियों और अन्य लेन-देनों की लेखापरीक्षा करना सीएजी का कर्तव्य है। संविधान तथा अधिनियम की धारा 14, 15, 19 और 20 के अंतर्गत सीएजी के अधिदेश में निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों और निगमों की लेखापरीक्षा करना भी सम्मिलित है। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को यथाप्रकरण संसद के या राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.2 लेखापरीक्षा के प्रकार

सीएजी मुख्य रूप से तीन प्रकार की लेखापरीक्षा करता है - वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा।

वित्तीय लेखापरीक्षा यह निर्धारित करती है कि किसी इकाई की वित्तीय विवरणी और सूचनाएँ ठीक से तैयार की गई हैं, सभी प्रकार से पूर्ण हैं तथा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग और नियामक ढांचे के अनुसार पर्याप्त प्रकटन के साथ प्रस्तुत की गई हैं।

अनुपालन लेखापरीक्षा का संदर्भ सरकार के व्यय, प्राप्तियों, परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित लेनदेन की जाँच करने से है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के संविधान के प्रावधानों, विधियों, नियमों, विनियमों, और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्गत आदेशों एवं अनुदेशों का अनुपालन किया जा रहा है और साथ ही अभिप्रेत उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेकशीलता एवं प्रभावकारिता का निर्धारण करना है।

निष्पादन लेखापरीक्षा का संबंध सरकार द्वारा लोक निधियों की प्राप्ति और अनुप्रयोग में मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावकारिता की लेखापरीक्षा से है। निष्पादन लेखापरीक्षा में विश्लेषण अनुपालन विषयों से अलग एवं परे है तथा इकाई द्वारा की गई गतिविधि के वास्तविक लाभ पर नई सूचना, विश्लेषण या अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों तथा लेखापरीक्षा एवं लेखा (संशोधन) विनियम 2020 के आधार पर की जाती हैं। ये मानक और विनियम वे मानदंड निर्धारित करते हैं जिनका लेखापरीक्षा करते समय लेखापरीक्षकों से अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। इनके अंतर्गत लेखापरीक्षकों को अनुपालन में चूक के विशिष्ट प्रकरणों के साथ लेखापरीक्षित संस्थाओं की वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण व्यवस्थाओं में विद्यमान कमियों की रिपोर्टिंग करनी होती है।

सीएजी द्वारा अपनाए गए लेखापरीक्षा मानकों में यह अपेक्षित है कि रिपोर्टिंग के लिए भौतिक मानक लेन-देन की प्रकृति, मात्रा और परिमाण के अनुरूप हो। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से यह अपेक्षित है कि वे कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा ऐसी नीतियां एवं प्रक्रियाएं तैयार करने में समर्थ बनाएं जिनसे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार तथा श्रेष्ठतर शासन-प्रणाली में योगदान हो।

1.3 लेखापरीक्षा का समग्र क्षेत्र

इस प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा के समग्र क्षेत्र में, संघ सरकार के सामान्य और सामाजिक क्षेत्रों के 29 मंत्रालय (विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेशों को छोड़कर) और सात संवैधानिक निकाय/सचिवालय सम्मिलित हैं (परिशिष्ट-1)।

1.4 सिविल मंत्रालयों/विभागों का बजट एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, 56 सिविल अनुदानों सहित, 29 मंत्रालयों और पांच संवैधानिक निकायों/सचिवालयों के संस्वीकृत प्रावधान², व्यय और बचत की स्थिति तालिका 1.1 में दर्शाई गई है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-II में दिया गया है।

तालिका 1.1: संस्वीकृत प्रावधान, व्यय और बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

खण्ड	2022-23 ³			2023-24		
	संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
राजस्व (प्रभारित)	5,609.10	4,975.28	-633.82	6,481.69	5,340.74	-1,140.95
राजस्व (दत्तमत)	17,70,168.17	15,82,092.56	-1,88,075.61	16,29,880.11	15,66,599.08	-63,281.03
पूंजीगत (प्रभारित)	185.16	181.18	-3.98	236.09	177.71	-58.38
पूंजीगत (दत्तमत)	40,237.33	31,297.98	-8,939.35	68,867.75	54,857.54	-14,010.21
कुल	18,16,199.76	16,18,547.00	-1,97,652.76	17,05,465.64	16,26,975.07	-78,490.57

स्रोत: संघ सरकार विनियोग लेखे (सिविल) 2022-23 और 2023-24

² संस्वीकृत प्रावधान = बजट अनुमान + अनुपूरक प्रावधान

³ इस प्रतिवेदन में दर्शाए गए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के तथा सीएजी के 2024 के प्रतिवेदन सं. 8 में दर्शाए गए आकड़ों के बीच अंतर इस प्रतिवेदन में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आकड़ों को शामिल करने के कारण है।

1.5 लेखापरीक्षा योजना, लेखापरीक्षा संचालन एवं लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना प्रक्रिया के अनुसार, अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों का चयन सामयिकता, महत्वपूर्णता, सामाजिक प्रासंगिकता आदि के अतिरिक्त जोखिम आकलन के आधार पर किया जाता है। जोखिम आकलन में इकाइयों की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन, गबन, दुर्विनियोग, धोखाधड़ी आदि के पूर्व दृष्टांतों के साथ-साथ पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के निष्कर्ष भी सम्मिलित किए जाते हैं। लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर इकाइयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किए जाते हैं। प्राप्त उत्तरों के आधार पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का निपटान किया जाता है तथा, आवश्यकतानुसार, अनुपालना के लिए कार्रवाई करने का परामर्श दिया जाता है। संबंधित मंत्रालय/विभाग से उत्तर प्राप्त करने के बाद महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु संसाधित किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखे जाते हैं।

सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) और 143(7) अथवा सांविधिक निगमों के गठन से संबंधित संसद के अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। सीएजी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक (चार्टर्ड अकाउंटेंट) की नियुक्ति सीपीएसई के लेखाओं को प्रमाणित करने के लिए की जाती है तथा ऐसे लेखापरीक्षित लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का सीएजी को अधिकार है। सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के प्रावधानों के अंतर्गत सीपीएसई से संबंधित प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

इस प्रतिवेदन के अध्याय-II में सामाजिक और सामान्य क्षेत्र के 29 मंत्रालयों (विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेशों को छोड़कर) और सात संवैधानिक

निकायों/सचिवालयों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां सम्मिलित हैं।

अध्याय-III में सीपीएसई के 2023-24 तक के लेनदेन की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप उजागर अभ्युक्तियां सम्मिलित हैं।

संबंधित अध्यायों में शामिल अभ्युक्तियों के अतिरिक्त लेखापरीक्षा के कारण कुल ₹8.11 करोड़ (परिशिष्ट-III) की राशि भी वसूल की गई है।

लोक लेखा समिति (पीएसी) की अनुशंसा पर वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को निर्देशित किया था कि वे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों पर अपनी प्रतिक्रिया इनकी प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर भेज दें। तदनुसार, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों का लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु प्रारूप पैराग्राफ अग्रेषित किए जाते हैं तथा उनसे छः सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध किया जाता है।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने 16 पैराग्राफों में से 10 पैराग्राफों के उत्तर नहीं भेजे थे (अगस्त 2025 तक)। शेष छः पैराग्राफों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त उत्तर को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिया गया है। इनमें से पांच लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रत्युत्तर में संबंधित अभिकरणों ने सुधारात्मक उपाय किए हैं/प्रारंभ किए हैं जिन्हें प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

1.6 सीपीएसई पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के पूरक के रूप में जारी नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

वित्तीय लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा के समग्र क्षेत्र में केंद्र सरकार के 15 मंत्रालयों के अंतर्गत 86 सीपीएसई⁴ सम्मिलित हैं (परिशिष्ट-IV)। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कंपनियों की वित्तीय

⁴ चार सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित

विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा करता है तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर टिप्पण करता है या अनुपूरक लेखापरीक्षा करता है। सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरण पर निर्गत कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ **परिशिष्ट-V** में दी गई हैं। **परिशिष्ट-VI** में उन सीपीएसई की सूची दी गई है जिनके संबंध में कोई टिप्पणी जारी नहीं की गई।

1.7 लंबित एटीएन की स्थिति

संसद में दिनांक 17 अगस्त 1995 को प्रस्तुत अपने 105वें प्रतिवेदन (10वीं लोकसभा, 1995-96) में लोक लेखा समिति ने अनुशंसा की थी कि सीएजी के प्रतिवेदनों के सभी पैराग्राफों पर उपचारी कार्रवाई की टिप्पणियाँ (एटीएन) 31 मार्च, 1996 से, लेखापरीक्षा रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे जाने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के माध्यम से, समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए। तत्पश्चात्, व्यय विभाग के अधीन एक निगरानी प्रकोष्ठ बनाया गया, जिसे सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से समन्वय कर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित किए गए एटीएन को एकत्रित कर उन्हें संसद में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की तिथि से चार माह की निर्धारित अवधि के भीतर लोक लेखा समिति को भेजने का कार्य सौंपा गया था।

सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति द्वारा, अपनी दूसरी रिपोर्ट (12वीं लोक सभा-1998-99) में, संसद को प्रस्तुत सीएजी के सभी प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षित अनुवर्ती कार्रवाई टिप्पणियों को, संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तिथि से छः माह के भीतर समिति को प्रस्तुत किए जाने की अनुशंसा की गई है।

31 अगस्त 2025 तक, इस प्रतिवेदन में सम्मिलित सीपीएसई सहित सिविल मंत्रालयों/विभागों के 16 एटीएन में से तीन एटीएन प्राप्त नहीं हुए थे तथा 13 एटीएन पत्राचाराधीन थे (**परिशिष्ट-VII**)।

अध्याय-II

केन्द्रीय मंत्रालय

इस अध्याय में सात केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 14 लेखापरीक्षा पैराग्राफ के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल किया गया है।

(I) संस्कृति मंत्रालय

2.1 एएसआई, उत्तर प्रदेश द्वारा स्मारकों और पुरावशेषों का संरक्षण तथा परिरक्षण पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए)

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) एक केन्द्र सरकार का अभिकरण है जो स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों, जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, की सुरक्षा और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। इसकी गतिविधियों में देश के पुरातात्विक अवशेषों का सर्वेक्षण, पुरातात्विक स्थलों का अन्वेषण एवं उत्खनन, पुरातात्विक अनुसंधान, संरक्षित स्मारकों का रखरखाव, संरक्षण तथा संवर्धन शामिल हैं। एएसआई को कुल 37 मंडलों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक की अध्यक्षता एक अधीक्षण पुरातत्वविद् (एसए) द्वारा की जाती है, जिनमें से पांच उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में एएसआई के मंडल आगरा, झांसी, लखनऊ, मेरठ और सारनाथ हैं। भारत की संरक्षित स्मारक सूची में 3,679 से अधिक स्थल हैं, जिनमें से 741 केंद्रीय संरक्षित स्मारक (सीपीएम) उत्तर प्रदेश (यूपी) में हैं।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित प्रकट किया:

- प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (एएमएसआर अधिनियम) ने “राष्ट्रीय महत्व” पर आधारित अधिसूचना की व्यवस्था स्थापित की, परंतु इसके क्षेत्र को परिभाषित करने या कार्यान्वयन के लिए मानक प्रदान करने का कार्य नहीं किया।
- अधिसूचनाएं अपूर्ण थीं तथा उनमें महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव था। लगभग 86 प्रतिशत अधिसूचनाओं में सीपीएम के क्षेत्र/सीमा के विवरण उपलब्ध नहीं थे।
- लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश में तीन प्रमुख एएसआई मंडलों में 487 सीपीएम में से केवल 31 स्मारकों (6.4 प्रतिशत) के पास भूमि अभिलेख

उत्परिवर्तन के माध्यम से उचित स्वामित्व प्रलेखन थे, जबकि शेष 456 सीपीएम (94 प्रतिशत) का संचालन एएसआई द्वारा बिना कानूनी अधिकार के किया जा रहा था।

- मंत्रालय ने लोक लेखा समिति (पीएसी) को सभी सीपीएम की समीक्षा करने का आश्वासन दिया था। हालाँकि, मंडलों ने कोई समीक्षा नहीं की। वर्तमान में, यूपी के एएसआई मंडलों के अभिलेखों के अनुसार 31 सीपीएम अज्ञात रहे।
- पीएसी की अनुशंसाओं के बावजूद, एएसआई द्वारा सक्रिय स्मारकों पर कोई दिशानिर्देश या नीति दस्तावेज तैयार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, मंडलों के पास उन स्मारकों का अभिलेख/विवरण नहीं था जहां अधिसूचना जारी होने से पहले/पश्चात में प्रार्थना/पूजा शुरू की गई थी।
- उत्तर प्रदेश में एएसआई के संबंधित मंडलों में 96 स्मारकों में अतिक्रमण के मामले सूचित किए गए थे।
- 81 प्रतिशत आदर्श स्मारकों में कैफेटेरिया, 90 प्रतिशत में पेशेवर गाइड तथा 86 प्रतिशत में वाई-फाई कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं थे।
- मंडलों द्वारा तैयार किए गए अनुमोदित वार्षिक संरक्षण योजनाएं (एसीपी) (21 प्रतिशत) मुख्यतः निधि तथा स्टाफ की कमी के कारण योजना के अनुसार कार्यान्वित नहीं की गई थी।
- मंडलों द्वारा लॉग बुक एवं निरीक्षण टिप्पणियों के रूप में संरक्षण गतिविधियों के उचित प्रलेखन का अनुरक्षण नहीं किया गया।
- अनुपयुक्त संरक्षण कार्य, रासायनिक संरक्षण की आवश्यकता वाले स्मारक, संरचनात्मक परिवर्तन तथा राष्ट्रीय महत्व के उपेक्षित स्मारकों के उदाहरण पाए गए।
- पुरावशेषों को खराब स्थिति में संग्रहीत किया गया था तथा अभी तक केवल 20 प्रतिशत का ही डिजिटलीकरण किया गया था।
- 2021-22 से 2023-24 के दौरान एएसआई मंडलों ने उत्खनन एवं अन्वेषण पर बहुत ही कम व्यय किया जो पीएसी को उत्खनन पर व्यय को पांच प्रतिशत तक बढ़ाने का आश्वासन देने के बावजूद कुल व्यय का 0.41 से 0.76 प्रतिशत के बीच था।

- कार्मिकों की भारी कमी थी - तकनीकी संवर्ग में लगभग 57 प्रतिशत, स्मारक परिचारकों के संवर्ग में 41 प्रतिशत तथा सुरक्षा गार्डों की अपेक्षित संख्या 22 से 96 प्रतिशत कम थी।

लेखापरीक्षा निम्नलिखित अनुशंसा करती है:

- एएसआई को स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए एक परिभाषित मानदंड की आवश्यकता है। अधिसूचना प्रक्रिया को धरोहर परिसरों की समग्र सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी अंतरसंबंधित संरचनाओं, सीमा तथा निकटवर्ती क्षेत्रों को शामिल करने हेतु सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। ऐसी गतिविधि को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्दिष्ट की जाए।
- एएसआई मंडलों के पास राजस्व अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए संशोधित अधिसूचनाएं जारी करके इन स्मारकों की सीमाओं को कानूनी रूप से स्थिर करने के लिए एक दीर्घकालिक कार्य योजना होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि नई अधिसूचनाएँ संसाधित करते समय शामिल किए गए क्षेत्र से संबंधित सभी प्रासंगिक कॉलम भरे गए हैं।
- एएसआई मंडलों को सुरक्षा के दायरे का विस्तार करने के लिए अधिग्रहण, पट्टा, उपहार तथा संरक्षकता के लिए धारा 5 के प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता है। उन्हें सीपीएम को सरकारी नियंत्रण या एएसआई के स्वामित्व में लाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है।
- एएसआई को संरक्षित सक्रिय स्मारकों के उपयोग के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश बनाने पर विचार करना चाहिए तथा पीएसी की अनुशंसाओं के अनुरूप अधिभोक्ताओं/उपयोगकर्ताओं के साथ उचित समझौता ज्ञापन (एमओयू)/ अनुबंध सुनिश्चित करना चाहिए।
- एएसआई को प्रत्येक मंडल में जिला एवं पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से अतिक्रमण की घटनाओं की संवीक्षा करने तथा सभी अतिक्रमणों को हटाने के लिए समय पर कार्रवाई शुरू करने के लिए राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक समन्वय निकाय का गठन करना चाहिए।
- एएसआई मंडलों में स्टाफ की कमी, विशेषकर तकनीकी एवं सुरक्षा स्टाफ की कमी के मामले का समाधान करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।

2.1.1 प्रस्तावना

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) एक केन्द्र सरकार अभिकरण है जो स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों, जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, की सुरक्षा तथा रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। इसकी गतिविधियों में देश के पुरातात्विक अवशेषों का सर्वेक्षण, पुरातात्विक स्थलों का अन्वेषण एवं उत्खनन, पुरातात्विक अनुसंधान, संरक्षित स्मारकों का रखरखाव, संरक्षण तथा परिरक्षण शामिल हैं। एएसआई की स्थापना 1861 में की गई जो प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक वैधानिक निकाय बन गया। एएसआई राष्ट्रीय महत्व के 3,679 प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों तथा अवशेषों का प्रबंधन करता है।

एएसआई को कुल 37 मंडलों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक मंडल की अध्यक्षता एक अधीक्षण पुरातत्वविद् करता है। इनमें से उत्तर प्रदेश (यूपी) में पांच मंडल आगरा⁵, लखनऊ⁶, सारनाथ⁷, मेरठ⁸ तथा झांसी⁹ में हैं।

2.1.1.1 एएसआई में मंडलों की संगठनात्मक संरचना

एएसआई की अध्यक्षता एक महानिदेशक (डीजी) द्वारा की जाती है जिसे अपर तथा संयुक्त महानिदेशकों द्वारा सहयोग दिया जाता है। एक मंडल की अध्यक्षता अधीक्षण पुरातत्वविद् (एसए) द्वारा की जाती है जो इंजीनियरों तथा संरक्षकों की सहायता से स्मारकों के रखरखाव, प्रलेखन तथा संरचनात्मक संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन मंडलों को आगे उप-मंडलों में विभाजित किया गया है, जिनकी अध्यक्षता संरक्षण सहायक द्वारा की जाती है जो स्मारकों पर किए जाने वाले

⁵ 154 स्मारकों/स्थलों को शामिल करते हुए सात उपमंडलों के साथ 1885 में स्थापित

⁶ 197 स्मारकों/स्थलों को शामिल करते हुए सात उपमंडलों के साथ 1985 में स्थापित

⁷ 136 स्मारकों/स्थलों को शामिल करते हुए चार उपमंडलों के साथ 2013 में स्थापित

⁸ 82 स्मारकों/स्थलों को शामिल करते हुए पांच उपमंडलों के साथ 2020 में स्थापित

⁹ 172 स्मारकों/स्थलों को शामिल करते हुए चार उपमंडलों के साथ 2020 में स्थापित

संरक्षण कार्यों के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं। एएसआई में विज्ञान शाखा भी शामिल है जिसकी अध्यक्षता अधीक्षण पुरातत्व रसायनज्ञ द्वारा की जाती है जो उप/सहायक अधीक्षण पुरातत्व रसायनज्ञ की सहायता से स्मारकों के रासायनिक उपचार के लिए उत्तरदायी है।

2.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) यह जाँचने के उद्देश्य से की गई थी कि:

- (i) प्रभावी धरोहर संरक्षण तथा परिरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए उचित संस्थागत, निगरानी और कार्यान्वयन तंत्र उपलब्ध था;
- (ii) निधि की पर्याप्तता, निधि का उपयोग, राजस्व सृजन, सरकारी खाते में राजस्व का प्रेषण और तथा उसके लेखांकन सहित प्रभावी वित्तीय प्रबंधन था;
- (iii) पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध थे; तथा
- (iv) लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा सोलहवीं लोक सभा की 39^{वीं} तथा 118^{वीं} प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं पर यूपी में एएसआई मंडलों द्वारा पर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी।

2.1.3 लेखापरीक्षा मानदंड

एसएससीए के लिए लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित से प्राप्त किए गए थे:

- प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904;
- प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष (एएमएसआर) अधिनियम 1958;
- एएमएसआर (संशोधन तथा मान्यकरण) अधिनियम 2010;
- पुरावशेष एवं कला निधि अधिनियम, 1972;

- राष्ट्रीय संरक्षण नीति (एनपीसी)-एएमएसआर, 2014, भारत सरकार द्वारा स्मारकों, संग्रहालयों तथा पुरावशेषों के संरक्षण तथा परिरक्षण के लिए जारी आदेश, विनियम;
- सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017;
- एसआई कार्य कोड नियमपुस्तक;
- इस विषय पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2013 की प्रतिवेदन सं. 18 में उजागर अभ्युक्तियों पर पीएसी की अनुशंसाएं तथा की गई कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन)।

2.1.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा कार्य पद्धति

एसएससीए ने 2021-22 से 2023-24 के दौरान यूपी में पांच एसआई मंडलों तथा पुरातत्व संस्थान, नोएडा की गतिविधियों को शामिल किया गया है। फील्ड लेखापरीक्षा जुलाई 2024 से नवंबर 2024 के दौरान की गई थी। लेखापरीक्षा पद्धति में अभिलेखों की संवीक्षा, सूचना प्राप्त करना तथा चयनित स्मारकों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण शामिल था। संरक्षण तथा परिरक्षण निर्माण कार्यों की लेखापरीक्षा शत प्रतिशत टिकट वाले स्मारकों सहित आदर्श तथा यूनेस्को¹⁰ विश्व धरोहर स्थलों, तथा बिना प्रतिस्थापन सरल यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति के आधार पर प्रत्येक मंडल में अन्य केंद्रीय संरक्षित स्मारकों (सीपीएम) के पाँच प्रतिशत नमूने की संवीक्षा करके की गई। चयनित स्मारकों की सूची **अनुलग्नक 2.1** में है। लेखापरीक्षा 16 जुलाई 2024 को मंडलों के साथ एक प्रवेश सम्मेलन के साथ शुरू हुई जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, क्षेत्र तथा पद्धति को स्पष्ट किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्ष अप्रैल 2025 में संस्कृति मंत्रालय तथा महानिदेशक, एसआई को जारी किए गए थे। उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

¹⁰ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन

2.1.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने स्मारकों तथा पुरावशेषों के परिरक्षण तथा संरक्षण पर सीएजी के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2013 की संख्या 18) के आधार पर अपनी 39^{वीं} रिपोर्ट (16^{वीं} लोकसभा - अप्रैल 2016 में प्रस्तुत) तथा की गई कार्रवाई प्रतिवेदन (एटीआर) 118^{वीं} रिपोर्ट (16^{वीं} लोकसभा - दिसंबर 2018 में प्रस्तुत) में स्मारकों तथा पुरावशेषों के बेहतर प्रबंधन के लिए 25 अनुशंसाएँ की थीं। एसएससीए में लेखापरीक्षा ने 17 अनुशंसाओं, जो यूपी में एएसआई के मंडलों में प्रासंगिक और सुनिश्चित करने योग्य थीं, के कार्यान्वयन तथा अनुवर्ती कार्रवाई की संवीक्षा की। पीएसी की अनुशंसाओं पर निष्पादन इकाइयों में अनुपालन/की गई कार्रवाई की सीमा पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

इसके अतिरिक्त, यूपी राज्य में एएसआई मंडलों की अभिरक्षा में स्मारकों, स्थलों, अवशेषों तथा वस्तुओं की पहचान, अधिसूचना, संरक्षण तथा परिरक्षण से संबंधित मौजूदा अधिनियम, नियमों और विनियमों के अनुपालन का पता लगाने के उद्देश्य लेखापरीक्षा से की गई थी। इनसे संबंधित कमियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.1.6 स्मारकों की पहचान, अधिसूचना तथा प्रलेखन

स्मारक की पहचान तथा संरक्षण की प्रक्रिया धरोहर संरक्षण का एक मौलिक घटक है, जिसमें पुरातात्विक संसाधनों को औपचारिक संरक्षण के अंतर्गत लाने के लिए व्यवस्थित तथा संरचनात्मक दृष्टिकोण अपेक्षित है। यह प्रक्रिया उन संरचनाओं, निर्माणों, गुफाओं, शैल मूर्तियों, किलों, इमारतों तथा स्थलों की पहचान के साथ प्रारंभ होती है जो ऐतिहासिक महत्व के साथ अद्वितीय पुरातात्विक शैली तथा कलात्मक महत्व को प्रदर्शित करते हैं। ऐसी पहचान अर्हता प्राप्त कर्मियों द्वारा किए गए व्यवस्थित पुरातात्विक सर्वेक्षणों तथा अन्वेषणों के माध्यम से होती है। प्रारंभिक पहचान के बाद, इस प्रक्रिया में पुरातात्विक स्मारकों का व्यापक प्रलेखन अपेक्षित है। इस प्रलेखन चरण में वास्तुशिल्पीय विशेषताओं, ऐतिहासिक महत्व, वर्तमान स्थिति

तथा सांस्कृतिक संदर्भ का विस्तृत अभिलेखन शामिल है। पुरातात्विक प्रलेखन के समवर्ती उत्तरदायी प्राधिकारियों को संरक्षण उपायों के लिए स्पष्ट कानूनी आधार स्थापित करने हेतु राजस्व विभाग से भूमि का विवरण भी एकत्रित करने की आवश्यकता होती है। समीक्षा तथा अनुमोदन के उपरांत केंद्र सरकार प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अंतर्गत राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से स्मारकों को "केंद्रीय संरक्षित" घोषित करती है। यह अधिसूचना प्रक्रिया औपचारिक संरक्षण स्थिति स्थापित करके, संरक्षित सीमाओं को निर्धारित करके, संरक्षण गतिविधियों को सक्षम करके, अनधिकृत परिवर्तनों को प्रतिबंधित करके तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को प्रबंधन प्राधिकार प्रदान करके प्रभावी संरक्षण के लिए आवश्यक कानूनी ढांचा तैयार करती है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने ऐसे कई क्षेत्र प्रकट किए जहां वर्तमान कार्यान्वयन प्रक्रियाएं स्मारक पहचान, अधिसूचना तथा प्रलेखन के लिए निर्धारित ढांचे के साथ पूर्ण रूप से संरेखित नहीं हैं। ये निष्कर्ष उन प्रणालीगत चुनौतियों को दर्शाते हैं जो धरोहर संरक्षण प्रयासों की प्रभावशीलता को कम कर सकते हैं।

2.1.6.1 धरोहर सर्वेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई

प्राचीन स्मारकों की परिभाषा के अनुसार (एएमएसआर अधिनियम, 1958) कोई भी संरचना, निर्माण या स्मारक, या कोई स्तूप या स्थान, जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक अभिरुचि का है तथा जो कम से कम एक सौ वर्षों से अस्तित्व में है, एक प्राचीन स्मारक/अवशेष है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2021-22 से 2023-24 के दौरान सात जिलों में 245 गांवों को शामिल करते हुए गांव-दर-गांव सर्वेक्षण किया गया था तथा कुल 66 साक्ष्य खोजे गए थे; जिसमें पुरातात्विक अवशेष वाले स्थल, मंदिरों, कब्रों, टीलों तथा कुछ अन्य वस्तुओं के साक्ष्य शामिल हैं। ये सर्वेक्षण संबंधित मंडलों के पुरातत्वविदों द्वारा किए गए थे। इन सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किए गए कुछ साक्ष्य 19^{वीं} शताब्दी के थे अर्थात् 150 वर्ष से अधिक पुराने [गोमत मंदिर, शिवाला मंदिर, धरमौली

(गुप्त/कुषाण काल के प्रतीत होते हैं), बड़ा सुरेहा के अवशेष (उत्तर मुगल काल), आदि।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि ये सभी सर्वेक्षण परिणाम तथा निष्कर्ष आगे संवीक्षा के योग्य नहीं पाए गए तथा इसलिए उन्हें डीजी, एसआई को सूचित नहीं किया गया था। चूंकि ऐसे प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए कोई निर्धारित प्रावधान नहीं था, इन प्राचीन स्मारकों/स्थलों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बनी रही।

एसआई लखनऊ मंडल ने बताया कि उन्होंने स्थानीय प्राधिकारियों और अन्य लोगों के साथ मिलकर काम किया। एसआई आगरा मंडल ने बताया कि गांव-गांव सर्वेक्षण के दौरान पाए गए अवशेष राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों/स्थलों के संरक्षण के योग्य नहीं पाए गए। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि राज्य विधानों में भी इन्हें राज्य के महत्व के स्मारक या स्थल के रूप में संरक्षित करने का प्रावधान है।

तथ्य यह है कि इन स्थलों की सुरक्षा के लिए किसी भी अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव में ये नवनिर्धारित स्थल अंतरिम सुरक्षा के बिना रहे जिससे उन्हें विकास गतिविधियों से अपरिवर्तनीय क्षय के लिए असुरक्षित छोड़ दिया गया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि एसआई को प्राचीन स्मारकों/अवशेषों को आगे और अधिक क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

2.1.6.2 सीमा तथा क्षेत्र प्रकटीकरण के संबंध में राजपत्र अधिसूचनाओं में कमियां

एमएसआर अधिनियम की धारा 36 में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के द्वारा या अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के घोषित किसी प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल और अवशेषों के विवरण में किसी भी लिपिकीय गलती, प्रत्यक्ष त्रुटि या आकस्मिक चूक या चूक से उत्पन्न त्रुटि का किसी भी समय केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सुधार किया जा सकता है। राजपत्र अधिसूचनाएं कानूनी सानिधि के रूप में कार्य करती हैं जो औपचारिक रूप से परिभाषित करती हैं कि संरक्षित स्थल क्या है और संरक्षण कहां लागू होता है। इसके

अतिरिक्त, राजपत्र प्रारूप (अधिसूचना प्रारूप-नौ कॉलम) के अनुसार सीमा, भूमि क्षेत्र, स्थान/निर्देशांक, आसन्न भूमि विवरण, मानव निर्मित चिह्न (नदियां, सड़कें) आदि का विवरण भरना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्तर प्रदेश में तीन प्रमुख एसआई मंडलों में 487 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों (सीपीएम) में से 418 (86 प्रतिशत) में राजस्व अभिलेखों में आधारीक सीमा, भूमि क्षेत्र, प्लॉट संख्या तथा आसन्न भूमि विवरण का अभाव था, इसलिए इन विवरणों को उनके राजपत्र अधिसूचनाओं में एकीकृत नहीं किया गया था। भूमि अभिलेख प्रणाली के साथ संरेखण के बिना स्मारक औपचारिक स्वामित्व ढांचे से बाहर है, जो उन्हें विवादों तथा अतिक्रमणों के जोखिम में डालता है। स्वतंत्रता-पूर्व की अधिकांश अधिसूचनाओं में परिधि (चौहद्दी) विवरण के अभाव ने नदियों, सड़कों या निर्देशांकों जैसे प्राकृतिक या मानव निर्मित चिह्नों को छोड़ दिया गया था। इससे दशकों तक धीरे-धीरे अतिक्रमण और सीमा क्षरण हुआ है जैसा कि परवर्ती पैरा 2.1.8.6, 2.1.8.7 तथा 2.1.8.8 में चर्चा की गई है।

एसआई ने राजपत्र अभिलेखों को संशोधित किए बिना 195 स्मारकों की परिधि पर गिरल तथा द्वारों का निर्माण किया, जो एक सक्रिय क्षेत्रीय कार्रवाई होने से कानूनी रूप से अमान्य है जो स्मारकों को मुकदमेबाजी के जोखिम में डालता है। त्रुटियों को “किसी भी समय” सुधारने के लिए स्पष्ट प्राधिकार प्रदान करने के बावजूद इस अधिनियम के प्रावधान सुधार के लिए कानूनी साधन के रूप में काफी हद तक बिना उपयोग के रहे।

जवाब में एसआई मंडलों ने बताया (अगस्त-नवंबर 2024) कि स्वतंत्रता से पहले जारी अधिसूचनाओं में ज्यादातर चौहद्दी विवरण तथा शामिल भूमि के क्षेत्र के विवरण का अभाव है तथा यह भी बताया कि अधिसूचना में संशोधन नीतिगत मामला होने से क्षेत्रीय कार्यालय टिप्पणी करने में असमर्थ है। उन्होंने आगे बताया कि नई अधिसूचनाओं में इसका एएमएसआर अधिनियम के दायरे तथा प्रावधानों के अंतर्गत निपटान किया गया है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग ने सारनाथ मंडल में चौखंडी स्तूप के एक मामले, जहां संशोधित अधिसूचना जारी की गई है को

छोड़कर, अधिसूचनाओं को संशोधित करके ऐसी किसी भी त्रुटि या चूक का सुधार नहीं किया है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि एएसआई मंडलों को राजस्व अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए संशोधित अधिसूचनाएं जारी करके इन स्मारकों की सीमा तथा आसन्न क्षेत्रों को कानूनी रूप से निर्धारित करने के लिए दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि नई अधिसूचनाओं को संसाधित करते समय शामिल किए गए क्षेत्र से संबंधित सभी प्रासंगिक कॉलम भरे गए हैं।

2.1.6.3 अधिसूचनाओं का युक्तिकरण तथा समीक्षा

एएमएसआर, 1958 की धारा 35 के अनुसार, यदि केंद्र सरकार की राय है कि इस अधिनियम के द्वारा या अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किए गए प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष राष्ट्रीय महत्व का नहीं रहा है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय महत्व का नहीं रहा है। पीएसी ने अपनी अनुशंसा में मंत्रालय को स्मारकों को अधिसूचित/अधिसूचना रद्द करने को सुव्यवस्थित करने हेतु नियमों को अधिसूचित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था। इसने यह भी अनुशंसा की कि एएसआई को अधिसूचित संरक्षित स्मारकों की भौतिक स्थिति तथा अस्तित्व की संवीक्षा में तेजी लानी चाहिए। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने भी 2013 की प्रतिवेदन सं. 18 में इस कमी को उजागर किया था और व्यापक युक्तिकरण की अनुशंसा की थी।

मंत्रालय ने पीएसी को सभी सीपीएम की समीक्षा करने का आश्वासन दिया था।

भारत की संरक्षित स्मारक सूची में 3,679 स्थल शामिल हैं जिनमें से 741 सीपीएम उत्तर प्रदेश में हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि एएसआई मंडलों ने स्वतंत्रता के पश्चात

तथा एएमएसआर अधिनियम 1958 के अधिनियमन के पश्चात यूपी में धरोहर स्मारक सूची की समीक्षा के लिए कोई कार्य नहीं किया था।

सीएजी के 2013 के प्रतिवेदन सं. 18 में, लेखापरीक्षा ने उत्तर प्रदेश में 26 सीपीएम को लुप्त बताया था। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि 26 लुप्त स्मारकों में से नौ स्मारकों की प्रथम चरण की प्रारंभिक अधिसूचना रद्द करने को मार्च 2024 में प्रकाशित किया गया था, दो का पता लगा लिया गया तथा 12 का पता नहीं चल पा रहा था। आगरा के तीन स्मारकों के मामले में यह बताया गया था कि वे पता लगाने योग्य हैं, हालांकि, अधिसूचना में दिए गए संदर्भ से मेल खाने के लिए उनकी सटीक समानता का आगे अध्ययन करने की आवश्यकता है।

हालिया लेखापरीक्षा में, अन्य 19 अज्ञात स्मारकों के मामले पाए गए। इन 19 स्मारकों के संबंध में, केवल एक स्मारक की अधिसूचना रद्द करने का प्रस्ताव लखनऊ मंडल द्वारा डीजी एसआई को प्रेषित किया गया था। इस प्रकार यूपी में एसआई मंडलों के अभिलेखों के अनुसार 31 सीपीएम का पता नहीं चला (अनुलग्नक 2.2)।

यह दर्शाता है कि सूचित किए जाने के 11 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी लुप्त स्मारकों का पता लगाने या स्मारकों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लेने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए।

2.1.6.4 अधिसूचना का दोहराव

जैसा कि ऊपर (पैरा 2.1.6.2) उल्लेखित है कि धारा 36 अधिसूचना की प्रक्रिया में लिपिकीय त्रुटियों को, यदि कोई हो, सुधारने के लिए केन्द्र सरकार को स्पष्ट अधिकार प्रदान करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कानपुर देहात के भोगनीपुर गांव में कोस मीनार के सीपीएम को 1918 के राजपत्र अधिसूचना में दो बार प्रकाशित किया गया था। तथापि, कई

दशक बीत जाने के बावजूद विभाग द्वारा इस गलती को सुधारने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

एसआई लखनऊ मंडल ने बताया (नवंबर 2024) कि यह एक नीतिगत मामला है।

मंडल के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि संबंधित एसआई मंडलों को उस मंडल के क्षेत्राधिकार में आने वाले स्मारकों की अधिसूचना में किसी भी त्रुटि/गलती की समीक्षा करने तथा गलतियों को सुधारने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्य आदेश प्राप्त करने में कोई प्रतिबंधता नहीं है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि एसआई को सुनिश्चित लुप्त स्मारकों के संबंध में सूची सुधार करने के साथ इन स्मारकों के लुप्त होने के कारणों की पहचान करने के लिए व्यापक मूल कारण विश्लेषण की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने के लिए स्मारकों की अधिसूचना रद्द करने की प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित कर सकता है।

2.1.6.5 सीपीएम के रूप में स्मारकों की अधिसूचना में विलंब

अधिसूचनाएं पुरातात्विक महत्व को वैधानिक सुरक्षा से जोड़ने वाले आवश्यक सेतु के रूप में कार्य करती हैं। कानूनी संरक्षण प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों की अधिसूचना में विलंब धरोहर नियंत्रण प्रणाली में संरचनात्मक कमी को उजागर करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आगरा मंडल ने आगरा के *किरावली तहसील के रसूलपुर, पस्तल, बदरौली* तथा *मदनपुरा (जजौली)* में चार प्रागैतिहासिक शैल-कला आश्रयों तथा कुछ अन्य प्रागैतिहासिक स्थलों की पहचान की है। मंडली द्वारा ये चित्र पाषाण युग या मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण के बताए गए हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि उनके संरक्षण के लिए अप्रैल 2023 में महानिदेशक, एसआई को एक अधिसूचना प्रस्ताव प्रेषित किया गया था फिर भी नवंबर 2024 तक कोई राजपत्र

अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। प्रारंभिक राजपत्र अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया भी एएसआई द्वारा प्रारंभ नहीं की गई थी (नवंबर 2024)।

एएसआई मंडल आगरा ने बताया कि मामला एएसआई मुख्यालय को प्रेषित कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि एएसआई को मंडल स्तर पर तथा एएसआई मुख्यालय में अधिसूचना की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता है।

2.1.7 अधिसूचना प्रक्रिया में कमियां

अधिसूचना मामलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने 'राष्ट्रीय महत्व' के स्मारकों की पहचान के लिए मानदंडों का अभाव, एक ही परिसर में स्मारकों को समूहीकृत न करने के उदाहरण, स्मारकों के अभिन्न भागों को शामिल नहीं करना तथा क्षेत्राधिकार अधिव्यापन को प्रकट किया जैसा कि परवर्ती पैराग्राफों में बताया गया है।

2.1.7.1 'राष्ट्रीय महत्व' के स्मारकों की पहचान के लिए मानदंडों का अभाव

एएमएसएआर अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अनुसार, यदि केंद्र सरकार की राय है कि कोई भी प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष जिसे धारा 3 में शामिल नहीं किया गया है, राष्ट्रीय महत्व का है, वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल तथा अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय को दो महीने की सूचना देकर व्यक्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम प्राचीन स्मारक को किसी भी संरचना, निर्माण या स्मारक, या किसी टीले या दफनाने के स्थान, या किसी गुफा, शिला-मूर्तिकला, शिलालेख या एकाशम के रूप में परिभाषित करता है, जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक अभिरुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से अस्तित्व में है। यद्यपि 1958 के एएमएसएआर अधिनियम ने अधिसूचना के आधार के रूप में "राष्ट्रीय महत्व" को स्थापित किया परंतु इसके क्षेत्र को निर्धारित करने

या कार्यान्वयन के लिए मानक प्रदान करने में विफल रहा। पीएसी ने एएसआई को स्मारकों के राष्ट्रीय महत्व के निर्धारण के लिए दिशानिर्देशों को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप देने का भी निर्देश (2016) दिया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एएसआई द्वारा पीएसी के निर्देशों का अनुपालन अभी भी शेष था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की पहचान के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देशों के अभाव में स्मारकों की सीपीएम के रूप में पहचान तथा बाद की अधिसूचना में अंतराल था। इसके परिणामस्वरूप एएसआई मंडलों के विभिन्न विभागों में असंगत कार्यप्रणाली, अव्यवस्थित निर्णय और विकृत स्मारक गणना जैसी व्यवस्थाएं विकसित हो गई हैं। "राष्ट्रीय महत्व" के स्मारकों के निर्धारण के लिए सुपरिभाषित मानदंडों के अभाव में निर्णय फील्ड अधिकारियों के विवेकाधीन निर्णयों पर निर्भर है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एक परिसर के भीतर अनेक संरचनाओं को एकल स्मारक के रूप में या एक परिसर के भीतर प्रत्येक संरचना को स्वतंत्र स्मारक के रूप में अधिसूचित करने के लिए कोई विशिष्ट मानदंड नहीं है। अधिसूचनाओं से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा तथा संयुक्त भौतिक सत्यापन से पता चला कि इस संबंध में विविध दृष्टिकोण अपनाया जा रहा था जैसा कि नीचे बताया गया है:

- चार मंडलों के अंतर्गत 20 परिसरों में फैले 62 स्मारकों (अनुलग्नक 2.3) को अलग-अलग अधिसूचित किया गया था। तथापि, फतेहपुर सीकरी में 92 संरचनाओं के समूह तथा ताजमहल में 15 संरचनाओं के समूह को क्रमशः दो एकल स्मारकों के रूप में अधिसूचित किया गया था।

इसके विपरीत, विभिन्न स्थानों पर स्थित विशिष्ट स्मारकों, जैसे कि महापरिनिर्वाण मंदिर तथा रामाभार स्तूप, कुशीनगर को उनके स्वतंत्र ऐतिहासिक महत्व के बावजूद एक ही अधिसूचना (कास्य में बौद्ध अवशेष) के अंतर्गत मिला दिया गया था। यह प्रक्रिया स्थल-विशिष्ट संरक्षण में बाधा डालती है तथा विशिष्ट धरोहर महत्वों की पहचान को कम करती है।

एसआई मंडलों ने बताया कि राजपत्र अधिसूचना में समीक्षा तथा संशोधन का निर्णय नीतिगत मुद्दे हैं तथा इसलिए फील्ड कार्यालय कोई टिप्पणी करने में असमर्थ है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसआई मंडल को अधिसूचना में संशोधन प्रारंभ करना चाहिए था तथा सक्षम प्राधिकारी को सुझाव देना चाहिए था, जो नहीं किया गया।

मामला अप्रैल 2025 में मंत्रालय/एसआई को सूचित किया गया था उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

- *बीर छबीली टीला* (1999-2000) के उत्खनन से छठी शताब्दी के सांस्कृतिक अनुक्रम का पता चला। इसके निष्कर्ष *भारतीय पुरातत्व समीक्षा* में प्रकाशित किए गए थे तथा कलाकृतियों को संग्रहालय की अभिरक्षा में रखा गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि *बीर छबीली टीला* के चारों ओर 300 मीटर लंबी बाड़ का निर्माण किया गया था। तथापि इस अनौपचारिक उपाय में वैधानिक प्राधिकार का अभाव था क्योंकि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह स्थल फतेहपुर सीकरी स्मारक समूह की परिधि में स्थित है, जिसमें 92 स्मारक शामिल हैं, जो यूनेस्को धरोहर स्थल है यह मानकर कोई अधिसूचना प्रस्ताव शुरू नहीं किया गया था। इस स्थल को अधिसूचना के माध्यम से 92 स्मारकों की मौजूदा सूची में शामिल नहीं किया गया था।

एसआई मंडल आगरा ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि इसे अलग से अधिसूचित नहीं किया गया था क्योंकि यह शहर की बाहरी परिधि में आता है तथा इसलिए यूनेस्को स्थल का स्मारक होने से इसका संरक्षण/सुरक्षा अनिवार्य है।

उत्तर इस कारण से तर्कसंगत नहीं है कि यद्यपि स्मारक यूनेस्को धरोहर स्थल की परिधि में स्थित है फिर भी यह फतेहपुर सीकरी स्मारकों के समूह के अधीन 92 स्मारकों में सूचीबद्ध नहीं है इसलिए यह अधिसूचना के अंतर्गत शामिल/संरक्षित नहीं किया गया है। इसलिए, इसकी सुरक्षा एक अलग अधिसूचना पर निर्भर है।

- ललितपुर में चंडी सीपीएम के निकट अभिलेख में नहीं ली गई मंदिर - मौजूदा संरक्षित स्मारकों से केवल कुछ मीटर की दूरी पर खोजी गई एक महत्वपूर्ण मंदिर संरचना का कभी सर्वेक्षण या प्रलेखन नहीं किया गया था।
- सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अनिर्दिष्ट सहायक हॉल, जो बड़ा आयताकार हॉल है, एवं जिसका उपयोग अंतिम संस्कार के लिए किया जाता है तथा जो ब्रिटिश कब्रिस्तान हमीरपुर (एक सीपीएम) का एक भाग है, को राजपत्र अधिसूचनाओं तथा सीमा सुरक्षा दोनों से बाहर रखा गया था।
- गणेश बाग मंदिर परिसर का आंशिक रूप से प्रलेखन किया गया है - केवल पाषाण मंदिर को ही अधिसूचित किया गया था, जबकि अन्य अभिन्न तत्वों जैसे सरोवर, बाउली तथा संयोजक जल प्रणालियों को इससे बाहर रखा गया था।

इन चूकों ने मूल्यवान धरोहर को कानूनी रूप से असुरक्षित छोड़ा तथा अपरिवर्तनीय क्षति के प्रति असुरक्षित छोड़ा। मंदिर परिसरों का आंशिक कवरेज, सहायक धरोहर का बहिष्करण तथा अधूरी चारदीवारी संरक्षण प्रभावशीलता को कमजोर करती हैं।

मामला अध्ययन: नवाब आसफुद्दौला के इमामबाड़े के परिसर में नक्कार खाना के लिए नई अधिसूचना

2013 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 18 पर एटीएन में संस्कृति मंत्रालय ने बताया था कि एसआई पूरे परिसर में स्थित प्रत्येक स्मारक/संरचना के लिए अलग-अलग अधिसूचना जारी करने के बजाए केवल एक अधिसूचना जारी करने के मानदंडों का अनुपालन कर रहा है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि लखनऊ में किला मच्छी बाजार स्टेशन, अजादारी मार्ग चौक के इलाके में तीन स्मारकों अर्थात् नवाब आसफुद्दौला का इमामबाड़ा (खसरा सं. 8), रूमी दरवाजा (खसरा सं. 32) तथा आसफुद्दौला से जुड़ी मस्जिद (खसरा सं. 24) जो सभी 200 मीटर के घेरे के एक गोलाकार परिसर में स्थित है, को पहले से ही अलग-अलग स्मारकों के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसके अतिरिक्त, उसी परिसर के एक भाग (खसरा सं. 8) में स्थित 'नक्कार-खाना' नामक संरचना को एक अलग सीपीएम के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव भी शुरू किया गया था तथा इसके लिए प्रारंभिक अधिसूचना भारत के राजपत्र (अप्रैल, 2023) में प्रकाशित की गई थी।

यह दर्शाता है कि मंत्रालय/एएसआई/मंडल अपने एटीएन में पीएसी को दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं कर रहे थे।

मंडल ने उत्तर दिया कि यह एक नीतिगत मामला है तथा इसे केवल एएसआई मुख्यालय द्वारा ही निपटाया जाना है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि एएसआई को स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए निर्धारित मानदंड तैयार करने की आवश्यकता है। अधिसूचना प्रक्रिया को सभी अंतर्संबंधित संरचनाओं को शामिल करने, धरोहर परिसरों की समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए प्रस्ताव को शुरु करने, संसाधित करने तथा अंतिम रूप देने के लिए सभी स्तरों पर भूमिकाओं को परिभाषित करने हेतु सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए।

2.1.7.2 दोहरी सुरक्षा, क्षेत्राधिकार अधिव्यापन और समन्वय का विघटन

नीचे सूचीबद्ध स्मारकों के लिए एएसआई तथा उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग दोनों द्वारा अधिसूचना तथा संरक्षण के मामले भी लेखापरीक्षा में पाए गए:

- i. जौनपुर में सारनाथ मंडल के एएसआई संरक्षित स्मारक 'एक छोटे हाथी पर खड़े विशालकाय शेर का पाषाण समूह (सीपीएम)' का एक भाग (शेर की प्रतिमा) को भी राज्य पुरातत्व विभाग, उत्तर प्रदेश की संरक्षित सूची में शामिल किया गया था। इसे वर्ष 2013 के सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी इंगित किया गया था। हालांकि, संबंधित मंडल द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।
- ii. हाथरस ज़िले के सासनी शहर से थोड़ी दूरी पर *गोहाना खेड़ा* नाम का एक बड़ा एवं स्पष्ट दिखने वाले टिले, एक पुरानी बौद्ध अधिष्ठान है, जिसे एएसआई, आगरा मंडल द्वारा अधिसूचित किया गया था, जबकि उत्तर प्रदेश के राज्य पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने इसे "*सासनी किला*" के रूप में अधिसूचित किया था।

- iii. एसआई आगरा मंडल ने "भानकौर तालाब के किनारे वाले टावर में संवत् 1666 का संस्कृत शिलालेख वाला खंभा" नाम के स्मारक को अधिसूचित किया था, जो बरसाना, मथुरा में तालाब के एक कोने पर स्थित है, जबकि उत्तर प्रदेश के राज्य पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने 'बृषभान कुंड' नाम के संरक्षित स्मारक के भाग के रूप में इस तालाब को संरक्षित किया था।

ये मामले राज्य पुरातत्व विभाग के साथ समन्वय की कमी को दर्शाते हैं तथा क्षेत्राधिकार में अनिश्चितता के कारण इन सीपीएम के नज़रअंदाज़ होने का खतरा है।

दोनों मंडलों ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा आगरा मंडल ने बताया (सितंबर 2024) कि इसमें सुधार करने के लिए आवश्यक बातचीत की जा रही है।

इन मामलों में अधिसूचनाओं की व्यापक समीक्षा तथा मामला दर मामला आधार पर संबंधित राज्य प्राधिकारियों के साथ सुधार के लिए समन्वय करने की आवश्यकता है।

2.1.8 स्मारक प्रबंधन

लेखापरीक्षा में सीपीएम के निषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्रों के नियंत्रण, सीपीएम के विशिष्ट श्रेणियों में वर्गीकरण के संबंध में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) के निर्देशों के कार्यान्वयन, गुम हुए अधिसूचित सीपीएम, सक्रिय स्मारकों की संख्या में अस्पष्टता तथा अतिक्रमण के मामलों के लिए उप-नियम तैयार करने में कमियाँ पाईं। इन मामलों पर लेखापरीक्षा विश्लेषण के परिणामों पर अनुवर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

2.1.8.1 सीपीएम को कानूनी स्वामित्व का अभाव

स्वामित्व तथा अभिरक्षा वे मूलभूत आधार हैं जिन पर सभी संरक्षण गतिविधियाँ निर्भर करती हैं। विवादरहित कानूनी दस्तावेज के बिना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सुरक्षा लागू नहीं कर सकता, अतिक्रमण से बचाव नहीं कर सकता, या लंबे समय

तक संरक्षण सुनिश्चित नहीं कर सकता। एएमएसआर अधिनियम की धारा 5 में संरक्षित स्मारक तथा पुरातात्विक स्थलों में अधिकार के अधिग्रहण के प्रावधान हैं, जो डी जी, ए एस आई को यह शक्ति प्रदान करते हैं कि केन्द्र सरकार की संस्वीकृति से किसी भी संरक्षित स्मारक को खरीद सकता है, या पट्टे पर ले सकता है, या उपहार या वसीयत के तौर पर स्वीकार कर सकता है। यदि कोई संरक्षित स्मारक का कोई मालिक नहीं है, तो डीजी आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस स्मारक की संरक्षकता ले सकता है।

यदि केंद्र सरकार को आशंका है कि संरक्षित स्मारक नष्ट होने, खराब होने, दुरुपयोग या क्षय के खतरे में है तो एएमएसआर अधिनियम की धारा 13 में अधिग्रहण का अनुबंध करके उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रावधान है। यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के प्रावधान के अंतर्गत संरक्षित स्मारक का अधिग्रहण कर सकता है, जहां तक उस अधिनियम के अर्थ के भीतर संरक्षित स्मारक का रखरखाव एक सार्वजनिक उद्देश्य हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्तर प्रदेश में तीन मुख्य एसआई मंडलों¹¹ में 487 सीपीएम में से केवल 31 स्मारकों (6.4 प्रतिशत) में भूमि अभिलेख उत्परिवर्तन के माध्यम से स्वामित्व का उचित प्रलेखन था। 456 सीपीएम (94 प्रतिशत) को एसआई बिना किसी कानूनी अधिकार के प्रबंधित कर रहा था। लेखापरीक्षा ने आगरा तथा झांसी मंडल के कुल 326 स्मारकों के स्वामित्व डेटा का विश्लेषण किया, जिसने प्रकट किया कि:

- 121 (37 प्रतिशत) स्मारक सरकारी भूमि पर स्थित थे।
- 82 (25 प्रतिशत) स्मारकों को बिना किसी स्वामित्व के पाया गया।
- 96 (29 प्रतिशत) स्मारक निजी स्वामित्व या ट्रस्ट के अधीन थे।
- 11 स्मारकों में बदलाव किया गया या पता नहीं चला बताया गया था।

¹¹ आगरा, लखनऊ तथा सारनाथ मंडल

लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित मंडलों ने एएमएसआर अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार, सभी सीपीएम को अपने स्वामित्व में लाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी, यहाँ तक कि उन के लिए भी जो सरकार के स्वामित्व या बिना स्वामित्व के हैं तथा कुल सीपीएम का लगभग 62 प्रतिशत है।

अपने उत्तर में, मंडलों ने बताया कि एसआई के पक्ष में उत्परिवर्तन का निर्णय एक नीतिगत मामला है तथा इसलिए मंडल कार्यालय इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ है। उत्तर को इस दृष्टि से देखा जा सकता है कि मंडल कार्यालयों ने न तो ऐसा कोई प्रस्ताव शुरू किया और न ही एसआई मुख्यालय को भेजा।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि एसआई मंडलों को धारा 5 के प्रावधानों को लागू करने तथा सीपीएम को सरकार के नियंत्रण में लाने या बिना स्वामित्व को एसआई के स्वामित्व में लाने के लिए सक्रिय रूप से मामले को आगे बढ़ाना चाहिए।

2.1.8.2 रखरखाव अनुबंध का गैर-निष्पादन

एएमएसआर अधिनियम 1958 की धारा 6 में संरक्षित स्मारक के मालिकों के साथ केंद्र सरकार को एक विनिर्दिष्ट समय के भीतर स्मारक के रखरखाव के लिए अनुबंध करने का प्रावधान शामिल है। इस धारा के अंतर्गत अनुबंध में सभी या इनमें से किसी भी मामले अर्थात्, स्मारक की अभिरक्षा तथा उसकी देख-रेख हेतु नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति के कर्तव्य; मालिक द्वारा स्मारक को नष्ट करने, हटाने, बदलने या खराब करने के अधिकार पर प्रतिबंध, या स्मारक में प्रवेश या निरीक्षण हेतु लिए जाने वाले शुल्क, स्मारक पर या उसके आस-पास निर्माण करना, आदि के लिए एक समझौता हो सकता है। पीएसी ने अपनी अनुशंसा में मंत्रालय/एसआई को संरक्षित स्मारक के उपयोग पर स्पष्ट दिशानिर्देश विकसित करने पर विचार करने तथा यह सुनिश्चित करने कि स्मारकों की अखंडता बनाए रखने के लिए कथित दिशानिर्देशों के आधार पर उपयोगकर्ताओं/अधिवासियों के साथ उपयुक्त एमओयू करने का निर्देश दिया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि

- आगरा तथा झांसी मंडल के कुल 326 स्मारकों में से, 96 स्मारक या तो निजी व्यक्ति/ट्रस्ट की भूमि पर स्थित थे या फिर स्मारकों से लगी भूमि निजी व्यक्ति या ट्रस्ट के स्वामित्व में थी। एएसआई मंडलों द्वारा इन मालिकों/ट्रस्टों के साथ कोई अनुबंध नहीं किया गया था।
- इनमें से कुछ स्मारक टीले थे (पैरा 2.1.8.9)। अनुबंध के अभाव में, एएसआई मंडलों के पास इन संरक्षित टीलों पर गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं था।
- लेखापरीक्षा ने कुछ धार्मिक स्मारकों के कलावादी रूप को बदलने के मामले भी पाए (पैरा 2.1.8.7)।
- एएसआई मंडल लखनऊ का *बड़ा इमामबाड़ा* में प्रवेश शुल्क तथा कई अन्य धार्मिक पूजा स्थलों पर परिसर में दुकानें चलाने वाले आवंटित उपयोगकर्ताओं से नियमित किराया वसूलने पर कोई नियंत्रण/अधिकार नहीं था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया कि किसी भी निजी मालिक/ट्रस्ट के साथ कोई अनुबंध नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि एएसआई मंडलों को एएसआई की संरक्षकता में उपयुक्त व्यवसायिक संरक्षण तथा रक्षा के अभाव में इन स्मारकों को किसी भी क्षति से बचाने के लिए निजी मालिकों/ट्रस्ट के साथ अनुबंध करने की संभावना का सक्रिय रूप से पता लगाना चाहिए।

2.1.8.3 सक्रिय स्मारक प्रबंधन

जॉन मार्शल की संरक्षण नियमपुस्तक के अनुसार, जो संरचनाएँ अभी भी उसी उद्देश्य के लिए उपयोग में हैं जिसके लिए अधिसूचना के समय उन्हें मूल रूप से तैयार किया गया था, सक्रिय स्मारक हैं। एएमएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 6 में सरकार को इन सक्रिय स्मारकों के मालिक के साथ उनके रखरखाव तथा उन्हें

नष्ट करने, हटाने, बदलने या खराब करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अनुबंध करना अपेक्षित है। पीएसी ने, इन सक्रिय स्मारकों की सुरक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर विचार करते हुए, निम्न की आवश्यकता महसूस की:

- सक्रिय स्मारकों की सुरक्षा तथा संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु उनके उपयोग पर दिशानिर्देश विकसित करना।
- विवादित स्वामित्व या अतिक्रमण वाले स्थानों को अधिसूचित करने के लिए निर्धारित नीति निर्धारित करना; तथा
- स्मारक की अखंडता बनाए रखने के लिए कथित दिशानिर्देशों के आधार पर उपयोगकर्ताओं/अधिवासियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर सुनिश्चित करना।

लेखापरीक्षा ने अभिलेखों में सूचना तथा संयुक्त भौतिक सत्यापन से पाया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 741 स्मारकों में से 132¹² में पूजा/प्रार्थना की जा रही है। हालांकि, मंडल कार्यालयों में उपलब्ध अभिलेखों से स्मारकों की सही संख्या पता नहीं चल पाई है। एएमएसआर अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार एसआई मंडलों तथा मालिकों/उपयोगकर्ताओं/निवासियों के साथ कोई एमओयू/अनुबंध नहीं किया गया था। पीएसी की अनुशंसा के बावजूद, आठ वर्ष पश्चात भी एसआई द्वारा सक्रिय स्मारकों पर कोई दिशानिर्देश तैयार नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, मंडलों के पास उन स्मारकों के अभिलेख/विवरण नहीं थे जहाँ अधिसूचना जारी होने से पहले/पश्चात पूजा/प्रार्थना शुरू की गई थी।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि एसआई को संरक्षित स्मारकों के उपयोग, सक्रिय स्मारक के रूप में उनकी पहचान पर स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निवासियों/उपयोगकर्ताओं के साथ एमओयू/अनुबंध किया गया है जैसा पीएसी द्वारा अनुशंसा की गई है।

¹² आगरा-12, झांसी-38, लखनऊ-54, मेरठ-11, सारनाथ-17

2.1.8.4 धरोहर उपनियम

एएमएसआर (संशोधन तथा मान्यकरण अधिनियम), 2010 की धारा 20(ई) के अनुसार, केंद्र सरकार विशेषज्ञ धरोहर निकायों की सलाह से प्रत्येक संरक्षित स्मारक तथा संरक्षित क्षेत्र के लिए धरोहर उपनियम तैयार करेगी। केंद्र सरकार नियमों द्वारा प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र या संरक्षित स्मारक या प्रतिबंधित क्षेत्र या विनियमित क्षेत्र के संबंध में विस्तृत स्थल योजना तैयार करने की पद्धति, निर्धारित समय जिसके भीतर ऐसे धरोहर उपनियम तैयार किए जाएंगे तथा ऐसे प्रत्येक धरोहर उपनियम में शामिल किए जाने वाले विवरणों को निर्दिष्ट कर सकती है।

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) को सीपीएम के आस-पास निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था (2011)। इसका मूल उद्देश्य धरोहर उपनियमों (एचबीएल) के माध्यम से सीपीएम के प्रतिबंधित तथा विनियमित क्षेत्रों के सांविधिक प्रावधानों का कार्यान्वयन था। डीजी, एसआई को प्रत्येक संरक्षित स्मारक हेतु विस्तृत स्थल योजना पर विचार करने के पश्चात उपनियम तैयार करने थे तथा एनएमए को उपनियमों को संसद में प्रस्तुत किए जाने तथा एसआई/एनएमए वेबसाइट पर अपलोड किए जाने से पहले इनकी संवीक्षा तथा अनुमोदन करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि 68 सीपीएम के संबंध में धरोहर स्थल योजना दो मंडलों¹³ द्वारा तैयार की गई थी तथा क्षेत्रीय निदेशक मध्य क्षेत्र भोपाल को अग्रेषित की गई थी। हालांकि, आगरा, मेरठ तथा सारनाथ मंडल द्वारा किसी भी सीपीएम के संबंध में कोई धरोहर स्थल योजना तैयार नहीं की गई थी।

2.1.8.5 स्मारकों के वर्गीकरण में कमी

एएमएसआर (संशोधन तथा मान्यकरण) अधिनियम, 2010 के अनुसार, केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) की अनुशंसा पर एसआई के

¹³ झांसी-13 तथा लखनऊ-55

क्षेत्राधिकार के अधीन सभी स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों को एनएमए नियमावली, 2011 के नियम 6 में वर्णित आठ श्रेणियों¹⁴ के अनुसार वर्गीकृत करना था। यह वर्गीकरण एसआई द्वारा एनएमए को प्रदान की गई सूचना के आधार पर किया जाना था, जिसे आम जनता के लिए सरकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना था।

इस संबंध में, मंत्रालय ने पीएसी को सूचित किया था कि स्मारकों का वर्गीकरण पूर्ण था तथा इसे एनएमए को उनके विचार तथा मंत्रालय को अनुशंसा के लिए सौंपा गया था। परंतु लेखापरीक्षा ने पाया कि झांसी, मेरठ तथा लखनऊ मंडल ने स्मारकों के वर्गीकरण की कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी। सारनाथ और आगरा मंडल ने क्रमशः अगस्त 2021 तथा अक्टूबर 2021 में एनएमए/डीजी एसआई को सीपीएम की श्रेणी-वार सूची प्रस्तुत की थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन दोनों मंडलों से संबंधित सूचना को चार वर्ष पश्चात भी एनएमए द्वारा वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था।

अतः, पीएसी को दिया गया आश्वासन बड़े पैमाने पर गैर-कार्यान्वित रहा।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि मंडलों को नियम 6 के अनुसार सक्रिय रूप से सीपीएम का वर्गीकरण करने तथा अंतिम रूप देने के लिए एनएमए को अनिवार्य डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

2.1.8.6 कानूनी प्रवर्तन तथा धरोहर अतिक्रमण प्रबंधन

एएमएसआर नियमावली, 1959 प्रावधान करती है कि किसी भी संरक्षित स्मारक के भीतर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे स्मारक के किसी भी भाग को क्षति या क्षति होने की संभावना हो। अधिनियम ने आगे प्रावधान किया कि

¹⁴ श्रेणी I: विश्व धरोहर स्थल; श्रेणी II: विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची; श्रेणी III: विश्व धरोहर अस्थायी सूची में शामिल किए जाने हेतु चिन्हित; श्रेणी IV: टिकट वाले स्मारक (उपरोक्त के अलावा); श्रेणी V: टिकट वाले स्मारक के रूप में वर्गीकरण हेतु चिन्हित; श्रेणी VI: सक्रिय स्मारक जहां बड़ी संख्या में आगंतुक आते हैं; श्रेणी VII: शहरी/अर्ध शहरी सीमाओं में स्थित अन्य स्मारक; श्रेणी VIII: अन्य श्रेणी जिसे प्राधिकारी उचित समझें

कोई भी व्यक्ति, संरक्षित क्षेत्र के मालिक या अधिभोगकर्ता सहित, केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना संरक्षित क्षेत्र के भीतर किसी बिल्डिंग का निर्माण नहीं करेगा, या ऐसे क्षेत्र में कोई खनन, उत्खनन, खुदाई, धमाका या इसी प्रकार का कोई काम नहीं करेगा, या उस क्षेत्र या उसके किसी भी भाग का किसी और प्रकार से उपयोग नहीं करेगा। इस प्रकार, संरक्षित क्षेत्र में अतिक्रमण/कोई भी अन्य अनाधिकृत गतिविधि को अतिक्रमण माना जाएगा। पीएसी ने अपनी अनुशंसा में निर्देश दिया था कि अतिक्रमण के मामले को सबसे उच्चतम स्तर पर उठाया जाना चाहिए। इसने जिला तथा पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से अतिक्रमण की घटनाओं को रोकने के लिए एक समन्वय एवं निगरानी तंत्र स्थापित करने की अनुशंसा की थी।

उत्तर प्रदेश में एएसआई के संबंधित मंडलों में 96 स्मारकों¹⁵ में अतिक्रमण के मामले सूचित किए गए थे। एएसआई के मंडल कार्यालयों ने अपनी भूमिका को केवल संबंधित पुलिस स्टेशन में एक आवेदन के माध्यम से घटना की सूचना देने तथा अतिक्रमण करने वालों को एक तय प्रारूप में कारण बताओ नोटिस, जिलाधीश को प्रति सहित, जारी करने तक ही सीमित रखा। 96 से ज़्यादा दर्ज अतिक्रमण मामलों के बावजूद एएमएसआर नियम के अंतर्गत न तो बेदखली और न ही कोई अभियोजन मामला शुरू किया गया था। इसके अतिरिक्त, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया था कि दर्ज मामलों के अतिरिक्त नौ स्मारकों¹⁶ पर अतिक्रमण किया गया था। तथापि, मंडल कार्यालय ने इन मामलों में कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, मंडल कार्यालयों में जिला तथा पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से अतिक्रमण, खनन की संवीक्षा करने तथा अतिक्रमण तथा अनाधिकृत निर्माण को हटाने के लिए कोई भी समन्वय तथा निगरानी तंत्र की कोई प्रक्रिया उपलब्ध नहीं थी, जैसा पीएसी द्वारा अनुशंसा की गई थी।

¹⁵ आगरा-12, झांसी-14, लखनऊ-43, मेरठ-18 तथा सारनाथ-9

¹⁶ आगरा-3, मेरठ-3 तथा सारनाथ-3

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि झांसी मंडल के अधीन दो मामलों में, डीजी, एएसआई द्वारा विध्वंस आदेश जारी किए गए थे। एक मामला अदालत में लड़ा गया, जिसका निर्णय एएसआई के पक्ष में आया तथा जिसके परिणामस्वरूप अतिक्रमण को गिरा दिया गया। यह दर्शाता है कि सक्रिय कार्रवाई से ऐसे अतिक्रमणों को हटाया जा सकता है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि एएसआई को ज़िला तथा पुलिस अधिकारियों के सहयोग से अतिक्रमण की घटनाओं की जाँच करने तथा सभी अतिक्रमणों को हटाने के लिए समय पर कार्रवाई शुरू करने तथा कानून के अनुसार स्मारकों को तोड़फोड़, चोरी, खराब होने तथा विरुपण से बचाने, जैसा पीएसी द्वारा अनुशंसा की गई है, के लिए प्रत्येक मंडल में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक समन्वय निकाय स्थापित करना चाहिए।

2.1.8.7 विवादित अधिकार तथा जानबूझकर हस्तक्षेप

पीएसी ने अनुशंसा की थी कि एएसआई/मंत्रालय को संरक्षित स्मारक के उपयोग पर स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्मारक की अखंडता बनाए रखने के लिए इन दिशानिर्देशों के आधार पर उपयोगकर्ताओं/निवासियों के साथ उपयुक्त एमओयू किए गया है।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया था कि कुछ स्मारक सरकार के अतिरिक्त अन्य हितधारकों¹⁷ के कब्जे में थे। मालिक या अभिरक्षक की पहचान नहीं हो पाई क्योंकि राजपत्र अधिसूचना में ऐसा कोई विवरण उल्लेखित नहीं था।

ऐसे चार सीपीएम के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने इन सीपीएम के निवासियों द्वारा अप्राधिकृत हस्तक्षेप/गतिविधियां पाईं। इन स्मारकों के संबंध में भूमि क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया गया था। इन निवासियों ने एएसआई मानकों के अनुसार वर्जित सामग्री का उपयोग करके परिवर्तन तथा संशोधन किए। साथ ही

¹⁷ सिबतेनाबाद ट्रस्ट, वक्फ बोर्ड आदि

निवासियों द्वारा इन सीपीएम में रहने वाले लोग में धार्मिक गतिविधियों के साथ-साथ परिसर का आवासीय तथा वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा था। इन स्मारकों की अखंडता बनाए रखने के लिए इन निवासियों के साथ कोई एमओयू नहीं किया गया था जैसा पीएसी द्वारा अनुशंसा की गई है। ये मामले तालिका 2.1 में दिए गए हैं।

तालिका 2.1: विवादित अधिकार तथा दूसरों का जानबूझकर हस्तक्षेप

स्मारक/स्थल/अधि सूचना का नाम	क्या भूमि क्षेत्र परिभाषित तथा सीमांकित है/ स्वामित्व/ अभिरक्षा	अनाधिकृत हस्तक्षेप/ गतिविधियाँ	चित्र
कोस मीनार, मथुरा -आगरा मंडल/ यूपी 1645-एम/1133-एम:20-12-1920	नहीं/ भारत सरकार	स्थानीय निवासियों द्वारा पूर्ण रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है। मीनार के पास लगभग 12 फीट ऊंचा एक मज़ार तथा स्टील ग्रिल के साथ दो छोटी संरचनाओं का निर्माण किया गया था।	 (14 सितम्बर, 2024) आगरा मंडल में कोस मीनार, मथुरा
जामा मस्जिद जौनपुर - सारनाथ मंडल/ 1348 M/367-66 :21-12-1918	क्षेत्र परिभाषित नहीं है। सीपीएम के चारों ओर पिच वाली सड़क उपलब्ध है/ वक्फ बोर्ड	रंग-रोगन में बदलाव, सीमेंट का उपयोग करके प्लास्टर करना, मार्बल का फव्वारा बनाना, धार्मिक शिक्षा का संस्थान चलाना, नियमित रूप से प्रार्थना करना। एसआई का कम से कम हस्तक्षेप।	 जौनपुर की जामा मस्जिद में नया निर्माण, (26 जुलाई, 2024)

स्मारक/स्थल/अधि सूचना का नाम	क्या भूमि क्षेत्र परिभाषित तथा सीमांकित है/ स्वामित्व/ अभिरक्षा	अनाधिकृत हस्तक्षेप/ गतिविधियाँ	चित्र
बरेली जिले में स्थित मकबरा वैरागी शाह दाना-मेरठ मंडल/1645एम/1133 :20-11-1920.	कोई क्षेत्र परिभाषित नहीं है; सीमांकन नहीं किया गया/ ट्रस्टी	यह एक सक्रिय स्मारक है जिस पर एक धार्मिक समुदाय ने अतिक्रमण कर लिया है, जहाँ अलग-अलग वाणिज्यिक गतिविधियाँ की जा रही थीं। वर्जित सामग्री का उपयोग करके सीपीएम के कलावादी स्वरूप का परिवर्तन किया गया।	 <p>बरेली में वैरागी शाह दाना में (15 अक्टूबर 2024) वाणिज्यिक गतिविधि।</p>
राजा अमजद अली शाह का मकबरा, शानदार सिब्तैनाबाद इमामबाड़ा, हजरतगंज-लखनऊ मंडल/यूपी 1442-एम/367 दिनांक 27.11.1919	क्षेत्र परिभाषित और सीमांकित नहीं है क्योंकि सीपीएम/ सिब्तैनाबाद ट्रस्ट के आसपास सड़क थी	कई व्यक्ति सीपीएम परिसरों का आवास और वाणिज्यिक कार्यों हेतु उपयोग कर रहे थे। मकबरे के संरक्षित क्षेत्र के अधीन मैदान को ट्रस्ट द्वारा समारोह के आयोजन हेतु किराए पर दिया गया था। मकबरे के अंदरूनी भाग को डिस्टेम्पर रंगरोगन, मार्बल फ्लोरिंग तथा आधुनिक लाइटिंग से पूरी तरह विरूपित किया कर दिया गया है।	 <p>(05 नवंबर 2024) अमजद अली शाह, मकबरा लखनऊ का आवासीय उपयोग</p>

आगरा मंडल ने बताया कि कोस मीनार 2022-23 तक पता न लगे स्मारकों की सूची में थी तथा इस स्मारक के उपयुक्त संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सारनाथ मंडल ने उत्तर दिया कि उनके पास जामा मस्जिद के स्वामित्व का कोई अभिलेख नहीं है। मेरठ मंडल ने उत्तर दिया कि स्वामित्व का कोई अभिलेख नहीं है, जिसका सीमांकन के पश्चात निर्धारण किया जाएगा। लखनऊ मंडल ने बताया कि कई लोग परिसर का उपयोग आवासीय तथा वाणिज्यिक गतिविधियों के

लिए कर रहे थे तथा वे सभी लखनऊ विकास प्राधिकरण के आवंटी हैं। स्मारक के पूरे परिसर को खाली कराने तथा एसआई मंडल को सौंपने के लिए समय-समय पर इस मामले को जिला प्राधिकारियों को सूचित किया गया है। मंडल के उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की पुष्टि करते हैं।

2.1.8.8 सरकारी अभिकरणों द्वारा अतिक्रमण

लेखापरीक्षा ने पाया कि अस्पताल, पुलिस स्टेशन, नगरपालिका कार्यालय, स्कूल तथा अन्य सरकारी विभागों जैसे विभागों ने बिना किसी कानूनी हस्तांतरण, अधिग्रहण अनुबंध या एसआई प्राधिकरण के सीपीएम के भीतर स्थायी मौजूदगी/कार्यालय स्थापित किया है।

ऐसे कुछ मामले नीचे दिए गए हैं:

- सहारनपुर कारागार में पुराना रोहिल्ला किला पूर्ण रूप से जिला कारागार सहारनपुर के कब्जे में था। स्मारक पर अतिक्रमण लेने के बारे में मंडल कार्यालय के पास कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।



चित्र 1: (17 अक्टूबर, 2024) पुराने रोहिल्ला किले में जिला कारागार, सहारनपुर का प्रवेश द्वार

- चित्रशाला हुसैनबाद बारादरी बहुत घनी आबादी वाले इलाके में स्थित थी। चित्रशाला के चारों ओर कोई सीमा नहीं बनाई गई थी। नगर निगम, बिजली

विभाग, जल निगम तथा निजी व्यक्तियों जैसे सभी प्रकार के अतिक्रमणकारी विनियमित तथा निषिद्ध क्षेत्र के भीतर रह रहे थे।

- **भानकुर कुंड** में संस्कृत शिलालेख: एक छोटे मंदिर का निर्माण किया गया था, नगर पंचायत बरसाना ने निषिद्ध तथा विनियमित क्षेत्रों में संरचना तथा शौचालय ब्लॉक का निर्माण किया था तथा नगर पंचायत के ठेकेदार ने खंभे के पास निर्माण सामग्री रखी थी।



चित्र 2: (14 सितंबर 2024) नगर पंचायत, बरसाना द्वारा संस्कृत शिलालेख, भानकुर कुंड मथुरा में निर्माण गतिविधियाँ,

- तिलमापुर में प्राचीन टीला: ग्राम सभा ने हैंडपंप लगवाया था तथा यूपीपीसीएल ने टीले पर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया था।
- सीपीएम रानी महल, झांसी के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि एएसआई स्वयं अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा था। एएसआई झांसी का मंडल कार्यालय सीपीएम में स्थित था। उन्होंने स्मारक संरचना में बदलाव किए अर्थात एयर कंडीशनर लगाना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, पानी के पाइप आदि लगाए। स्मारकों में शौचालयों में सिरेमिक टाइल्स लगाई गई थीं। ये बदलाव इन स्मारकों के मूल स्वरूप से सुसंगत नहीं थे।



चित्र 3: एसआई मंडल कार्यालय झांसी

यह संबंधित अधिकारियों की अपनी व्यवसायिक दायित्व के प्रति लापरवाही को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि एसआई मंडलों को संरक्षित स्थानों के इस प्रकार के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करने तथा सुधारने के लिए तुरंत उपाय करने की आवश्यकता है।

2.1.8.9 धरोहर स्थलों पर बैरिकेडिंग न होने के कारण अतिक्रमण तथा अवैध खनन होना

संरक्षित, निषिद्ध तथा विनियमित क्षेत्रों, पुरातात्विक स्थलों, टीलों, झीलों की खाली भूमि आदि जहाँ उपयुक्त बाड़, या सुरक्षा गार्ड नहीं थे, पर अतिक्रमण/अवैध निर्माण तथा अवैध खनन किए जाने के मामले देखे गए, जैसा कि नीचे बताया गया है।

- मेरठ मंडल के सरथल खेड़ा गांव में स्थित 1200 फीट लंबा और 1000 फीट चौड़ा एक पुराने टीले पर पक्के रिहायशी घर बनाकर पूरी तरह से अतिक्रमण कर लिया गया था। भूमि का कोई भी भाग एसआई मेरठ के स्वामित्व तथा कब्जे में नहीं था।



चित्र 4: (15 अक्टूबर, 2024) मेरठ मंडल में ग्रामीणों द्वारा सरथल खेड़ा टीले पर किया गया अतिक्रमण

- हाथरस ज़िले (आगरा मंडल) में गैंड ट्रंक रोड के मील 773 पर रथभानपुर में मेजर रॉबर्ट नारायण के स्मारक पर पूर्ण रूप से अतिक्रमण कर लिया गया था तथा किसानों द्वारा वहां खेती की जा रही थी।



चित्र 5: (04 सितंबर, 2024) आगरा मंडल के रथभानपुर में मेजर रॉबर्ट नारायण के स्मारक पर अतिक्रमण,

- सारनाथ मंडल के अंतर्गत मऊ जिले के कस्बा खास पश्चिमी नगर पंचायत घोसी में स्थित एक प्राचीन स्थल/टीले पर पूर्ण रूप से अतिक्रमण कर लिया गया था।



चित्र 6: घोसी, मऊ में प्राचीन टीला (01 अगस्त, 2024)

- सारनाथ मंडल के अधीन गढ़वा, आजमगढ़ में खसरा संख्या 384 में 7 एकड़ तथा 800 लिंक में फैला प्राचीन स्थल बिना किसी सुरक्षा या बैरिकेडिंग के था।



चित्र 7: (01 अगस्त, 2024) को सारनाथ मंडल में गढ़वा टीले, आजमगढ़ में कृषि गतिविधियाँ

- आसमानपुर डीह, कुशीनगर कहा जाने वाला ईंटों के खंडहरों का बड़ा टीला : पीडब्ल्यूडी ने संरक्षित स्थल पर एक नई पिच सड़क का निर्माण किया (2015), ग्राम पंचायत ने एक चबूतरा बनवाया (2017) तथा गांव वालों ने टीले पर तथा उसके आस-पास दस से ज़्यादा घरों का निर्माण किया (2019-2024)।
- कालिच खान का मकबरा, जौनपुर: इस पुरातात्विक स्थल के निषिद्ध क्षेत्र तथा विनियमित क्षेत्र के भीतर भी अतिक्रमण/अप्राधिकृत निर्माण तथा अवैध खनन पाया गया था। व्यक्तिगत अतिक्रमणकारी, खनन अपराधी, एएमएसआर (संशोधित) अधिनियम 2010 के नियम 20(ए)¹⁸ तथा 20(बी)¹⁹ का उल्लंघन करते पाए गए। 2019-20 तथा 2023-24 के बीच अप्राधिकृत निर्माण के लगभग बीस मामले सामने आए।
- प्राचीन टीला, तिलमापुर, वाराणसी: यह नगर निगम, वाराणसी की सीमा में है। अप्राधिकृत निर्माण के 60-70 अतिक्रमण के मामले सामने आए, जिनमें आरसीसी बिल्डिंग का निर्माण करने के मामले भी शामिल थे।

एसआई मंडल ने अतिक्रमणकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी करने तथा ज़िला प्रशासन तथा पुलिस अधिकारियों को औपचारिक सूचना देने के अतिरिक्त कोई कार्रवाई नहीं की थी। अतिक्रमण के मुख्य कारण संरक्षित भूमि पर अनिश्चित

¹⁸ निषिद्ध क्षेत्र हेतु नियम

¹⁹ विनियमित क्षेत्र हेतु नियम

स्वामित्व स्मारक की उपयुक्त अभिरक्षा की कमी, उपयुक्त सीमांकन की कमी तथा बाड़ न लगाना थे। एसआई द्वारा घटना की सूचना दिए जाने के पश्चात भी राज्य प्रशासन हस्तक्षेप नहीं कर रहा था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि एसआई को इन संरक्षित स्थलों पर ऐसी अप्राधिकृत गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए प्रवर्तन अभिकरणों के साथ इन अतिक्रमणों के मामलों पर सक्रिय रूप से आगे की कार्रवाई करने की आवश्यकता है। संबंधित मंडल प्राधिकारियों को भी अतिक्रमणकारियों को प्रतिबंधित करने के लिए बाड़, सीमांकन तथा एसआई की स्पष्ट मौजूदगी के साथ प्राथमिकता वाले स्थलों को सुरक्षित करने की आवश्यकता है।

2.1.8.10 धरोहर की सुरक्षा के जोखिम के बावजूद कार्यक्रमों की अनुमति

एसआई ने संरक्षित स्मारकों के विशिष्ट क्षेत्रों के उपयोग के लिए अपने ओएम दिनांक 14 जनवरी 2025 के कार्यालय ज्ञापन के दिशानिर्देशों में अनुबंधित किया कि संरक्षित क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने की अनुमति तभी दी जा सकती है जब मंडल इससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो कि कार्यक्रम/इवेंट से स्मारक को किसी प्रकार की क्षति होने की संभावना नहीं है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिक्षक पुरातत्वविद (एसए) ने स्थिति का आकलन करने के पश्चात अपने पत्र (13 फरवरी 2023) में डीजी, एसआई को विशेषज्ञ अभिकरण द्वारा संरचनात्मक विश्लेषण हेतु, उपयुक्त कार्रवाई करने को कहा तथा एएमएसआर नियमावली 1959 के नियम 4 के अंतर्गत आंगतुकों के लिए आगरा किले में स्थित दीवान-ए-आम के भीतरी भाग को बंद करने तथा स्मारक परिसर के भीतर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करने से बचने का अनुरोध किया। एसए ने बताया कि कई दरारें देखी गई हैं तथा आंगतुकों की सुरक्षा की ओर भी इंगित किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रतिकूल प्रतिवेदन के बावजूद, दीवान-ए-आम की पृष्ठभूमि में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती (19 फरवरी 2023) पर एक कार्यक्रम

आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। इस कार्यक्रम के पश्चात आगरा मंडल के एसए ने फिर से सीपीएम की सूची से दीवान-ए-आम को हटाने की अनुशंसा की (21 फरवरी 2023), जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जा सकती थी। स्मारक अभी भी सूची में है (सितंबर 2024), जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अनुमति दी जा सकती थी।

यह दर्शाता है कि सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान दिए बिना कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिससे स्मारकों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा और अधिक बढ़ गया था।

उत्तर में आगरा मंडल ने बताया (सितंबर, 2024) कि दीवान-ए-आम के भीतरी भाग को बंद करने की अनुमति प्रतीक्षित है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि ऐसे कार्यक्रम पेशेवर इनपुट पर विचार करने के पश्चात ही आयोजित किए जाएं तथा इन पुरानी स्मारकों के संरक्षण तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही अनुमति प्रदान की जाए।

2.1.8.11 सीपीएम में सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में कमियां

आदर्श स्मारक के रूप में घोषित (मार्च 2018) सीपीएम में तथा उसके परिसर के आस-पास आंगतुकों के लाभ हेतु स्वच्छ एवं आधुनिक शौचालय, स्वच्छ पेय जल, दिव्यांगजन हेतु सुविधाओं, पार्किंग, वाई-फाई सेवाओं, कैफेटेरिया, अमानती सामानघर, व्याख्या केन्द्र आदि सहित सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ये सुविधाएं प्रत्येक सीपीएम के मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात् स्मारक परिसर, साइट मैप, सांस्कृतिक एवं सुरक्षा संकेत तथा सुरक्षा कार्मिक के अतिरिक्त होनी चाहिए।

57 चयनित स्मारकों (21 आदर्श स्मारकों सहित) में से 54²⁰ की संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने मूल आवश्यकताओं, सार्वजनिक सुविधाओं तथा

²⁰ भौतिक सत्यापन हेतु चयनित 57 स्मारकों में से दो स्मारक अज्ञात पाए गए तथा एक स्मारक को किला प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्रदान न किए जाने के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका।

पर्यटक सुविधाओं की उपलब्धता का आकलन करने का कार्य किया। हमारे अध्ययन ने प्रकट किया कि कई सीपीएम में मूल आवश्यकताएं, सार्वजनिक सुविधाएं और पर्यटक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवाई गई थीं जैसा तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: सार्वजनिक सुविधाएं तथा पर्यटक सुविधाएं

सुविधाएँ	स्मारकों की संख्या जिनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं	स्मारकों की प्रतिशतता जहाँ सुविधाओं का अभाव था
मूल आवश्यकताएं (54 सीपीएम पर उपलब्ध कराना अपेक्षित था)		
स्मारक परिचर	14	26
संरक्षण सूचना बोर्ड एवं सुरक्षा सूचना बोर्ड	8	15
सुरक्षा गार्ड	29	54
साइट मैप	36	67
सार्वजनिक सुविधाएं (21 आदर्श सीपीएम में उपलब्ध कराना अपेक्षित था)		
पेय जल	2	10
शौचालय ब्लॉक	1	5
दिव्यांगजन के लिए सुविधाएं	3	14
पर्यटक सुविधाएं (21 आदर्श सीपीएम में उपलब्ध कराना अपेक्षित था)		
अमानती सामानघर	9	43
वाई-फ़ाई	18	86
पार्किंग	6	29
गाइड	19	90
व्याख्या केंद्र	13	62
कैफेटेरिया	17	81

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 81 प्रतिशत आदर्श स्मारकों में कैफेटेरिया नहीं हैं, 90 प्रतिशत में व्यवसायिक गाइड नहीं हैं, तथा 86 प्रतिशत में वाई-फ़ाई कनेक्टिविटी नहीं है। व्याख्या केन्द्र के अभाव से कुछ आदर्श स्मारक अर्थपूर्ण धरोहर अध्ययन अनुभव प्रदान करने में असमर्थ थे। इन कमियों का तात्पर्य

यह है कि स्मारकों ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानकों से निम्न दर्जे का आंगुतक अनुभव प्रदान किया।

इसके अतिरिक्त, स्टाफ तथा सुरक्षा मूलभूत हैं परंतु 26 प्रतिशत में स्मारक परिचर नहीं हैं, 54 प्रतिशत में सुरक्षा गार्ड नहीं हैं तथा 67 प्रतिशत में साइट मैप नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि स्थलों में आंगुतक बिना किसी मार्गदर्शन, निगरानी या सुरक्षा के प्रवेश करते हैं। परिचरों, गार्ड तथा अभिविन्यास साधन के बिना, स्थलों को न तो सुरक्षित रूप से प्रबंधित किया जा सकता और न ही सही तरीके से उनका अनुभव किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि एसआई मंडलों को परिचरों, गार्डों की तैनाती तथा सुरक्षित, संचाल्य स्थल सृजित करने हेतु संकेत प्रणाली तथा वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करने हेतु मूल सुविधाओं (कैफेटेरिया, वाई-फाई, सार्वजनिक सुविधाएं, गाइड) के चरणबद्ध विकास हेतु उपाय करना चाहिए। व्याख्यात्मक प्रणालियों की स्थापना धरोहर के शैक्षिक मिशन को पूरा करने में सहायता करेंगी।

2.1.8.12 पोर्टल पर स्मारकों की वस्तुसूची को प्रदर्शित न करना

पीएसी की अनुशंसा के अनुसार, एसआई को दो वर्षों की अवधि के भीतर सभी सीपीएम की वस्तुसूची तैयार करना अपेक्षित था जिसका प्रत्येक पांच वर्ष में अद्यतन करना था। इस वस्तुसूची में स्मारक के बारे में विभिन्न सूचना, जैसे कि भौगोलिक स्थिति, श्रेणी, अधिसूचना संख्या, स्थल योजना, संबंधित संरचना के विवरण, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व, अतिक्रमण के विवरण आदि को प्रदर्शित कर इस वस्तुसूची को पोर्टल के माध्यम से लोगों के लिए सुलभ बनाना था। वस्तुसूचियों का समय-समय पर अद्यतन किया जाना अपेक्षित है ताकि नवीनतम तथा सही सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिकतर एसआई मंडल ने अभी तक सीपीएम की कोई वस्तुसूची तैयार नहीं की थी। आगरा, लखनऊ, मेरठ तथा सारनाथ मंडलों ने अपने

क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सीपीएम की वस्तुसूची के बारे में कोई सूचना संकलित नहीं की थी। झांसी मंडल में, 172 सीपीएम में से, अब तक केवल 12 स्मारकों²¹ के संबंध में ही विवरण संकलित किए गए थे। शेष सीपीएम के संबंध में यह सूचना व्यापक नहीं थी तथा देशांतर/अक्षांश, श्रेणी, निकटतम शहर/कस्बे से दूरी, अतिक्रमण के विवरण आदि के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं थी।

इस प्रकार, मंडल अपने क्षेत्राधिकार के भीतर स्मारकों की पूर्ण वस्तुसूची तैयार करने तथा उसका अद्यतन करने में विफल रहे, जैसा कि पीएसी द्वारा अनुशंसा की गई थी।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि प्रत्येक मंडल को अपने क्षेत्राधिकार के भीतर स्मारकों की वस्तुसूची के लिए मानक प्रारूप में संतुलित डेटा तैयार/अनुरक्षित करना चाहिए।

2.1.9 संरक्षण और परिरक्षण कार्यों में कमियां

एएमएसआर 2014 (एनपीसी-एएमएसआर 2014) की संरक्षण की राष्ट्रीय नीति आधुनिक संरक्षण, दीर्घ-अवधि संरक्षण योजना तथा व्यवसायिक मानक निर्धारित करने हेतु एक मजबूत, साक्ष्य आधारित ढांचे का प्रावधान करती है। एनपीसी 2014 के पैरा 4.09 के अनुसार संरक्षण की पूर्ण प्रक्रिया को मानचित्रों, आरेखण, फोटोग्राफ, डिजिटल अभिलेखों तथा फील्ड टिप्पण में संरक्षण के पहले, दौरान तथा पश्चात प्रलेखित किया जाना चाहिए ताकि हस्तक्षेप के निरंतर अभिलेख तैयार किए जा सकें।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों ने दर्शाया कि योजना तथा प्रलेखन त्रुटिपूर्ण था, जिससे संरक्षण के प्रयास खंडित तथा अपूर्ण थे।

²¹ ललितपुर-4, झांसी-3, बांधा-2, हमीरपुर-1, महोबा-1 तथा चित्रकूट-1

2.1.9.1 योजना प्रक्रिया में कमियां

(क) एनपीसी 2014 की बिन्दु सं. 4.03 के अनुसार, संरचना को आगे और क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए अल्पावधि (2 वर्षों तक), मध्यावधि (2-5 वर्ष) तथा दीर्घावधि (5 वर्ष और उससे अधिक) योजना तैयार तथा कार्यन्वित की जानी चाहिए जिससे बाद में किसी भी अनावश्यक व्यापक संरक्षण कार्य की आवश्यकता न पड़े। स्मारकों हेतु स्थल प्रबंधन योजनाएं (एसएमपी) सभी संबंधित बाहरी तथा आंतरिक मामलों का समाधान करने के लिए स्मारकों हेतु स्थल प्रबंधन योजनाएं (एसएमपी) भी तैयार की जा सकती हैं। एसएमपी को एसआई के पुरातत्व अधिकारियों की सलाह से, व्यवसायिकों के बहु-अनुशासनिक दल द्वारा तैयार किया जाना चाहिए।

➤ लेखापरीक्षा ने पाया कि यूपी में एसआई मंडलों ने स्मारकों के संरक्षण तथा परिरक्षा के लिए कोई मध्यावधि/दीर्घावधि योजना तैयार नहीं की थी। ऐतिहासिक स्मारकों के संबंध में वैज्ञानिक सफाई/संरक्षण तथा परिरक्षा कार्य एसआई मंडलों की वैज्ञानिक तथा इंजीनियरिंग शाखाओं द्वारा असम्बद्ध प्रकार से अलग-अलग किया जा रहा था।

➤ स्मारकों के संरक्षण के लिए मंडलों द्वारा कोई एसएमपी तैयार नहीं की गई थी।

(ख) प्रत्येक सीपीएम के लिए आने वाले वित्तीय वर्ष हेतु तैयार की गई वार्षिक संरक्षण योजना (एसीपी) स्मारक पर किए जाने वाले वार्षिक रखरखाव सहित संरक्षण निर्माण कार्यों के अनुमान होती हैं। वार्षिक रखरखाव में मुख्य रूप से सफाई, झाड़-पोंछ, अनावश्यक वनस्पति को हटाने, निगरानी तथा सुरक्षा गतिविधियों आदि के लिए अर्ध-कुशल तथा अकुशल मजदूरों को काम पर रखना शामिल होता है।

➤ लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुमोदित एसीपी (21 प्रतिशत) को निधियों की कमी के कारण योजना के अनुसार निष्पादित नहीं किया गया था (पैरा 2.1.11.2)।

- सारनाथ मंडल के अधीन 71 सीपीएम के लिए एसीपी या तो कभी तैयार नहीं की गई थी, या फिर नियमित आधार पर तैयार नहीं की गई थी। मंडल ने उत्तर दिया कि मुख्य स्मारकों पर रखरखाव तथा संरक्षण निर्माण कार्य बजट की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

उपर्युक्त कमियां स्मारकों के लिए संरचित संरक्षण योजनाओं की कमी को दर्शाता है।

2.1.9.2 प्रलेखन प्रक्रिया में कमियाँ

आवधिक फील्ड दौरे/निरीक्षण के बाद विस्तृत प्रलेखन, जोखिमों का जल्दी पता लगाने, व्यवधान निवारक हस्तक्षेप तथा दीर्घ-अवधि संरक्षण योजना के लिए आवश्यक हैं। व्यवसायिक अभिलेख रखने का अभाव निवारक संरक्षण के आधार को कमजोर करता है, जिसके बिना प्रत्येक हस्तक्षेप पिछले हस्तक्षेप से अलग असम्बद्ध प्रकार से शुरू होता है।

(i) लॉग बुक का रखरखाव न करना

एनपीसी 2014 के पैरा 4.09 के अनुसार, संरक्षण की पूर्ण प्रक्रिया को मानचित्रों, आरेखण, फोटोग्राफ, डिजीटल अभिलेखों तथा फील्ड टिप्पण में संरक्षण के पहले उसके दौरान तथा पश्चात प्रलेखित किया जाना चाहिए ताकि हस्तक्षेप के निरंतर अभिलेख तैयार किए जा सकें। प्रलेखन में हस्तक्षेप के विभिन्न चरण तथा सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए। यह भविष्य में सभी पिछले तथा वर्तमान हस्तक्षेपों को समझने के दृष्टांत से लाभदायक होगा। संरक्षण के कार्यों के पिछले सभी योगदानों को समझने हेतु पिछले तथा चालू संरक्षण निर्माण कार्य से संबंधित सभी सूचना साइट कार्यालय में उपलब्ध कराना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, साइट पर 'लॉग बुक' रखने की प्रक्रिया अनिवार्य होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंडल कार्यालयों ने अपने नियंत्राधीन स्मारकों में किए गए संरक्षण निर्माण कार्यों की संपूर्ण प्रक्रिया का प्रलेखन नहीं किया था। लॉगबुक के अभाव में, संबंधित स्मारकों पर किए गए पिछले निर्माण कार्यों से संबंधित सूचना मंडल स्तर पर विभागीय अधिकारियों के पास आसानी से उपलब्ध नहीं थी। अनिवार्य

प्रलेखन के अभाव में संरक्षण योजना अपर्याप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त, पहले अपनाई गई संरक्षण तकनीक की निरंतरता सुनिश्चित नहीं की जा सकती, जिसके परिणामस्वरूप संरक्षण के पश्चात स्मारकों की प्रकृति बदल सकती है।

उत्तर में मंडलों ने बताया कि लॉग बुक का रखरखाव प्रक्रिया में नहीं है तथा भविष्य में कार्यान्वयन के लिए इसे नोट कर लिया गया है।

(ii) स्मारकों का अपर्याप्त निरीक्षण तथा निरीक्षण टिप्पणों का गैर-अनुरक्षण

जॉन मार्शल की संरक्षण नियम पुस्तिका प्रावधान करता है कि स्मारकों का नियमित तथा प्रणालीगत निरीक्षण वार्षिक रूप से या और भी अधिक बार किया जाना चाहिए। स्मारकों के निरीक्षण का प्रावधान एनपीसी 2014 की बिन्दु 4.05 में भी शामिल किया गया है, जिसमें पुरातत्व अधिकारियों द्वारा स्मारक की स्थिति की संवीक्षा करने तथा निरीक्षण टिप्पण तैयार करने के लिए कम से कम वर्ष में एक बार, स्मारकों के नियमित दौरों को सुनिश्चित करने का प्रावधान है जो अनिवार्य संरक्षण कार्यक्रम या योजना तैयार करने में सहायता करेंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पुरातत्व अधिकारियों के दौरे निर्धारित समय अंतराल के अनुसार नहीं किए गए थे। कभी-कभी दौरे के मामले में भी, अभिलेख में कोई निरीक्षण टिप्पण नहीं पाए गए थे। हालांकि, यह पाया गया था कि निरीक्षण रिपोर्ट उन मामलों में तैयार की गई थीं जहाँ संरचनात्मक संरक्षण किए जाने का प्रस्ताव था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि मंडल कार्यालयों को एनपीसी 2014 द्वारा अधिदेशित लॉगबुक तथा नियम पुस्तक में अधिदेशित निरीक्षण टिप्पण अनुरक्षित करना चाहिए।

2.1.9.3 संरक्षण/परिरक्षण निर्माण कार्यों के निष्पादन में कमियाँ

परिरक्षण कार्य के लिए उत्तरदायी वैज्ञानिक प्रभाग और संरक्षण गतिविधियों को करने के लिए उत्तरदायी मंडल प्राधिकारी, एक ही स्मारक पर एक साथ निर्माण कार्य प्रारंभ/निष्पादित करने के लिए बिना किसी समन्वय के, एक-दूसरे से असम्बद्ध रूप से कार्य करते रहे। प्रयोगशाला में पत्थरों की बनावट की संवीक्षा किए बिना ही

संरक्षण निर्माण कार्य किए गए थे। स्मारकों के संरक्षण में आधुनिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था।

(i) पत्थर संरक्षण प्रयोगशाला उपयोग

आगरा किले में 2006 में विशेष उपकरणों तथा प्रशिक्षित कार्मिकों के साथ स्थापित पत्थर संरक्षण प्रयोगशाला का अभिप्रेत, खनिज विश्लेषण, संपीड़क मजबूती संवीक्षा, जल अवशोषण अध्ययन तथा अनुकूलता आकलन सहित व्यापक वैज्ञानिक सेवाएं प्रदान करना था। ये सेवाएं यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि संरक्षण सामग्रियाँ बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जाने से पहले वैज्ञानिक रूप से अभिपुष्ट हैं।

आगरा मंडल, जहाँ प्रयोगशाला स्थापित है, ने 2021-22 से 2023-24 के दौरान स्मारकों के संरक्षण कार्य, पत्थर के फर्श, रास्तों आदि के कारण संरक्षण निर्माण कार्य पर ₹3.82 करोड़ के व्यय के बावजूद विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला में कोई नमूना नहीं भेजा गया था। यह पाया गया था कि इन संरक्षण में प्रयोग किए गए पत्थरों की गुणवत्ता की पत्थर संरक्षण प्रयोगशाला में संवीक्षा नहीं की गई थी। यह मामला पिछले निष्पादन लेखापरीक्षा (सीएजी की वर्ष 2013 की प्रतिवेदन सं. 18) में भी उजागर किया गया था, परंतु मंडल द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी।

उत्तर में आगरा मंडल ने बताया (अक्टूबर 2024) कि चूंकि खदान बहुत प्रसिद्ध थी, इसलिए पत्थर की पत्थर संरक्षण प्रयोगशाला में संवीक्षा नहीं की गई थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि खदान का सही बोध, संवीक्षा प्रक्रियाओं, जिनमें प्रयोग किए गए पत्थर का अपेक्षित मानक के अनुसार होना सुनिश्चित किया जाना था, का अनुपालन न करने का कोई वैध कारण नहीं है।

(ii) संयुक्त भौतिक सत्यापन के अनुसार स्मारकों की स्थिति

एनपीसी-एएमएसआर, 2014 के संरक्षण सिद्धांत (बिन्दु सं. 3.08) में प्रावधान है कि किसी स्मारक के भीतर की गई मरम्मत, दृढीकरण, प्रतिकृति तथा रेट्रोफिटिंग जैसे हस्तक्षेप, जहाँ तक हो सके, बाद में किए गए परिवर्तन/मरम्मत/पुरुद्धार आदि

के रूप में स्पष्ट दिखाई देने चाहिए, ताकि उन्हें संरचना के मूल ढांचे से उनकी स्पष्ट रूप से पहचान की जा सके। फिर भी, कुछ मामलों में, जहाँ स्मारक को वास्तुशिल्प अखंडता को बनाए रखने की खातिर मूल ढांचे के साथ [एक नया हस्तक्षेप] मिलाने के इरादे से पुनः स्थापित किया जा रहा है वहाँ कार्य मूल सामग्री/आकार, रंग एवं विशिष्टताओं के अनुसार विवरणों का मिलान करके विशेषतः मूल ढांचे में प्रयोग की गई उसी सामग्री तथा पारंपरिक कौशल को नियोजनत करके बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए। ऐसे हस्तक्षेप, जहां तक संभव हो, प्रवृत्ति से प्रतिवर्ती होने चाहिए। ऐसे उद्देश्यों को पूरा करने के निर्णय को भावी पीढ़ी हेतु सावधानी पूर्वक दर्ज तथा प्रलेखित किया जाना चाहिए।

चयनित स्मारकों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण ने अनुपयुक्त संरक्षण कार्य, रसायनिक संरक्षण की आवश्यकता वाले स्मारक, संरचनात्मक परिवर्तन तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की उपेक्षा को दर्शाया। इन अनुचित संरक्षण निर्माण कार्य के उदाहरणों का विवरण **अनुलग्नक 2.4** में दिया गया है। ऐसे कुछ मामले **तालिका 2.3** में भी प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 2.3: अनुपयुक्त संरक्षण कार्य

मामला	चित्र
आधुनिक सामग्री का प्रयोग किया गया जौनपुर की जामा मस्जिद की दीवार पर सफेदी तथा चित्रकारी, दिनांक 26 जुलाई 2024।	

मामला	चित्र
<p>सीपीएम के भीतर नया निर्माण जामा मस्जिद जौनपुर में पत्थर के फव्वारे का नया निर्माण, दिनांक 26 जुलाई 2024।</p>	
<p>संरक्षण कार्य में प्रयोग की गई आधुनिक सामग्री अमन महल पैलेस, कालिंजर किला, बांदा में प्रयोग किया गया आधुनिक सीमेंट, दिनांक 21 अगस्त 2024।</p>	
<p>संरक्षण कार्य में सिरेमिक टाइल्स का प्रयोग अमजद अली शाह का मकबरा, लखनऊ में सिरेमिक टाइल्स का प्रयोग 05 नवंबर 2024।</p>	
<p>रासायनिक संरक्षण की आवश्यकता वाले स्मारक 23 जुलाई 2024 को सारनाथ में धमेक स्तूप पर काले धब्बे।</p>	
<p>10 अगस्त 2024 को ललितपुर के तालबेहट किले में जल महल की गिरी हुई छत।</p>	

मामला	चित्र
लाल खान के मकबरे, राजघाट, वाराणसी में रसायनिक उपचार की आवश्यकता दिनांक 30 जुलाई 2024।	
चित्रकूट के करवी में गणेश मंदिर की जर्जर स्थिति, दिनांक 20 अगस्त 2024।	

असंगत आधुनिक सामग्रियों का प्रयोग सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जब तक इन प्रक्रियाओं को बदला नहीं जाता, तब तक प्रामाणिकता से समझौता होगा, गलत विद्वत्ता होगी, तथा संरचनात्मक लचीलापन कमजोर होगा।

कई स्मारकों में सूक्ष्मजीवी संक्रमण, अपक्षय, नमक जमने तथा प्रदूषण से दृश्यमान नुकसान दिखाई दे रहे हैं, फिर भी रसायनिक संरक्षण उपचार छुट-पुट तरीके से या बिल्कुल नहीं के बराबर है।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करती है कि एसआई को अनुकूल पारंपरिक सामग्री के प्रयोग को अनिवार्य करना चाहिए, जिससे पुराने तथा नए कार्य के बीच स्पष्ट अंतर सुनिश्चित हो तथा इन आवश्यकताओं को सभी संरक्षण संविदाओं में शामिल किया जाए।

(iii) सीपीएम का वैज्ञानिक परिरक्षण

विज्ञान शाखा उत्तर प्रदेश में आगरा, लखनऊ तथा सारनाथ में स्थापित है, जिसका क्षेत्राधिकार क्रमशः आगरा मंडल, झांसी/लखनऊ मंडल तथा सारनाथ मंडल के सीपीएम के लिए वैज्ञानिक परिरक्षण कार्य है।

इन मंडलों में विज्ञान शाखाओं ने डीजी, एसआई के निर्देशानुसार मई 2022 में निरीक्षण के पश्चात 160 स्मारकों²² की एक स्थिति रिपोर्ट तैयार की। निरीक्षण के दौरान, 136 ऐसे स्मारकों²³ की पहचान की गई थी, जहाँ अलग से या संरचनात्मक संरक्षण के साथ वैज्ञानिक परिरक्षण की आवश्यकता थी। अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 136 स्मारकों में से, आज तक केवल 12 स्मारकों²⁴ (केवल नौ प्रतिशत) में ही रसायनिक उपचार तथा परिरक्षण निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है।

इंगित किए जाने पर, मंडलों ने उत्तर दिया कि निधि तथा स्टाफ की उपलब्धता के अनुसार कार्य किया गया था।

2.1.10 पुरावशेष तथा स्थल संग्रहालय प्रबंधन

एसआई भारत में पुरावशेषों के सबसे बड़े भंडारों में से एक है, जिसे अत्यंत ऐतिहासिक तथा सभ्यतागत महत्व की 26,000 से अधिक सांस्कृतिक कलाकृतियों की सुरक्षा सौंपी गयी है। पुरावशेष में कोई भी सिक्का, मूर्ति, चित्रकारी, पुरालेख या कला या कारीगरी का कोई अन्य काम; कोई भी सामान, वस्तु या चीज़ जिसे किसी बिल्डिंग या गुफा से अलग किया गया हो जो ऐतिहासिक महत्व की हो, या जिसे केन्द्र सरकार ने पुरावशेष घोषित किया हो शामिल है। एसआई उत्खनन के दौरान पाए गए पुरावशेषों के प्रबंधन, सुरक्षा तथा प्रदर्शन हेतु उत्तरदायी है। इन्हें अक्सर स्थल संग्रहालयों में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें चोरी हुई कला वस्तुओं की पुनः प्राप्ति के प्रयास भी शामिल हैं।

2.1.10.1 पुरावशेषों का परिरक्षण तथा प्रदर्शन

एसआई के उत्तर प्रदेश में पांच स्थल संग्रहालय हैं, दो आगरा मंडल के अधीन - ताजमहल तथा फतेहपुर सीकरी, दो लखनऊ मंडल के अधीन - 1857 स्मारक रेजिडेंसी तथा कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर तथा एक सारनाथ मंडल के अधीन। इन

²² विज्ञान शाखा आगरा : 58, लखनऊ: 52 तथा सारनाथ :50

²³ विज्ञान शाखा आगरा : 56, लखनऊ: 30 तथा सारनाथ :50

²⁴ विज्ञान शाखा आगरा : 04, लखनऊ: 03 तथा सारनाथ :05

स्थल संग्रहालयों में प्रदर्शित तथा संग्रहित किए जाने के अतिरिक्त, पुरावशेषों को बड़ी संख्या में रानी महल, झांसी और अमन महल पैलेस, कालिंजर किला, झांसी मंडल के बांदा, अहिच्छत्र, मेरठ मंडल के अधीन बरेली जैसे स्मारकों के भीतर दसावतार मंदिर देवगढ़, ललितपुर जैसे मूर्तिकला शेड में प्रदर्शित तथा संग्रहित किया गया था।

एसआई संग्रहालय के लिए दिशानिर्देश (2013) (अनुलग्नक-पैरा-5) प्रदर्शन तथा संग्रहण में वस्तुओं की द्विमासिक निगरानी हेतु एक संग्रह देखभाल योजना तैयार करने का अनुबंध करती है जिसमें वस्तुओं पर जलवायु परिस्थितियों, प्रकाश, सूक्ष्म जैविक वृद्धि आदि के प्रभाव, विशेषकर यदि वे प्रदर्शन तथा आरक्षित संग्रहण दोनों में नाजुक तथा असुरक्षित हैं, के आकलन हेतु निवारक संरक्षण तथा निरंतर निगरानी शामिल है। इसमें आगे स्मारक तथा स्थल के लिए, ऐसी सामग्री का प्रयोग करके जो स्थल के अनुसार सही हो, स्पष्ट एवं मानकीकृत दिशात्मक एवं सूचनाप्रद संकेतक विकसित करने का निर्देश है तथा प्रदर्शन को आवधिक रूप से बदला जाना चाहिए तथा अच्छी तरह से अनुरक्षित किया जाना चाहिए।

पीएसी ने अपनी 39वीं प्रतिवेदन (16वीं लोकसभा) में एसआई के कब्जे में वस्तुओं के अधिग्रहण, परिरक्षण, प्रलेखन तथा अभिरक्षा के लिए एक समान मानक विकसित करने की अनुशंसा की थी। उसने आगे परिग्रहण पंजिका के प्रणालीगत रखरखाव तथा पुरावशेषों के प्रदर्शन हेतु आवर्तन नीति अपनाने की भी अनुशंसा की गई थी।

लेखापरीक्षा में इन दिशानिर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित कमियां पाईं:

- मंडलों की अभिरक्षा में 26,238 पुरावशेष हैं, उनमें से 3530 (13 प्रतिशत) को संबंधित स्थल संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया था, शेष 87 प्रतिशत को भण्डार में रखा गया था। किसी भी स्थल संग्रहालय ने पुरावस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए आवर्तन नीति कार्यन्वित नहीं की थी।

- 2021-22 से 2023-24 के दौरान, रेजिडेंसी संग्रहालय, लखनऊ के अलावा, इस संबंध में एसआई के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में कहीं भी पुरावशेषों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।
- लेखापरीक्षा ने पाया गया कि झांसी, मेरठ तथा सारनाथ मंडल के 2467 पुरावशेषों का परिग्रहण अभी भी किया जाना शेष था (नवंबर 2024)।

मंत्रालय द्वारा पीएसी को यह आश्वासन दिए जाने कि वह वस्तुओं के अधिग्रहण, परिरक्षण, प्रलेखन और अभिरक्षा के लिए एक समान प्रक्रिया को मानकीकृत तथा कार्यन्वित करने पर विचार कर रहा है, उसके बावजूद ये कमियां हो रही थीं।

सारनाथ मंडल ने उत्तर दिया कि फिक्स्ड पेडस्टल और सीमित जगह के कारण, पुरावशेषों को उसी जगह पर घुमाना संभव नहीं है। मेरठ के मामले में, सीमित मानव संसाधन के कारण आंगतुकों को पुरावशेष दिखाने की कोई योजना नहीं थी। इसके अतिरिक्त लखनऊ मंडल ने बताया कि रेजिडेंसी संग्रहालय के मामले में विशेषरूप से बताया कि कई शोकेस की आवश्यकता है, तथा नवीकरण एवं उत्थान का कार्य प्रक्रियाधीन है। उत्तर न केवल संग्रहालय के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के गैर-अनुपालन की पुष्टि करता है, बल्कि स्थल पर पुरावशेषों के प्रबंधन हेतु अवसंरचना की अपर्याप्तता को भी दर्शाता है।

लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया था कि:

- स्थल संग्रहालय, सारनाथ तथा रानी महल, झांसी में क्रमशः 6,537 तथा 1,101 पुरावशेष बहुत बुरी स्थिति में रखे गए थे। चूंकि पुरावशेषों का भण्डारण कक्ष 100 से 200 वर्ष पुरानी टूटी-फूटी बिल्डिंग थी, इसलिए मूर्ति पर धूल, रेत तथा नमी जमा हो गई थी। एसी, सीसीटीवी कैमरा, अग्नि शमन प्रणाली, स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म तथा डेटा लॉगर नहीं लगाए गए हैं। कुछ मूर्तियाँ सारनाथ के स्थल संग्रहालय में सीमा दीवार के पास तथा बंद भण्डारण कक्ष में पड़ी पाई गई थीं।



स्थल संग्रहालय सारनाथ के मूर्तिकला शेड में तथा सीमा दीवार के पास पुरावशेष, दिनांक 19 जुलाई 2024



रानी महल में फेंके गए पुरावशेष, दिनांक 07 अगस्त 2024

- सभी स्थल संग्रहालयों में वाई-फाई, व्याख्या केन्द्र, स्मोक डिटेक्टर, डेटा लॉगर, यादगार वस्तुओं की दुकान, गाइड की सुविधा, दिव्यांगजनों के लिए रैंप तथा आपदा प्रबंधन योजना जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की कमी थी।
- ताज स्थल संग्रहालय में कार्यालय तथा नौबत खाना बिल्डिंग में कुछ अनुपयोगी मर्दें, इलेक्ट्रॉनिक टच स्क्रीन मशीन, स्प्लिट एसी, साइन बोर्ड, अलमारियां, टाइपराइटर, बिजली के उपकरण तथा व्हीलचेयर फेंक दिए गए थे।



नौबत खाना, बिल्डिंग ताज स्थल संग्रहालय में फेंकी गई अनुपयोगी मर्दें दिनांक 24 सितंबर 2024

- 1857 स्मारक संग्रहालय रेजिडेंसी लखनऊ भू-तल तथा बेसमेंट के साथ एक दो-मंज़िला खंडहर तथा जीर्ण-शीर्ण 200 वर्ष पुरानी बिल्डिंग में स्थित है। आगुतकों के लिए भू-तल खुला है और बेसमेंट बंद है। बेसमेंट में रिसाव देखा गया था तथा इसकी मरम्मत करने की आवश्यकता है। बेसमेंट में अधिकतर वस्तुएं, तोप के गोले, संगीत उपकरण, चित्रकला, तलवारें, ढालें, बंदूकें आदि रखी गई थीं, जो सीधे तौर पर आज़ादी की लड़ाई के दौर से संबंधित हैं। तलवारों तथा ढालों में जंग लग गई थी तथा उन्हें क्षय से बचाने के लिए रसायनिक उपचार की आवश्यकता थी। इकाई ने उत्तर दिया कि नवीकरण तथा उत्थान कार्य प्रक्रियाधीन है।



- मेरठ मंडल में 58 पुरावशेष चोरी हो गए थे। आगरा मंडल द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी तथा मंडल के सृजन के पश्चात (अगस्त 2020) चोरी का प्रतिवेदन मेरठ मंडल को सौंप दिया गया था। बरामदगी अभी भी की जानी थी (नवंबर 2024)।
- सारनाथ स्थल संग्रहालय में प्रवेश द्वार पर साइनेज बोर्ड नहीं लगाया गया था। दो पुरावशेष चोरी हो गए थे, उनकी बरामदगी अभी भी की जानी थी (नवंबर 2024)।



मंडल ने उत्तर दिया कि साइनेज/सुरक्षा बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि संग्रहालय दिशानिर्देशों के पैरा 5.4 में साइनेज बोर्ड लगाने का प्रावधान है तथा बरामदगी हेतु उचित प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है।

2.1.10.2 पुरावशेषों का डिजिटलीकरण

सभी स्मारकों तथा पुरावशेषों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से 2007 में राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन (एनएमएमए) प्रमोचित किया गया था। पीएसी ने मंत्रालय को कहा था कि देश भर में फैले संग्रहालयों, सरकारी खजानों में पड़ी/या अन्य सरकारी तथा निजी अधिकार में रखी कलाकृतियों सहित दोनों राष्ट्रीय तथा राज्य महत्व के प्रत्येक प्राचीन स्मारक, स्थलों तथा अवशेषों के विवरणों को उजागर करने वाली एक राष्ट्रीय पंजिका तैयार की जाए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यूपी में एसआई की अभिरक्षा में 26,238 पुरावशेष थे, इनमें से अब तक केवल 5,359 (20 प्रतिशत) पुरावशेषों का एनएमएमए पोर्टल पर डिजिटलीकरण किया गया था। मंडल ने उत्तर दिया कि शेष पुरावशेषों के डिजिटलीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि यूपी के एसआई मंडलों को

- *सार्वजनिक पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाले पुरावशेषों के डिजिटलीकरण प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहिए जिसमें पारदर्शी सूचना, परिग्रहण पंजिका में सभी पुरावशेषों को दर्ज करना, भौतिक सत्यापन पूरा करना तथा चोरी-रोकथाम प्रोटोकॉल लागू करना अनिवार्य हैं;*
- *भंडारण क्षमता को जलवायु-नियंत्रण में उन्नत करना, सुविधाओं को सुरक्षित करना तथा तुरंत जंग/क्षति को ठीक करना चाहिए; तथा*
- *आगतुक सुविधाएं, समावेशित विशेषताएं तथा धरोहर तक जनता की समान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु मानकीकृत नीतियाँ प्रदान करना चाहिए।*

2.1.11 वित्तीय प्रबंधन

भारत की सांस्कृतिक धरोहर न केवल अपने अतीत की एक महत्वपूर्ण निशानी है, बल्कि धरोहर पर्यटन तथा स्थानीय विकास के माध्यम से रोजगार तथा आय सृजित करने का भी अवसर प्रदान करती है। संरक्षण गतिविधियों के लिए वित्तपोषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंत्रालय एएसआई को निधियां आवंटित करती है। एएसआई मंडलों, अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्थल संग्रहालयों को मांग तथा उपलब्धता के अनुसार उनकी स्थापना तथा धरोहर संरक्षण संबंधी व्ययों के लिए निधियां संवितरित करता है। राष्ट्रीय संस्कृति कोष (एनसीएफ), जो संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक ट्रस्ट, को मंत्रालय द्वारा कॉर्पोरेट क्षेत्र, एनजीओ, राज्य सरकार, निजी/सार्वजनिक क्षेत्र आदि की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक कॉर्पोस निधि प्रदान की गई थी। एएसआई मुख्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश में मंडल कार्यालयों को किए गए वित्तपोषण पर आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.1.11.1 संरक्षण गतिविधियों पर बजटीय वित्तपोषण तथा व्यय

यूपी में एएसआई के सभी स्कंधों की लेखापरीक्षा, अवधि के दौरान बजट आवंटन तथा व्यय को दर्शाने हेतु समेकित स्थिति तालिका 2.4 में दी गई है:

तालिका 2.4: बजट अनुमान और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आवंटन	कुल व्यय	संरक्षण, अनुरक्षण और सार्वजनिक सुविधाओं आदि पर व्यय
2021-22	94.48	94.11	46.86
2022-23	136.92	135.94	69.09
2023-24	142.64	142.10	72.21

2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान संरक्षण, रखरखाव तथा सार्वजनिक सुविधाओं संबंधी गतिविधियों पर औसत व्यय इसके समग्र व्यय का लगभग 50.56 प्रतिशत था। कोविड महामारी के कारण वर्ष 2021-22 के दौरान बजट आवंटन तथा व्यय काफी कम था।

एसआई मुख्यालय से बजट की मांग के लिए कोई विशिष्ट मानदंड या दिशानिर्देश निर्धारित नहीं थे। आमतौर पर, मंडल कार्यालय पिछले वर्ष के व्यय के अनुसार अपनी बजट मांगें प्रस्तुत करते हैं, जिसमें आवर्ती प्रकृति के व्यय तथा बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमानों के माध्यम से पिछले वित्तीय वर्ष के अदत्त बिल जिन्हें एसआई ई-गवर्नेंस पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। वार्षिक संरक्षण योजना (एसीपी) के माध्यम से बकाया संरक्षण/वार्षिक रखरखाव कार्यों, चालू कार्यों तथा अन्य विशेष संरक्षण कार्यों के भुगतान की अतिरिक्त मांग, आवश्यकतानुसार कार्य-वार प्रस्तुत की जाती है, जिसे एसआई मुख्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है। हालाँकि, वास्तविक आवंटन, प्राथमिकता तथा निधियों की उपलब्धता के अनुसार एसआई मुख्यालय कार्यालय के विवेक पर निर्भर करता है।

2.1.11.2 अपर्याप्त वित्तपोषण

मंडलों के वार्षिक बजट में संरक्षण कार्यों के लिए कोई अलग से बजट आवंटन नहीं है। प्रत्येक मंडल कार्य-वार एसीपी के माध्यम से संरक्षण कार्यों के लिए अपनी आवश्यकता तैयार करता है। अनुमोदित एसीपी के आधार पर, प्रत्येक मंडल को संरक्षण कार्यों के लिए बजट आवंटित किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एसआई द्वारा बजट आवंटन अनुमोदित एसीपी के प्रति 28 से 72 प्रतिशत के बीच कमी के साथ अपर्याप्त था जैसा **अनुलग्नक 2.5** में विवरण दिया गया है।

इसके परिणामस्वरूप, विभिन्न संरक्षण कार्यों से संबंधित 565 एसीपी को, इस तथ्य के बावजूद कि मंडल कार्यालयों द्वारा इन्हें प्राथमिकता दी गई थी, मंडलों को आवंटित अपर्याप्त निधियों के कारण निष्पादित नहीं किया जा सका।

इंगित किए जाने पर लखनऊ को छोड़कर सभी मंडलों ने स्वीकार किया कि अपर्याप्त निधियों के कारण इन एसीपी को निष्पादित नहीं किया जा सका। लखनऊ मंडल ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2025) कि इन स्मारकों का संरक्षण तथा परिरक्षण

उपलब्ध संसाधनों के साथ आवश्यकतानुसार किया जा रहा था। उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि एसीपी को संबंधित मंडलों द्वारा कार्य की आवश्यकता तथा प्राथमिकता के अनुसार तैयार किया जा रहा था।

2.1.11.3 उत्खनन और अन्वेषण पर व्यय

पुरातात्विक अवशेषों का उत्खनन एसआई के प्राथमिक उत्तरदायित्व में से एक है तथा अन्वेषण उत्खनन गतिविधियों का एक भाग है। एसआई विभिन्न अभिकरणों जैसे एसआई मंडलों, शाखाओं, विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उत्खनन लाइसेंस प्रदान करता है। पीएसी ने उत्खनन संबंधी मामलों पर चर्चा करते हुए मंत्रालय से अन्वेषण तथा उत्खनन नीति के अंतर्गत कार्य योजना तैयार करने तथा इन गतिविधियों के लिए निधियों के पर्याप्त आवंटन तथा प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने को कहा था। मंत्रालय ने पीएसी को आश्वासन दिया था कि वह पहले चरण में अन्वेषण तथा उत्खनन पर बजट को कुल बजट का पांच प्रतिशत तक बढ़ाने पर विचार कर रहा था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2021-22 से 2023-24 के दौरान एसआई ने उत्खनन तथा अन्वेषण पर कुल व्यय का 0.41 से 0.76 प्रतिशत के बीच निराशाजनक व्यय किया था, जैसा तालिका 2.5 में दिया गया है।

तालिका 2.5: उत्खनन तथा अन्वेषण पर व्यय

विवरण	(₹ करोड़ में)		
	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय	94.11	135.94	142.10
उत्खनन तथा अन्वेषण पर व्यय	0.39	0.67	1.08
प्रतिशतता व्यय	0.41	0.49	0.76

आगरा तथा मेरठ मंडलों ने उत्तर दिया कि यह नीतिगत मामला है तथा इसका उत्तर एसआई मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा दिया जा सकता है। सारनाथ तथा झांसी मंडलों ने उत्तर दिया कि उत्खनन तथा अन्वेषण पर व्यय तकनीकी कार्मिक की

अनुपलब्धता/कमी के कारण था। लखनऊ मंडल ने उत्तर दिया कि व्यय एएसआई मुख्यालय से बजट आवंटन पर निर्भर करता है।

इस प्रकार, तथ्य यह है कि कुल व्यय के पांच प्रतिशत तक उत्खनन पर व्यय बढ़ाने के संबंध में पीएसी को दिया गया आश्वासन पूरा नहीं किया गया था।

2.1.11.4 सार्वजनिक सुविधाओं के सृजन के लिए विशिष्ट बजट न रखना

एएसआई अपने स्मारकों पर जागरूकता, व्याख्या तथा सार्वजनिक सुविधाओं के सृजन से संबंधित गतिविधियों के लिए कोई विशिष्ट बजट नहीं रखता है। इन शीर्षों पर व्यय संरक्षण गतिविधियों के लिए आवंटित निधियों से किया गया था। इस प्रकार, सार्वजनिक सुविधाओं के लिए विशिष्ट बजट शीर्ष के अभाव में, धरोहर संरक्षण पर वास्तविक व्यय की राशि का पता लगाना संभव नहीं था। साथ ही सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता पर पैरा 2.1.8.11 का संदर्भ ले।

2.1.11.5 धरोहर संरक्षण के लिए बाह्य बजटीय वित्तपोषण

राष्ट्रीय संस्कृति कोष (एनसीएफ) दाता/प्रायोजक संस्थाओं को सीधे सरकार के भागीदार के रूप में स्मारकों/सांस्कृतिक परंपराओं को सुरक्षा, पुनरुद्धार, संरक्षण तथा विकास में सहायता करने में सक्षम बनाने हेतु एक वित्तपोषण तंत्र के रूप में कार्य करता है। एनसीएफ इन विविध पहलों, कार्यक्रमों तथा विचारों के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक संपदा के परिरक्षण, संरक्षण तथा रखरखाव के विशेष संदर्भ में धरोहर जागरूकता को प्रोत्साहित तथा बढ़ावा देने का प्रयास करता है तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भारतीय धरोहर के ज्ञान तथा प्रशंसा का प्रचार-प्रसार करने का प्रयास करता है।

पीएसी ने अनुशंसा की थी कि स्मारक स्थलों पर संरक्षण तथा पर्यटक सुविधाओं के वित्तपोषण में अधिक कॉर्पोरेट समूहों तथा व्यक्तियों को शामिल करने के लिए एएसआई तथा एनसीएफ के बीच समन्वय को मजबूत किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान, एएसआई-एनसीएफ-सोनी परियोजना के अंतर्गत पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षा कैमरों के बैकअप (भंडारण) को बढ़ाने के लिए एनसीएफ द्वारा सारनाथ मंडल को केवल ₹2.09 लाख की राशि प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त, सारनाथ में *धमेख स्तूप* तथा कुशीनगर में *महापरिनिर्वाण* मंदिर के परिरक्षण की सहायता हेतु महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बौद्ध स्थलों के परिरक्षण के लिए एनसीएफ तथा वॉंग ग्रुप, थाईलैंड के (2008 में) बीच एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया था। परियोजना अनुमान एनसीएफ को प्रस्तुत किया गया था परंतु अनुमान का अनुमोदन 2008 से लंबित थी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, एएसआई मंडलों द्वारा एनसीएफ से बजट आवंटन के लिए आगंतुक सुविधाओं के संरक्षण तथा उन्नयन के लिए डीजी, एएसआई मुख्यालय को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया।

2.1.12 जनशक्ति प्रबंधन

धरोहर संरक्षण में शामिल किसी भी अभिकरण के कार्यकरण के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित, अनुभवी तथा पर्याप्त जनशक्ति का होना एक पूर्वापेक्षा है। लेखापरीक्षा ने पाया कि धरोहर संरक्षण में लगे एएसआई मंडल तकनीकी तथा अन्य जनशक्ति की भारी कमी का सामना कर रहे थे, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

2.1.12.1 जनशक्ति की पर्याप्तता

विभाग के कुशल संचालन के लिए, इसके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु उचित जनशक्ति नियोजन तथा उसकी तैनाती आवश्यक है। पुरातत्वविदों, इंजीनियरों²⁵, संरक्षण सहायकों, जिनमें तकनीकी स्टाफ तथा अन्य सहायक स्टाफ (स्मारक परिचारक तथा बहु-कार्य स्टाफ (एमटीएस)) शामिल हैं, के संबंध में नवंबर 2024

²⁵ (अधीक्षक पुरातत्वविद् उप-एसए, सहायक एसए), (उप-अधीक्षक पुरातात्विक इंजीनियर, सहायक अधीक्षक पुरातात्विक अभियंता)

तक यूपी में स्थित एसआई के मंडलों की संस्वीकृत तथा कार्यरत संख्या जिसे अंतिम बार अक्टूबर 2021 में संशोधित किया गया था, तालिका 2.6 में दी गई है।

तालिका 2.6: यूपी में एसआई में संस्वीकृत संख्या तथा रिक्त पदों की स्थिति

पद का नाम	स्वीकृत संख्या	पदस्थ व्यक्ति	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों की प्रतिशतता
ग्रेड-ए (एसए, उप-एसए इंजीनियर)	23	09	14	60.87
ग्रेड-बी (पुरातत्वविद्-एसए और एसआई)	90	52	38	42.22
संरक्षण सहायक तथा वरिष्ठ संरक्षण सहायक	98	30	68	69.38
तकनीकी पदों की कुल संख्या	211	91	120	56.87
ग्रेड-सी (लिपिक आदि)	सारनाथ मंडल में परिभाषित नहीं+241	255	--	--
एमटीएस/स्मारक परिचारक	870	513	357	41.03

तकनीकी संवर्ग में लगभग 57 प्रतिशत की भारी कमी थी, जो मुख्य रूप से संरक्षण तथा परिरक्षण कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी है। स्मारक परिचारकों, जो इन स्मारकों की निगरानी तथा रख-रखाव के लिए उत्तरदायी हैं, के संवर्ग में लगभग 41 प्रतिशत की कमी थी। पर्याप्त जनशक्ति के अभाव ने विभाग की कार्यकुशलता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, जो स्मारकों के अन्वेषण, निरीक्षण तथा प्रलेखन की धीमी गति, स्मारकों के अपर्याप्त रखरखाव तथा अतिक्रमणों के मामलों में समय पर कार्रवाई की कमी से स्पष्ट है।

2.1.12.2 सुरक्षा कर्मियों/गार्डों की कमी

डीजी, एसआई द्वारा एसआई के विभिन्न सीपीएम/स्थलों/संग्रहालयों में अतिरिक्त सुरक्षा गार्डों की आवश्यकता के आकलन हेतु एक समिति का गठन (मार्च 2022) किया गया था। मंडलों से स्मारकवार सूचना एकत्रित की जानी थी। तदनुसार, लखनऊ मंडल के अतिरिक्त प्रत्येक मंडल द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा गार्डों की

आवश्यकता का आकलन किया गया तथा एसआई मुख्यालय को भेजा गया था। चार एसआई मंडलों द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा गार्डों की अतिरिक्त आवश्यकता का विवरण तालिका 2.7 में दिया गया है।

तालिका 2.7: सुरक्षा गार्डों का आकलन

क्र. सं.	मंडल का नाम (स्मारक)	आकलन की गई सुरक्षा गार्डों की कुल आवश्यकता	सुरक्षा गार्डों की वास्तविक तैनाती	सुरक्षा गार्डों की कमी (आवश्यकतानुसार संख्या)	सुरक्षा गार्डों की कमी की प्रतिशतता
1.	झांसी (172)	148	38	110	74.32
2.	आगरा (154)	233	181	52	22.31
3.	मेरठ (82)	128	05	123	96.09
4.	सारनाथ (136)	234	52	182	77.78
5.	लखनऊ (197)	कोई आकलन नहीं	44	--	कोई आकलन नहीं
कुल		743	320		

चार एसआई मंडलों में कुल 743 सुरक्षा गार्डों की आवश्यकता के प्रति, इन मंडलों के अंतर्गत आने वाले 544 स्मारकों पर केवल 276 सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए थे। कमी 22 से 96 प्रतिशत तक थी।

सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या में कमी इन स्मारकों को चोरी, तोड़फोड़ से असुरक्षित बनाती है तथा अन्य सुरक्षा संबंधी चिंताएं उत्पन्न करती है।

मामला अप्रैल 2025 में संस्कृति मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर अगस्त 2025 तक प्रतीक्षित था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि एसआई मंडलों में स्टाफ, विशेषकर तकनीकी तथा सुरक्षा स्टाफ, की कमी के मामले का निपटान करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

(II) विदेश मंत्रालय

2.2 अप्रयुक्त स्थान के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में ₹27.43 करोड़ का अधिक व्यय

विदेश मंत्रालय द्वारा अकबर भवन में अप्रयुक्त स्थान को 15 महीने तक अपने पास रखने और नई दिल्ली नगर निगम के साथ वास्तव में उपयोग किए गए स्थान के लिए आनुपातिक लाइसेंस शुल्क को औपचारिक रूप न देने के परिणामस्वरूप अप्रयुक्त स्थान के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में ₹27.43 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 में यह निर्धारित है कि लोक धन से व्यय करने वाले या प्राधिकृत करने वाले प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय औचित्य²⁶ के उच्च मानकों द्वारा निदेशित होना चाहिए, जिसमें यह भी शामिल है कि व्यय प्रथम दृष्टया अवसर की मांग से अधिक नहीं होना चाहिए।

अकबर भवन²⁷ को प्रारंभ में (नवंबर 1970) नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी)²⁸ को 30 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया था। विदेश मंत्रालय (मंत्रालय) ने आईटीडीसी से इस भवन का अधिग्रहण (अप्रैल 1986) ले लिया। एनडीएमसी और आईटीडीसी के बीच पट्टा समझौते (अक्टूबर 2000) की समाप्ति के बाद, भवन के पट्टे के लिए निबंधन और शर्तों पर मंत्रालय और एनडीएमसी द्वारा बातचीत (2005-2006) की गई तथा बिना किसी औपचारिक पट्टा समझौता के सहमति बनाई गई²⁹। 2012 से 2023 तक, मंत्रालय ने इस भवन का उपयोग आंशिक रूप से दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय

²⁶ सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 का नियम 21।

²⁷ चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में स्थित एक भवन (निम्नतल+भूतल+पहली से 10^{वीं} मंजिल)।

²⁸ पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू)।

²⁹ मंत्रालय द्वारा अधिगृहित क्षेत्र पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा 8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ गणना के अनुसार उचित किराये का भुगतान।

(एसएयू)³⁰ के अस्थायी परिसर (आठवीं मंजिल तक) के रूप में और आंशिक रूप से अपने कुछ प्रभागों के संचालन (नौवीं और दसवीं मंजिल) के लिए किया।

एसएयू के अपने स्थायी परिसर³¹ में स्थानांतरित होने (जनवरी 2023) के बाद, मंत्रालय ने पूरे भवन को अपने पास रखने तथा अन्य भवनों³² जहाँ उसके कार्यालय स्थित थे, को विंस्कूलित करने के लिए एसएयू द्वारा खाली की गई जगह का उपयोग करने का निर्णय लिया (जनवरी 2023)। चूँकि खाली की गई जगह के नवीनीकरण³³ की आवश्यकता थी, इसलिए मंत्रालय ने एनडीएमसी के साथ कई पत्राचार³⁴ किए (फरवरी 2023 से जनवरी 2024 तक), जिनमें उनसे अनुरोध किया गया कि वह तत्काल मरम्मत कार्य आरंभ करें और एसएयू द्वारा खाली की गई जगह पर मरम्मत और नवीकरण कार्य पूरा होने तक मंत्रालय द्वारा उपयोग किए जाने वाले वास्तविक क्षेत्रफल (नौवीं और दसवीं मंजिल, अर्थात् दस में से दो मंजिल) के यथानुपात आधार पर इमारत के लिए लाइसेंस शुल्क को कम करे।

मरम्मत के लिए मंत्रालय के अनुरोध (अप्रैल 2023) के उत्तर में, एनडीएमसी ने सूचित किया (मई 2023) कि मंत्रालय भूतल से आठवीं मंजिल तक का अधिकार तत्काल एनडीएमसी को सौंप सकता है तथा नौवीं और दसवीं मंजिल की सेवाओं को स्वयं अलग कर सकता है। तथापि, मंत्रालय ने अधिकार सौंपे बिना, यथानुपात आधार पर लाइसेंस शुल्क वसूलने के लिए एनडीएमसी के साथ प्रयास जारी रखा,

³⁰ एसएयू भारत सहित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के आठ सदस्य देशों द्वारा प्रायोजित एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। संसद के दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 के अंतर्गत भारत द्वारा इसकी मेजबानी की जाती है।

³¹ मैदानगढ़ी, नई दिल्ली

³² आईएसआईएल भवन, सुषमा स्वराज भवन, सी-1 अस्थायी इमारत, पटियाला हाउस एवं सीजीओ कॉम्प्लेक्स।

³³ अग्रभाग पर छोटे-छोटे पौधों की बढ़ती संख्या, फॉल्स सीलिंग के टूटने, पानी के रिसाव के कारण, पाइपलाइन प्रणाली को बदलने, अग्निशमन प्रणाली को उन्नत करने, पाइपलाइनों को बदलने तथा अन्य निर्माण कार्यों की आवश्यकता है।

³⁴ दिनांक 03 फरवरी 2023, 17 मार्च 2023, 23 मार्च 2023, 21 अप्रैल 2023, 19 जुलाई 2023, 04 अगस्त 2023, 25 अगस्त 2023, 17 अक्टूबर 2023 और 20 नवंबर 2023 को लिखे पत्रों और एनडीएमसी के अधिकारियों के साथ कई बैठकों के माध्यम से।

जिसे अंततः दिसंबर 2023 में एनडीएमसी ने स्वीकार कर लिया और बताया कि भूतल से आठवीं मंजिल तक भवन के नवीकरण के बाद, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नया लाइसेंस विलेख निष्पादित किया जाएगा।

तत्पश्चात्, मंत्रालय ने लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना बंद कर दिया (दिसंबर 2023) और एनडीएमसी से अधिक भुगतान किए गए लाइसेंस शुल्क को समायोजित करने का अनुरोध किया। तथापि, एनडीएमसी द्वारा कोई निपटान/समायोजन नहीं किया गया है। अंततः, मंत्रालय ने अपने प्रभागों को सुषमा स्वराज भवन (मंत्रालय के स्वामित्व में) में स्थानांतरित कर पूरा भवन खाली कर अकबर भवन को एनडीएमसी को इस अनुरोध के साथ सौंप दिया (मई 2024) कि भवन के नवीकरण के बाद नए पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मंत्रालय को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके परिणामस्वरूप, सैद्धांतिक रूप से आठ मंजिलों पर बिना किसी वास्तविक उपयोग के 15 महीनों (फरवरी 2023 से अप्रैल 2024) तक कब्जा रहा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ने देय किराया, मरम्मत/नवीकरण और निर्गम के लिए निबंधन और शर्तों के औपचारिक पट्टा समझौते के बिना वर्ष 2000 से भवन पर आधिपत्य बनाए रखा। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि मंत्रालय ने फरवरी 2023 से नवंबर 2023 तक पूरे भवन के लिए लाइसेंस शुल्क³⁵ का भुगतान किया, जबकि लगभग 20 प्रतिशत (अर्थात् दस मंजिल में से दो मंजिल) स्थान का ही उपयोग किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वास्तव में उपयोग नहीं किए गए स्थान के प्रति लाइसेंस शुल्क के रूप में ₹27.43 करोड़³⁶ (अनुलग्नक-2.6) का अधिक व्यय हुआ। एसएयू द्वारा खाली किए गए स्थान को उसकी स्थान आवश्यकता का उचित

³⁵ फरवरी 2023 और मार्च 2023 के लिए ₹3,72,60,974 प्रति माह, अप्रैल 2023 से नवंबर 2023 तक ₹4,02,41,852 प्रति माह और अप्रैल 2024 से मई 2024 तक ₹4,34,61,200 प्रति माह (07 मई 2024 तक)

³⁶ एमईए द्वारा फरवरी 2023 से नवंबर 2023 तक भवन निर्माण के लिए भुगतान किए गए लाइसेंस शुल्क: ₹39.65 करोड़ फरवरी 2023 से 07 मई 2024 तक दो मंजिलों की यथानुपातिक लाइसेंस शुल्क: ₹12.21 करोड़

विश्लेषण किए बिना अपने पास रखने का मंत्रालय का जल्दबाजी³⁷ में लिया गया निर्णय तथा ऐसे प्रतिधारण के लिए निबंधन और शर्तें (उपयोग के लिए उपलब्ध वास्तविक क्षेत्र के लिए *यथानुपात* लाइसेंस शुल्क सहित) निर्धारित करना, जीएफआर में उल्लिखित वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था। औपचारिक पट्टा समझौता के अभाव में, मंत्रालय नवीकरण के बाद भूतल से आठवीं मंजिल तक के आवंटन के लिए एनडीएमसी से आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका और अंततः उसे पूरा भवन खाली करना पड़ा।

यह मामला जून 2025 में विदेश मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था; उनका उत्तर अगस्त 2025 तक प्रतीक्षित थे।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि मंत्रालय अपनी पट्टे पर ली गई संपत्तियों की आवधिक समीक्षा करे जिससे सरकार के हितों को सुरक्षित रखने वाले औपचारिक पट्टा समझौतों का अस्तित्व सुनिश्चित किया जा सके तथा उचित आवश्यकता विश्लेषण के बाद केवल अपवाद रूप में संपत्तियों को पट्टे पर लिया जाए, ताकि सार्वजनिक व्यय में दक्षता लाई जा सके।

³⁷ एसईए द्वारा अकबर भवन को पट्टे पर जारी रखने के प्रस्ताव वाली फाइल 14 जनवरी 2023 (अर्थात् वह महीना जिसमें एसएयू को परिसर खाली करना था) को शुरू किया गया था एवं इसे 16 जनवरी 2023 को विदेश सचिव द्वारा अनुमोदित किया गया। विदेश सचिव द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव में भवन की खराब हालत के बारे में इंगित नहीं किया गया, जिसके लिए मरम्मत हेतु आठ मंजिलें एनडीएमसी को सौंपने की आवश्यकता थी।

भारतीय दूतावास, बीजिंग, चीन

2.3 भारतीय दूतावास, बीजिंग, चीन में सम्पत्ति प्रबंधन

निरंतर वार्षिक रखरखाव अनुबंधों के होने और मरम्मत कार्यों पर अत्यधिक व्यय करने के बावजूद, वर्ष 2011 में निर्मित सोलह में से छः आवासीय इकाइयां 10 से 13 वर्षों की अवधि के भीतर रहने योग्य नहीं रह गई थीं। इन छः खाली इकाइयों की आवश्यक व्यापक मरम्मत कार्यों/नवीकरण में विलंब के परिणामस्वरूप ₹3.22 करोड़ (फरवरी 2025 तक) के किराए का परिहार्य व्यय हुआ।

पुराने चांसरी परिसर (ओसीपी) के पुनर्विकास परियोजना, जिसकी संकल्पना 2009 में की गई थी, अनिर्णय तथा अंतिम उपयोग को अंतिम रूप न देने के कारण विलंबित हो गई है।

2014 से उपयोग में न होने के बावजूद ओसीपी के हीटिंग शुल्क का भुगतान जारी रखने के परिणामस्वरूप ₹74 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ।

चांसरी भवन, सभागार, चार गार्ड कक्ष, वीजा कक्ष और 16 आवासीय इकाइयों वाले एक नए चांसरी परिसर के निर्माण के बाद, भारतीय दूतावास, बीजिंग (मिशन) के कार्यालयों को पुराने चांसरी परिसर (ओसीपी³⁸) से नए चांसरी परिसर (एनसीपी³⁹) में स्थानांतरित किया गया था (जनवरी 2012)। तत्पश्चात्, ओसीपी वैकल्पिक उपयोगों/पुनर्विकास के लिए उपलब्ध था। ओसीपी और एनसीपी के अतिरिक्त, मिशन की संपत्ति में ओसीपी से सटे भूखंड पर स्थित एक दूतावास आवास (ईआर⁴⁰) भी शामिल है। लेखापरीक्षा ने मिशन द्वारा इन संपत्तियों के प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित मुद्दे पाए:

³⁸ ओसीपी नं.1, री टैन डॉंग लू, बीजिंग में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 9351.14 वर्ग मीटर है।

³⁹ एनसीपी नं.5, लियांग मा क्रियाओ बेई जी, बीजिंग में स्थित है।

⁴⁰ ईआर अर्थात् मिशन प्रमुख का निवास स्थान नं. 13 गुआंग हुआ लू, बीजिंग में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 11245.38 वर्ग मीटर है।

1) **नए चांसरी परिसर में स्थित आवासीय इकाइयों के व्यापक नवीकरण करने में विलंब**

नए चांसरी परिसर में 16 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य नवंबर 2011 में पूरा हुआ था और दिसंबर 2011 में मिशन ने इसे अपने अधीन ले लिया था। नया निर्माण पाँच वर्षों अर्थात् दिसंबर 2016 तक गुणवत्ता वारंटी अवधि के अंतर्गत था, जिसके दौरान निर्माण कंपनी द्वारा मरम्मत और रखरखाव का कार्य किया गया। तत्पश्चात्, मिशन ने अप्रैल 2017 से भवन में तकनीकी प्रणालियां कार्यशील स्थिति में रखने और दैनिक रखरखाव तथा छोटे मरम्मत कार्यों के लिए विस्तृत वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी⁴¹) किया। इसके अतिरिक्त, मिशन ने जुलाई 2021 से मई 2025 तक इन आवासीय इकाइयों में ₹1.68 करोड़ की राशि के मरम्मत कार्य भी किए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निरंतर एएमसी होने और मरम्मतों कार्यों पर अत्यधिक व्यय होने के बावजूद, पानी और हीटिंग पाइप लाइनों के कटने और फटने, पानी के रिसाव, छत की वाटरप्रूफिंग की आवश्यकता, लकड़ी के फर्श और दीवारों को नुकसान और सीवेज एवं जल निकासी पाइपों के अवरुद्ध होने जैसी कई समस्याओं के कारण, ये नवनिर्मित आवासीय इकाइयाँ रहने योग्य नहीं रह गई थीं। फरवरी 2025 तक छः⁴² इकाइयाँ खाली थीं। शेष 10 आवासीय इकाइयाँ भी अत्यंत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थी, जिनको व्यापक नवीकरण की आवश्यकता थी। मिशन ने सभी 16 आवासीय इकाइयों के पूर्ण नवीकरण हेतु विदेश मंत्रालय (मंत्रालय) को एक प्रस्ताव भेजा (अगस्त 2023), जिसकी कुल लागत आरएमबी⁴³ 15,000,000

⁴¹ एएमसी सम्पूर्ण नए चांसरी परिसर के लिए थी जिसमें चांसरी भवन, सभागार, चार गार्ड कक्ष, वीजा कक्ष और 16 आवासीय इकाइयां शामिल थीं।

⁴² खाली की गई इकाइयाँ-बी1 (अगस्त 2021), ए1 (मई 2022), ए2 (अक्टूबर 2022), सी2 (दिसम्बर 2022), बी3 (सितम्बर 2024) एवं ए4 (नवम्बर 2024)।

⁴³ रेनमिनबी (आरएमबी) चीन की आधिकारिक मुद्रा है।

(₹17.32 करोड़⁴⁴) थी, जो अभी भी मंत्रालय में विचाराधीन है (जनवरी 2025)। व्यापक मरम्मत कार्य में इस विलंब के परिणामस्वरूप, खाली पड़े इन छः इकाइयों के बदले वैकल्पिक आवास किराए पर लेने पड़े जिसके लिए ₹3.22 करोड़ का परिहार्य किराया व्यय हुआ (फरवरी 2025 तक) (अनुलग्नक-2.7), साथ ही मरम्मत और नवीकरण कार्य पूरा होने तक किराया व्यय में वृद्धि होने की पूरी संभावना है।

मिशन ने बताया (सितंबर 2024) कि पाँच साल की गुणवत्ता वारंटी अवधि समाप्त होने के बाद उत्पन्न हुई कई टूट-फूट की समस्याओं के कारण इकाइयों को न रहने योग्य घोषित कर दिया गया था। मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2025) कि व्यापक नवीकरण के लिए मिशन का प्रस्ताव विचाराधीन है और मंत्रालय की परियोजना प्रबंधन टीम (पीएमटी) का दौरा बहुत जल्द होने की संभावना है।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए देखा जाना चाहिए कि मिशन द्वारा अगस्त 2023 में भेजा गया व्यापक नवीकरण का प्रस्ताव अभी भी मंत्रालय के पास विचाराधीन है (जनवरी 2025), जिसके परिणामस्वरूप विलंब और किराए पर परिहार्य व्यय हुआ, साथ ही शेष 10 इकाइयों के भी खराब होने और रहने योग्य न रह जाने का अतिरिक्त जोखिम भी है।

2) पुराना चांसरी परिसर

(क) अनिर्णय और अंतिम उपयोग को अंतिम रूप न देने के कारण पुनर्विकास परियोजना में अत्यधिक विलंब

दो संपत्तियां, जहाँ ओसीपी और ईआर स्थित हैं, मार्च 1986 में भारत सरकार को 90 वर्षों की अवधि (जिसे अगले 90 वर्षों तक और बढ़ाया जा सकता है) के लिए किराया-मुक्त पट्टे पर दी गई थी। ओसीपी 2014 से उपयोग में नहीं है क्योंकि कार्यालय एनसीपी (जनवरी 2012) में स्थानांतरित कर दिए गए थे और 2016 में

⁴⁴ अगस्त 2023 की आधिकारिक विनिमय दर के अनुसार, ₹1/0.0866 (11.5473) प्रति आरएमबी की विनिमय दर पर आधारित।

इसे न रहने योग्य घोषित कर दिया गया था। ओसीपी और ईआर के पुनर्विकास/नवीकरण के लिए मिशन के प्रयासों को तालिका 2.8 नीचे दिया गया है:

तालिका 2.8: ओसीपी और ईआर के पुनर्विकास के लिए प्रयासों का कालक्रम

मार्च 2009	मिशन ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के परामर्श से ओसीपी और ईआर के नवीकरण का प्रस्ताव रखा। हालाँकि, इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हो सकी।
मई 2014	मिशन ने एक समिति गठित की (मार्च 2014) और उसकी अनुशंसाओं के आधार पर मंत्रालय से ओसीपी और ईआर के नवीकरण को अनुमोदित करने का अनुरोध किया।
दिसम्बर 2016	मंत्रालय के पीएमटी ने बीजिंग का दौरा किया और मिशन प्रमुख (एचओएम) और प्रतिनिधित्वात्मक ग्रेड (आरजी) अधिकारियों के आवासों के निर्माण के लिए दोनों प्लॉटों (ओसीपी और ईआर) को मिलाने की अनुशंसा की।
जनवरी 2017	मिशन ने इस स्थल पर एक राजनयिक आवास परिसर के निर्माण की योजना बनाई जिसमें एचओएम, आरजी अधिकारी और गैर-आरजी अधिकारियों के आवास होंगे।
अप्रैल 2018	मिशन ने राजनयिक आवास परिसर के लिए परामर्श/वास्तुशिल्प सेवाएं प्रदान करने के लिए एक फर्म ⁴⁵ (वास्तुकार) का चयन किया और इस संबंध में जून 2018 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।
अगस्त 2018	मिशन ने इस स्थल पर केवल एचओएम और आरजी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आवास बनाने का निर्णय लिया। जिसे मंत्रालय ने स्वीकार किया।

⁴⁵ मेसर्स चियास्मस पार्टनर्स इंकलु.; मेसर्स चाइना हाईवे इंजीनियरिंग कंसल्टिंग ग्रुप कंपनी और मेसर्स इंडिया हैबिटेट डिज़ाइन्स कंसल्टेंट्स का संयुक्त उद्यम।

जनवरी-जून 2019	मंत्रालय ने वास्तुकार द्वारा तैयार प्रारंभिक डिज़ाइन ⁴⁶ को अनुमोदित किया और वास्तुकार को यूएसडी 208,943 (₹1.47 करोड़ ⁴⁷) का भुगतान जारी कर दिया गया।
अक्टूबर-नवम्बर 2019	मिशन ने वृक्ष मानचित्रण और मृदा अन्वेषण सर्वेक्षण का कार्य सौंपा।
दिसम्बर 2019	वृक्ष मानचित्रण रिपोर्ट के आधार पर, मिशन ने आवासीय परिसर के संशोधित नक्शे का प्रस्ताव रखा ताकि काटे जाने/स्थानान्तरित किए जाने वाले वृक्षों की संख्या कम की जा सके। संशोधित लेआउट को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया।
दिसम्बर 2020	संशोधित प्रारंभिक डिज़ाइन को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया। योजनाबद्ध डिज़ाइनों को अनुमोदन के लिए चीनी प्राधिकारियों को अग्रेषित किया गया।
मार्च 2021	मिशन ने परियोजना के लिए ₹362.93 करोड़ का प्रारंभिक अनुमान (पीई) मंत्रालय को अनुमोदन के लिए अग्रेषित किया।
फरवरी 2022	कुछ चूक और दोहराव के कारण, पीई को संशोधित कर ₹604.13 करोड़ कर दिया गया और अनुमोदन के लिए पुनः मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया।

लेखापरीक्षा ने अत्यधिक विलंब पाया क्योंकि ओसीपी और ईआर के नवीकरण/पुनर्विकास के प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में आठ वर्ष (मार्च 2009 - जनवरी 2017) का समय लग गया तथा वास्तुशिल्प फर्म के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद (जून 2018) प्रारंभिक डिज़ाइनों (दिसम्बर 2020) को अनुमोदित करने में दो वर्ष से अधिक का समय लग गया। फरवरी 2022 में मंत्रालय को प्रस्तुत संशोधित पीई के लिए अनुमोदन फरवरी 2025 तक प्रतीक्षित था।

⁴⁶ अगस्त 2018 के लिए आरजी अधिकारियों के लिए आवास निर्माण की योजना

⁴⁷ जून 2019 की आधिकारिक विनिमय दर के अनुसार ₹70.4 प्रति यूएसडी की विनिमय दर पर आधारित।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि मिशन ने योजनाओं/प्रस्तावों में लगातार परिवर्तन करना जारी रखा है तथा ओसीपी और ईआर के अंतिम उपयोग को तय नहीं कर पाया, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- **दिसंबर 2016:** पीएमटी ने एचओएम और आरजी अधिकारियों के आवास के निर्माण की अनुशंसा की।
- **जनवरी 2017:** मिशन ने एचओएम, आरजी अधिकारियों और नॉन-आरजी अधिकारियों के आवासों वाले राजनयिक आवासीय परिसर के निर्माण की योजना बनाई।
- **अगस्त 2018:** योजना में बदलाव कर केवल एचओएम और आरजी अधिकारियों के लिए आवास निर्माण की योजना बनाई गई।

फरवरी 2022 में ₹604.13 करोड़ का अनुमान भेजने के बाद नए प्रस्ताव रखे गए:

- **अक्टूबर 2022:** मिशन ने ओसीपी में सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण और मौजूदा ईआर के नवीकरण का प्रस्ताव रखा।
- **अप्रैल 2023:** मिशन ने ओसीपी में एक सभागार, व्यापार केंद्र और कुछ आवासों के निर्माण एवं मौजूदा ईआर के नवीकरण का प्रस्ताव रखा।

चूंकि वर्तमान में आवासीय परिसर के निर्माण का प्रस्ताव योजना विषयक डिजाइन को चीनी प्राधिकारियों के अनुमोदन हेतु भेजे जाने और पीई का मंत्रालय को प्रस्तुत होने के कारण उन्नत चरण में है, यदि मिशन के नवीनतम प्रस्ताव (अप्रैल 2023) पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है, तो इसके अंतिम उपयोग *अर्थात्* राजनयिक आवासीय परिसर के स्थान पर एक सभागार, व्यापार केंद्र *आदि* का निर्माण करना एक बड़ा बदलाव होगा, इसलिए वर्तमान डिजाइनों की कोई उपयोगिता नहीं होगी, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान डिजाइन के लिए वास्तुकार की सेवाओं पर ₹1.47 करोड़ का व्यय व्यर्थ हो जाएगा।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2025) कि कई विचार-विमर्शों, संशोधनों और कोविड-19 के कारण इसमें अत्यधिक विलंब हुआ। इसके अतिरिक्त, सभी स्तरों पर मामला

उठाए जाने के बावजूद, मेज़बान (चीनी) सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। वास्तुकार को केवल उन्हीं चरणों का भुगतान किया गया है जिनमें उनकी सेवाएँ ली गई हैं एवं वास्तुकार की नियुक्ति पर हुए व्यय को व्यर्थ नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि परियोजना अभी भी चालू है और विचाराधीन है। मंत्रालय ने आगे बताया (फ़रवरी 2025) कि मिशन का नवीनतम प्रस्ताव (अप्रैल 2023) मंत्रालय के पास विचाराधीन है। मिशन में संपत्ति से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए शीघ्र ही एक पीएमटी दौरा होने वाला है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि मिशन अपनी आवश्यकताओं को निर्धारित करे और संबंधित प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाए, क्योंकि अनिर्णय और स्पष्टता के अभाव के कारण 2014 से भूमि/संपत्ति उपयोग में नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति माह ₹1.06 करोड़⁴⁸ का किराया व्यय जारी है। इसके अतिरिक्त, विलंब से पीई में ₹604.13 करोड़ की और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

(ख) हीटिंग शुल्क पर अपव्यय

मौजूदा नियमों के अनुसार⁴⁹, बीजिंग वह स्टेशन है जहाँ आधिकारिक और आवासीय भवनों के लिए हीटिंग सुविधा प्रदान की जाती है। चूँकि ओसीपी और ईआर आस-पास के प्लॉटों पर स्थित हैं, इसलिए बीजिंग हीटिंग कंपनी द्वारा दोनों संपत्तियों को एक ही लाइन के माध्यम से हीटिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं और बिना किसी विभाजन के दोनों संपत्तियों से संबंधित कुल 2,959 वर्ग मीटर के प्लिंथ क्षेत्र के लिए हीटिंग प्रभारों का बिल बनाया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2023) कि यद्यपि दूतावास कार्यालयों को जनवरी 2012 में ओसीपी से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया था और 2014 से

⁴⁸ ओसीपी पर निर्माण किए जाने वाले प्रस्तावित 28 आवासीय इकाइयों के निर्माण के संबंध में (अगस्त 2018)।

⁴⁹ भारतीय विदेश सेवा (वेतन, छुट्टी एवं प्रतिपूरक भत्ते) नियमावली के अनुलग्नक X का खंड 10(1)

परिसर का किसी भी सक्रिय उद्देश्य/सेवा के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था, फिर भी मिशन ने खाली ओसीपी से हीटिंग आपूर्ति बंद करवाने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की तथा 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान इसके हीटिंग प्रभारों पर ₹74 लाख⁵⁰ का व्यय किया।

मिशन ने बताया (मई 2025) कि ईआर और ओसीपी के बीच हीटिंग आपूर्ति पाइपलाइनों को काट दिया गया है और इसकी सूचना बीजिंग हीटिंग कंपनी को अपने अभिलेखों को अद्यतित करने के लिए इस अनुरोध के साथ दी गई है कि वे अपने अभिलेखों को अद्यतित करें ताकि अगले हीटिंग सीजन से ओसीपी के लिए हीटिंग प्रभार नहीं लिए जाएं।

अप्रैल 2025 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के बाद मिशन द्वारा की गई त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई सराहनीय है। तथापि, तथ्य यह है कि मिशन द्वारा समय पर निर्णय न लेने के परिणामस्वरूप 2015-16 से 2024-25 तक खाली पड़ी संपत्ति के हीटिंग प्रभारों पर ₹74 लाख का अपव्यय हुआ।

भारतीय दूतावास, कोपेनहेगन, डेनमार्क

2.4 ₹99.12 लाख का अधिक व्यय

भारतीय दूतावास, कोपेनहेगन द्वारा पट्टे पर आवास लेने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित किराया सीमा का पालन न करने के परिणामस्वरूप ₹99.12 लाख का अधिक व्यय हुआ।

भारतीय विदेश सेवा (वेतन, छुट्टी, प्रतिपूरक भत्ता और सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 1961 (आईएफएस-पीएलसीए) अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करता है कि:

⁵⁰ ओसीपी और ईआर का कुल प्लिंथ क्षेत्रफल 2959 वर्ग मीटर है। काट दिए गए ओसीपी का निर्मित क्षेत्रफल 1469.9 वर्ग मीटर है। इस प्रकार, ओसीपी के लिए हीटिंग प्रभार की आनुपातिक राशि ₹74 लाख (₹149 लाख x 1469.9/2959) होती है।

- क) भारत के बाहर सेवा में कार्यरत सदस्य को निःशुल्क सुसज्जित आवास प्रदान किया जाएगा तथा आवास का स्तर सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित अनुसार अधिकारी के पद या ग्रेड के उपयुक्त होगा;
- ख) सरकार आगे समय-समय पर उन विशेष स्टेशनों के संबंध में किराए की अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकती है जिसके अंतर्गत सेवा के सदस्य को उपयुक्त सुसज्जित आवास किराए पर लेने की अनुमति दी जा सकती है; और
- ग) जिस मिशन के लिए किराए की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, उसे सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किराए की उस सीमा से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए।

इस संबंध में, विदेश मंत्रालय (मंत्रालय) ने भारतीय दूतावास, कोपेनहेगन (मिशन) में तैनात विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दिए गए आवास के किराए की सीमा निर्धारित की (जुलाई 2017)। मंत्रालय ने एएसओ/पीए/एसएसए/जेएसए⁵¹ स्तर के अधिकारियों के लिए डेनिश क्रोन (डीकेके) 11,600 प्रति माह किराए की सीमा को अनुमोदित किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मिशन ने मंत्रालय से कोई पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना, एक एएसओ स्तर के अधिकारी को 58 महीनों (अक्टूबर 2018-जुलाई 2023) के लिए और एक पीए स्तर के अधिकारी को 38 महीनों (अगस्त 2018-सितंबर 2021) के लिए निर्धारित सीमा से अधिक मासिक किराए वाला आवास आवंटित किया। 2018-2023 के दौरान, एएसओ और पीए को किराए पर दिए गए आवासों के लिए भुगतान किए गए मासिक किराए की सीमा क्रमशः डीकेके 18,684.12 से 22,685.53 (निर्धारित सीमा अर्थात् डीकेके 11,600 का 161 से 196 प्रतिशत) और डीकेके 20,572 से 22,088.22 (निर्धारित सीमा अर्थात् डीकेके 11,600 का 177 से

⁵¹ सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ)/वैयक्तिक सहायक (पीए)/वरिष्ठ सचिवालय सहायक (एसएसए)/कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए)।

190 प्रतिशत) के बीच थी। इसके परिणामस्वरूप डीकेके 8,32,009 (₹99,11,607) का अधिक व्यय हुआ।

मिशन ने बताया (मई 2025) कि निर्धारित सीमा से अधिक किराया वाला आवास उपलब्ध कराने के औचित्य को सिद्ध करने के लिए मिशन के पास कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे, तथा पूर्ववर्ती अधिकारी (जो उच्च पद पर थे) को पट्टे पर आवंटित आवास को ही सामान्यतः पुनः आवंटित करने के कार्य का पालन किया गया होगा। मिशन ने आगे बताया कि यह एक अनजाने में हुई प्रक्रियात्मक चूक थी और मंत्रालय से *कार्योत्तर* अनुमोदन की मांग की जाएगी।

मिशन का उत्तर इंगित करता है कि मिशन द्वारा अनुमोदित किराया सीमा का पालन करने के लिए समुचित तत्परता नहीं बरती गई जिसके परिणामस्वरूप ₹99.12 लाख का अधिक व्यय हुआ।

मामला विदेश मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जुलाई 2025 तक प्रतीक्षित था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि

- क. मंत्रालय निर्धारित किराया सीमा के पालन को सुनिश्चित करने के लिए मिशनों के बजट अनुमानों को अनुमोदित करते समय सावधानी बरते;**
- ख. मंत्रालय निर्धारित नियमों/दिशानिर्देशों/आचरणों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी पट्टे पर ली गई सभी संपत्तियों की आवधिक समीक्षा की प्रक्रिया को संस्थागत बनाए।**

भारतीय दूतावास, तेल अवीव, इजरायल

2.5 ₹92.01 लाख का निष्फल व्यय

भारतीय दूतावास, तेल अवीव द्वारा अधिग्रहण पूर्व गतिविधियां प्रारंभ करने तथा विदेश मंत्रालय द्वारा विक्रेता द्वारा नियत विस्तारित समय सीमा के भीतर सम्पत्ति के अधिग्रहण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय संस्वीकृति प्रदान करने में विलंब के कारण सौदे की समाप्ति हुई तथा इसके परिणामस्वरूप अधिग्रहण पूर्व गतिविधियों से जुड़ी व्यवसायिक/कानूनी सेवाओं हेतु ₹92.01 लाख का व्यय निष्फल हुआ।

विदेश मंत्रालय (मंत्रालय) ने, संसदीय समितियों की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए, अधिग्रहण तथा किराया देयता में परिणामी कटौती हेतु विदेश में उपयुक्त सम्पत्तियों की पहचान के साथ-साथ अग्रगण्य हेतु त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया (नवंबर 2011)⁵²।

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अपनी रिपोर्ट⁵³ में उल्लेखित किया (दिसम्बर 2015) कि मंत्रालय द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी कि सम्पत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित आंतरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित तथा तीव्र करने हेतु कदम उठाए गए थे, निर्णय लेने में कमियां तथा विलंब बने रहे। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई टिप्पणी⁵⁴ (दिसंबर 2016) में पुनः आश्वासन दिया कि मिशन/पोस्ट को सम्पत्तियों के अधिग्रहण हेतु तेजी से आगे बढ़ाने का अनुदेश दिया है।

भारतीय दूतावास, तेल अवीव (मिशन) तथा भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र (आईसीसी) क्रमशः वर्ष 2002 तथा 2020 से किराए के भवन से कार्य कर रहे हैं। किराया व्ययों को कम करने के लिए मिशन ने अधिग्रहण हेतु चार सम्पत्तियों का चुनाव किया

⁵² विदेश मंत्रालय के पत्र सं० क्यू/प्रोज./862/34/2011 दिनांक 11 नवम्बर 2011 के द्वारा से सभी मिशनों/पोस्ट को विदेश में अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण हेतु दिशानिर्देश संप्रेषित करते समय।

⁵³ 16^{वीं} लोक सभा की 30^{वीं} पीएसी रिपोर्ट।

⁵⁴ 16^{वीं} लोक सभा की 61^{वीं} पीएसी रिपोर्ट।

(मार्च 2019)। मंत्रालय के सम्पत्ति दल ने तेल अवीव का दौरा किया (अगस्त 2019) तथा 10 केर्मिटिस्की स्ट्रीट, तेल अवीव में सम्पत्ति के अधिग्रहण की अनुशंसा की। सम्पत्ति दल ने आगाह किया कि उच्च किराया लाभ के कारण तेल अवीव में बिक्री हेतु स्वतंत्र सम्पत्तियाँ मिलना काफी कठिन था तथा ऐसी सम्पत्तियों के लिए होटल उद्योग से उच्च मांग के कारण वह काफी कम समय के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध होते हैं।

मंत्रालय का सैद्धांतिक अनुमोदन (नवम्बर 2019) प्राप्त करने के पश्चात मिशन ने इजरायल सरकार से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर सम्पत्ति के अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की (जनवरी 2020)। इस प्रक्रिया के प्रमुख चरण में तथा प्रत्येक चरण में लगने वाले समय को नीचे तालिका 2.9 में दर्शाया गया है। जब मिशन तथा मंत्रालय के बीच प्रक्रियाएं चल रही थीं तब विक्रेता ने समय-समय पर अंतिम सीमा को विस्तारित⁵⁵ किया और अंतिम समय सीमा 17 जनवरी 2022 को अपराह्न 1:00 बजे तक निर्धारित किया, तथा सम्पत्ति की मांग कीमत में भी 76.50 मिलियन नया इजराइली शेकेल (एनआईएस) (कर अतिरिक्त) से 85.00 मिलियन एनआईएस (कर अतिरिक्त)⁵⁶ तक की वृद्धि की।

तालिका 2.9: अधिग्रहण प्रक्रिया में प्रमुख चरण तथा लिया गया समय

मार्च 2020 से सितंबर 2021	सम्पत्ति की कानूनी आकलन की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने (मार्च 2020 ⁵⁷) के पश्चात मिशन को संपत्ति की संरचनात्मक निर्धारण तथा सम्पत्ति को बाजार मूल्य के मूल्यांकन को पूरा करने में डेढ़ वर्ष लगा (सितंबर 2021)। यह विलंब कोविड-19 के कारण (अप्रैल-नवम्बर
----------------------------------	---

⁵⁵ बिक्री खरीद अनुबंध के समापन हेतु प्रारंभिक समय सीमा मध्य सितंबर 2021 थी, जिसे बाद में 15 दिसंबर 2021, 03 जनवरी 2022 तथा 13 जनवरी 2022 तक बढ़ाया गया था।

⁵⁶ ₹205.31 करोड़।

⁵⁷ मिशन ने एलडीडीआर तैयार करने के लिए मेसर्स एपीएम एण्ड कम्पनी को नियुक्त किया था। 31 जनवरी 2020 की प्रारंभिक समय सीमा के प्रति अंतिम कानूनी आकलन रिपोर्ट 18 मार्च 2020 को प्रस्तुत की गई थी।

	2020) तथा इन गतिविधियों को करने हेतु फर्मों को नियुक्त करने के लिए निविदाओं ⁵⁸ को अंतिम रूप न दिए जाने (दिसंबर 2020-जुलाई 2021) के कारण था।
सितंबर 2021 से नवम्बर 2021	मिशन ने इस आधार पर कि निविदाएं आमंत्रित करने में समय लगेगा तथा मालिकों द्वारा निर्धारित समय सीमा के परे विलंब का परिणाम विक्रेता द्वारा सम्पत्ति को बाजार में लाने में हो सकता है, एसपीए की जाँच तथा मोल-भाव हेतु एकल स्रोत नामांकन पर मंत्रालय को एक फर्म ⁵⁹ की नियुक्ति करने का प्रस्ताव दिया (03 सितंबर 2021)। अविलंबिता के बावजूद मंत्रालय ने 29 अक्टूबर 2021 को, अर्थात् 56 दिनों के बाद प्रस्ताव को अनुमोदित किया तथा अनुबंध पर 03 नवम्बर 2021 को हस्ताक्षर किए गए।
दिसंबर 2021 से जनवरी 2022	मिशन ने सम्पत्ति की संशोधित मांग मूल्य के लिए मंत्रालय से अनुमोदन मांगा (07 दिसंबर 2021) जिसे अंततः मंत्रालय द्वारा 19 जनवरी 2022 को, अर्थात् 43 दिनों के पश्चात तथा निर्धारित समय सीमा (17 जनवरी 2022) के बाद प्रदान किया गया।

विक्रेता ने मिशन के इसके बाद के अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया तथा अपना प्रस्ताव वापस ले लिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय के सम्पत्ति दल द्वारा यह उजागर किए जाने के बावजूद कि तेल अवीव में स्वतंत्र सम्पत्तियों की कमी है तथा सम्पत्ति के विक्रेता द्वारा कड़ी समय-सीमा निर्धारित की गई है, मिशन तथा मंत्रालय अधिग्रहण प्रक्रिया

⁵⁸ संरचनात्मक निर्धारण करने हेतु फर्म के चयन के लिए पहली निविदा 03 दिसंबर 2020 को जारी की गई थी जो विफल हो गई क्योंकि बोलीकर्ता अपेक्षित बैंक प्रत्याभूति प्रदान करने को तैयार नहीं था। निविदाएं 17 फरवरी 2021 तथा 25 मई 2021 को पुनः जारी की गई थीं परंतु कोई वैध बोली प्राप्त नहीं हुई थी। अंततः मिशन ने प्रथम निविदा के एकमात्र वैध बोलीकर्ता को नियुक्त किया।

⁵⁹ मेसर्स एपीएम एंड कम्पनी, वही फर्म है जिसने सम्पत्ति की कानूनी आकलन रिपोर्ट तैयार की थी।

को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप अधिग्रहण पूर्व गतिविधियों पर ₹92.01 लाख⁶⁰ का निष्फल व्यय हुआ।

मंत्रालय ने बताया (दिसंबर 2024 तथा अप्रैल 2025) कि अपरिहार्य आंतरिक कार्यवाहियों, में विलंब के कारण मालिक द्वारा निर्धारित समय-सीमा अर्थात् 17 जनवरी 2022 से पहले सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सका था। मंत्रालय की ओर से प्रस्ताव के प्रसंस्करण में कोई विलंब नहीं हुआ क्योंकि अधिग्रहण के अग्रवर्ती चरण में शामिल कार्यों को बिना किसी विलंब के तेजी से पूरा किया गया था।

लेखापरीक्षा ने महामारी के दौरान विदेशों में सम्पत्तियों के अधिग्रहण की जटिल प्रक्रिया से जुड़ी असंख्य गतिविधियों को संसाधित करने में मिशन तथा मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकार किया। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि विक्रेता द्वारा प्रस्ताव को वापस लेने के जोखिम को देखते हुए उक्त अधिग्रहण को और अधिक सख्त एवं केंद्रित संचालन की आवश्यकता थी, उदाहरणार्थ

- क. संरचनात्मक निर्धारण तथा बाजार मूल्य का मूल्यांकन करने हेतु फर्मों के चयन के लिए क्रमिक पुनः निविदाओं के बीच समयावधि (पहली एवं दूसरी के बीच 76 दिन तथा दूसरी एवं तीसरी के बीच 97 दिनों) को कम करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, विशेष रूप से कोविड-19 के कारण बहुमूल्य समय की हानि को ध्यान में रखते हुए।

⁶⁰ (i) कानूनी उचित परिश्रम हेतु परामर्श शुल्क के प्रति मेसर्स एपीएम एण्ड कम्पनी को ₹4,93,646 (एनआईएस 23,398.83)। (ii) सम्पत्ति का संरचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए मेसर्स आफिर इंजीनियर्स लिमिटेड को ₹34,07,901 (एनआईएस 144,495)। (iii) बाजार निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने के लिए, मेसर्स आडलेस कियेनन लिमिटेड को ₹5,15,777 (एनआईएस 22,230)। (iv) सम्पत्ति के अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान प्रदत्त कानूनी सेवाओं हेतु मेसर्स एपीएम एण्ड कम्पनी को ₹47,83,521 (एनआईएस 172,125 (तथा 17 प्रतिशत की दर पर वेट)।

ख. एकल स्रोत नामांकन पर फर्म को नियुक्त करके एसपीए को अंतिम रूप देने में तेजी लाने हेतु मिशन के प्रयास पर अनुमोदन प्रदान करने में मंत्रालय द्वारा 56 दिन लेना निष्फल हुआ।

ग. मंत्रालय के पास मालिक द्वारा निर्धारित कड़ी समय सीमा (तथा इस अवधि के दौरान तीन बार विस्तारित) के संबंध में मिशन से नियमित अद्यतन प्राप्त होने के बावजूद मंत्रालय में अविलंबिता एवं अनुपालन की कमी के कारण मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग की सहमति प्राप्त करने हेतु 12 दिनों सहित, सम्पत्ति की संशोधित कीमत पर प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय संस्वीकृति प्रदान करने में 43 दिन लिए जिससे केवल 2 दिनों से सौदा रद्द हो गया।

यह इंगित करता है कि परियोजना को और अधिक प्रतिबद्धता तथा पेशेवर ढंग से संचालन की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा विदेश में सम्पत्तियों के अधिग्रहण में समय सीमा के सख्ती से अनुपालन हेतु मिशन तथा मंत्रालय द्वारा अनुकूल तथा लक्षित समय-बद्ध प्रयासों की अनुशंसा करती है जिसकी विफलता से न केवल आगामी प्रयासों में अधिग्रहण लागत में वृद्धि हो सकती है बल्कि किराया परिव्यय भी जारी रह सकता है। वर्तमान मामले में न केवल सम्पत्ति दल के प्रयासों तथा दौरे के पश्चात पहचान की गई सम्पत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सका, बल्कि अधिग्रहण पूर्व गतिविधियों पर व्यय किया गया ₹92.01 लाख भी निष्फल हुआ।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई, पुणे तथा गोवा

2.6 ₹1.47 करोड़ के विद्युत शुल्क एवं कर का अनियमित भुगतान

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मुंबई, पुणे तथा गोवा ने संविधान के अनुच्छेद 287 तथा महाराष्ट्र विद्युत अधिनियम, 2016 की धारा 3(2) तथा गोवा, दमन एवं दीव विद्युत शुल्क अधिनियम, 1986 की धारा 3(2)(1) के अनुसार, विद्युत शुल्क एवं कर से छूट का दावा करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹1.47 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

संविधान के अनुच्छेद 287 के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा उपभोग की गई बिजली/ऊर्जा की खपत या बिक्री पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। इस प्रावधान के क्रम में महाराष्ट्र विद्युत अधिनियम 2016 की धारा 3(2) तथा गोवा, दमन एवं दीव विद्युत शुल्क अधिनियम, 1986 की धारा 3(2)(1) यह निर्दिष्ट करती है कि सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर केन्द्र सरकार को भेजे गए उपभोग या उर्जा प्रभारों पर कोई विद्युत शुल्क या कर नहीं लगाया जाएगा।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) मुंबई की लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2023) के दौरान यह पाया गया था कि जुलाई 2017 से सितंबर 2023 तक बिजली बिलों⁶¹ के लिए ₹96.68 लाख का विद्युत शुल्क तथा बिजली की बिक्री पर कुल ₹13.88 लाख का महाराष्ट्र सरकार कर अदा किया गया था (अनुलग्नक-2.8)। इसी प्रकार, आरपीओ पुणे ने जनवरी 2021 से मई 2025 तक की अवधि⁶² के लिए ₹27.03 लाख का विद्युत शुल्क तथा बिजली की बिक्री पर ₹1.28 लाख का कर अदा किया (अनुलग्नक-2.9) जबकि आरपीओ गोवा ने अगस्त 2018 से अप्रैल 2025 तक की अवधि के लिए ₹8.28 लाख का विद्युत शुल्क अदा किया था (अनुलग्नक-2.10)

यद्यपि आरपीओ, मुंबई, पुणे तथा गोवा केन्द्र सरकार के विभाग हैं फिर भी, उन्होंने अनुच्छेद 287 तथा महाराष्ट्र विद्युत अधिनियम 2016/गोवा विद्युत अधिनियम की

⁶¹ अक्टूबर एवं दिसंबर 2017 तथा फरवरी, मई एवं जून 2018 के महीनों के बिजली बिल आरपीओ, मुंबई द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

⁶² मार्च 2024 महीने का बिजली बिल आरपीओ, पुणे द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

धारा 3(2) के अनुसार विद्युत शुल्क/कर के भुगतान से छूट का दावा नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹1.47 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

इंगित किए जाने पर, आरपीओ मुंबई ने उत्तर दिया (फरवरी 2025) कि लेखापरीक्षा के दौरान मामले को उठाए जाने के पश्चात इसे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड⁶³ के साथ उठाया गया था तथा उसने अक्टूबर 2023 से विद्युत शुल्क तथा महाराष्ट्र सरकार कर लगाना बंद कर दिया है।

मामला मार्च 2025 में विदेश मंत्रालय को प्रेषित किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि मामला महाराष्ट्र सरकार के साथ उठाया गया था जिसने धनवापसी को अनुमोदित किया तथा संबंधित प्राधिकारियों को कथित धन वापसी को संसाधित करने का निर्देश दिया।

तत्पश्चात, वितरण कम्पनी द्वारा (अप्रैल 2025 में) आरपीओ मुंबई के बिजली बिल में 'पिछले बकाये' के रूप में ₹1.25 करोड़ की राशि जमा की गई जिससे देय विद्युत प्रभारों की कटौती की जा रही थी। आरपीओ पुणे तथा गोवा से उत्तर प्रतीक्षित है।

आरपीओ मुंबई द्वारा विद्युत शुल्क तथा विद्युत शुल्क पर महाराष्ट्र कर की राशि की वसूली लेखापरीक्षा दृष्टांत पर की गई थी, हालांकि आरपीओ, पुणे तथा गोवा के मामले में विद्युत शुल्क की वसूली लंबित रही (सितंबर 2025)।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि मंत्रालय अपने सभी आरपीओ में अदा किए जा रहे विद्युत प्रभारों की जांच हेतु एक समीक्षा/सभी आरपीओ को आदेश जारी करने पर विचार कर सकता है तथा यदि समान त्रुटि पाई जाती है तो इसके सुधार हेतु सुधारात्मक उपाय करने के लिए आरपीओ का मार्गदर्शन किया जाए।

⁶³ जुलाई 2017 से जुलाई 2018 तक मेसर्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से तथा अगस्त 2018 के बाद से अडानी इलेक्ट्रिसिटी द्वारा।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई

2.7 खाली किए गए आरपीओ ठाणे परिसर को अभ्यर्पित करने में अत्यधिक विलंब

पट्टे पर लिए गए परिसर को 2017 में खाली करने के बावजूद, आरपीओ मुंबई और मंत्रालय सात वर्ष से अधिक समय तक सम्पत्ति को अभ्यर्पित करने या उसका वैकल्पिक उपयोग करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹76 लाख का परिहार्य व्यय हुआ एवं ₹1.38 करोड़ की देनदारियां लंबित हुई।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) ठाणे का 21 अगस्त 2017 को आरपीओ मुंबई में विलय कर दिया गया था। विलय से पहले, पूर्ववर्ती आरपीओ ठाणे, वर्धन बिल्डिंग, ठाणे में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) के स्वामित्व में पट्टे वाले⁶⁴ परिसर से संचालित होता था। जून 2007 में निष्पादित पट्टा अनुबंध में एक खंड शामिल था, जिसमें परिसर की किसी भी बिक्री, कार्यभार या कब्जे के हस्तांतरण के लिए पट्टादाता की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य थी। विलय के बाद, अगस्त 2017 में ठाणे एमआईडीसी में वर्धन भवन परिसर खाली कर दिया गया और आरपीओ, मुंबई ने स्थान के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाना प्रारंभ कर दिया। अगस्त 2018 में, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने इस संबंध में अपनी रुचि अभिव्यक्त की, परन्तु मंत्रालय ने परिसर को किसी अन्य संगठन को किराए पर देने के बजाय संपत्ति एमआईडीसी को अभ्यर्पित करने का निर्देश दिया (अक्टूबर 2018)। जुलाई 2020 में आरपीओ मुंबई ने परिसर को अभ्यर्पित करने की प्रक्रिया आरम्भ की। जवाबी प्रतिक्रिया में, एमआईडीसी ने सितंबर 2020 में मूल कब्जे की रसीद और पट्टा अनुबंध मांगा एवं ₹4.76 करोड़ की कुल आवंटन लागत में से ₹79.26 लाख के अनुरक्षण प्रभार सहित ₹1.33 करोड़ काटने के बाद ₹3.43 करोड़ वापस करने का प्रस्ताव रखा।

⁶⁴ ठाणे में 1590.86 वर्गमी. के परिसर को एमआईडीसी से 95 वर्ष के लिए ₹4,75,94,269/- के सीधे प्रीमियम पर और 02 अप्रैल 2007 से एक प्रतिवर्ष के मामूली किराए पर पट्टे पर लिया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अगस्त 2017 में परिसर खाली करने और 2018 में उपयोग/अभ्यर्पित करने की औपचारिकताओं के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने के बावजूद, आरपीओ और मंत्रालय सम्पत्ति को अभ्यर्पित करने या पुनः उपयोग करने के लिए समय पर एवं निर्णायक कार्रवाई करने में विफल रहे। लंबे समय तक कोई कार्रवाई न करना प्रशासनिक लापरवाही और सम्यक तत्परता की कमी को दर्शाता है। वर्ष 2020 से एमआईडीसी के साथ कई वर्षों तक कई बार पत्राचार⁶⁵ के बाद भी मामला अप्रैल 2025 तक बिना किसी निर्णायक परिणाम के अनसुलझा रहा। इसके अतिरिक्त, अनुरक्षण प्रभारों का मामला मंत्रालय को ही अप्रैल 2022 में ही विलंब से आगे बढ़ाया गया, साथ ही जेम टीम से स्थल का दौरा करने का अनुरोध भी किया गया, जिससे मामले के संचालन में अविलंबता की कमी उजागर हुई।

इस अत्यधिक विलंब की वजह से एमआईडीसी ने मई 2023 तक के लिए मासिक अनुरक्षण, पानी और हाउसकीपिंग प्रभारों के प्रति कुल ₹1.72 करोड़⁶⁶ की संचयी मांग की। इसके अतिरिक्त मार्च 2022 में भवन की संरचनात्मक मरम्मत के लिए ₹1.30 करोड़ का विशेष अनुरक्षण प्रभार भी मांगा गया था। आरपीओ मुंबई ने फरवरी 2025 तक अनुरक्षण प्रभारों⁶⁷ में ₹76 लाख का भुगतान किया है, जबकि ₹1.30 करोड़ के विशेष अनुरक्षण प्रभारों सहित ₹96 लाख के बकाया देय का भुगतान नहीं हुआ है।

इंगित किए जाने पर, आरपीओ मुंबई ने बताया (अप्रैल 2025) कि कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय को परिसर पट्टे पर देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तथापि, मंत्रालय के जेम प्रभाग ने पट्टा अनुबंध के खंड 2(आर) का संदर्भ देते हुए आपत्ति जताई, जिसके अनुसार एमआईडीसी से पहले से मंजूरी प्राप्त किए बिना परिसर को उप-किराए पर देना या उसका कब्जा हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है। मंत्रालय

⁶⁵ दिनांक 29 जुलाई, 2020; 07 सितंबर, 2020; 27 मार्च, 2024; 03 जुलाई, 2024; और 25 मार्च, 2025।

⁶⁶ सितंबर 2020 में अनुरक्षण प्रभारों के लिए मांगे गए ₹79.26 लाख से बढ़ाकर।

⁶⁷ ₹1,71,65,499/- के मासिक अनुरक्षण प्रभारों की मांग मई 2023 तक के लिए की गई है और उसके बाद यदि कोई प्रभार देय है तो वह उपलब्ध नहीं है।

ने आगे दोहराया कि सम्पत्ति को केवल एमआईडीसी को वापस अभ्यर्पित किया जाना चाहिए और किसी तीसरे पक्ष को बेचा या पट्टे पर नहीं दिया जाना चाहिए।

अगस्त 2025 में, आरपीओ मुंबई ने बताया कि उन्होंने खाली परिसर के उपयोग के लिए विभिन्न संभावनाएं खोजी हैं। हालांकि, दिसंबर 2018 में मंत्रालय ने बताया कि वह सम्पत्ति किसी तीसरे पक्ष को बेचने के पक्ष में नहीं था। तदनुसार, आरपीओ मुंबई ने एमआईडीसी से वापसी राशि और परिसर को अभ्यर्पित करने की प्रक्रिया के विवरण को सूचित करने का अनुरोध किया। तत्पश्चात्, मई 2025 में यह सूचित किया गया कि वापसी राशि ₹4.37 करोड़ परिकल्पित की गई है। जुलाई 2025 में, मंत्रालय ने एमआईडीसी को परिसर अभ्यर्पित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। उसने आगे बताया कि समाधान के बाद, अनुरक्षण प्रभार का बकाया घटाकर ₹8.12 लाख कर दिया गया है।

आरपीओ मुंबई के उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखकर देखा जा सकता है कि आरपीओ और मंत्रालय दोनों को पट्टा प्रतिबंधों के बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन फिर भी वे आवश्यक अनुमोदन लेने या अभ्यर्पण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय पर प्रभावी कदम उठाने में असफल रहे। परिसर खाली करने के सात वर्ष से अधिक समय तक कोई कार्रवाई न करना स्पष्ट रूप से प्रशासनिक लापरवाही और खराब अंतर-विभागीय समन्वय को इंगित करता है। इसके परिणामस्वरूप अनुरक्षण प्रभारों में ₹8.12 लाख एवं विशेष अनुरक्षण प्रभारों में ₹1.30 करोड़ की बकाया देनदारियों सहित पहले से किए गए ₹76 लाख का परिहार्य व्यय हुआ जो सम्पत्ति प्रबंधन एवं वित्तीय सावधानी में गंभीर चूक को दर्शाता है।

(III) मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

2.8 भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण की कार्य पद्धति पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण (एफएसआई), मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत नोडल मत्स्य संस्थान है, जो भारत के समुद्र तट पर व्यापक उपस्थिति बनाए हुए है, जिसमें पूर्वी तट पर तीन परिचालनात्मक बेस विशाखापत्तनम, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर में और पश्चिमी तट पर चार बेस कोचीन, मुरगांव, मुंबई और पोरबंदर में हैं।

संस्थान वर्तमान में 11 बड़े जहाजों के बेड़े को प्रबंधित करता है, जिनका मुख्य उत्तरदायित्व भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) और आस-पास के क्षेत्रों में मत्स्य संसाधनों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करना है, ताकि समुद्री मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग और प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके।

इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य प्रजातियों की सूची पहचानना, प्रचुरता का अनुमान लगाना, वितरण पद्धति, पकड़ी गई मछलियों की प्रजातियों के जैविक पहलुओं⁶⁸ का अध्ययन करना, हवा की गति और दिशा, धारा की गति और दिशा सहित पर्यावरणीय पैरामीटर, सर्वेक्षण क्षेत्र की गहराई, महत्वपूर्ण प्रजातियों के लिए उपयुक्त जाल के आकार का अध्ययन आदि करना है।

सर्वेक्षणों के दौरान संग्रहित डेटा के आधार पर, संस्थान भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें वर्ष के दौरान किए गए सर्वेक्षण-सह-शोध गतिविधियों के परिणामों को उजागर किया जाता है।

भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण (एफएसआई) ने 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान 586 समुद्री-यात्राओं की योजना के सापेक्ष में 372 समुद्री-यात्राएं कीं, जिससे 37 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। इस कारण परिचालन लक्ष्यों अर्थात् समुद्र में दिनों की संख्या में 46 प्रतिशत, मछली पकड़ने के दिनों की संख्या में 53 प्रतिशत की कमी आई, जिसके परिणामस्वरूप घंटों की संख्या और हुकों की संख्या के संदर्भ में मापे गए नमूना प्रयासों में क्रमशः 61 प्रतिशत और 72 प्रतिशत की कमी आई।

⁶⁸ लंबाई-वजन, लिंग और परिपक्वता अध्ययन, आंत सामग्री विश्लेषण आदि।

214 नियोजित सर्वेक्षण के न होने के कारण, संस्थान को मछली पकड़ने के 4,339 दिनों एवं अनुवर्ती 15,149 घंटे के नमूना प्रयास तथा 12.73 लाख हुकों को छोड़ना पड़ा। यहां तक कि संस्थान द्वारा आयोजित 372 समुद्री-यात्राओं के नमूना प्रयास में घंटों और हुकों की संख्या में क्रमशः 37 प्रतिशत और 31 प्रतिशत की कमी थी।

स्टॉक मूल्यांकन अध्ययन के लिए पर्याप्त डेटा का संग्रह सुनिश्चित करने के लिए एफएसआई के पास प्रति सर्वेक्षण मछली पकड़ने के न्यूनतम दिनों की संख्या के लिए कोई निर्धारित मानदंड नहीं थे, जिस कारण मुंबई और मुरगांव बेस पर पांच दिनों से कम मछली पकड़ने वाले दिनों वाली 21 समुद्री-यात्राएँ दर्ज की गईं।

समुद्री-यात्राओं में कमी का मुख्य कारण अकुशल योजना, जहाजों के लंबे समय तक और अनियोजित रखरखाव एवं तैनाती, ड्राई-डॉकिंग मरम्मत सूची की ठीक से तैयारी न करना आदि रहे जिसके परिणामस्वरूप लागत और समय की बढ़ोतरी हुई, व्यय के अनुचित अनुमान के परिणामस्वरूप एचएसडी तेल, शुद्ध जल जैसे प्रवधानों की गैर-आपूर्ति एवं आकस्मिक स्टाफ को वेतन के गैर-भुगतान के कारण जहाज निष्क्रिय पड़े रहे।

लेखापरीक्षा ने जहाजों की छंटनी की अवधि के दौरान विलंबित निर्णय एवं आकस्मिक स्टाफ/अन्य प्रभारों पर निष्क्रिय व्यय के कारण घाट लगाने/ईंधन प्रभारों पर परिहार्य व्यय पाया।

एफएसआई में अस्थायी स्टाफ में 78 प्रतिशत की काफी अधिक रिक्तता सहित कुल स्टाफ में 59 प्रतिशत की कमी थी।

संस्थान ने आकस्मिक कर्मचारियों की भर्ती और पारिश्रमिक के संबंध में डीओपीटी के अनुदेशों का पालन नहीं किया एवं आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन के बिना व्यय किया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि:

- नए जहाज के अधिग्रहण, पुराने जहाजों को हटाने और जहाज पर लगे उपकरणों को समय पर उन्नत करने के लिए एक व्यवस्थित नीति बनाई जा सकती है। मंत्रालय को सर्वोत्तम निष्पादन और संसाधन उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जहाजों का मानक उपयोगी समय भी तय करना चाहिए।

- सुधार के लिए क्षेत्रों को पहचानने और संस्थान की कार्यात्मक प्रभावशीलता को बेहतर बनाने के लिए व्यापक अंतर विश्लेषण और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए जा सकते हैं।
- स्पष्टता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक समान रिपोर्टिंग प्रारूप का उपयोग करके प्रतिवेदनों को समय पर प्रकाशित करने के लिए एक प्रणाली प्रारंभ की जा सकती है।
- डीओपीटी के प्रासंगिक निर्देशों और जीएफआर के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक मज़बूत आंतरिक नियंत्रण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
- प्रभावी एवं निरन्तर परिचालन में सहायता के लिए तकनीकी और गैर-तकनीकी, दोनों भूमिकाओं में रिक्तियों को भरने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जा सकती है।

2.8.1 पृष्ठभूमि

भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण (एफएसआई) मत्स्य विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत नोडल मत्स्य संस्थान के रूप में कार्य करता है।

इस संस्थान का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी अध्यक्षता महानिदेशक द्वारा की जाती है तथा सर्वेक्षण और वैज्ञानिक कार्यों के लिए उप महानिदेशक (मत्स्य पालन) एवं बेड़े का रखरखाव, परिचालन और इंजीनियरिंग मामलों के लिए उप महानिदेशक (इंजीनियरिंग) सहायता करते हैं। यह संस्थान भारत के समुद्री तट पर व्यापक उपस्थिति बनाए हुए है, जिसके पूर्वी तट⁶⁹ पर तीन और पश्चिमी तट⁷⁰ पर चार बेस हैं। प्रत्येक बेस की अध्यक्षता क्षेत्रीय निदेशक द्वारा की जाती है, जिन्हें सर्वेक्षण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए वैज्ञानिकों, फ्लोटिंग स्टाफ⁷¹, इंजीनियर और प्रशासनिक कार्मिक सहायता करते हैं।

⁶⁹ विशाखापत्तनम, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर।

⁷⁰ कोचीन, मुरगांव, मुंबई और पोरबंदर।

⁷¹ मुख्य अभियंता, कप्तान और अन्य डेक कर्मचारियों सहित जहाज-आधारित स्टाफ को फ्लोटिंग स्टाफ कहा जाता है।

2.8.2 भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण के उद्देश्य और अधिदेश

एफएसआई के उत्तरदायित्व इर प्रकार हैं (i) भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में खोजी सर्वेक्षण करना, मछली पकड़ने के मैदानों का चार्ट बनाना, मत्स्य स्टॉक का मूल्यांकन करना; (ii) मत्स्य पालन प्रबंधन मुद्दों पर परामर्श देने के लिए डेटा संग्रहण और समय-समय पर मत्स्य पालन के संसाधनों की क्षमता का पुनः सत्यापन करना; (iii) उपयोगी क्षेत्र में मत्स्य पालन के संसाधनों के सर्वेक्षण की निगरानी करना; (iv) डेटा बैंक बनाए रखना और मत्स्य पालन के संसाधनों के बारे में उपयोगकर्ताओं तक जानकारी का प्रसार करना तथा राज्य/यूटी और कृषि मंत्रालय⁷², भारत सरकार के बीच एक संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना; (v) समुद्री आवास के पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए मछली पकड़ने वाले गियर, सहायक उपकरणों और यंत्रों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना; (vi) मछली भंडार की पहचान और जैव विविधता का अध्ययन करना; (vii) कारीगर, मशीनीकृत और औद्योगिक क्षेत्रों के लाभ के लिए समुद्री मत्स्य पालन का पूर्वानुमान लगाना; तथा (viii) मत्स्य कर्मियों, मछुआरों, मत्स्य पालन अधिकारियों और छात्रों का व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन विकास करना आदि।

2.8.3 वित्तीय संसाधन

तालिका 2.10: एफएसआई के संबंध में वर्ष-वार बजट/व्यय


(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष का विवरण	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय
वेतन और भत्ते	33.55	32.91	34.92	33.96	40.39	32.78	36.83	35.28	40.22	38.1
प्रशासनिक/ कार्यालय व्यय	2.23	2.35	2.87	2.73	3.24	2.25	2.86	2.76	3.71	3.49
आपूर्ति और सामग्री	10.27	10.24	13.46	12.17	9.5	7.61	15.6	14.66	25	22.78
ड्राई डॉकिंग और मरम्मत	8.69	8.55	33.64	33.3	29.93	29.8	14.06	13.78	28	25.66
पूँजीगत व्यय	0.13	0.05	6.11	2.16	3.32	0.27	2	1.72	1.92	0.63
कुल	54.87	54.1	91	84.32	86.38	72.71	71.35	68.2	98.85	90.66

⁷² 2019 से, एफएसआई मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

वेतन और भत्ते, ड्राई-डॉकिंग मरम्मत और संस्थान द्वारा 2018-2023 के दौरान की गई समुद्री-यात्राओं की संख्या पर हुए व्यय के संबंध में लाइन चार्ट नीचे दिया गया है:

(व्यय ₹ करोड़ में)



चार्ट से यह स्पष्ट है कि वेतन और भत्तों पर व्यय लगभग रैखिक रहा है, जबकि ड्राई-डॉकिंग मरम्मत पर व्यय और की गई समुद्री-यात्राओं की संख्या के बीच सीधा संबंध है। उन वर्षों में जहां ड्राई-डॉकिंग मरम्मतों पर व्यय अधिक है, उनमें की गई समुद्री-यात्राओं की संख्या कम है और ठीक इसके विपरीत भी हुआ है।

2.8.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि क्या मत्स्य पालन के संसाधनों के सर्वेक्षण, मूल्यांकन और निगरानी के लिए एक कुशल और प्रभावी योजना बनाई गई थी; क्या पर्याप्त वित्तीय मानव और अवसंरचनात्मक संसाधन उपलब्ध थे और उनका उपयोग कुशलता और प्रभावपूर्ण ढंग से किया गया था एवं क्या मत्स्य पालन संसाधनों से संबंधित डेटा व्यवस्थित ढंग से संग्रहित किया गया था, उचित ढंग से अनुरक्षित किया गया था और संबंधित हितधारकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया गया था।

2.8.5 लेखापरीक्षा मानदंड, क्षेत्र, नमूनाकरण और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त लेखापरीक्षा मानदंड मत्स्य पालन संसाधन सर्वेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुसंधान कार्यक्रम (एफआरएसएआरपी); एवं महानिदेशक पोत परिवहन द्वारा जारी निर्देशों, दिशा-निर्देशों, अनुदेशों एवं परिपत्रों से लिए गए।

इस एसएससीए में 2018-19 से 2022-23 तक के पांच-वर्ष की अवधि को शामिल किया गया। इसमें महानिदेशक, एफएसआई का कार्यालय के साथ-साथ मुंबई और गोवा में स्थित क्षेत्रीय निदेशकों के कार्यालय द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया 22 दिसंबर 2023 को भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण के महानिदेशक के साथ हुए प्रवेश सम्मेलन से प्रारंभ हुई। इस बैठक के दौरान, लेखापरीक्षा के मुख्य पहलुओं में इसके उद्देश्यों, क्षेत्र, मानदंड और कार्यप्रणाली सहित विस्तार से चर्चा की गई।

लेखापरीक्षा जनवरी से मार्च 2024 और नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक की गई। निर्गम सम्मेलन 3 जून 2025 को महानिदेशक, एफएसआई का कार्यालय, मुंबई में आयोजित किया गया।

2.8.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

जैसा कि अधिदेशित है, एफएसआई मुख्य रूप से देश के पूर्वी और पश्चिमी तट तथा लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आस-पास के पानी सहित भारतीय ईईजेड में समुद्री मछली पकड़ने के संसाधनों के सर्वेक्षण और मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है, ताकि उनके सतत् उपयोग और प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अतिरिक्त, संस्थान मछली स्टॉक की पहचान करने और समुद्री जैव विविधता का अध्ययन करने के लिए खोजपूर्ण सर्वेक्षण भी करता है।

संस्थान वर्तमान में 11 बड़े जहाजों का बेड़ा प्रबंधित करता है, जिन्हें छः क्षेत्रीय बेस⁷³ द्वारा परिचालित किया जाता है। प्रत्येक जहाज में लगभग 23 सदस्यों का दल होता है, जिसमें वैज्ञानिक भी शामिल हैं जो समुद्री मछली पकड़ने के संसाधनों का सर्वेक्षण, मूल्यांकन और निगरानी करने के लिए लक्षित समुद्र में मछली पकड़ने का परिचालन करते हैं।

इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य प्रजातियों की सूची पहचानने के लिए डेटा संग्रहित करना, उनकी प्रचुरता का अनुमान लगाना, वितरण नमूना, पकड़ी गई मछलियों की प्रजातियों के जैविक पहलुओं⁷⁴ का अध्ययन, हवा की गति और दिशा सहित पर्यावरणीय मापदंड, वर्तमान गति और दिशा, सर्वेक्षण क्षेत्र की गहराई, महत्वपूर्ण प्रजातियों के लिए उपयुक्त जाल आकार का अध्ययन आदि शामिल है।

प्रति क्रूज़ के लिए (i) यात्राओं की संख्या, (ii) समुद्र में बिताए गए दिन, (iii) मछली पकड़ने के दिन, और (iv) नमूनाकरण प्रयास⁷⁵ के संदर्भ में परिचालन लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक क्रूज़ के लिए नमूनाकरण प्रयास को ढोने की संख्या/प्रति सेट⁷⁶ में हुकों की संदर्भ में मापा जाता है एवं ढोने का समय भी एफआरएसएआरपी में निर्दिष्ट किया गया है। खोजपूर्ण सर्वेक्षणों के माध्यम से संग्रहित मछली संसाधन डेटा बुलेटिन, रिपोर्ट, संसाधन सूचना श्रृंखला (आरआईएस), मीना समाचार, चार्ट, एटलस, सामयिक पेपर, विशिष्ट निष्कर्षों पर आधारित वैज्ञानिक पेपर के रूप में और समय-समय पर आकाशवाणी (एआईआर), दूरदर्शन और एफएसआई वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। इसलिए, संग्रहित किया गया मछली स्टॉक डेटा मछुआरों, मत्स्य उद्योग और अन्य उपयोगकर्ताओं की

⁷³ मुंबई, मुरगांव, कोचीन, चेन्नई, विशाखापत्तनम और पोर्ट ब्लेयर।

⁷⁴ लंबाई-वजन, लिंग और परिपक्वता अध्ययन, आंत सामग्री विश्लेषण आदि।

⁷⁵ नमूनाकरण प्रयास का तात्पर्य है सर्वेक्षण के दौरान डेटा संग्रहित करने में लगने वाला समय, गियर या गतिविधि, जैसे कि मछली पकड़ने के दिनों की संख्या, मछली पकड़ने की संख्या या इस्तेमाल किए गए हुक। यह मत्स्य अनुसंधान में सुसंगत, विश्वसनीय और तुलनीय वैज्ञानिक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

⁷⁶ एक समय में नेट से जुड़े हुकों की संख्या।

डेटा आवश्यकताओं को पूरा करता है ताकि वे अपनी मछली पकड़ने की कार्यनीति की और सटीक रूप से योजना बना सके एवं मत्स्य पालन के विकास, प्रबंधन तथा संरक्षण के लिए आवश्यक सहयोग प्राप्त कर सकें, जिससे भारत सरकार को स्थिरता लाने के लिए नीति निर्णयों से संबंधित राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य संसाधन प्रबंधन में सहायता मिल सके।

सर्वेक्षण की गतिविधियां वार्षिक मत्स्य संसाधन सर्वेक्षण, मूल्यांकन और अनुसंधान कार्यक्रम (एफआरएसएआरपी) के अनुसार नियोजित की जाती हैं। इस विस्तृत कार्यक्रम में प्रत्येक महीने 20 दिनों की समुद्री-यात्रा के दौरान तय जहाजों पर मत्स्य संसाधन डेटा संग्रहित करने के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षण और अनुसंधान गतिविधियों के विवरण की परिकल्पना करता है। इसमें गहरे समुद्र के तलमज्जी संसाधनों, तटीय समुद्री संसाधनों, समुद्री टूना संसाधनों, प्रायोगिक परियोजनाओं और यात्रा/कूज के दौरान की जाने वाली अन्य गतिविधियों से जुड़ी परियोजनाओं के मुख्य परिचालन विवरण बताए गए हैं।

लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि हालांकि संस्थान एक विस्तृत वार्षिक एफआरएसएआरपी तैयार करता है, फिर भी की गई समुद्री-यात्राओं की संख्या, समुद्र में बिताए गए दिनों की संख्या और मछली पकड़ने के दिनों की संख्या के अनुसार परिचालन लक्ष्यों को पूरा करने में काफी कमियां थीं, जिससे प्रत्येक सर्वेक्षण और डेटा संग्रहण हेतु नियोजित नमूनाकरण प्रयासों में क्रमिक कमी आई। संस्थान द्वारा किए जाने वाले कार्य की विशेष प्रकृति को देखते हुए, मछली पकड़ने के दिनों की संख्या, पकड़ी गई मछलियों की संख्या, हुकों की संख्या, छंटनी अवधि के दौरान कर्मचारियों की आवश्यकता के संदर्भ में इसकी विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए कोई स्पष्ट रूप से परिभाषित मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) नहीं थी। सर्वेक्षण वैज्ञानिक स्टाफ की मौजूदगी के बिना किए गए, जिससे वैज्ञानिक डेटा संग्रहण में कमी आई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अगले पैराग्राफ में विस्तार से चर्चा की गई है।

2.8.7 सर्वेक्षण और वितरण योग्य परियोजना में कमी

संस्थान जो 11 जहाज़ परिचालित करता है, उनमें से सात ट्रॉलर जहाज़ हैं और चार लॉन्गलाइन जहाज़ हैं। इन जहाज़ों को सर्वेक्षण परियोजनाएं सौंपी गईं, जिन्हें व्यापक रूप से गहरे समुद्र के तलमज्जी संसाधनों, तटीय समुद्री संसाधनों, महासागरीय टूना और उससे संबद्ध संसाधनों, प्रायोगिक परियोजनाओं में वर्गीकृत किया गया था। संस्थान "समुद्री आवास के पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संरक्षण के विशेष संदर्भ के साथ मछली पकड़ने के गियर, सहायक उपकरण और उपकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन" के लिए भी परिचालन करता है।

(i) जहाज विभिन्न मछली पकड़ने की तकनीकों जैसे कि तलमज्जी (नीचे) ट्रॉलिंग⁷⁷, मध्य-जल ट्रॉलिंग⁷⁸, पर्स सीनिंग⁷⁹, टूना लॉन्गलाइनिंग⁸⁰ और स्क्विड जिगिंग⁸¹, गहरे समुद्र और महासागरीय मत्स्य संसाधनों की खोज पर ध्यान केंद्रित करते हुए उपयोग करते हैं।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से लेखापरीक्षित अवधि के दौरान वार्षिक एफआरएसएआरपी में प्रलेखित नियोजित लक्ष्यों के सापेक्ष में संस्थान द्वारा सर्वेक्षण जहाज़ों द्वारा की गई कुल समुद्री-यात्राओं में उल्लेखनीय कमी रही। परिणामस्वरूप, 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान इसके 11 जहाज़ों के बेड़े में समुद्री-यात्राओं, समुद्र में बिताए

⁷⁷ **तलमज्जी (नीचे) ट्रॉलिंग:** मछली पकड़ने की एक तकनीक जिसमें नीचे रहने वाले जीवों को पकड़ने के लिए समुद्र तल पर जाल खींचा जाता है।

⁷⁸ **मध्य-जल ट्रॉलिंग:** एक तरीका जिसमें पेलाजिक मछलियों को पकड़ने के लिए समुद्र तल और सतह के बीच अलग-अलग गहराई पर जाल खींचा जाता है।

⁷⁹ **पर्स सीनिंग:** एक तकनीक जिसमें पानी की सतह के पास मछलियों के झुंड को घेरने के लिए जाल की एक बड़ी दीवार का उपयोग किया जाता है; फिर जाल के निचले हिस्से को एक ड्रॉस्ट्रिंग पर्स की तरह बंद कर दिया जाता है।

⁸⁰ **टूना लॉन्गलाइनिंग:** यह एक तरीका है जिसमें मछली पकड़ने की एक लंबी मुख्य लाइन का उपयोग होता है, जिसमें कुछ दूरी पर चारा लगे हुए लगे होते हैं, इसका उपयोग टूना और दूसरी बड़ी समुद्री प्रजातियों को लक्षित करने के लिए किया जाता है।

⁸¹ **स्क्विड जिगिंग:** एक विशेष तरीका जिसमें चारे वाली लाइन (जिग) का उपयोग होता है, जिन्हें पानी में सीधा झटका दिया जाता है ताकि स्क्विड को विशेष रूप से रात में लाइट का उपयोग करके खींचा जा सके और पकड़ा जा सके।

दिनों और मछली पकड़ने के दिनों के अनुसार, प्रति जहाज/क्रूज़ के लिए नियोजित परिचालन लक्ष्यों को पूरा करने में कमी आई (अनुलग्नक-2.11)। सभी 11 जहाजों के लक्ष्यों से कुल कमियों को तालिका 2.11 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.11: 2018-19 से 2022-23 के दौरान 11 जहाजों के सर्वेक्षण/वितरण योग्य परियोजना में कमी

उपाय	योजना की गई	पूरा किया गया	कमी प्रतिशत
समुद्री-यात्राओं की संख्या	586	372	37
समुद्र में बिताए दिन	10,691	5,737	46
मछली पकड़ने के दिन	8,263	3,924	53
नमूनाकरण प्रयास (घंटों में/ हुकों की संख्या)	25,000 (घंटे) 17,64,005 (हुकों की संख्या)	9,851 4,90,954	61 72

लेखापरीक्षा ने पाया कि जहाजों द्वारा की गई 372 समुद्री-यात्राओं (अनुलग्नक-2.12) के मामले में भी, परिचालन लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी थी, जैसा कि विवरण नीचे दिया गया है:

- समुद्र में बिताए दिन: 6,350 दिन नियोजित किए गए थे, वास्तव में 5,737 दिन पूरे किए, 10 प्रतिशत की कमी।
- मछली पकड़ने के दिन: 4,904 दिन नियोजित किए गए थे, वास्तव में 3,924 दिन पूरे किए, 20 प्रतिशत की कमी।
- नमूनाकरण प्रयास: 15,632 घंटे और 7,13,171 हुकों के लक्ष्य के सापेक्ष में 9,851 घंटे और 4,90,954 हुक पूरे किए गए, क्रमशः 37 प्रतिशत और 31 प्रतिशत की कमी।

उपरोक्त के अतिरिक्त, मुंबई और मुरगांव बेस पर 21 ऐसे दृष्टांत देखे गए, जहाँ एक समुद्री-यात्रा में मछली पकड़ने के दिन पाँच दिन से कम थे। एफएसआई के पास स्टॉक मूल्यांकन अध्ययन के लिए पर्याप्त डेटा के संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए प्रति सर्वेक्षण में न्यूनतम मछली पकड़ने के दिनों की संख्या निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड/एसओपी नहीं था।

लेखापरीक्षा ने आगे मुंबई और मुरगांव बेस से परिचालित दो विशेष जहाजों अर्थात् एमएफवी *मत्स्य निरीक्षणी* और एमएफवी *सागरिका*, जिन्हें तलमज्जी और समुद्री संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए तैनात किया गया है एवं एमएफवी *मत्स्य वृष्टि* और एमएफवी *मत्स्य येलो फिन*, जिन्हें इन दोनों बेस से टूना और उससे जुड़े संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए तैनात किया गया था, के निष्पादन का भी विश्लेषण किया। तालिका 2.12 में कमियों की सीमा और उससे प्रभावित परियोजनाओं को दर्शाया गया है।

तालिका 2.12: मुंबई और मुरगांव बेस से परिचालित जहाजों का निष्पादन

प्रतिशतता में कमी				
जहाज	समुद्री-यात्राओं में कमी	समुद्र में बिताए दिनों में कमी	मछली पकड़ने के दिनों में कमी	नमूनाकरण प्रयासों में कमी
तलमज्जी और समुद्री संसाधनों के नमूनाकरण प्रयास				
7 जहाज	33	43	49	61
एमएफवी <i>मत्स्य निरीक्षणी</i>	86	93	95	96
एमएफवी <i>सागरिका</i>	27	31	40	50
टूना और संबद्ध संसाधनों के नमूनाकरण प्रयास				
4 जहाज	44	52	60	72
एमएफवी <i>मत्स्य वृष्टि</i>	49	64	72	80
एमएफवी <i>येलो फिन</i>	39	47	57	81

प्रति सेट में घंटों और हुकों की संख्या के अनुसार, नमूनाकरण प्रयास में 61 प्रतिशत और 72 प्रतिशत की कमी थी, जिसके परिणामस्वरूप, संग्रहित डेटा के नमूनाकरण पर बुरा प्रभाव पड़ा और यह संस्थान द्वारा संग्रहित डेटा की सटीकता और बाद में उपयोगकर्ताओं को प्रसारित डेटा की उपयोगिता को प्रभावित करता है।

अपने उत्तर (जुलाई 2024) में, संस्थान ने जहाजों के उपयोग में कमी के लिए मुख्य रूप से बेड़ों की आयु को उत्तरदायी ठहराया, जो 20 से 46 वर्ष के बीच है। हालांकि, यह तर्क कई कारणों से पूर्णतः सही साबित नहीं होता है। सर्वप्रथम, वार्षिक मत्स्य

संसाधन सर्वेक्षण, मूल्यांकन और अनुसंधान कार्यक्रम को जहाज की उपलब्धता की पूरी जानकारी के साथ विकसित किया जाता है, जिसमें नियोजित ड्राई डॉकिंग और रखरखाव कार्यक्रम शामिल हैं। इस प्रकार, लक्ष्य-निर्धारण प्रक्रिया के दौरान ही उपयोग-अवधि-संबंधी डाउनटाइम को भी ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, लेखापरीक्षा विश्लेषण से जहाज उपयोग-अवधि और निष्पादन में कमी के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं हुआ। उदाहरणार्थ, 46 वर्ष का सबसे पुराना जहाज एमएफवी *मत्स्य निरीक्षणी* ने अपने लक्ष्य का केवल 14 प्रतिशत पूरा किया, जबकि 44 वर्ष की एमएफवी *मत्स्य दर्शिनी* ने 2018-2023 के दौरान 89 प्रतिशत पूरा किया। इसी प्रकार, एमएफवी *मत्स्य वृष्टि*, जो 19 वर्ष पुरानी है, अपेक्षाकृत नई है, ने 51 प्रतिशत पूरा किया, जबकि 35 वर्ष की उपयोग-अवधि वाली पुरानी एमएफवी *मत्स्य येलो फिन* ने इस दौरान 61 प्रतिशत की अधिक उपलब्धि दर्ज की। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि उपयोग-अवधि के अतिरिक्त दूसरे अन्य कारणों का भी जहाज के निष्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा होगा।

(ii) संस्थान ने 2018-19 से 2022-23 के दौरान पांच जहाजों के लिए प्रायोगिक गियर परिचालन की योजना बनाई थी (अनुलग्नक-2.13)। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रायोगिक गियर परिचालन नीचे दिए गए जहाजों के संबंध में योजना के अनुसार नहीं किया गया (अनुलग्नक-2.14)।

- एमएफवी ब्लू मार्लिन⁸² ने योजना के सापेक्ष में 2022-23 के दौरान परिचालन नहीं किया।
- एमएफवी *मत्स्य वृष्टि* ने दो वर्ष (2018-19 और 2019-20) के लिए योजना के सापेक्ष में 2019-20 में परिचालन किया।

उत्तर में (जुलाई 2024), संस्थान ने बताया कि प्रायोगिक गियर परिचालन और निर्धारण की योजना बनाई गई, और हितधारकों, राज्य मत्स्य विभाग के साथ उचित

⁸² 2020-21 और 2021-22 में जहाज ड्राई डॉकिंग से गुजरा और उसे सर्वेक्षणों के लिए तैनात नहीं किया गया।

परामर्श के बाद कार्य योजना तैयार की गई थी एवं वर्ष की शुरुआत में और निर्दिष्ट महीनों में इसकी योजना बनाई गई थी। आगे, यह भी बताया गया है कि यदि जहाजों को सर्वेक्षण के लिए तैनात किया जाता है, तो प्रायोगिक गियर परिचालन शुरू किया जा सकता है। ड्राई डॉकिंग मरम्मत, एलएसए (जीवन रक्षक उपकरण)/एफएफए (अग्निशमन उपकरण) प्रमाण-पत्र और बड़ी मरम्मत की कमी, उपकरण और मशीनरी, इंजन आदि में खराबी जैसे कई कारणों से जहाजों को तैनात नहीं किया जा सका।

संस्थान का उत्तर संस्थान की अवास्तविक योजना की ओर इंगित करता है।

बाद के खंडों में चर्चा किए गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों से इंगित होता है कि जहाजों की उपयोग-अवधि के बजाय लंबे समय तक रखरखाव की अवधि ही लक्ष्यों की कम प्राप्ति का मुख्य कारण थी।

2.8.7.1 पर्यावरणीय डेटा संग्रहण लक्ष्यों में कमी

2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए वार्षिक मत्स्य संसाधन सर्वेक्षण, निर्धारण और अनुसंधान कार्यक्रम के अनुसार, पकड़ने और जैविक डेटा के अतिरिक्त, प्रत्येक लॉन्गलाइन सर्वेक्षण समुद्री-यात्रा के दौरान विशिष्ट पर्यावरणीय मापदंडों का संग्रहण अनिवार्य था। यह आवश्यकता चार जहाजों पर लागू होती है: एमएफवी *येलो फिन*, एमएफवी *ब्लू मार्लिन*, एमएफवी *मत्स्य दृष्टि*, और एमएफवी *मत्स्य दृष्टि*। पर्यावरणीय मापदंडों में लवणता, तापमान और गहराई (एसटीडी) का दैनिक मापन; विशिष्ट समय पर समुद्र की सतह का तापमान (एसएसटी); तथा धारा की दिशा और गति शामिल थी। यह डेटा मत्स्य पूर्वानुमान प्रणाली की सटीकता बढ़ाने और मछली पकड़ने की संभावित स्थानों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण है।

उपरोक्त अवधि के दौरान क्रूज़ रिपोर्ट की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि चार जहाजों⁸³ में से तीन जहाजों द्वारा पर्यावरणीय डेटा संग्रहण में अत्यधिक कमी थी।
(अनुलग्नक-2.15)।

- एमएफवी *येलो फिन* ने 30 समुद्री-यात्राओं में से केवल 1 यात्रा के दौरान डेटा संग्रहित किया,
- एमएफवी *मत्स्य दृष्टि* ने 24 समुद्री-यात्राओं में से 5 यात्राओं के दौरान डेटा संग्रहित किया, और
- एमएफवी *मत्स्य दृष्टि* ने 43 समुद्री-यात्राओं में से 21 यात्राओं के दौरान डेटा संग्रहित किया।

इस कमी का एक प्रमुख कारण महत्वपूर्ण उपकरणों जैसे कि एमएफवी *येलो फिन* और एमएफवी *मत्स्य दृष्टि* पर लगे सीटीडी (प्रवाहकत्व, तापमान, गहराई)/एसटीडी (लवणता, तापमान, गहराई) मीटर और सेची डिस्क का गैर-कार्यात्मक या पुरानी हालत में होना था। वैज्ञानिक स्टाफ़ द्वारा अपनी क्रूज़ रिपोर्ट में इन मुद्दों का बार-बार उल्लेख किए जाने के बावजूद, आवश्यक सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए।

अपने उत्तर (जुलाई और अक्टूबर 2024) में, संस्थान ने बताया कि सीटीडी/एसटीडी मीटर मूलतः जहाजों के साथ खरीदे गए थे, लेकिन टूट-फूट और उनके परिचालन की उपयोग-अवधि समाप्त होने के कारण गैर-कार्यात्मक हो गए थे। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अतिरिक्त पुर्जों की कमी और प्राधिकृत सेवा-केन्द्रों की अनुपस्थिति के कारण समय पर मरम्मत रुक गई। संस्थान ने यह भी बताया कि सभी चार लॉन्गलाइन जहाजों के लिए सीटीडी/एसटीडी मीटर के नवीनतम मॉडल आयात करने की योजना चल रही है और आश्वासन दिया कि खरीद के बाद पर्यावरणीय डेटा संग्रहण पुनः शुरू कर दिया जाएगा।

⁸³ एमपीवी *ब्लू मार्लिन*- 2020-21 और 2021-22 में इस जहाज की ड्राई डॉकिंग हुई थी और इसका सर्वेक्षणों के लिए उपयोग नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि नए जहाजों के अधिग्रहण, पुराने जहाजों को हटाने और जहाज पर लगे उपकरणों को समय पर उन्नत करने के लिए एक व्यवस्थित नीति बनाई जा सकती है। मंत्रालय को जहाजों की मानक उपयोगी-अवधि को तय करना जिससे उनका इष्टतम निष्पादन और संसाधन उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

2.8.7.2 वैज्ञानिक स्टाफ के बिना किए गए सर्वेक्षण और मूल्यांकन

मछली पकड़ने के क्रूज में वैज्ञानिक स्टाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आवश्यक सर्वेक्षण डेटा का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनके उत्तरदायित्व में मछली की प्रजातियों की पहचान करना, गुणात्मक और मात्रात्मक स्टॉक का मूल्यांकन करने के लिए जैविक जांच करना, क्रूज योजना और अनुसंधान कार्यक्रम तैयार करना, गियर सामग्री की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, और सर्वेक्षण जहाज परिचालन पर रिपोर्ट बनाना शामिल है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से प्रकट हुआ कि विशिष्ट परिचालन लक्ष्यों (एफआरएसएआरपी में) के साथ सर्वेक्षणों के रूप में नियोजित 96 समुद्री-यात्राओं में से, 29 समुद्री-यात्राएं⁸⁴ बिना वैज्ञानिक स्टाफ के की गईं, जो मत्स्य संसाधन डेटा संग्रहित करने के लिए जहाज पर वैज्ञानिक प्रतिभागी की प्रतिनियुक्ति का स्पष्ट उल्लंघन है।

अपने उत्तर (जुलाई 2024) में, संस्थान ने बताया कि लेखापरीक्षा में चिन्हित समुद्री-यात्राएँ, जिनमें मुंबई और गोवा बेस से जुड़े जहाज शामिल थे, मुख्य रूप से सागर परिक्रमा कार्यक्रम और परीक्षण रन जैसी गतिविधियों के लिए की गई थीं न कि वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के लिए। यह अनुरोध किया गया था कि लेखापरीक्षा इन समुद्री-यात्राओं को गैर- वैज्ञानिक प्रकृति के रूप में अभिलेखित कर सकती है।

⁸⁴ मुंबई बेस पर वैज्ञानिक स्टाफ ने 2018-19 और 2022-23 के बीच दो जहाजों द्वारा की गई 31 यात्राओं में से 23 में हिस्सा लिया। गोवा बेस पर, इसी समय के दौरान 65 समुद्री-यात्राओं में से 44 में वैज्ञानिक स्टाफ मौजूद थे।

तथापि, एफआरएसएआरपी के अनुसार, इन सभी समुद्री-यात्राओं की योजना विशिष्ट परिचालन लक्ष्यों के साथ सर्वेक्षणों के रूप में की गई थी।

नियमित सर्वेक्षणों/परियोजनाओं के अतिरिक्त, एफएसआई को अलग-अलग प्रजातियों के संसाधनों की पहचान करने के लिए प्रयोगात्मक/अन्वेषणात्मक मत्स्य सर्वेक्षण करने का भी दायित्व सौंपा गया है।

2.8.7.3 स्क्विड जिगिंग परियोजनाओं का गैर-निष्पादन

2010-13 के दौरान एमवी टाइटेनिक और एमवी वर्शिनी ने स्क्विड जिगर का उपयोग करके एक खोजपूर्ण सर्वेक्षण किया, जिसमें पूर्वी और मध्य अरब सागर के साथ 8⁰ एन से 17⁰ एन अक्षांश और 64⁰ ई से 76⁰ ई देशांतर तक के समुद्री पानी को शामिल किया गया। सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्षों के अनुसार, स्क्विड का कुल बायोमास 2.52 मिलियन टन और वार्षिक मछली पकड़ने योग्य बायोमास (एमएसवाई) 0.63 मिलियन टन आंका गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2022-23 के लिए संस्थान के वार्षिक कार्यक्रम में, मछली स्टॉक के सर्वेक्षण मूल्यांकन और निगरानी के लिए, ऑटोमेटेड स्क्विड जिगिंग मशीन का उपयोग करके अरब सागर में स्क्विड की प्रचूरता का अनुमान लगाना भी शामिल था। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान समुद्री स्क्विड के सर्वेक्षण और मूल्यांकन के लिए न तो कोई योजना तैयार की गई और न ही उसे क्रियान्वित किया गया।

संस्थान ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि 2003 में खरीदी गई ऑटोमेटिक स्क्विड जिगिंग मशीनें बहुत पुरानी हो गई हैं और इनकी मरम्मत नहीं की जा सकती क्योंकि मशीनें आयात की गई थीं और मशीनों के साथ जो चालन नियम-पुस्तक आई थी वह कोरियन भाषा में थी। एफएसआई के कोचीन बेस द्वारा कई प्रयासों के बावजूद, ये मशीनें लंबे समय तक अप्रयुक्त रहीं।

संस्थान ने आगे उत्तर दिया (जुलाई 2024) कि हालांकि प्रणाली 100 प्रतिशत प्रभावकारिता के साथ कार्य नहीं कर रही थी, फिर भी संतोषजनक परिणाम प्राप्त हुए और कार्यक्रम में जहाज एमएफवी *मत्स्य वर्षिणी* के आधिकारिक सर्वेक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया एवं सर्वेक्षण के दौरान, एक साथ तीन ऑटोमैटिक स्क्वड जिगिंग मशीनों को परिचालित करने के प्रयास किए गए, जिन्हें उपलब्ध स्थानीय पुर्जे खरीदकर आंशिक रूप से ठीक किया गया। 2022-23 के दौरान 66.5 घंटे मछली पकड़ने के प्रयास सहित प्रयोगात्मक परियोजना का भी प्रयास किया गया। यह भी बताया गया कि अभी एमएफवी *लावनिका* और एमएफवी *मत्स्य वर्षिणी* ड्राई डॉकिंग मरम्मत का इंतज़ार कर रहे थे और एक बार जहाज तैयार हो जाने के बाद, परियोजना को नियमित आधार पर शुरू किया जाएगा। एफएसआई भविष्य में बहु गियर क्षमता वाले जहाज खरीदने की भी योजना बना रहा है जिसमें स्क्वड जिगिंग शामिल होगी।

उत्तर यह पुष्टि करता है कि स्क्वड के अनुमानित बायोमास को देखते हुए, परियोजना का निष्पादन अभी भी शेष है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि संस्थान को महत्वपूर्ण परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए सचेत निर्णय लेना चाहिए और ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक अवसंरचना के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

2.8.7.4 मछुआरों के प्रशिक्षण में कमी

संस्थान जहाज़ों पर मत्स्यकर्मियों, मछुआरों, मत्स्य पालन अधिकारियों और छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर मानव संसाधन विकास के लिए उत्तरदायी है। फिर भी, लेखापरीक्षा ने पाया कि मछली पकड़ने वाले समुदाय और छात्रों को प्रशिक्षण देने का कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। मुरगांव बेस पर, 2018-19 से 2022-23 तक का डेटा दर्शाता है कि अस्थायी आधार पर नियुक्त किए गए आकस्मिक श्रमिकों को अक्सर प्रशिक्षु बताया जाता था। जबकि 60 प्रशिक्षण सत्रों में 98 मछुआरों को प्रशिक्षित करने की सूचना दी गई थी, लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा बार-बार भाग

लेने के कारण, केवल 47 विशिष्ट मछुआरों को ही वास्तव में प्रशिक्षित किया गया था।

अपने उत्तर (जनवरी 2025) में, मुरगांव बेस ने स्वीकार किया कि मछुआरों के प्रशिक्षण के लिए कोई संरचित कार्यक्रम नहीं था और इसके लिए कोई वित्तीय प्रावधान भी नहीं था। रिक्त पदों को भरने के लिए जहाजों पर आकस्मिक कर्मचारियों को लगाया गया था। यह उत्तर भी अपर्याप्त है, क्योंकि यह गतिविधि संस्थान के अधिदेश का हिस्सा है और इसे व्यवस्थित रूप से संचालित किया जाना चाहिए।

मुंबई बेस ने मछुआरों के प्रशिक्षण के संबंध में कोई अभिलेख नहीं दिया।

निष्कर्ष उजागर करते हैं कि संस्थान ने व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन विकास के अपने अनिवार्य कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं किया। संरचित योजनाओं और समयबद्ध कार्यक्रमों के अभाव ने मछुआरों के कुशल प्रशिक्षण में बाधा उत्पन्न की, जिससे समुद्री संसाधनों का सतत रूप से उपयोग करने की उनकी क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस कमी न केवल मछुआरों की आजीविका को प्रभावित किया, बल्कि मत्स्य पालन के विकास, प्रबंधन और संरक्षण के बड़े उद्देश्यों को भी प्रभावित किया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने और संस्थान की कार्यात्मक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए व्यापक अंतर विश्लेषण और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए जा सकते हैं।

2.8.8 बेड़े और जनशक्ति संसाधनों की पर्याप्तता और उपयोग

जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफों से देखा जा सकता है, संस्थान द्वारा किए गए सर्वेक्षण/परियोजनाओं में मुख्य परिचालन लक्ष्यों को मुख्यतः इसलिए पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि समुद्री-यात्राएं योजनानुसार नहीं हो पाईं एवं अपेक्षित प्रमुख

जनशक्ति अर्थात् तकनीकी, वैज्ञानिक और डेक कर्मियों की गैर-उपलब्धता के कारण नहीं की जा सकीं।

अवसंरचना और जनशक्ति संसाधनों की पर्याप्तता और उपयोग पर लेखापरीक्षा जांच के परिणामों पर आगामी खंडों में चर्चा की गई है।

2.8.8.1 बेड़े की अकुशल योजना और तैनाती

प्रभावी संसाधन उपयोग का एक महत्वपूर्ण घटक संस्थान के सर्वेक्षण जहाजों की इष्टतम तैनाती और परिचालन उपयोग था। हालांकि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से जहाज से जुड़े परिचालन के अनुमान और निष्पादन में कई प्रणालीगत कमियां प्रकट हुईं, जिसके परिणामस्वरूप न केवल अनुत्पादक व्यय हुआ, बल्कि मत्स्य संसाधन मूल्यांकन के अपने मुख्य अधिदेश को पूरा करने की संस्थान की क्षमता भी गंभीर रूप से बाधित हुई।

(i) जहाजों का लंबित और अनियोजित रखरखाव

नौवहन महानिदेशालय और समुद्री वाणिज्यिक विभाग (एमएमडी) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, मछली पकड़ने वाले जहाजों को पांच वर्ष की अवधि के अंदर दो बार ड्राई-डॉकिंग से गुजरना आवश्यक है, और लगातार दो ड्राई-डॉकिंग के बीच अधिकतम तीन वर्ष का अंतराल स्वीकार्य है। इसके अनुरूप, संस्थान अपने बेड़े के लिए वार्षिक रखरखाव और ड्राई-डॉकिंग अनुसूची तैयार करता है।

लेखापरीक्षा में रखरखाव और ड्राई डॉकिंग अनुसूची से संबंधित निम्नवत विचलन सामने आए जिनके कारण समुद्री-यात्राओं के परिचालन के लिए जहाजों की लंबे समय तक अनुपलब्धता रही:

- 11 में से आठ जहाजों के लिए ड्राई-डॉकिंग की अवधि नियोजित समय-सीमा से काफी अधिक हो गई, जिससे निर्धारित अवधि से 150 प्रतिशत से 550 प्रतिशत तक अधिक समय लगा (अनुलग्नक-2.16)। एमएफवी लावणिका,

एमएफवी *मत्स्य दर्शिनी* और एमएफवी *मत्स्य वर्षिणी* इसके अपवाद थे। विशेष रूप से एमएफवी *ब्लू मार्लिन* को क्षतिग्रस्त प्रोपेलर के कारण 2020-21 से 2021-22 तक लगभग दो वर्षों के लिए अतिरिक्त ड्राई-डॉकिंग की आवश्यकता पड़ी।

- ड्राई-डॉकिंग के लिए स्लॉट की अनुपलब्धता के कारण परिचालन में और अधिक विलंब हुआ, जिसके कारण एमएफवी *लावणिका*, एमएफवी *सागरिका*, और एमएफवी *ब्लू मार्लिन* को क्रमशः दो महीने 10 दिन, पांच महीने और चार महीने के लिए रोक दिया गया।
- ड्राई-डॉकिंग के अतिरिक्त, एमएफवी *येलोफिन* (271 दिन) और एमएफवी *सागरिका* (157 दिन) के लिए पानी में मरम्मत भी की गई, जिससे उनका डाउनटाइम और बढ़ गया।
- लेखापरीक्षा अवधि (2018-19 से 2022-23) के दौरान एचएसडी तेल की अनुपलब्धता के कारण सभी 11 जहाजों में नियोजित सर्वेक्षणों में भी कुल 341 दिनों की विलंब हुई। उदाहरण के लिए, (2018-19) एमएफवी *वृष्टि* एचएसडी तेल की कमी के कारण 64 दिनों तक गैर-कार्यात्मक रही।

यह निष्कर्ष उजागर करते हैं कि मरम्मत और रखरखाव गतिविधियों में लगातार निर्धारित समय से अधिक समय लगता था, जिसका मुख्य कारण अप्रभावी योजना और तार्किक प्रबंधन था। समय पर रखरखाव और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने में असमर्थता के कारण जहाज काफ़ी समय तक डाउनटाइम चला, जिसके परिणामस्वरूप अंततः सर्वेक्षण और मूल्यांकन के लक्ष्यों की गैर-प्राप्ति हुई।

अपने उत्तर (जुलाई 2024) में संस्थान ने बताया कि सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड द्वारा ड्राई-डॉकिंग स्लॉट का आवंटन उसके नियंत्रण से बाहर था। इसमें आगे बताया गया कि उच्च ड्राई-डॉकिंग प्रभारों से बचने के लिए, ड्राई-डॉकिंग के तुरंत बाद जहाजों को प्रवाहित मरम्मत के लिए भेज दिया गया, क्योंकि ये प्रवाहित बर्थ प्रभारों से तीन से चार गुना अधिक थे। चूंकि प्रवाहित

मरम्मत पूरी मरम्मत प्रक्रिया का एक हिस्सा है, इसलिए उन्हें पूरा किए बिना जहाजों को तैनात नहीं किया जा सका। इसमें यह भी दावा किया गया (अक्टूबर 2024) कि शिपयार्ड में रक्षा और कार्गो जहाजों की तुलना में मत्स्य सर्वेक्षण जहाजों को कम प्राथमिकता दी गई थी। एचएसडी तेल आपूर्ति के मामले में, इसने विलंब के लिए बजटीय पुर्नगठन और वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत प्रक्रियात्मक संशोधनों को उत्तरदायी ठहराया और फिर से मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार द्वारा निधि संवितरण में विलंब को उल्लिखित किया।

तथापि, यह स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं माना गया। एफआरएसएआरपी को पहले से नियोजित सभी ड्राई-डॉकिंग, मरम्मत और रखरखाव गतिविधियों पर विचार करके तैयार किया जाता है। इसलिए, यह संस्थान का उत्तरदायित्व है कि वह अपने वार्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी और बिना विलंब के लागू करने के लिए आवश्यक संसाधनों का सही मूल्यांकन करे, योजना बनाए और उन्हें सुरक्षित करे। संस्थान से आशा की जाती है कि वह पहले से बजट अनुमान तैयार करे, जो पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से समय पर निधि जारी करने का आधार बनता है। नियोजित कार्यक्रम से बार-बार विचलन, और ड्राई डॉकिंग के बाद बार-बार होने वाली प्रवाहित मरम्मत अवास्तविक योजना और अप्रभावी निष्पादन की ओर इंगित करता है।

(ii) ड्राई डॉकिंग मरम्मत सूची की अनुचित तैयारी के परिणामस्वरूप अत्यधिक विलंब हुआ और लागत में वृद्धि हुई

जब भी किसी जहाज की ड्राई डॉकिंग होनी होती है, तो संस्थान उस जहाज के कप्तान और मुख्य अभियंता को ड्राई-डॉकिंग मरम्मत (डीडीआर) सूची तैयार करने का निर्देश देता है, ताकि शिपयार्ड से लागत अनुमान प्राप्त करने में सुविधा हो। इस सूची को स्पष्ट तकनीकी विवरणों के साथ मरम्मत की सीमा का उल्लेख करते हुए उचित रूप से विस्तृत किया जाना चाहिए ताकि यार्ड निरीक्षणों के दौरान पुनःआकलन को रोका जा सके और कार्य आदेश जारी करने से पहले प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब से बचा जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संस्थान के निर्देशों के बावजूद, जमा की गई मरम्मत सूची अधूरी पाई गई। प्रमुख मरम्मत मदों को हटा दिया गया, जिससे संभावित बोलीदाताओं की सटीक और निष्पक्ष अनुमान प्रदान करने की क्षमता प्रभावित हुई। परिणामस्वरूप, इससे संस्थान के लिए प्रतिस्पर्धा मूल्य प्राप्त करने का अवसर सीमित हो गया। हटाई गई मदों को बाद में अतिरिक्त कार्य के रूप में किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मूल कार्य आदेश अनुमानों की तुलना में लागत और समय में काफी वृद्धि हुई, जैसा कि तालिका 2.13 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

तालिका 2.13: अनुमानित बनाम वास्तविक मरम्मत समय और लागत की तुलना

जहाज़	ड्राई डॉकिंग प्रारंभ वर्ष	अनुमानित अवधि (दिन)	वास्तविक अवधि (दिनों में)	अनुमानित लागत (लाख ₹ में)	वास्तविक लागत (लाख ₹ में)	समय की अधिकता का प्रतिशत	लागत की अधिकता प्रतिशत
मत्स्य निरीक्षणी	2020	75	664	172.53	385.28	785.33	123
मत्स्य वृष्टि	2020	40	368	218.19	317.44	820	45.49
एमएफवी येलो फिन	2020	61*	536	237.11	649.49	778.69	173.92
एमएफवी सागरिका	2019	90	473	280.55	660.19	425	135.32

*अनुमानित समय वार्षिक रिपोर्ट से लिया गया था जिसमें 61 दिनों के लिए ड्राईडॉकिंग की योजना बनाई गई थी क्योंकि कार्य आदेश में अनुमानित समय के लिए कोई खंड नहीं था।

अपने उत्तर में जनवरी 2025, मुरगांव बेस ने बताया कि कुछ मरम्मत गतिविधियों, जैसे पतवार प्लेट नवीकरण, का उचित मूल्यांकन तभी किया जा सकता है जब शिपयार्ड में सैंडब्लास्टिंग की जाए और उसके बाद समुद्री वाणिज्यिक विभाग (एमएमडी) के सर्वेक्षक जो कार्य के दायरे का मूल्यांकन करेगा, की देखरेख में यूटी गेजिंग की जाए। बेस ने यह भी बताया कि मरम्मत कार्य के आगे बढ़ने के साथ ही अक्सर अतिरिक्त अप्रत्याशित मरम्मत की आवश्यकताएं सामने आती हैं। इसी प्रकार, फरवरी 2025 में, मुंबई बेस ने बताया कि एमएफवी मत्स्य निरीक्षणी को मार्च 2020 में, कोविड-19 लॉकडाउन लागू होने से ठीक पहले डॉक किया गया था, जिससे काफी विलंब हुआ। इसके अतिरिक्त, मरम्मत अवधि के दौरान एमएमडी

सर्वेक्षक द्वारा किए गए निरीक्षणों से जहाज की सुरक्षा और परिचालन तैयारी के लिए और आवश्यक मरम्मत की पहचान हुई, जिससे ड्राईडॉकिंग प्रक्रिया की लागत और समय दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

इन स्पष्टीकरणों पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए कि संस्थान में एक समर्पित इंजीनियरिंग अनुभाग था, जिसका कार्य ड्राई-डॉकिंग मरम्मत की नियमित योजना बनाना और निगरानी करना था। मरम्मत पर हुए अनुमानित व्यय और वास्तविक व्यय के बीच बार-बार भारी अंतर और ड्राई डॉकिंग के लिए अपेक्षित नियोजित दिनों और वास्तविक दिनों के बीच भारी अंतर के दृष्टांत योजना और तकनीकी परिश्रम दोनों में प्रणालीगत विफलता की ओर इंगित करता है। महामारी जैसी बाहरी रुकावटों के बावजूद यह कमी बनी रही।

(iii) व्यय का अनुचित अनुमान

जीएफआर के नियम 44(ii) के अनुसार, बजट में उस वित्तीय वर्ष में प्रत्येक कार्यक्रम, योजना और परियोजना के लिए सभी व्यय का अनुमान शामिल होगा। इसके विपरीत, संस्थान बार-बार हाई-स्पीड डीज़ल (एचएसडी) तेल, आकस्मिक स्टाफ़ का वेतन और ताजे पानी जैसी जरूरी आवश्यकताओं इनपुट का अनुमान लगाने में विफल रहा, जो जहाज़ परिचालन के लिए अनिवार्य था। परिणामस्वरूप, प्रमुख जहाज़ लंबे समय तक निष्क्रिय पड़े रहे। उदाहरण के लिए, एमएफवी *मत्स्य वृष्टि* नौ महीने⁸⁵ तक गैर-परिचालनात्मक रही। इसी प्रकार, एमएफवी *मत्स्य निरीक्षणी* 2019 में चार महीने⁸⁶ तक खड़ी रही। निष्क्रियता की ये अवधियां मुख्य रूप से ईंधन की अनुपलब्धता, वेतन का गैर-भुगतान और जल-आपूर्ति की कमी के कारण थीं। परिचालन आवश्यकताओं का अनुमान लगाने और उन्हें पूरा करने में ऐसी चूकों के कारण आवश्यक भुगतान में विलंब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप जहाजों के तैनाती में बाधा उत्पन्न हुई।

⁸⁵ दिसंबर 2018, जनवरी 2019, सितंबर 2019, अक्टूबर 2019, मई 2021, जून 2021, जुलाई 2021, जनवरी 2022 और फरवरी 2022।

⁸⁶ जनवरी 2019, फरवरी 2019, मार्च 2019 और मई 2019।

(iv) बर्थिंग और ईंधन शुल्क पर परिहार्य व्यय

मुरगांव बेस पर एमएफवी येलो फिन में भी ऐसी ही कमियां देखी गईं। मार्च 2018 में, इंजन सेवा प्रदाता ने येलो फिन के सहायक इंजनों की पूरी मरम्मत करने की सलाह दी। इसके उत्तर में, मुरगांव बेस ने एफएसआई को जहाज़ को कोच्चि में समुद्री इंजीनियरिंग प्रभाग (एमईडी) जेट्टी पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया, ताकि मितव्ययी मरम्मत में आसानी हो। तथापि, मरम्मत के लिए जहाज को एमईडी जेट्टी पर ले जाने के लिए 15 महीने तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। परिणामस्वरूप, येलो फिन ने मई 2019 में मछली पकड़ने की समुद्री-यात्रा शुरू की, लेकिन मशीनी खराबी के कारण दो दिन बाद ही उसे वापस लौटना पड़ा। जून 2019 में जहाज का दूसरा इंजन भी खराब हो गया, जिससे जहाज निष्क्रिय हो गया था। जहाज जुलाई 2021 तक वहीं रखा रहा। एफएसआई मुख्यालय की ओर से निर्णय लेने में विलंब हुई, जिसके परिणामस्वरूप जून 2019 और फरवरी 2020 के बीच घाट लगाने और ईंधन की खपत पर ₹122.54 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। अंततः मरम्मत का कार्य स्थानीय स्तर पर ही किया गया।

(v) छंटनी अवधि के दौरान आकस्मिक स्टाफ और अन्य प्रभारों पर निष्क्रिय व्यय

संस्थान ने जहाजों के छंटनी अवधि के दौरान रिक्त संस्वीकृत पदों पर आकस्मिक कर्मी दल को रखा। 2018-19 और 2022-23⁸⁷ के बीच, संस्थान ने आकस्मिक कर्मी दल के पारिश्रमिक पर ₹322.03 लाख व्यय किया, जिसमें इन जहाजों के छंटनी अवधि के दौरान एमएफवी *मत्स्य निरीक्षणी* के लिए ₹179.34 लाख, एमएफवी येलो फिन के लिए ₹104.34 लाख और एमएफवी *सागरिका* के लिए ₹38.35 लाख शामिल था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि कई जहाज महीनों तक

⁸⁷ (i) *निरीक्षणी* - छंटनी की अवधि - अप्रैल/2018 से मार्च/2023, अक्टूबर 2018, नवंबर 2018, अप्रैल 2019, अगस्त 2022 और जनवरी 2023 को छोड़कर, (ii) *येलो फिन* - छंटनी की अवधि - मई/2019 से जुलाई/2021 और (iii) *सागरिका* - छंटनी की अवधि - मई/2019 से अगस्त/2020

गैर-परिचालनात्मक रहे, तथापि अस्थायी स्टाफ़ को न्यूनतम आवश्यक स्तर तक कम नहीं किया गया। चूंकि जहाज़ सक्रिय परिचालन में नहीं थे, इसलिए आकस्मिक कर्मियों को कार्य पर रखने से अनुत्पादक व्यय बढ़ा और इससे अनुकूलिय वित्तीय नियंत्रण और कार्यबल प्रबंधन की कमी इंगित हुई।

मुरगांव बेस ने (जनवरी 2025) मरम्मत कार्य के दौरान कर्मी दल की उपस्थिति का हवाला देकर इन नियुक्तियों को सही ठहराया। तथापि, यह भी बताया कि जुलाई 2023 से ड्राई डॉकिंग मरम्मत की प्रतीक्षा कर रहे जहाजों पर आकस्मिक कर्मियों की तैनाती बंद कर दी है।

संस्थान के उत्तर पर इस बात को ध्यान में रखते हुए विचार करने की आवश्यकता है कि संस्थान ने जहाजों के छंटनी अवधि के दौरान जहाज पर आवश्यक न्यूनतम कर्मियों की संख्या निर्धारित करने के लिए कोई एसओपी/मानदंड निर्धारित नहीं किया था और आकस्मिक कर्मियों की संख्या को इस अवधि के दौरान आवश्यक संख्या तक कम किया जाना चाहिए था। बेस द्वारा यह स्वीकार करना कि उन्होंने जुलाई 2023 से इन जहाजों पर आकस्मिक स्टाफ़ की तैनाती बंद कर दी है, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि करता है।

इसके अतिरिक्त, मुंबई बेस ने 2020-21 और 2021-22 के दौरान एमएफवी *मत्स्य निरीक्षणी* के लिए एचएसडी तेल, ताजे जल, पत्तन प्रभार और पायलट शुल्क पर ₹63.32 लाख व्यय किए, जबकि उन वर्षों के दौरान जहाज को किसी भी मछली पकड़ने के सर्वेक्षण यात्रा के लिए उपयोग नहीं किया गया था। इस व्यय को निष्फल माना गया, क्योंकि यह सर्वेक्षण/वैज्ञानिक समुद्री-यात्राओं को समर्थन देने के अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहा।

कुल मिलाकर, ये निष्कर्ष जहाज के परिचालन और रखरखाव में खराब अकुशल वित्तीय प्रबंधन के नमूने को उजागर करते हैं। संस्थान सटीकता के साथ परिचालन आवश्यकताओं का सही अनुमान लगाने, मरम्मत के निर्णयों पर शीघ्र कार्य करने और जहाज की तैयारी के आधार पर स्टाफ़ को युक्तिसंगत बनाने में असफल रहा,

जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों की काफी बर्बादी हुई। वे बेहतर पूर्वानुमान, एकीकृत वित्तीय योजना और वास्तविक समय परिचालन निरीक्षण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवसंरचना निवेश और आवर्ती व्यय संस्थान के मुख्य उद्देश्यों में प्रभावी रूप से योगदान दें।

मामला अध्ययन: एमएफवी मत्स्य निरीक्षणी

एमएफवी मत्स्य निरीक्षणी के संदर्भ में, नियोजित समुद्री-यात्राओं की तुलना में निष्पादित समुद्री-यात्राओं में कमियां, लंबे समय तक मरम्मत के कारण जहाज का गैर-परिचालनात्मक रहना, मरम्मत सूची का अपूर्ण मूल्यांकन और तैयार करने के परिणामस्वरूप लागत और समय में वृद्धि हुई और छंटनी अवधि के दौरान आकस्मिक स्टाफ पर निष्क्रिय व्यय से संबंधित क्षेत्रों को नीचे स्पष्ट किया गया है:

- नवंबर 2017 और मार्च 2020 से अप्रैल 2022 के दौरान इस जहाज की ड्राई डॉकिंग और मरम्मत पर ₹ 9.29 करोड़ व्यय होने के बावजूद, जहाज ने 2018-2023 की अवधि के दौरान नियोजित 51 में से केवल पांच मछली सर्वेक्षण समुद्री-यात्राएं पूरी की एवं अपने समुद्री-यात्रा लक्ष्य का केवल 10 प्रतिशत ही पूरा कर सका।
- वार्षिक रिपोर्ट 2018-23 में, समुद्री-यात्राओं को वास्तविक पांच समुद्री-यात्राओं के सापेक्ष में सात दर्शाया गया था।
- मार्च 2020 के ड्राई डॉकिंग मरम्मत का मूल कार्य आदेश ₹1.73 करोड़ की अनुमानित लागत पर 75 दिनों में पूरा करने के लिए जारी किया गया था। तैयार की गई मरम्मत सूची अधूरी थी और मुख्य मरम्मत मदों को हटा दिया गया था। बाद में हटाई गई मदों को अतिरिक्त कार्य के रूप में किया गया, जिससे लागत और समय में काफ़ी वृद्धि हुई, यह कार्य 664 दिनों में ₹3.85 करोड़ की लागत से पूरा किया गया।
- मार्च 2020 में मेसर्स सीएसएल द्वारा की गई मूल ड्राई डॉकिंग मरम्मत सूची में स्थिरता पुस्तिका पर कार्य शामिल नहीं था, जिसे 31 दिनों के विलंब से पूरा किया गया और अतिरिक्त कार्य के रूप में इस पर ₹8.24 लाख की लागत वृद्धि हुई।
- एचएसडी तेल के लिए निधियों की गैर-उपलब्धता के कारण जहाज जनवरी 2019 से मार्च 2019 और मई 2019 तक चार महीने तक निष्क्रिय पड़ा रहा।
- संस्थान ने 2018-19 और 2022-23 के बीच जहाज की छंटनी अवधि के दौरान आकस्मिक स्टाफ पर ₹1.79 करोड़ का व्यय किया।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करती है कि संस्थान को उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग की दिशा में कार्य करना चाहिए और तदनुसार योजना बनानी चाहिए।

2.8.8.2 जनशक्ति संसाधनों की पर्याप्तता

संस्थान के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। योग्य स्टाफ की उपलब्धता और मानव संसाधनों का कुशल प्रबंधन, परियोजनाओं का समय पर निष्पादन और उच्च-गुणवत्ता वाले परिणाम प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके विपरीत, स्टाफ की कमी से परिचालन दक्षता में रुकावट आती है और परिणामों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती।

31 मार्च 2023 तक संस्थान के विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ की स्थिति तालिका 2.14 में दी गई है।

तालिका 2.14: स्टाफ की संख्या बनाम संस्वीकृत पद (31 मार्च 2023 तक)

अनुभाग/विंग का नाम	संस्वीकृत कार्मिकों की संख्या	तैनात कर्मचारियों की संख्या	रिक्ति	रिक्ति प्रतिशत
वैज्ञानिक (नॉन-फ्लोटिंग)	55	34	21	38
तकनीकी (नॉन-फ्लोटिंग)	212	106	106	50
फ्लोटिंग	273	61	212	78
प्रशासनिक (नॉन-फ्लोटिंग)	173	91	82	47
कुल	713	292	421	59

तालिका इंगित करती है कि मार्च 2023 तक कुल संस्वीकृत पदों में से 59 प्रतिशत रिक्त थे। फ्लोटिंग स्टाफ श्रेणी (78 प्रतिशत) में रिक्तियां विशेष रूप से अधिक थीं, इसके बाद तकनीकी (50 प्रतिशत), प्रशासनिक (47 प्रतिशत), और वैज्ञानिक भूमिकाओं (38 प्रतिशत) में रिक्तियां थीं। इन आवश्यक श्रेणियों में रिक्तियों की उच्च संख्या ने परियोजनाओं के समय पर निष्पादन और परिणामों में गुणवत्ता के आश्वासन पर नकारात्मक प्रभाव डाला।

(i) एफएसआई के मुंबई और मुरगांव बेस पर फ्लोटिंग स्टाफ की कमी

मुंबई बेस दो जहाजों - एमएफवी मत्स्य निरीक्षणी और एमएफवी मत्स्य वृष्टि का परिचालन करता है, जबकि मुरगांव बेस एमएफवी येलो फिन और एमएफवी सागरिका का परिचालन करता है। प्रत्येक बेस पर इन जहाजों के परिचालन और रखरखाव के लिए ज़रूरी फ्लोटिंग स्टाफ की मंजूर संख्या है। 31 मार्च 2023 तक दोनों बेसों पर फ्लोटिंग स्टाफ की स्थिति तालिका 2.15 में दी गई है।

तालिका 2.15: मुंबई और मुरगांव बेस पर रिक्त पद

बेस का नाम	संस्वीकृत कार्मिकों की संख्या	मौजूदा कार्मिकों की संख्या	रिक्ति	रिक्ति प्रतिशत
मुंबई	65	5	60	92.31
मुरगांव	36	8	28	77.77

तालिका स्पष्ट रूप से दोनों स्थानों पर फ्लोटिंग स्टाफ की भारी कमी को इंगित करती है। मुंबई बेस पर लगभग 92 प्रतिशत और मुरगांव बेस पर 78 प्रतिशत फ्लोटिंग स्टाफ की कमी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस महत्वपूर्ण अंतर को पूरा करने के लिए दोनों बेस पर अस्थायी कर्मचारियों को तैनात किया गया था। अस्थायी कार्मिकों में जहाज के रखरखाव के लिए उत्तरदायी मुख्य अभियंता और जहाज को चलाने के लिए उत्तरदायी कप्तान भी शामिल थे। इन अस्थायी कार्मिकों को ड्राई-डॉकिंग गतिविधियों के लिए मरम्मत सूची तैयार करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी लगाया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि फ्लोटिंग स्टाफ की कमी से मरम्मत की ड्राई-डॉकिंग सूची तैयार करने के मामले में संस्थान के मुख्य कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। (पैरा सं. 2.8.8.1(ii))।

मत्स्य सर्वेक्षण यात्राओं के लिए नियमित फ्लोटिंग स्टाफ की पर्याप्त संख्या बनाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन भूमिकाओं के लिए विशिष्ट तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। इन रिक्तियों को नियमित आधार पर न भरे

जाने से अनुमोदित सर्वेक्षण मिशनों को निष्पादित करने की समयबद्धता, दक्षता और तकनीकी गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

संस्थान से उत्तर प्रतीक्षित था।

(ii) **एफएसआई मुख्यालय, मुंबई बेस और मुरगांव बेस में नॉन-फ्लोटिंग स्टाफ की कमी**

व्यय विभाग (डीओई) द्वारा दिनांक 12 अप्रैल 2017 को जारी कार्यालय ज्ञापन के निर्देशों और 21 जनवरी 2020 और 03 जून 2021 के अनुस्मारकों के अनुसार, सभी मंत्रालयों और विभागों को उनके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों सहित मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए शीघ्र और समयबद्ध कार्रवाई करने का अनुदेश दिया गया था।

हालांकि, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से स्पष्ट है कि एफएसआई मुख्यालय, मुंबई बेस और मुरगांव बेस में नॉन-फ्लोटिंग स्टाफ की उल्लेखनीय कमी है। कमी की मात्रा तालिका 2.16 में दर्शायी गई है।

तालिका 2.16: नॉन-फ्लोटिंग स्टाफ की स्टाफिंग स्थिति

इकाई का नाम	संस्वीकृत कार्मिकों की संख्या	मौजूदा कार्मिकों की संख्या	रिक्ति	रिक्ति प्रतिशत
एफएसआई, मुख्यालय	60	38	22	36.66
मुंबई बेस	49	28	21	42.85
मुरगांव बेस	50	26	24	48.00
कुल	159	92	67	42.14

तीनों इकाइयों में औसतन 42 प्रतिशत की इस पर्याप्त रिक्ति दर का प्रमुख परिचालन क्षेत्रों (पैरा संख्या 2.8.7.2) के प्रभावी कार्य पद्धति और संस्थान के दिन-प्रतिदिन के कार्य पद्धति पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है।

अपने उत्तर (अप्रैल 2024) में, संस्थान ने स्टाफ की कमी के लिए कई कारणों को उत्तरदायी ठहराया, जिनमें 2001 और 2009 के बीच सीधी भर्ती पर रोक, संशोधित भर्ती नियमों की प्राप्ति में विलंब, और अक्टूबर 2013 से जून 2021 तक नियमित महानिदेशक का न होना शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप, विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकें नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त, चयनित उम्मीदवारों द्वारा नौकरी के प्रस्ताव को अस्वीकार करने से भी इस कमी में और अधिक वृद्धि हुई। संस्थान ने यह भी बताया कि रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव को मंत्रालय, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और रोजगार कार्यालय को अग्रेषित कर दिया गया था।

मुख्य कार्यों विशेष रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए, संस्थान से आग्रह है कि वह स्टाफ की इन निरंतर चुनौतियों से निपटने के लिए भर्ती उपायों को सक्रियता से आगे बढ़ाए। अपने अनुवर्ती उत्तर (अक्टूबर 2024) में, संस्थान ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि प्रभावी और सतत् परिचालन के लिए तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों क्षेत्रों की रिक्तियों को भरने के लिए शीघ्र कार्रवाई करे।

2.8.9 डेटा का अप्रभावी प्रसार

संस्थान को एक व्यापक डेटा बैंक बनाए रखने और उपयोगकर्ताओं तक मत्स्य पालन संसाधनों से संबंधित जानकारी प्रसारित करने का कार्य सौंपा गया है। यह समुद्री मछली उत्पादन और उससे जुड़े पहलुओं के संबंध में राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के बीच संपर्क सूत्र के रूप में भी कार्य भी करता है। मत्स्य संसाधन क्षमता का मूल्यांकन करने तथा मत्स्य प्रबंधन पर सूचनापूर्ण परामर्श प्रदान करने के लिए संग्रहित डेटा का समय-समय पर पुनः सत्यापन किया जाता है।

ऐसी सूचना का प्रभावी प्रसार, मछुआरों, मछुआरा समुदाय और अन्य हितधारकों को संसाधनों की उपलब्धता और सही तकनीक का उपयोग करके उपयुक्त संग्रहण विधियों के बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस पहल का एक मुख्य उद्देश्य मछली पकड़ने वाले समुदाय, उद्योग और अन्य उपयोगकर्ताओं के लाभ के लिए समुद्री संसाधनों के सतत् उपयोग को बढ़ावा देना है।

संग्रहित डेटा को आम तौर पर विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से साझा किया जाता है, जिसमें *संसाधन सूचना श्रृंखला (आरआईएस)*, *मीना समाचार*, चार्ट, एटलस, विशेष प्रकाशन, सामयिक पेपर और बुलेटिन शामिल हैं। इसे डेटा उपयोगकर्ताओं के व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) और दूरदर्शन के माध्यम से भी प्रसारित किया जाता है।

आरआईएस और *मीना समाचार* का त्रैमासिक प्रकाशन जारी किया जाना निर्धारित था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि *मीना समाचार* 2021-22 और 2022-23 के दौरान बिल्कुल भी प्रकाशित नहीं हुआ, एवं आरआईएस 2018-19 और 2022-23 के बीच अनियमित रूप से प्रकाशित हुआ, जैसा कि तालिका 2.17 में तालिकाबद्ध किया गया है।

तालिका 2.17: प्रतिवेदनों का त्रैमासिक प्रकाशन

क्र.सं.	बेस स्टेशन	प्रकाशित आरआईएस की संख्या					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	मुंबई	0	0	0	0	0	0
2.	मुरगांव	3	1	2	3	4	1
3.	चेन्नई	4	4	4	1	4	4
4.	विशाखापत्तनम	3	4	2	4	4	4
5.	पोर्ट ब्लेयर	0	0	0	0	2	1
6.	कोचीन	1	3	1	3	3	4
7.	पोरबंदर	0	0	0	0	0	0

इसके अतिरिक्त, मुंबई बेस ने इस दौरान कोई भी आरआईएस प्रकाशित नहीं किया। परिणामस्वरूप, मछुआरों, मछली पकड़ने वाले नाव परिचालक एवं मछली पकड़ने और उससे संबंधित गतिविधियों में लगे अन्य उपयोगकर्ताओं तक आवश्यक जानकारी नहीं पहुँच पाई, जिससे मछलियों के स्टॉक का सही उपयोग करना बाधित हुआ।

उत्तर में (जुलाई 2024), संस्थान ने दावा किया कि उसने जहाज के गैर-परिचालनात्मक और कोविड-19 महामारी के कारण हुई रुकावटों जैसे असाधारण मामलों को छोड़कर, नियमित रूप से प्रतिवेदन प्रकाशित किए थे। इसने मुख्यालय में *मीना समाचार* के प्रकाशन में विलंब के लिए सरकारी प्रेस पर निर्भरता को भी उत्तरदायी ठहराया। संस्थान ने बताया कि वह समय पर प्रकाशन को सुविधाजनक बनाने के लिए ज़ेम-नामांकित-मुद्रण प्रेस का उपयोग करने का विकल्प खोज रहा था। यह भी उल्लेखित किया कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के *माध्यम* से भी इसका प्रसार किया गया।

हालाँकि, संस्थान का उत्तर पूर्णतः स्वीकार्य नहीं है। स्पष्टीकरण के बावजूद, मूल मुद्दा बना हुआ है अर्थात् डेटा नियमित रूप से प्रसारित नहीं किया गया, जिससे मत्स्य पालन के विकास, प्रबंधन और संरक्षण के प्रयासों पर प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त, प्रसार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने के दावे को उपयोग किए गए विशिष्ट लेख के बारे में विवरण के अभाव के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि स्पष्टता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एकसमान रिपोर्टिंग प्रारूप अपनाकर, सटीक डेटा का उपयोग करके वेबसाइट पर प्रकाशन सहित प्रतिवेदनों को समय पर प्रकाशित करने के लिए एक प्रणाली प्रारंभ की जा सकती है।

2.8.10 वित्तीय प्रबंधन में कमियां

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के प्रावधानों, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी निर्देशों तथा परियोजना संस्वीकृति से जुड़ी विशिष्ट शर्तों के अनुपालन में गंभीर चूकें थीं। अनुपालन में इन चूकों का संस्थान के वित्तीय प्रशासन पर सीधा और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आवंटित निधियों का अनियमित उपयोग, ऐसे व्यय जो अपेक्षित परिणाम देने में विफल रहे तथा अपरिहार्य बकाया भुगतानों का बढ़ना, सामूहिक रूप से प्रणालीगत अक्षमताओं की ओर इशारा करते हैं। इसके अतिरिक्त, निधियों के संवितरण में विलंब ने इन मुद्दों को और बढ़ा दिया। इन वित्तीय कुप्रबंधन तरीकों के परिचालन संबंधी परिणाम हुए, जिनमें लंबे समय तक जहाजों का निष्क्रिय रहना या बंद रहना शामिल था, जिससे संस्थान को अपने मूल उत्तरदायित्वों को प्रभावी ढंग से पूरा करने की क्षमता में रुकावट आई, जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है:

2.8.10.1 अनियमित व्यय और संस्वीकृत उल्लंघन

(i) बिना संस्वीकृति के आकस्मिक श्रमिकों की अनियमित नियुक्ति और मुआवजा

(क) डीओपीटी ने दिनांक 7 जून 1988 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि आकस्मिक श्रमिकों और दैनिक वेतन भोगियों को नियमित प्रकृति के कार्य में नहीं लगाया जाना चाहिए। ऐसी नियुक्तियों को ऐसे कार्यों तक सीमित किया जाना था जो आकस्मिक, मौसमी, अस्थायी या ऐसे ही प्रकृति के हों कि वे नियमित पद के सृजन का औचित्य न रखते हों। इन दिशानिर्देशों से किसी भी प्रकार के विचलन के लिए वित्त मंत्रालय और डीओपीटी दोनों से पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य है। इन अनुदेशों को दिनांक 13 फरवरी 2020 और 04 सितंबर 2019 के कार्यालय ज्ञापन में दोहराया गया था, जिसमें आकस्मिक स्टाफ को रखने के प्रावधानों के अनुपालन पर जोर दिया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन में, संस्थान ने जहाजों पर कप्तान, सहायक, मुख्य अभियंता ग्रेड I/II बोसन, ऑयल मैन और डेकहैंड जैसे पदों पर कार्य करने के लिए खुले बाजार से लगातार अस्थायी श्रमिकों को नियुक्त किया-ये पद नियमित प्रकृति के थे एवं संस्वीकृत पदों के माध्यम से भरा जाना चाहिए था। अपेक्षित अनुमोदन के बिना आकस्मिक स्टाफ की नियुक्ति अनियमित मानी गयी।

2018-19 से 2022-23 तक, संस्थान ने इन आकस्मिक श्रमिकों के वेतन पर पर्याप्त व्यय किया - मुंबई बेस पर ₹4.42 करोड़ और मुरगांव बेस पर ₹4.63 करोड़, कुल मिलाकर ₹9.05 करोड़। इस व्यय का एक हिस्सा ₹4.28 करोड़ विशेष रूप से अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोद प्राप्त किए बिना किया गया था, जैसा कि जीएफआर के नियम 139(iii) के अंतर्गत अपेक्षित है। लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु इन भुगतानों के लिए *कार्यांतर* अनुमोदन का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे ₹4.28 करोड़ की सम्पूर्ण राशि अनियमित हो गई।

मुरगांव बेस ने बताया (जनवरी 2025) कि वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए आकस्मिक स्टाफ से संबंधित व्यय का विवरण मंत्रालय को आगे प्रेषित करने के लिए संस्थान मुख्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया था। इसने 11 नवंबर 2020 को संस्थान मुख्यालय में मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए), नई दिल्ली के साथ आयोजित एक बैठक का भी उल्लेख किया, जिसमें जनशक्ति आउटसोर्सिंग के लिए उचित वित्तीय और प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने की सलाह दी गई थी। बेस (मुरगांव) ने बताया कि उस बैठक (नवंबर 2020 से) के बाद से अनुमोदन प्राप्त किए जा रहे थे, हालाँकि, मुंबई बेस द्वारा इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया। तथ्य वही रहा कि अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2020 तक की अवधि के लिए मंत्रालय से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

(ख) दिनांक 04 सितंबर 2019 के डीओपीटी के कार्यालय जापन के अनुसार, नियमित कर्मचारियों के बराबर ड्यूटी करने वाले आकस्मिक श्रमिकों को पूरे दिन के कार्य के लिए संबंधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन के 1/30वें भाग के साथ-साथ महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा सकता है, लेकिन भोजन भत्ते के भुगतान की अनुमति नहीं है।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों से प्रकट हुआ कि डीओपीटी दिशानिर्देशों के अंतर्गत ऐसे भुगतानों के लिए कोई प्रावधान न होने के बावजूद, जहाजों पर आकस्मिक श्रमिकों को भोजन भत्ता के रूप में ₹92.86 लाख की राशि का अनियमित रूप से भुगतान किया गया। इसमें से मुरगांव बेस द्वारा 2018-19 और 2022-23 के बीच ₹77.08 लाख का भुगतान किया गया एवं मुंबई बेस द्वारा अप्रैल 2018 और फरवरी 2020 के बीच ₹15.78 लाख का भुगतान किया गया। विशेष रूप से, मुंबई बेस पर मार्च 2020 से मार्च 2023 तक की अवधि के अभिलेख लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए। इसलिए, भोजन भत्ता पर ₹92.86 लाख का कुल व्यय अनियमित था।

आकस्मिक श्रमिकों को नियमित ड्यूटी के लिए रखना, बिना उचित संस्वीकृति के वेतन का भुगतान एवं भोजन भत्ते की अनियमित स्वीकृति, प्रशासनिक निगरानी और वित्तीय शासन में गंभीर चूकों को दर्शाता है। इन मामलों से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर संस्थान से उत्तर प्रतीक्षित था।

(ii) मत्स्य निरीक्षणी की ड्राई डॉकिंग पर बिना उचित संस्वीकृति के ₹1.05 करोड़ का व्यय

मत्स्य निरीक्षणी जहाज के लिए ड्राईडॉकिंग अनुबंध फरवरी 2020 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) को दिया गया था। कार्य आदेश में स्पष्ट रूप से निर्धारित था कि सर्वेक्षक के निरीक्षण या मूल मरम्मत सूची के निष्पादन के दौरान पहचाने गए किसी भी अतिरिक्त कार्य के लिए एफएसआई, मुंबई से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मुंबई बेस ने ड्राई डॉकिंग मरम्मत के लिए ₹3.85 करोड़ का अंतिम भुगतान किया था। इस राशि में अतिरिक्त कार्य के लिए ₹1.05 करोड़ शामिल थे, जैसा कि सीएसएल के उद्धरण सं. 100705 एसी रेव दिनांक 27 जुलाई 2020 में उल्लिखित है। तथापि, इस अतिरिक्त कार्य के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमोदन का कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। सीएसएल ने भी इस मुद्दे को एफएसआई के समक्ष उठाया, फिर भी भुगतान किया गया।

अतः, सीएसएल को ₹1.05 करोड़ का भुगतान अनियमित था और सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना किया गया था।

संस्थान से उत्तर प्रतीक्षित था।

2.8.11 प्रापण और निष्पादन में प्रक्रियागत चूकें

2.8.11.1 सरकारी ई-मार्केटप्लेस (ज़ेम) प्रापण आवश्यकताओं का गैर-अनुपालन

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (ज़ेम) को जीएफआर 2017 के नियम 149 के अंतर्गत राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें सभी मंत्रालय और विभागों के लिए पारदर्शिता, दक्षता और लागत-प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सामान्य उपयोग की वस्तुएं एवं सेवाओं का प्रापण अनिवार्य था।

(i) इस स्पष्ट निर्देश के बावजूद, लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि संस्थान के मुंबई और मुरगांव दोनों बेस ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान, ज़ेम प्लेटफॉर्म का उपयोग किए बिना, अपने जहाजों के लिए ₹29.86 करोड़ की ड्राई डॉकिंग सेवाएं प्राप्त कीं। इस प्रत्यक्ष प्रापण में अनिवार्य प्रक्रिया को नज़रअंदाज़ किया गया, जो नियम 149 का स्पष्ट उल्लंघन है।

(ii) जीएफआर 2017 के नियम 201(ii) में यह प्रावधान है कि जब गैर-परामर्श सेवाओं का अनुमानित मूल्य ₹10 लाख से अधिक हो, तो प्रापण का विज्ञापन ज़ेम

और केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) दोनों पर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, नियम 204 केवल असाधारण परिस्थितियों में सीधे नियुक्ति की अनुमति देता है, जब इसे लिखित रूप में पूर्णतः उचित ठहराया गया हो तथा वित्तीय सलाहकार के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि दोनों बेस पर जीएफआर में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना जहाज पर काम करने वाले कर्मियों, सुरक्षा कर्मचारियों और हाउसकीपिंग कर्मियों सहित आकस्मिक स्टाफ सेवाओं के लिए नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, संविदात्मक शर्तों जैसे पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया, अवधि, पारिश्रमिक, छुट्टी का अधिकार या समाप्ति खंड आदि का विवरण देने वाला कोई औपचारिक नियुक्ति आदेश अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। अपने उत्तर (जनवरी 2025) में, मुरगांव बेस ने बताया कि संबंधित अवधि के दौरान खुले बाजार, आउटसोर्सिंग एजेंसियों, या ज़ेम प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपयुक्त स्टाफ उपलब्ध नहीं था। इसमें यह भी उल्लेखित था कि चूंकि दोनों जहाज निष्क्रिय थे और ड्राई डॉकिंग मरम्मत की प्रतीक्षा में थे, इसलिए जुलाई 2023 से जहाज पर आकस्मिक स्टाफ की तैनाती बंद कर दी गई थी। मुंबई बेस ने उत्तर नहीं दिया।

तथापि, यह स्पष्टीकरण इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं है कि मुंबई बेस ने ज़ेम (अगस्त 2023) के माध्यम से बोलियां आमंत्रित की थीं और उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी।

ये निष्कर्ष स्थापित प्रापण प्रोटोकॉल के लिए प्रणालीगत उपेक्षा को उजागर करते हैं, जो सेवा-अधिग्रहण में पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही को कमजोर करती है। ज़ेम का उपयोग करने में विफलता और अपेक्षित परिस्थितियों का उचित दस्तावेजीकरण न करना न केवल सांविधिक नियमों का उल्लंघन करता है, बल्कि संस्थान में प्रापण प्रक्रिया की अखंडता और संसाधन उपयोग की दक्षता के बारे में भी चिंताएं पैदा करता है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि प्रासंगिक डीओपीटी निर्देशों और जीएफआर के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण तंत्र स्थापित किया जा सकता है।

2.8.11.2 पोरबंदर बेस स्टेशन का कार्य न करना

संस्थान पश्चिमी तट पर चार बेस परिचालित करता है - कोच्चि, गोवा, मुंबई और पोरबंदर।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि पोरबंदर बेस को कोई जहाज नहीं दिया गया था, और इसके परिणामस्वरूप, इस स्टेशन से कोई सर्वेक्षण या परिचालन गतिविधियां संचालित नहीं की गई थीं। संस्थान की सर्वेक्षण योजनाओं के अनुसार, गुजरात समुद्र तट को मुंबई बेस द्वारा कवर किया जा रहा था। इसके गैर-परिचालनात्मक स्थिति के बावजूद, 2018-19 से 2022-23 के दौरान ₹60.57 लाख का व्यय हुआ, जो मुख्य रूप से पट्टा किराया और कर्मचारी संबंधी व्यय पर हुआ।

24 जुलाई 2020 को हुई परिचालन और वैज्ञानिक गतिविधियों की वार्षिक समीक्षा में एक समिति ने अनुशंसा की थी कि पोरबंदर बेस को या तो परिचालनात्मक बनाने के लिए सुदृढ़ किया जाना चाहिए या उसे बंद कर दिया जाना चाहिए। वर्तमान परिदृश्य, जहां संस्थान केवल न्यूनतम मूल्य की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए अत्यधिक व्यय कर रहा है, उसे लोक हित में नहीं माना जाता है। हालांकि, इस मामले पर अंतिम निर्णय अभी भी लंबित है।

जुलाई 2024 और अक्टूबर 2024 के अपने उत्तर में, संस्थान ने बताया कि पोरबंदर बेस ने कई प्रशासनिक रुकावटों के कारण कार्य करना बंद कर दिया था, जिसमें अपर्याप्त स्टाफ और अपर्याप्त स्थानीय रसद सहायता शामिल थी। इसने पुष्टि की कि वर्तमान में बेस पर कोई गतिविधि नहीं हो रही है, और कार्यालय के दस्तावेजों और सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा की देखरेख के लिए सिर्फ एक बहु-कार्य कर्मचारी

(एमटीएस) को रखा गया है। संस्थान ने मंत्रालय को बेस की स्थिति के बारे में सूचित किया और बाद के अपने उत्तर में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि आवश्यक अनुपालन कार्रवाई की जाएगी।

2.8.11.3 गलत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने दिनांक 21 जून 2022 के अपने पत्र के माध्यम से 'भारत में समुद्री स्तनधारी स्टॉक मूल्यांकन (एमएमएसएआई)' शीर्षक परियोजना को लागू करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया। इस परियोजना को संस्थान द्वारा प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के केन्द्रीय क्षेत्र योजना घटक के अंतर्गत आईसीएआर-केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीएआर-सीआईएफटी) और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण-मछली गुणवत्ता प्रबंधन और सतत् मत्स्य पालन नेटवर्क (एमपीईडीए-एनईटीएफआईएसएच) के साथ मिलकर निष्पादित किया जाना था।

तत्पश्चात्, दिनांक 25 जुलाई 2022 के पत्र के माध्यम से, मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹2.07 करोड़ की राशि को संस्वीकृति प्रदान की। संस्थान को संस्वीकृत निधियों का उपयोग करने हेतु संस्वीकृति में दिए गए नियम और शर्तों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। लेखापरीक्षा ने उपयोगिता प्रमाणपत्र की गलत सूचना देने का एक मामला पाया, जिसके बारे में नीचे चर्चा की गई है:

(i) एमएमएसएआई योजना के अंतर्गत उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) में गलत सूचना देना

एफएसआई द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए यूसी की जांच से एमएमएसएआई योजना के अंतर्गत निधि उपयोग की सूचना देने में विसंगतियां इंगित हुईं। अभिलेखों के अनुसार, सहयोगी संस्थानों ने प्राप्त ₹114 लाख में से केवल ₹71.09 लाख का ही उपयोग किया था। शेष ₹42.91 लाख या तो नकद के रूप में या बैंक खातों में रखे गए थे।

संस्वीकृति आदेश के नियम और शर्तों के अनुसार, किसी भी अप्रयुक्त शेष राशि को उसे सरकारी खाते में वापस करना अपेक्षित था। तथापि, सहयोगी संस्थान इसका अनुपालन करने में विफल रहे और अप्रयुक्त निधि को अपने पास रखा। इसके बावजूद, एफएसआई ने पूरे ₹114 लाख को पूर्णतः उपयोग किया गया बताया, जो एक अनियमितता थी।

अपने उत्तर (फरवरी 2025) में, एफएसआई ने बताया कि सहयोगी एजेंसियां समर्पित परियोजना खाता रखती हैं, जिनमें इस प्रकार की शेष राशि रखी जाती है।

यह स्पष्टीकरण तर्कसंगत नहीं है। सहयोगी एजेंसियों द्वारा संस्वीकृत अवधि के भीतर इसका उपयोग न करने के बावजूद ₹42.91 लाख अपने पास रखना, और सरकारी लेखे में राशि वापस न करना, संस्वीकृत के वित्तीय शर्तों का उल्लंघन है। इस प्रकार, अव्ययित निधियों का उपयोग किया गया के रूप में सूचित करने का कार्य अनियमित है।

यह मामला जुलाई 2024 और मई 2025 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को भेजा गया था; अगस्त 2025 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

(IV) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मुंबई

2.9 अप्रयुक्त गोदाम के किराए तथा सुरक्षा के प्रति ₹1.64 करोड़ का परिहार्य एवं व्यर्थ व्यय

अप्रयुक्त गोदाम को खाली करने तथा अभ्यर्पित करने हेतु समय पर कार्रवाई करने में अक्षमता के परिणामस्वरूप अप्रयुक्त परिसर के किराए एवं सुरक्षा पर ₹1.64 करोड़ का परिहार्य एवं व्यर्थ व्यय हुआ।

सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 26(iv) के अनुसार, नियंत्रण अधिकारी के नियंत्रणाधीन निधियों के संबंध में उसके कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित

करना है कि उसके अधीनस्थ कार्यालयों में वित्तीय कार्यवाही में त्रुटियों एवं अनियमितताओं की रोकथाम की जा सके, उनका पता लगाने तथा लोक धन की बर्बादी एवं हानि से बचने हेतु उसके विभाग में पर्याप्त नियंत्रण तंत्र क्रियाशील है।

मुंबई में सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो (जीएमएसडी) ने 1957 में मेसर्स डीवीबी वेयरहाउसिंग कंपनी के साथ चिकित्सा आपूर्तियों के भण्डारण हेतु एक गोदाम⁸⁸ के लिए भांडागार अनुबंध⁸⁹ किया। मई 2012 में, जीएमएसडी ने तुरंत मरम्मत का अनुरोध करते हुए गोदाम की बिगड़ती तथा असुरक्षित स्थिति के संबंध में चिंता प्रस्तुत की परंतु मेसर्स डीवीबी वेयरहाउसिंग ने वित्तीय बाधाओं के कारण मरम्मत करने से इनकार कर दिया। अगस्त 2017 में, मेसर्स डीवीबी वेयरहाउसिंग ने गोदाम को खाली करने का अनुरोध करते हुए एक कानूनी नोटिस जारी किया। जीएमएसडी द्वारा 2016-17 से पुराने, क्षतिग्रस्त भण्डार के भण्डारण हेतु गोदाम का उपयोग किया गया था। जीएमएसडी ने दिसंबर 2024 तक वहाँ तीन सुरक्षा गार्डों की तैनाती जारी रखी जबकि गोदाम में रखे माल का दिसंबर 2021⁹⁰ में निपटान कर दिया गया था। यह इस तथ्य के बावजूद था कि जीएमएसडी ने 2017-18 में चिकित्सा आपूर्तियों के भण्डारण हेतु पालगर में राज्य भांडागार में एक गोदाम और 2020-21 में सीडब्ल्यूसी, नवी मुंबई में एक अन्य गोदाम पट्टे पर लिया था।

इसके परिणास्वरूप, अप्रैल 2017 से फरवरी 2019 तक अप्रयुक्त गोदाम के किराए पर ₹0.25 करोड़ तथा अप्रैल 2017 से दिसंबर 2024 तक सुरक्षा स्टाफ के वेतन पर ₹1.39 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ था जो कुल ₹1.64 करोड़ के व्यर्थ व्यय का कारण बना। इसके अतिरिक्त, जीएमएसडी मार्च 2019 से दिसंबर 2024 तक की अवधि के लिए किराए के रूप में ₹0.79 करोड़ अदा करने के लिए उत्तरदायी है।

⁸⁸ रिये रोड पर 42,000 वर्ग फुट के सतह क्षेत्र के साथ

⁸⁹ भांडागार अनुबंध, नगरपालिका करों में किसी भी वृद्धि की प्रतिपूर्ति के साथ ₹300 प्रति दिन पर अप्रैल 1957 में किया गया था। जनवरी 2004 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से जमीन के किराए का संशोधन किया गया था: ₹6.33 प्रति वर्ग मीटर (अक्टूबर 1982-मार्च 1994), 1 अप्रैल 1994 से ₹8.49 प्रति वर्ग मीटर इसके पश्चात चार प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ।

⁹⁰ माल को ₹37 लाख की नाममात्र राशि पर बेच दिया गया था।

इंगित किए जाने पर, जीएमएसडी ने बताया (जनवरी 2025) कि नई दिल्ली में मेडिकल स्टोर संगठन ने जनवरी 2025 में निर्णय लिया कि भविष्य में मुकदमे से बचने के लिए सरकारी इकाइयों से कानूनी सलाह, वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करके तथा सभी बकायों (किराया, करों आदि) का निपटान करने के पश्चात रिये रोड पर गोदाम का अभ्यर्पण कर दिया जाएगा।

मार्च 2025 में, जीएमएसडी ने बताया कि

- अप्रैल 2016 से फरवरी 2019 तक किराए पर किए गए व्यय के संबंध में, गोदाम 2021 तक विभिन्न जन स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं जैसे कि डीडीटी, मिल्क पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, सूइयां, कोल्ड चैन उपकरण, स्पेयर पार्ट्स आदि, जिनका पूरे भारत में प्लेग, हैजा तथा भूकंप, चक्रवातों सहित प्राकृतिक आपदा में प्रयोग किया गया था, के भण्डारण हेतु पूर्णरूप से संचालित रहा।
- डीवीबी ने गोदाम⁹¹ के उपयोग के लिए कोई इन्वाइस प्रस्तुत नहीं की थी, इसी के परिणामस्वरूप ₹0.79 करोड़ के भुगतान का उत्तरदायित्व नहीं था।
- सुरक्षा व्ययों के संबंध में, जीएमएसडी ने कालाचौकी पुलिस स्टेशन से निर्देशों का संदर्भ दिया (दिसंबर 2023) जिसमें साइट पर दुर्घटना या अपराध से बचने के लिए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती अनिवार्य की गई थी।
- इसके अतिरिक्त, जीएमएसडी ने सीपीडब्ल्यूडी तथा सलाहकार, एमएसओ के साथ जून 2024 में हुई बैठक का हवाला दिया जिसमें पुराने गोदाम को तोड़ने तथा एक नई सुविधा का निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, नए निर्माण के लिए ₹96.82 करोड़ के प्रारम्भिक अनुमान को अस्वीकृत कर दिया गया था तथा जनवरी 2025 के अनुदेशों ने उक्त गोदाम के अभ्यर्पण का निर्देश दिया।

⁹¹ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (बीपीटी) ने डीवीबी को भूमि का प्लॉट पट्टे पर दिया था जिसने उस प्लॉट पर एक गोदाम का निर्माण किया। डीवीबी ने 1957 में जीएमएसडी के साथ एक भांडागार अनुबंध किया। तथापि, जैसा जीएमएसडी द्वारा अपने उत्तर (मार्च 2025) में सूचित किया गया कि बीपीटी ने डीवीबी से किराया अनुबंध वापस ले लिया था।

अप्रैल 2025 में, जीएमएसडी ने बताया कि गोदाम 2021 तक पूर्ण रूप से क्रियाशील था तथा रिये रोड स्थित गोदाम जीर्ण-शीर्ण था, इसलिए पालगर स्थित राज्य गोदाम तथा नवी मुंबई में सीडब्ल्यूसी गोदाम को क्रमशः 2017-18 तथा 2020-21 में किराए पर लिया गया था। इसके अतिरिक्त, जीएमएसडी ने बताया कि ये महामारी तथा जैविक आपदा जैसी परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इसलिए अप्रत्याशित जैविक आपदाओं/परिस्थितियों से निपटने हेतु तथ्यों के सभी कारकों तथा पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ऐसी सुविधा को छोड़ने पर विचार किए जाने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण निर्णय लेने में समय लगा।

जीएमएसडी द्वारा प्रस्तुत उत्तर तर्कसंगत नहीं है। यह दावा कि 2021 तक गोदाम पूर्ण रूप से क्रियाशील था का खंडन एमएसओ, नई दिल्ली को लिखे जीएमएसडी के स्वयं के दिनांक 04 जनवरी 2022 के पत्र द्वारा किया गया है, जिसमें यह सूचित किया गया था कि गोदाम गंभीर संरचनात्मक क्षति (टूटी हुई छत तथा पूरी तरह खतरनाक स्थिति) के कारण उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं था तथा यह भी बताया गया था कि सुविधा 2016-17 से उपयोग में नहीं थी। इसके अतिरिक्त, यद्यपि डीवीबी ने उदत्त किराए हेतु इन्वाइस जारी न किया हो फिर भी जीएमएसडी किराया अनुबंध के अनुसार अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए जीएमएसडी संविदात्मक रूप से बाध्य है। गोदाम को खाली करने के संबंध में निर्णय में विलंब वेतन एवं सुरक्षा पर ₹1.64 करोड़ के अनावश्यक व्यय का कारण बना। इसके अतिरिक्त, राज्य भंडागार 2017-18 तथा सीडब्ल्यूसी गोदाम 2020-21 से क्रियाशील था इसलिए किराए के गोदाम की साइट पर जीएमएसडी द्वारा नए निर्माण हेतु जून 2024 की बैठक का हवाला देना उचित नहीं है।

निष्कर्ष के रूप में, गैर-क्रियात्मक गोदाम को खाली करने में अनुचित विलंब के परिणामस्वरूप ₹1.64 करोड़ का परिहार्य एवं व्यर्थ व्यय तथा ₹0.79 करोड़ की देनदारी हुई।

(V) गृह मंत्रालय

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

2.10 ₹6.53 करोड़ की राशि की निधियों का अवरोधन

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं हुआ तथा नौ वर्षों से अधिक समय तक ₹6.53 करोड़ की राशि की निधियां अवरुद्ध रहीं।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ)⁹² द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी⁹³ दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि प्रस्तावित/चिन्हित भूमि की उपयुक्तता का मूल्यांकन अधिकारियों के एक बोर्ड (बोर्ड) द्वारा किया जाना चाहिए, जिसकी अध्यक्षता महानिरीक्षक (आईजी) स्तर के अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए और जिसमें संबंधित सीएपीएफ के इंजीनियरिंग विंग का प्रतिनिधि शामिल होना चाहिए। बोर्ड को यह सुनिश्चित करना है कि भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण या विवाद नहीं है, और भूमि के स्वामित्व को लेकर कोई विवाद नहीं है ताकि भूमि अधिग्रहण में अनावश्यक मुकद्मेबाजी और विलंब से बचा जा सके। साथ ही, भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के बाद एक चारदीवारी का निर्माण भी किया जाना है।

अगस्त 2012 में, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयू)⁹⁴ से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी)) और *समाधि स्थलों* की सुरक्षा के लिए तैनात सीआईएसएफ इकाइयों/कर्मियों के प्रशिक्षण और अन्य अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 48 एकड़ भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया। एमओएचयू ने ₹6.53 करोड़ की लागत पर

⁹² गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसबी एवं बीएसएफ।

⁹³ मार्च 2009 एवं जून 2015 ।

⁹⁴ तत्कालीन शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी)।

सीआईएसएफ को 25 एकड़ भूमि⁹⁵ आवंटित की (फरवरी 2016)। सीआईएसएफ द्वारा एमओएचयूए को ₹6.53 करोड़ जारी करने के बाद (मार्च 2016) भूमि को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) से भूमि पर अधिकार प्राप्त करने के बाद उसे सीआईएसएफ को सौंप दिया गया (नवम्बर 2016)। तत्पश्चात् मंत्रालय ने उस भूमि पर अवसंरचना के निर्माण के लिए ₹261.24 करोड़⁹⁶ संस्वीकृत किया (फरवरी 2020) जिसके लिए सीपीडब्ल्यूडी को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नामित किया गया।

जुलाई 2020 में, सीपीडब्ल्यूडी ने भूमि के सीमांकन का कार्य प्रारंभ किया, जो स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बाधा उत्पन्न करने के कारण रोक दिया गया था। सीआईएसएफ/सीपीडब्ल्यूडी ने राज्य प्राधिकारियों⁹⁷ के साथ मामला उठाया तथा जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), गाजियाबाद और स्थानीय ग्रामीणों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक (मई 2022) के दौरान यह सीआईएसएफ के संज्ञान में आया कि आवंटित भूमि पर मुकदमा चल रहा था क्योंकि ग्रामीणों ने 957.60 एकड़ भूमि के संबंध में बड़े हुए मुआवजे के लिए उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया था (1992) जिसमें सीआईएसएफ को आवंटित 25 एकड़ भूमि भी शामिल है। चूंकि स्थानीय ग्रामीणों के साथ आयोजित विभिन्न बैठकों में कोई नतीजा नहीं निकला, डीएम, गाजियाबाद ने सीपीडब्ल्यूडी/सीआईएसएफ को अदालती मामले के निपटान/अंतिम रूप देने की प्रतीक्षा करने की सलाह दी। चूंकि इससे विलम्ब होता इसलिए सीआईएसएफ के अनुरोध पर मंत्रालय ने उक्त 25 एकड़ भूमि के बदले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

⁹⁵ कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद।

⁹⁶ गैर-आवासीय अवसंरचना (प्रशासनिक ब्लॉक, मेस, बैरक और 20 बिस्तरों वाले अस्पताल एवं अन्य प्रासंगिक अवसंरचना) के लिए ₹131.28 करोड़ तथा आवासीय अवसंरचना (610 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण) के लिए ₹129.96 करोड़।

⁹⁷ सीआईएसएफ ने डीजीपी यूपी (आईजीपी रेंज, मेरठ और जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी गाजियाबाद के साथ बैठकें) सहित राज्य के प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाया, ताकि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके और सीपीडब्ल्यूडी को सुरक्षा प्रदान की जा सके एवं उक्त भूमि के टुकड़े पर कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके ताकि दिसंबर 2020, मई 2021 और अगस्त 2021 के अपने पत्रों के माध्यम से काम शांतिपूर्वक और तेजी से किया जा सके।

(एनसीआर) में वैकल्पिक भूमि के आवंटन का मामला उठाया (अगस्त 2022)। फरीदाबाद में 16.53 एकड़ की वैकल्पिक भूमि को सीआईएसएफ द्वारा उपयुक्त पाया गया तथा एमओएचयू से इसे अधिग्रहित करने की प्रक्रिया चल रही है (मई 2025)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- क) सीआईएसएफ ने भूमि अधिग्रहण पर मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया था क्योंकि इसके अधिग्रहण से पहले अधिकारियों के बोर्ड द्वारा उक्त भूमि के मूल्यांकन का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। ऐसे मूल्यांकन का उद्देश्य, *अन्य बातों के साथ-साथ* यह सुनिश्चित करना था कि भूमि किसी भी प्रकार की बाधा, अतिक्रमण और स्वामित्व संबंधी कानूनी विवाद से मुक्त हो।
- ख) सीआईएसएफ मुख्यालय ने अपनी संबंधित इकाई को सलाह दी थी (मार्च 2016) कि वह भूमि पर कब्जा लेते समय भारमुक्तता प्रमाणपत्र⁹⁸ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। यद्यपि इकाई ने एमओएचयू से एक भारमुक्तता प्रमाणपत्र प्रदान करने का अनुरोध किया था (नवंबर 2016), तथापि, लेखापरीक्षा को यह सूचित किया गया (दिसंबर 2024 और मई 2025) कि इकाई के अभिलेखों के अनुसार भारमुक्तता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं था।
- ग) सीआईएसएफ ने एमओएचयू और सीपीडब्ल्यूडी से "जैसा है, जहाँ है" आधार पर भूमि का कब्जा ले लिया (नवंबर 2016)। भूमि सौंपने के नोट में यह उल्लिखित है कि सीपीडब्ल्यूडी द्वारा सीमांकित भूमि के सभी कोने आवंटी (अर्थात् सीआईएसएफ) को दिखा दिए गए हैं। दूसरी तरफ, लेखापरीक्षा ने पाया कि सीपीडब्ल्यूडी ने भूमि का सीमांकन जुलाई 2020 में ही प्रारंभ कर दिया था, जिसे बाद में रोक दिया गया था। इसके अतिरिक्त, सीआईएसएफ के पास भूमि के मापन और चारदीवारी के निर्माण (दिशानिर्देशों के अनुसार) के संबंध में कोई अभिलेख नहीं था।

⁹⁸ भारमुक्तता प्रमाणपत्र एक कानूनी दस्तावेज है जो यह सत्यापित करता है कि संपत्ति किसी भी कानूनी या वित्तीय देनदारियों, जैसे बंधक ऋण या विवादों से मुक्त है।

घ) आवंटन के लगभग छः वर्ष बीत जाने के बाद, मई 2022 में यह सीआईएसएफ के संज्ञान में आया कि भूमि पर 1992 से मुकदमा चल रहा था।

सीआईएसएफ द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए उचित परिश्रम न करने और दिशानिर्देशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप भूमि पर कब्जा नहीं मिला और ₹6.53 करोड़ की राशि की निधियां अवरुद्ध हो गईं। इस प्रकार, भूमि अधिग्रहण के नौ वर्ष बीत जाने के बाद भी सीआईएसएफ कर्मियों को आवश्यक अवसंरचना प्रदान करने का अभिप्रेत उद्देश्य अधूरा ही रह गया।

सीआईएसएफ ने बताया (मार्च 2024 और मई 2025) कि एमओएचयू ने अदालती मामले की जानकारी होने के बावजूद, सीआईएसएफ को इसके बारे में कभी सूचित नहीं किया और तथ्य छिपाकर भूमि उन्हें सौंप दी। अधिकारियों के बोर्ड द्वारा भूमि की उपयुक्तता का मूल्यांकन नहीं किया गया क्योंकि निर्णय (भूमि आवंटन का) अपर सचिव (शहरी विकास) की अध्यक्षता में हुई बैठक (दिसंबर 2015) में लिया गया था। अन्य उपयुक्त भूमि की पहचान की प्रक्रिया चल रही थी एवं राशि को नई भूमि की कीमत में समायोजित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा यह स्वीकार करती है कि एमओएचयू द्वारा सीआईएसएफ को भूमि आवंटित करते समय और सौंपते समय भूमि की भारग्रस्तता की स्थिति का गैर-प्रकटीकरण का परिणाम उसके कब्जा न होने में हो सकता है। तथापि, बोर्ड द्वारा उक्त भूमि की उपयुक्तता के मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होने पर सीआईएसएफ की स्थिति पूर्वोक्त दिशानिर्देशों की भावना के अनुरूप नहीं है। उचित जांच के बिना व्यय करना तथा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में बिना माप, सीमांकन और भारमुक्तता प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना भूमि का कब्जा लेना सीआईएसएफ की कमजोर आंतरिक नियंत्रण को इंगित करता है।

मामला अप्रैल 2025 में गृह मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था; उनका उत्तर अगस्त 2025 तक प्रतीक्षित था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि गृह मंत्रालय द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, जिससे मुकदमेबाजी के अधीन भूमि के अधिग्रहण और अन्य प्रकार के भारग्रस्तता तथा अभिप्रेत उद्देश्य के लिए भूमि के उपयोग में परिणामी देरी से बचा जा सके।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल

2.11 सीएपीएफ द्वारा व्यावसायिक कर की कटौती न करना

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल इकाइयों द्वारा राज्यों (असम, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और त्रिपुरा) में लागू व्यावसायिक कर अधिनियम के नियमों के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप सीएपीएफ में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से ₹26.40 करोड़ का व्यावसायिक कर नहीं काटा गया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 276 में बताया गया है कि:

अनुच्छेद 246 में किसी भी बात के होते हुए भी, किसी राज्य की विधानसभा का कोई भी कानून, जो राज्य या किसी नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड, या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के लाभ के लिए, व्यवसायों, व्यापारों, आजीविकाओं या रोजगारों के संबंध में कर से संबंधित हो, इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि वह आय पर कर से संबंधित है। किसी एक व्यक्ति द्वारा राज्य को या राज्य में किसी एक नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड, या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को व्यवसायों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर के रूप में देय कुल राशि दो हजार पांच सौ रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी। व्यवसायों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर के संबंध में उपरोक्त बताए गए कानून बनाने की राज्य की विधानसभा की शक्ति का यह अर्थ नहीं निकाला जाएगा कि यह व्यवसाय, व्यापार, आजीविकाओं और रोजगारों से होने वाली आय पर कर के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति को किसी भी प्रकार से सीमित करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छः राज्यों में व्यावसायिक कर अधिनियम⁹⁹ में यह प्रावधान था कि नियोक्ता को संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन से नियम और लागू दरों के अनुसार व्यावसायिक कर की कटौती करनी चाहिए और इसे संबंधित राज्य सरकार के राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) इकाइयों अर्थात् सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), द्रुत कार्य बल (आरएएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा, तेलंगाना, पंजाब और केरल राज्यों में कार्यरत अपने कर्मचारियों जहाँ व्यावसायिक कर लागू था, के वेतन से व्यावसायिक कर की कटौती नहीं की थी। इस प्रकार, संबंधित राज्यों में लागू संबंधित अधिनियमों से जुड़े विधायी प्रावधानों का उल्लंघन हुआ और जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2017 से मार्च 2025 तक की अवधि के लिए ₹26.40 करोड़ के व्यावसायिक कर की कटौती नहीं हुई (अनुलग्नक-2.17)।

इंगित किए जाने पर, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर सीएपीएफ इकाइयों के उत्तरों की समीक्षा निम्नवत है:

- मध्य प्रदेश में तैनात बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ इकाइयों ने बताया कि इस मामले को पहले ही मध्य प्रदेश सरकार के साथ उठाया जा चुका है ताकि इस मामले पर ध्यान दिया जा सके और मध्य प्रदेश राज्य में कार्यरत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों को व्यावसायिक कर

⁹⁹ मध्य प्रदेश व्यावसायिक कर अधिनियम, 1995 की धारा 3 और 4, केरल नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 245 और 251 (4) तथा (8), असम व्यवसायों, व्यापार, आजीविकाओं और रोजगारों करान अधिनियम, 1947 की धारा 3 और धारा 9, त्रिपुरा व्यवसायों, व्यापार, आजीविकाओं और रोजगार करान अधिनियम, 1997 की धारा 3 और 4, व्यवसायों, व्यापार, आजीविकाओं और रोजगार पर तेलंगाना कर, 1987 की धारा 4 और 5 एवं पंजाब विकास कर अधिनियम, 2018 की धारा 4(3)।

से छूट मिल सके। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि अभी तक उनके कार्यालय में व्यावसायिक कर में छूट के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है और इस मामले पर संबंधित प्राधिकारी से कोई भी परिणाम प्राप्त होने पर लेखापरीक्षा को बताया जाएगा।

- केरल में मौजूद सीआईएसएफ इकाइयों ने बताया कि कर लगाने वाले संबंधित प्राधिकारी से कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था। यह भी बताया गया कि सीआईएसएफ कर्मचारियों के वेतन से व्यावसायिक कर नहीं काटा गया, हालांकि, अगले वित्तीय वर्ष से उच्च प्राधिकारी से अनुदेशों की प्राप्ति पर वेतन से इसकी कटौती की जाएगी।
- त्रिपुरा में तैनात बीएसएफ इकाइयों ने बताया कि विधि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 02 सितंबर 1968 को जारी भारत के राजपत्र का अध्याय-II, बीएसएफ को भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी संघ के सशस्त्र बल के रूप में बीएसएफ को स्थापित करता है। बटालियन ने तर्क दिया कि चूंकि त्रिपुरा में बीएसएफ के कार्मिक राष्ट्रीय सुरक्षा ड्यूटी में लगे हैं, इसलिए उन्हें व्यावसायिक कर से छूट मिलनी चाहिए।
- असम में तैनात एसएसबी इकाई ने बताया कि असम व्यावसायिक, व्यापार, वृत्ति और रोजगार कराधान अधिनियम, 1947 की धारा 5 (ए) के अनुसार व्यावसायिक कर के प्रावधान सशस्त्र बल के सदस्य पर लागू नहीं होंगे। एसएसबी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि असम सरकार के परिपत्र (सितंबर 2016) में स्पष्ट रूप से बताया गया कि असम में तैनात बीएसएफ, एसएसबी और दूसरे सीएपीएफ के कार्मिक अर्धसैनिक बल हैं और ऐसे कार्मिकों को अधिसूचना के माध्यम से कोई छूट नहीं दी गई है, इसलिए वे असम अधिनियम 1947 के अंतर्गत व्यावसायिक कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
- तेलंगाना में तैनात सीआरपीएफ इकाइयों ने बताया कि तेलंगाना राज्य और भूतपूर्व आंध्र प्रदेश के साथ यह मामला पहले ही उठाया गया है ताकि तेलंगाना

राज्य में तैनात सीआरपीएफ के कार्मिकों को व्यावसायिक कर से छूट मिल सके, तथापि, अक्टूबर 2024 तक उन्हें ऐसी छूट नहीं मिली थी।

- पंजाब में तैनात बीएसएफ इकाइयों ने बताया है कि बीएसएफ कार्मिकों से व्यावसायिक कर की न तो कटौती की जा रही है और न ही जमा किया जा रहा है, हालांकि विकास कर की कटौती से संबंधित मामला बीएसएफ मुख्यालय में भेजा जाएगा ताकि बीएसएफ जवानों को ऐसे कर से छूट दिलाने के लिए सरकार के उपयुक्त प्राधिकारियों से बात-चीत की जा सके।

सीएपीएफ इकाइयों द्वारा दिए गए उत्तर/औचित्य स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि असम, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और त्रिपुरा राज्यों में व्यावसायिक कर से संबंधित विधायी प्रावधान हैं, जिनके तहत संबंधित राज्यों में कार्यरत कार्मिकों को व्यावसायिक कर का भुगतान करना अनिवार्य है। इकाइयों के सीएपीएफ कार्मिकों के संबंध में विधान में न तो कोई छूट है और न ही राज्य सरकारों ने व्यावसायिक कर लगाने से छूट देने के लिए कोई विशिष्ट अनुदेश जारी किए हैं, जैसा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य सरकार ने जारी किया है।

यह पैरा जुलाई 2025 में गृह मंत्रालय को जारी किया गया था, इसका उत्तर अक्टूबर 2025 तक प्रतीक्षित था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि गृह मंत्रालय सभी सीएपीएफ में यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा करे कि जहां भी प्रावधान है, कर्मचारियों के वेतन से व्यावसायिक कर की कटौती की जा रही है, या छूट प्राप्त करने के लिए मामला संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया जा रहा है।

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), 36 बटालियन, गेजिंग, सिक्किम

2.12 ₹3.18 करोड़ के विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ स्थान) भत्ते (एससीआरएलए) का अधिक भुगतान

एसएसबी 36 बटालियन ने वित्त मंत्रालय के ओएम के प्रावधानों के उल्लंघन में अपने कर्मचारियों को उच्च दर पर विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ स्थान) भत्ता (एससीआरएलए) अदा किया जिसके परिणामस्वरूप ₹3.18 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन (ओएम)¹⁰⁰ दिनांक 29 अगस्त 2008 के माध्यम से 6^{वें} केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की अनुशंसाओं के आधार पर विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में सेवारत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ स्थान) भत्ते (एससीआरएलए) की दरें निर्धारित की। एससीआरएलए की स्वीकार्य दरों को इस ओएम के भाग-ए, बी, सी तथा डी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया था। संशोधित वेतन संरचना पर महंगाई भत्ते (डीए) के 50 प्रतिशत से अधिक हो जाने पर, स्वतः ही 25 प्रतिशत तक वृद्धि होनी थी।

इसके अतिरिक्त, 7^{वें} केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा लद्दाख में सेवारत केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए ओएम¹⁰¹ दिनांक 18 जुलाई 2017 और 19 जुलाई 2017 के माध्यम से क्रमशः विशेष इयूटी भत्ता (एसडीए) तथा एससीआएलए प्रदान करने के अलग-अलग आदेश जारी किए। चूंकि एससीआरएलए के भत्ते को कठिन संस्थान भत्ता (टीएलए) में सम्मिलित कर दिया गया था इसलिए यह निर्धारित किया गया था कि कठिन स्थान भत्ता एसडीए के साथ स्वीकार्य नहीं होगा। हालांकि, कर्मचारियों को मूल वेतन के 10 प्रतिशत की संशोधित दर पर एसडीए के साथ 6^{वें} सीपीसी की पुरानी दरों पर एससीआरएलए, जहां कहीं यह स्वीकार्य था, को जारी रखने का विकल्प दिया गया था।

¹⁰⁰ सं. 3(1)/2008-ई-11(बी) दिनांक 29 अगस्त 2008।

¹⁰¹ सं. 11/1/2017-ई 11(बी) दिनांक 18 जुलाई 2017 एवं सं. 3/1/2017-ई11(बी) दिनांक 19 जुलाई 2017।

36 बटालियन, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), गेजिंग, सिक्किम, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक केन्द्रीय सरकारी संगठन, पूर्वोत्तर क्षेत्र अर्थात् गेजिंग सिक्किम¹⁰² में स्थित है। इसलिए, दिनांक 18 जुलाई 2017 तथा 19 जुलाई 2017 के आदेशों के अनुसार, इस बटालियन के कर्मचारी मूल वेतन के 10 प्रतिशत की संशोधित दर पर विशेष ड्यूटी भत्ते सहित 6^{वें} सीपीसी की पुरानी दरों पर विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ स्थान) भत्ता (एससीआरएलए) प्रदान किए जाने के पात्र हैं।

तथापी, वेतन बिल डाटा सहित मार्च 2019 से फरवरी 2024 तक की अवधि के संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि इस बटालियन के कर्मचारियों को मूल वेतन के 10 प्रतिशत की संशोधित दर पर एसडीए सहित स्तर-09 एवं ऊपर के कर्मचारियों के लिए ₹4,875/- प्रतिमाह तथा स्तर-08 एवं उससे नीचे कर्मचारियों के लिए ₹3,750/- प्रतिमाह की दर पर विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ स्थान) भत्ता अदा किया गया था।

भत्ता समिति की दिनांक 27 अप्रैल 2017 की रिपोर्ट के पैरा 4.6.5 के अनुसार, इस बटालियन के कर्मचारी मूल वेतन के 10 प्रतिशत की संशोधित दर पर एसडीए सहित 6^{वें} सीपीसी की पुरानी दरों अर्थात् स्तर-09 एवं ऊपर के लिए ₹3,900/- प्रति माह¹⁰³ तथा स्तर-08 एवं उससे नीचे के लिए ₹3,000/- प्रति माह¹⁰⁴ पर एससीआरएलए प्राप्त करने के पात्र थे।

36 बटालियन, एसएसबी ने अपने उत्तर (फरवरी 2025) में बताया कि उन्होंने अभ्युक्ति को स्वीकार किया है तथा अप्रैल 2024 से प्रभावी स्तर-09 एवं ऊपर के

¹⁰² सिक्किम के क्षेत्रों को एससीआरएलए प्रदान किए जाने के लिए व्यय विभाग के ओएम के अनुसार भाग 'ए' में शामिल किया गया है।

¹⁰³ परिपत्र दिनांक 01 सितम्बर 2008 के अनुसार, जी.ओ. के लिए एससीआरएलए की दर= 2600+650+650 (25 प्रतिशत की वृद्धि क्योंकि 01 जनवरी 2011 को डीए 50 प्रतिशत तथा 01 जुलाई 2014 को 100 प्रतिशत पार किया)

¹⁰⁴ परिपत्र दिनांक 01 सितम्बर 2008 के अनुसार, जी.ओ. के लिए एससीआरएलए की दर= 2000+500+500 (25 प्रतिशत की वृद्धि क्योंकि डीए 01 जनवरी 2011 को 50 प्रतिशत तथा 01 जुलाई 2014 को 100 प्रतिशत पार किया)

लिए ₹3,900/- प्रति माह तथा स्तर-08 के लिए ₹3,000/- प्रति माह तक एससीआरएलए को कम किया।

इस प्रकार, स्वीकार्य दरों से अधिक दरों पर एससीआरएलए प्रदान करने के कारण ₹3.18 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि **अनुलग्नक-2.18** में विवरण दिया गया है।

फरवरी 2025 में गृह मंत्रालय को लेखापरीक्षा अभ्युक्ति जारी की गई थी। उसका उत्तर अगस्त 2025 तक प्रतीक्षित था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि मंत्रालय ऐसे अनियमित भुगतानों की एक व्यापक समीक्षा करे तथा सुधारात्मक कार्रवाई करे।

(VI) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

2.13 अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को दूर करने तथा शैक्षणिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए एससी छात्रों के अभिभावकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाएं हैं। 2017-18 से 2023-24 के दौरान, भारत सरकार तथा राज्यों/यूटी ने 181.45 लाख प्री-मैट्रिक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु ₹5,037.83 करोड़ तथा 348.09 लाख पोस्ट-मैट्रिक छात्रों हेतु ₹47,840.58 करोड़ का व्यय किया।

इन छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा में विभिन्न कमियों तथा कार्यान्वयन में दिशानिर्देशों से विचलन के मामलों का पता चला जैसे कि:

- परिचालन संबंधी बाधाओं के कारण छात्रवृत्तियों के संवितरण में विलंब तथा गैर-संवितरण; (पैरा 2.13.4.1 तथा 2.13.4.2)
- आय तथा जाति मानदण्ड पर ध्यान दिए बिना लाभार्थियों का चयन,

लाभार्थियों को छात्रवृत्तियों का कई बार भुगतान, उन छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई जो स्कूलों/संस्थानों में नामांकित नहीं थे आदि (पैरा 2.13.4.3, 2.13.4.4, 2.13.4.5 तथा 2.13.4.6)

- लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का अधिक भुगतान, अनुरक्षण भत्ते का उच्च दरों पर भुगतान, प्रबंधन कोटा के छात्रों को अनियमित छात्रवृत्ति लाभ प्रदान करना। (पैरा 2.13.4.9, 2.13.4.10, 2.13.4.11)

फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान प्रारंभिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा मंत्रालय को मसौदा प्रतिवेदन जारी करने के पश्चात मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2025) कि इसने केन्द्रीय अंश जारी करने, आवेदनों के सत्यापन एवं संसाधन हेतु समय सीमा निर्धारित करने, उपयुक्त जांच को सुनिश्चित करने हेतु डेटाबेस जैसे कि एनएसपी, पीएफएमएस, यूआईडीएआई एवं एनपीसीआई के साथ एकीकरण आदि के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के मामले में 2021-22 तथा प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के मामले में 2022-23 से प्रभावी आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) के साथ डीबीटी मोड का प्रयोग करके योजनाओं के कार्यान्वयन की दक्षता में सुधार करने हेतु उपाय किए हैं।

यद्यपि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया है तथा प्रारंभिक सुधारात्मक उपाय प्रारंभ किए हैं तथापि मंत्रालय को, नीति निर्माता तथा नोडल कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में अपनी भूमिका को देखते हुए, संशोधित योजना दिशानिर्देशों के सख्ती से अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु एक मजबूत निरीक्षण तंत्र स्थापित करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तरीय अधिकारियों के प्रदर्शन और अनुपालन की सतत् और व्यवस्थित निगरानी प्रभावी क्रियान्वयन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

2.13.1 प्रस्तावना

भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का आदेश देता है। इसमें अनुसूचित जाति (एससी) सहित समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की विशेष देखभाल करने का दायित्व निहित है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (मंत्रालय) कक्षा IX एवं X में पढ़ने वाले एससी छात्रों के अभिभावकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा पोस्ट-मैट्रिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से क्रमशः प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित करता है। छात्रवृत्तियों में शिक्षा शुल्क, छात्रावास शुल्क, पुस्तकें एवं अन्य शैक्षणिक व्यय शामिल हैं। प्री एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के दिशानिर्देशों¹⁰⁵ की मुख्य विशेषताएं **अनुलग्नक 2.19** में दी गई हैं। योजनाओं के केन्द्र प्रायोजित होने से मंत्रालय इन योजनाओं की समग्र नीति, योजना तथा समन्वय हेतु नोडल अभिकरण है जबकि इन योजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों (यूटी) के पास है।

वर्ष 2017-18 से 2023-24 की अवधि के दौरान भारत सरकार तथा राज्यों/यूटी ने 181.45 लाख प्री-मैट्रिक छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु ₹5,037.83 करोड़¹⁰⁶ तथा 348.09 लाख पोस्ट-मैट्रिक छात्रों हेतु ₹47,840.58 करोड़¹⁰⁷ का व्यय किया जिसका विवरण **अनुलग्नक 2.20 (ए) एवं (बी)** में दिया गया है।

2.13.2 प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं की लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा चरणों में संचालित की गई है। प्रारंभ में, 2017-18 से 2019-20 के वर्षों के लिए संबंधित योजना डेटा को मंत्रालय से प्राप्त किया गया तथा इसका विश्लेषण किया गया। डेटा विश्लेषण के निष्कर्षों को प्रबंधन पत्र (जून 2021) के द्वारा मंत्रालय के साथ साझा किया गया था। बाद में, डेटा विश्लेषण के दौरान पहचान किए गए जोखिम वाले क्षेत्रों की जांच हेतु फील्ड लेखापरीक्षा की गई थी। फील्ड

¹⁰⁵ लेखापरीक्षा ने प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए जुलाई 2012, सितंबर 2017 तथा सितंबर 2019 के दिशानिर्देशों तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए अप्रैल 2018, दिसंबर 2020 के योजना दिशानिर्देशों का संदर्भ दिया।

¹⁰⁶ राशियों में योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार के अंशदान के रूप में ₹2325.79 करोड़ शामिल है।

¹⁰⁷ राशियों में योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार के अंशदान के रूप में पोस्ट-मैट्रिक के ₹27908.71 करोड़ शामिल हैं।

लेखापरीक्षा में 24 राज्यों तथा पाँच केन्द्र शासित प्रदेशों में 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि को शामिल किया गया। मंत्रालय के स्तर पर उपलब्ध आकड़ों को 2023-24 तक अद्यतित तथा इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

डेटा विश्लेषण के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए तथा नमूने में आकार माप के रूप में अनुसूचित जाति की जनसंख्या को महत्व देने के पश्चात विस्तृत फील्ड लेखापरीक्षा हेतु नमूने का चयन किया गया था। नमूना 24 राज्यों तथा पाँच केन्द्र शासित प्रदेशों¹⁰⁸ से चयनित किया गया था। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य से 1,602 संस्थानों/स्कूलों में 27,461 आवेदनों की लेखापरीक्षा की गई थी। इसी प्रकार, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की लेखापरीक्षा में 1,657 संस्थानों/कॉलेजों में 29,680 आवेदनों की जांच की गई थी।

लेखापरीक्षा ने योजना, वित्तीय प्रबंधन तथा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार इन योजनाओं के कार्यान्वयन तथा सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुपालन के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। लेखापरीक्षा क्षेत्र, पद्धति तथा नमूना पद्धति को प्रवेश बैठक (21 अक्टूबर 2021) के दौरान मंत्रालय के साथ साझा किया गया था। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर 27 अप्रैल 2023 को हुई समापन बैठक में मंत्रालय के साथ चर्चा की गई थी। मंत्रालय तथा राज्यों/यूटी से प्राप्त उत्तरों (मई 2023, अक्टूबर 2023 तथा फरवरी 2025) को लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में उचित रूप से शामिल किया गया है।

2.13.3 मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय

मंत्रालय (फरवरी 2025) ने बताया कि इसने योजनाओं के कार्यान्वयन की दक्षता में सुधार करने हेतु उपाय किए हैं जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

- केन्द्र के अंश को अब आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) के साथ डीबीटी मोड के माध्यम से जारी किया जा रहा है जो पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के

¹⁰⁸ प्री-मैट्रिक के अंतर्गत 155 जिले तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 159 जिले।

मामले में 2021-22 से तथा प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के मामले में 2022-23 से प्रभावी है।

- आवेदनों को सत्यापित करने तथा संसाधित करने की समय सीमा को संशोधित योजना दिशानिर्देशों¹⁰⁹ में शामिल किया गया है।
- दोनों योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र के अंश को अब राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर अंततः सत्यापित राज्य अंश भुगतान डेटा के प्राप्त किए जाने के पश्चात ही जारी किया जाता है।
- राज्य सरकार के पोर्टलों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि पात्र लाभार्थियों की पहचान हेतु उपयुक्त जांच उपलब्ध है, एनएसपी, पीएफएमएस, यूआईडीएआई तथा एनपीसीआई जैसे डेटाबेसों के साथ एकीकृत किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई दोहराव न हो, दोहराव को समाप्त करने के रूप में नियमित जाँच की जाती है।
- राज्य सरकारों/यूटी को समय पर दस्तावेज सत्यापन को सुनिश्चित करने हेतु डिजि-लॉकर, एपीआई सेतु जैसे पोर्टलों के साथ एकीकृत करने की सलाह दी गई है।

इसके अतिरिक्त राज्यों/यूटी ने योजना कार्यान्वयन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पोर्टल के विकास एवं एनएसपी के साथ इसके एकीकरण, अनियमित रूप से दावा की गई छात्रवृत्ति की वसूली हेतु सुधारात्मक उपाय भी किए हैं।

2.13.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान, नमूना जांच किए गए स्कूलों, संस्थानों, जिलों तथा राज्यों/यूटी (जैसा **अनुलग्नक-2.21** में विवरण दिया गया है) में दोनों योजनाओं से

¹⁰⁹ प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के योजना दिशानिर्देशों को मार्च 2022 में संशोधित किया गया था तथा 2021-22 से 2025-26 तक लागू किया गया था। संशोधित दिशानिर्देशों में लेखापरीक्षा के दौरान निर्धारित कुछ मामलों अर्थात् आवेदन के सत्यापन एवं छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु समयसीमा, राज्य पोर्टल का विकास, शिकायत निवारण तंत्र, निगरानी एवं मूल्यांकन आदि का निपटान किया गया है।

संबंधित अभिलेखों की जांच की गई थी तथा परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा ने योजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न कमियां पाईं। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर संबंधित विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के साथ मुख्य निष्कर्षों को आगे के पैराग्राफों में विस्तार से प्रस्तुत किया गया है।

2.13.4.1 छात्रवृत्ति के संवितरण में विलंब

चूंकि योजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य एससी समुदाय के उन छात्रों, जिनके अभिभावक उनकी शिक्षा हेतु फीस भरने में असमर्थ थे उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना है इसलिए यह आवश्यक था कि आवेदनों का संसाधन समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए तथा छात्रवृत्ति का भुगतान शैक्षणिक वर्ष में ही शीघ्रता से किया जाए।

अभिलेखों की नमूना जांच पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि 12 राज्यों/यूटी¹¹⁰ के 10.87 लाख लाभार्थियों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति के पश्चात एक से 48 माह के विलंब से छात्रवृत्ति का संवितरण किया गया था। इसी प्रकार, 14 राज्यों/यूटी¹¹¹ में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 29.88 लाख लाभार्थियों को शैक्षणिक वर्ष के पश्चात एक से 89 महीनों के विलंब से छात्रवृत्ति दी गई थी। विवरण **अनुलग्नक 2.22 (ए) और (बी)** में दिया गया है।

मंत्रालय तथा राज्यों/यूटी द्वारा समय अंतराल/विलंब के कारण निम्नानुसार हैं:

- शैक्षणिक कैलेंडर तथा बजट की समय पर उपलब्धता राज्य दर राज्य भिन्न होती है। आवेदनों के सत्यापन एवं संसाधन में विलंब का एक आम कारण शैक्षणिक वर्ष का वित्तीय वर्ष के साथ गैर-संरेखण है जिससे मामले अगले वर्षों में खींच जाते हैं। इसके अतिरिक्त, पोर्टल के खुलने तथा बंद होने की तिथियाँ

¹¹⁰ बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी।

¹¹¹ आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर

विभिन्न बिना एनएसपी वाले राज्यों तथा एनएसपी वाले राज्यों/यूटी में अलग-अलग होती हैं।

- छात्रों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों में त्रुटियों के साथ साथ जिला कार्यालयों में आवेदन की प्राप्ति में विलंब (गुजरात, जम्मू और कश्मीर)।
- आवेदनों की जांच करना तथा छात्रवृत्ति का भुगतान एक समय लेने वाली प्रक्रिया थी (गुजरात)।
- प्रशासनिक विभागों द्वारा आवेदनों की जांच एवं सत्यापन में विलंब (दिल्ली)।
- राज्य वित्त विभाग द्वारा संबंधित केन्द्रीय अंश जारी न करने के कारण विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन कार्यालयों को निधियाँ जारी करने में विलंब (महाराष्ट्र)।
- केन्द्रीय सहायता की अनुपलब्धता (चण्डीगढ़, जम्मू और कश्मीर)।

मंत्रालय (फरवरी 2025) ने बताया कि योजना दिशानिर्देशों¹¹² के अंतिम संशोधन में विशेष समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं तथा राज्यों से उनका अनुपालन किए जाने का अनुरोध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्यों/यूटी ने बताया कि छात्रों को छात्रवृत्ति के समय पर भुगतान हेतु प्रयास/उपाय किए जा रहे थे।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाने के पश्चात भी विलंब जारी रहे। मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए कुल संस्वीकृत छात्रों में से केवल 59 प्रतिशत को ही उसी वर्ष के दौरान छात्रवृत्तियाँ दी गई थीं। इसी प्रकार, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में, वर्ष 2023-24 के लिए कुल संस्वीकृत छात्रों में से केवल 48.8 प्रतिशत को ही उसी वर्ष¹¹³ के दौरान छात्रवृत्तियाँ दी गई थीं जो दर्शाता है कि समय अंतराल/विलंब बना हुआ है। इसलिए,

¹¹² प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए मार्च 2022 तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए मार्च 2021

¹¹³ प्री-मैट्रिक: 2023-24 के दौरान, संस्वीकृत 21,29,540 छात्रों में से केवल 12,56,506 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई थी। पोस्ट-मैट्रिक के संबंध में, संस्वीकृत 47,38,578 छात्रों में से केवल 23,12,760 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई थी।

छात्रवृत्तियों को समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

2.13.4.2 छात्रों को छात्रवृत्ति का गैर-संवितरण

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों/यूटी प्रशासनों को छात्रों को बैंक/डाक खाना खातों के माध्यम से छात्रवृत्तियों का सामयिक तथा नियमित संवितरण सुनिश्चित करना था। राज्य/यूटी द्वारा छात्रवृत्ति के सामयिक तथा नियमित, विशेषतः मासिक आधार पर, संवितरण को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय को भी समय पर राज्यों/यूटी को केन्द्रीय सहायता जारी करना तथा सामान्य तौर पर बकाया भुगतान से बचना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत 11 राज्यों/यूटी¹¹⁴ में 2.52 लाख छात्रों को ₹33.29 करोड़ की छात्रवृत्ति का संवितरण नहीं किया गया था तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत नौ राज्यों/यूटी¹¹⁵ में 1.06 लाख लाभार्थियों को कुल ₹54.79 करोड़ की छात्रवृत्ति का संवितरण नहीं किया गया था। छात्रवृत्तियों के गैर-संवितरण के मुख्य कारण राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर आवेदनों के सत्यापन में विलंब, एनएसपी पर टोकन उत्पन्न न होना, कार्यान्वयन विभाग के बैंक खातों में निधियों को रखने, राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त बजट का गैर-प्रावधानन, राज्य/केंद्र अंश जारी न करना, लेन-देन विफलता, स्टाफ द्वारा पीएफएमएस/ईबीटी पोर्टल का उपयोग करते हुए सामने आने वाली समस्याओं आदि के कारण था। विवरणों पर **अनुलग्नक- 2.23 (ए) तथा (बी)** में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करती है कि मंत्रालय को संशोधित योजना दिशानिर्देशों के कड़े अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु एक मजबूत निरीक्षण तंत्र स्थापित करने की

¹¹⁴ आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल।

¹¹⁵ बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल।

आवश्यकता है। इससे समय वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और इससे छात्रवृत्ति योजनाओं की अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रभावकारिता भी बढ़ेगी।

2.13.4.3 आय पात्रता की संवीक्षा किए बिना लाभार्थियों का चयन

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, छात्रवृत्ति ऐसे छात्रों को दी जानी थी जो अनुसूचित जाति श्रेणी के हैं तथा उनके माता-पिता/अभिभावकों की आय ₹2.50 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं थी। नौकरीपेशा माता-पिता/अभिभावकों को आय के किसी भी अन्य स्रोत के लिए राजस्व अधिकारी से समेकित प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया की प्री-मैट्रिक के अंतर्गत 14 राज्यों/यूटी¹¹⁶ के 2,928 मामलों में तथा पोस्ट-मैट्रिक के अंतर्गत 11 राज्यों/यूटी¹¹⁷ के 2,707 मामलों में माता-पिता की आय पात्रता मानदण्ड अर्थात् ₹2.50 लाख प्रति वर्ष से अधिक होने, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी न किए जाने, आय से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत न करने, माता-पिता के सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) के कर्मचारी होने, माता-पिता की अधिक आय होने जैसा आईटीआर से सत्यापित किया गया, आदि के मामले पाए गए थे। विवरण **अनुलग्नक-2.24** में दिए गए हैं।

- उत्तर में, गुजरात में संबंधित विभाग ने बताया (मई 2024) कि छात्रों के अयोग्य पाए जाने पर छात्रवृत्ति की वसूली की जाएगी।
- तमिलनाडु में संबंधित विभाग ने बताया (अगस्त 2022) कि छात्रवृत्ति राजस्व विभाग द्वारा प्रदान किए गए आय प्रमाणपत्र के आधार पर संस्वीकृत की गई थी। तथापि, गलत प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दावा की गई छात्रवृत्ति की वसूली हेतु वह उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

¹¹⁶ बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी।

¹¹⁷ बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, चण्डीगढ़, जम्मू और कश्मीर।

- महाराष्ट्र में संबंधित विभाग ने बताया (जुलाई 2024) कि सीमा से अधिक आय वाले एक छात्र को संवितरित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की जनवरी 2023 में वसूली कर ली गई थी जबकि ऐसे मामलों के संबंध में जहाँ छात्रवृत्ति आय प्रमाणपत्र के बिना या अमान्य आय प्रमाणपत्र पर संवितरित किया गया था, वहां ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारी/तालुका मुलसी आय प्रमाणपत्रों की जांच हेतु कार्रवाई कर रहे हैं। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में, विभाग ने सूचित किया (जनवरी 2023) कि मामले की जांच की जाएगी।
- उत्तर प्रदेश में, संबंधित विभाग ने बताया (मई 2024) कि संबंधित जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। उसने यह भी बताया कि वर्तमान में आय तथा जाति का ई-जिला पोर्टल के माध्यम से मिलान किया जा रहा है।

2.13.4.4 जाति मानदण्ड की संवीक्षा के बिना लाभार्थियों का चयन

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आठ राज्यों/यूटी के 6,089 मामलों तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छः राज्यों/यूटी के 190 मामलों में या तो अपेक्षित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत/संलग्न नहीं किए गए थे या फिर छात्रवृत्ति का जाति प्रमाणपत्रों की जांच किए बिना गैर-एससी श्रेणी के छात्रों को संवितरित किया गया था। विवरण निम्नलिखित तालिका-2.18 में दिया गया है:

तालिका 2.18: जाति प्रमाणपत्रों में पाई गई कमियाँ

राज्य	मामलों की सं. (प्री-मैट्रिक)	मामलों की सं. (पोस्ट-मैट्रिक)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा टिप्पणियां/राज्य का उत्तर
बिहार	29	49	यह मामले गैर-एससी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने से संबंधित है। संबंधित विभाग ने बताया कि संबंधित जिला प्राधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जाएगी।
गुजरात	445	05	लेखापरीक्षा ने पाया कि आवेदनों के साथ प्रमाणपत्र संलग्न नहीं पाए गए थे। संबंधित विभाग ने सूचित किया (मई 2024) कि आवेदनों की समीक्षा की जाएगी तथा छात्रों के अयोग्य पाए जाने पर

राज्य	मामलों की सं. (प्री-मैट्रिक)	मामलों की सं. (पोस्ट-मैट्रिक)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा टिप्पणियां/राज्य का उत्तर
			छात्रवृत्ति की वसूली की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 2021-22 से छात्रवृत्ति आवेदन के साथ जाति प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है।
हिमाचल प्रदेश	03	--	लेखापरीक्षा ने पाया कि आवेदनों के साथ जाति प्रमाणपत्र संलग्न नहीं थे। विभाग ने बताया कि छात्रों को जाति प्रमाणपत्रों की आपूर्ति करने को कहा गया है।
जम्मू और कश्मीर	5461	--	लेखापरीक्षा ने पाया कि 5,452 छात्रों के मामले में ₹1.26 करोड़ का भुगतान जाति/आय हेतु अपेक्षित दस्तावेजों को प्राप्त किए बिना किया गया था तथा नौ मामलों में सामान्य तथा ओबीसी श्रेणी के छात्रों को ₹0.21 लाख का भुगतान किया गया था। संबंधित विभाग ने बताया कि उसने आय प्रमाण पत्रों/जाति प्रमाणपत्रों पर जोर दिए बिना क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों/मुख्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा अग्रेषित तथा/अनुशंसा की गई सूची के आधार पर छात्रों को छात्रवृत्तियां संस्वीकृत की थी क्योंकि संबंधित तहसीलदारों से जारी अपेक्षित प्रमाणपत्रों को प्राप्त करना कठिन है।
केरल	34	--	लेखापरीक्षा ने पाया कि आवेदनों के साथ जाति प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया गया था। विभाग ने बताया (मई 2024) कि लाभार्थियों के आय प्रमाणपत्र तथा जाति प्रमाणपत्रों को सत्यापित करने के पश्चात चयनित किया जा रहा है तथा आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से उन्हें सत्यापित किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश	--	41	एससी श्रेणी से भिन्न अन्य श्रेणियों के छात्रों को छात्रवृत्तियों के भुगतान से संबंधित मामले।

राज्य	मामलों की सं. (प्री-मैट्रिक)	मामलों की सं. (पोस्ट-मैट्रिक)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा टिप्पणियां/राज्य का उत्तर
महाराष्ट्र	03		ये मामले गैर-एससी श्रेणी के छात्रों को किए गए भुगतान से संबंधित हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया (जुलाई 2024) कि स्कूल ने अयोग्य छात्रों को अदा की गई राशि जमा कर दी है।
ओडिशा	29	29	लेखापरीक्षा ने पाया कि छात्रों के आवेदनों के साथ अपेक्षित दस्तावेजों को संलग्न नहीं किया गया था।
पंजाब	85	--	अपेक्षित दस्तावेज संलग्न नहीं थे। राज्य सरकार ने बताया कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भविष्य में लेखापरीक्षा आपत्ति को ध्यान में रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश	--	64	60 मामलों ¹¹⁸ में, दो या अधिक आवेदकों द्वारा छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए एक ही जाति प्रमाणपत्र का प्रयोग किया गया था। चार छात्रों ने किसी अन्य व्यक्ति के जाति प्रमाणपत्र का प्रयोग किया। विभाग ने बताया (मई 2024) कि संबंधित जिलों से रिपोर्टों की मांग की गई है तथा वर्तमान में आय एवं जाति का मिलान ई-जिला पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।
चण्डीगढ़	--	02	जाति प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी नहीं किए गए थे। यूटी ने बताया (मई 2024) कि भविष्य में, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अपेक्षित प्रमाणपत्र को ही स्वीकार किया जाएगा।
कुल	6,089	190	

¹¹⁸ अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, जौनपुर तथा मेरठ।

राज्य सरकारों ने यह भी बताया किया कि वे अब छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऑनलाईन पोर्टल¹¹⁹ का उपयोग कर रहे हैं जो ऑफलाईन कार्यान्वयन में पाई गई कमियों को दूर करेगा। ये पोर्टल आय प्रमाणपत्रों, जाति प्रमाणपत्रों, बोर्ड परिणामों, जाति वैधता आदि को एकीकृत करेंगे।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2025) कि तत्काल उपयुक्त सत्यापनों को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों/यूटी की एआईएसएचई/यूडाइस¹²⁰ के साथ अपने पोर्टलों के एकीकरण को सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की बैठकों में डीबीटी मिशन, राज्य सरकारों/यूटी को एक समयबद्ध प्रकार से लाभार्थियों के दस्तावेजों की निर्बाध जांच सुनिश्चित करने हेतु डिजिलॉकर, एपीआई सेतु जैसे पोर्टल के साथ एकीकरण करने की सलाह दी गई है। केन्द्र का अंश आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) के माध्यम से डीबीटी द्वारा संवितरित किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों के लाभार्थियों के अपात्र/नकली/अपूर्ण आवेदनों को हटाया गया है। पीएफएमएस, एनएसपी, एनपीसीआई आदि द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का राज्य सरकारों/यूटी द्वारा योजना दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन में अनुपालन किया जा रहा है। ऑनलाईन प्रक्रियाओं के कारण प्रणालियाँ पिछले कुछ वर्षों में स्थिर हुई हैं तथा नकली आवेदनों/अपूर्ण आवेदनों की संख्या को कम किया गया है।

चूंकि मंत्रालय के प्रयास सराहनीय हैं फिर भी विसंगतियों की पहचान करने तथा सुधार करने हेतु नियमित निरीक्षणों तथा मूल्यांकनों के माध्यम से जाँच तंत्र को मजबूत करना अनिवार्य है।

¹¹⁹ महाराष्ट्र: एकीकृत महा डीबीटी पोर्टल; पंजाब: एनएसपी; तमिलनाडु: एकीकृत छात्रवृत्ति पोर्टल; पश्चिम बंगाल: आधार आधारित ई-केवाईसी प्रणाली; जम्मू और कश्मीर: एनएसपी।

¹²⁰ एआईएसएचई: उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण; यूडाइस: शिक्षा की एकीकृत जिला सूचना प्रणाली।

2.13.4.5 लाभार्थियों ने कई बार छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाया

यह पाया गया था कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छः राज्यों/यूटी¹²¹ के 8,562 लाभार्थियों तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत नौ राज्यों/यूटी¹²² के 5,347 लाभार्थियों ने योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में योजना के अंतर्गत या योजनाओं में कई बार क्रमशः ₹203.28 लाख तथा ₹586.94 लाख की छात्रवृत्ति का लाभ लिया। इन बहु छात्रवृत्तियों के दावे (i) एक ही योजना में कई दावे (ii) कई केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत दावे तथा (iii) दोनों केन्द्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत किए गए दावों की श्रेणियों में आते हैं। विवरण **अनुलग्नक-2.25 (ए) तथा (बी)** में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2025) कि सभी छात्रवृत्ति डेटाबेसों के तकनीकी एकीकरण के लिए पीएफएमएस, डीबीटी मिशन, एनपीसीआई और यूआईडीएआई के साथ मिलकर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) द्वारा एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया गया है। प्रक्रियाओं को इस प्रकार से स्थिर किया गया है कि सूचना का शुरू से अंत तक प्रसारण होता है। यह सुनिश्चित करने हेतु कि कोई दोहराव न हो, नियमित जाँच की जा रही है/दोहराव को समाप्त किया जा रहा है।

2.13.4.6 स्कूलों/संस्थानों में नामांकित नहीं हुए छात्रों को किए गए भुगतान

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के 71 लाभार्थियों को ₹1.88 लाख की छात्रवृत्ति दी गई थी तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के 4,396 लाभार्थियों को ₹29.98 करोड़ की छात्रवृत्ति का संवितरण किया गया था जो स्कूलों/संस्थानों में नामांकित नहीं थे। विवरण **तालिका 2.19** में दिया गया है।

¹²¹ छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा जम्मू और कश्मीर

¹²² छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।

तालिका 2.19: जो स्कूलों/संस्थानों में नामांकित नहीं हुए छात्रों को किए गए भुगतान

राज्य का नाम	छात्रों की सं.	शामिल राशि (₹ लाख में)	टिप्पणी
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति			
असम	17	1.06	छात्र स्कूलों/संस्थानों के नहीं थे जैसा स्कूल प्राधिकारियों द्वारा सूचित/सुनिश्चित किया गया था। राज्य सरकार ने बताया कि जांच की गई थी तथा छात्रों से राशि वापस करने का कहा गया है।
बिहार	51	0.74	छः जिलों में जो 11 स्कूलों/संस्थानों में नामांकित नहीं हुए छात्रों को छात्रवृत्तियां अदा की गई थी।
ओडिशा	03	0.08	अंगूल जिले में, पंचायत हाई स्कूल बडासदा में के अभिलेखों की जांच से पता चला कि ऐसे तीन छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई थी जो स्कूल में नामांकित नहीं थे।
कुल	71	1.88	
पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति			
बिहार	29	2.02	पांच जिलों के छः संस्थानों में अभिलेखों की जांच से पता चला कि ऐसे 29 छात्र को छात्रवृत्ति दी गई थी जो संस्थानों में नामांकित नहीं थे। तथापि, संस्थानों के साथ-साथ जिला नोडल अधिकारी ने इन आवेदनों को उचित सावधानी के बिना सत्यापित/अनुमोदित किया था।
हरियाणा	1690	1380.00	संबंधित विभाग के अभिलेखों में दर्ज लाभार्थियों के नाम तथा आधार संख्या बैंक भुगतान अभिलेखों में दर्ज लाभार्थियों के नाम तथा आधार संख्या से मेल नहीं खाते थे।
	759	-	छात्रवृत्ति का भुगतान उन छात्रों को किया गया जिनकी आधार संख्या लाभार्थियों की आधार संख्या से मेल नहीं खाते थे।
	170	199.00	डीडब्ल्यूओ, फतेहाबाद में, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में स्थित एक विश्वविद्यालय के छात्रों को पशु चिकित्सा

राज्य का नाम	छात्रों की सं.	शामिल राशि (₹ लाख में)	टिप्पणी
			एवं पशुधन विकास सहायक पाठ्यक्रम के संबंध में, विश्वविद्यालय में ऐसे पाठ्यक्रम की उपलब्धता की जांच किए बिना भुगतान किया गया था। विश्वविद्यालय में जांच करने पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने लेखापरीक्षा को बताया (जुलाई 2022) कि विश्वविद्यालय में ऐसा कोई छात्र पंजीकृत नहीं था।
हिमाचल प्रदेश	50	28.12	भुगतान उन लाभार्थियों के किए गए थे जो पाठ्यक्रम के बंद होने, नकली मार्कशीट प्रस्तुत करने तथा पहले से उत्तीर्ण किए गए पाठ्यक्रम के लिए फिर से दावा करने आदि के कारण अपात्र थे।
मध्य प्रदेश	20	38.77	<p>जुलाई 2016 तथा अगस्त 2020 के दौरान छात्रवृत्ति का भुगतान करते समय छात्रवृत्ति राशि के भुगतान हेतु बिलों के साथ संलग्न सूची के साथ कार्यालय सहायक आयुक्त, जनजातीय कल्याण (एसीटीडब्ल्यू) भोपाल के संबंधित अधिकारियों द्वारा छात्रों की कुल संख्या को बढ़ाकर तथा संगत रूप से कुल देय छात्रवृत्ति राशि को बढ़ाकर हेराफेरी की गई थी। बाद में, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन तथा सूचना प्रणाली (आईएफएमआईएस) पर अपलोड की गई ई-भुगतान सूची में नए/काल्पनिक नामों को संगत राशि तथा अन्य विवरणों के साथ जोड़ा गया था।</p> <p>राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2024) कि ₹38.77 लाख की वसूली कर ली गई है और सरकारी खाते में जमा कर दिया गया है तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर दी गई है।</p>

राज्य का नाम	छात्रों की सं.	शामिल राशि (₹ लाख में)	टिप्पणी
ओडिशा	1,007	1100.25	<p>अंगुल तथा गंजम जिलों में दो¹²³ मामले थे जहाँ छात्रवृत्तियों का भुगतान उन छात्रों को किया गया था जो संस्थान में नामांकित भी नहीं थे।</p> <p>इसके अतिरिक्त, अंगूल, जाजपुर तथा खुर्धा जिलों में 990 लाभार्थियों को 477 बैंक खातों का प्रयोग करके ₹10.98 करोड़ की छात्रवृत्ति दी गई थी। एक से अधिक लाभार्थियों द्वारा एक ही बैंक खाते का उपयोग किया गया था परंतु अलग-अलग वर्षों में नाम अलग-अलग थे तथा लाभार्थियों के एक ही या अलग-अलग संस्थानों के होने की सूचना के बावजूद भुगतान एक ही बैंक खाते में किया गया था। जाजपुर जिले के एक बैंक खाते¹²⁴ की भौतिक जांच की गई थी तथा यह पाया गया था कि खाता धारक एक छात्र था परंतु ₹1.20 लाख का भुगतान दो अलग-अलग छात्रों को किया गया था।</p> <p>जाजपुर जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 2020-21 के दौरान आईटीआई पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत पाँच छात्रों के प्रति वर्ष के लिए 20 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई थी। इस प्रकार, 15 ऐसे लाभार्थियों को ₹2.25 लाख का अनियमित भुगतान किया गया था जिन्होंने छात्र होने का दावा किया था।</p>

¹²³ विज्ञान डिग्री कॉलेज, हिंजलीपुट, गंजम जिले के बसंत कु बनेरा तथा विनर्स प्रबंधन कॉलेज, अंगुल के दुखबंधु नायक।

¹²⁴ बैंक खाता सं. 50100083270717 तथा आईएफएससी कोड: एचडीएफसी0000706, एचडीएफसी चोर्डा शाखा जाजपुर।

राज्य का नाम	छात्रों की सं.	शामिल राशि (₹ लाख में)	टिप्पणी
तेलंगाना	11	1.10	छात्रवृत्तियों का उन बैंक खातों में अंतरण किया गया था जो लाभार्थियों के नाम पर नहीं थे। ऐसा बैंक खाता संख्या और नाम, आधार विवरण आदि में परिवर्तन करके किया गया था। दो मामलों में बैंक खाते को संस्थान के नाम पर संचालित किया गया था। राज्य सरकार ने सूचित किया (मई 2024) कि मामले की जांच की गई है तथा कॉलेज प्रबंधन ने नौ छात्रों के संबंध में ₹99,600 की राशि प्रेषित की थी।
पश्चिम बंगाल	660	248.87	(i) दो संस्थानों के 83 लाभार्थियों को ₹14.87 लाख की छात्रवृत्ति दी गई थी हालांकि संस्थानों के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि छात्र संस्थान में नामांकित नहीं थे, जिसकी पुष्टि संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा भी की गई। संबंधित जिला प्राधिकारियों ने सूचित किया (मई 2022) कि संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं। (ii) 2017-18 से 2020-21 के दौरान, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति बी-टेक तथा बीई (आईटी) इंजीनियरिंग डिग्री के छात्रों को प्रदान की गई थी हालांकि उन्हें ऐसे संस्थानों में अध्ययनरत दर्शाया गया था जिनमें ऐसे पाठ्यक्रम नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप 135 संस्थानों के 577 लाभार्थियों को ₹2.34 करोड़ की अस्वीकार्य छात्रवृत्ति प्रदान की गई। राज्य सरकार ने बताया (जून 2024) कि संबंधित परियोजना अधिकारियों द्वारा उपयुक्त कदम उठाए गए हैं।
कुल	4,396	2998.13	

2.13.4.7 पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्रों को संवितरित छात्रवृत्ति

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, छात्रवृत्ति एआईएसएचई/यूडाइस कोड वाले मान्यता प्राप्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों द्वारा चलाए जा रहे सभी पंजीकृत

पोस्ट-मैट्रिक या उत्तर-माध्यमिक पाठ्यक्रमों (इंटरमीडिएट/उच्च माध्यमिक, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों आदि) के अध्ययन हेतु प्रदान की जाएगी।

फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांच से गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों/कॉलेजों के छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के संवितरण के कुछ उदाहरण पता चले जैसा नीचे तालिका-2.20 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.20: गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्रों को संवितरित छात्रवृत्ति

राज्य	संबंधित संस्थान	लाभार्थियों की सं.	छात्रवृत्ति की राशि (₹ लाख में)	संस्थान में कमी की प्रवृत्ति
हरियाणा	श्री भगत सिंह महिला शिक्षा कॉलेज, रादौर	04	1.90	कोई एआईएसएचई कोड नहीं
हिमाचल प्रदेश	एनआईईएलआईटी केन्द्र, चम्बा	164	50.15	गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान
झारखंड	सत्यानंद भोक्ता इंटर कॉलेज, उन्टा	03	0.24	काली सूची में डाले गए संस्थान
जम्मू और कश्मीर	नारसिंह देव आयुर्विज्ञान संस्थान उधमपुर	17	2.87	एआईएसएचई कोड नहीं
महाराष्ट्र	अकोला पत्रकारिता एवं सामाजिक कार्य कॉलेज, अकोला	27	2.87	छात्र गैर-संबद्ध पाठ्यक्रमों के थे
कुल		215	58.03	

2.13.4.8 लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का कम भुगतान

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार राज्यों/यूटी में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के 3.95 लाख लाभार्थियों को कम दरों पर कुल ₹7.62 करोड़ की छात्रवृत्ति का कम भुगतान किया गया था तथा दो राज्यों में पोस्ट-मैट्रिक योजना के अंतर्गत 377 लाभार्थियों को ₹17.76 लाख का कम भुगतान किया गया था जैसा **अनुलग्नक-2.26** में विवरण दिया गया है।

2.13.4.9 लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का अधिक भुगतान

दो राज्यों के 224 लाभार्थियों को स्वीकार्य दरों से अधिक दर पर कुल ₹2.78 लाख की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का संवितरण किया गया था। इसी प्रकार, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आठ राज्यों के 1.30 लाख लाभार्थियों को ₹19.98 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था। विवरण **अनुलग्नक- 2.27** में दिया गया है।

मामला अध्ययन

हरियाणा: चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग (डीएमईआर) ने सामान्य नर्सिंग एवं प्रसूति विद्या (जीएनएम) तथा सहायक नर्सिंग प्रसूति विद्या (एएनएम) पाठ्यक्रमों हेतु फीस को प्रथम वर्ष के लिए ₹0.63 लाख तथा दूसरे एवं तीसरे वर्ष के लिए ₹0.46 लाख पर निर्धारित किया (जुलाई 2013)। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि दूसरे तथा तीसरे वर्ष में फीस को डीएमईआर द्वारा निर्धारित सीमा तक सीमित करने हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी तथा इसके परिणामस्वरूप 2015-18 के दौरान फतेहबाद जिले के विभिन्न संस्थानों के इन पाठ्यक्रमों के 334 छात्रों को ₹46.72 लाख का अधिक भुगतान किया गया था।

झारखण्ड: 2017-18 से 2019-20 की अवधि के पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के ई-कल्याण डेटाबेस के विश्लेषण ने दर्शाया कि 2,486 छात्रों को ₹1.02 करोड़ की छात्रवृत्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस से अधिक अदा की गई थी। अनियमितता की फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान जांच की गई थी जिसमें चार नमूना जांच किए गए जिलों में सात संस्थानों में 20 मामलों में कुल ₹0.37 लाख की अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया था।

ओडिशा: नमूना जांच किए गए जिलों में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के प्रेरणा एवं ओएसएसपी डेटाबेस तथा विभागों एवं डीडब्ल्यू द्वारा प्रस्तुत भुगतान विवरणों के विश्लेषण से पता चला कि 25 नमूना संस्थानों के 339 छात्रों ने अपना पाठ्यक्रम पूरा किए बिना ही 2017-21 के दौरान अपने पाठ्यक्रमों को बीच में ही छोड़ दिया था। तथापि, इन छात्रों को पाठ्यक्रम छोड़ने के पश्चात भी कुल ₹1.42 करोड़ की छात्रवृत्ति दी गई थी।

2.13.4.10 अनावासी छात्रों को उच्च दरों पर अनुरक्षण भत्ता का संवितरण (पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति)

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुरक्षण भत्ते सहित छात्रवृत्ति का महत्व अनावासी छात्रों की तुलना में छात्रावासियों के लिए अधिक है।

नमूना जांच ने प्रकट किया कि छः राज्यों/यूटी में अनावासी छात्रों को छात्रावासियों की दर पर छात्रवृत्ति देने, 10 माह की बजाए 12 माह का भुगतान करने, छात्रावास की अनुपलब्धता के बावजूद छात्रावासियों की दरों पर छात्रों को भुगतान करने के कारण उच्च दरों पर अनुरक्षण भत्ते का भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 1.66 लाख लाभार्थियों को ₹8.00 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ जैसा की **अनुलग्नक 2.28** में विवरण दिया गया है।

2.13.4.11 प्रबंधन कोटा के छात्रों को अनियमित छात्रवृत्ति लाभ (पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति)

योजना दिशानिर्देश 2018 के अनुसार, किसी भी संस्थान/विश्वविद्यालय में प्रबंधन कोटा सीटों तथा तत्काल दाखिला सीटों के प्रति दावा की गई फीस की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांच ने प्रबंधन कोटा के अंतर्गत दाखिला लेने वाले एससी छात्रों को छात्रवृत्ति लाभ प्रदान करने के निम्नलिखित मामले सामने आए:

- **गुजरात:** शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के दौरान राजकोट में एक आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रबंधन कोटा के छात्र को ₹8.79 लाख की छात्रवृत्ति दी गई।
- **हिमाचल प्रदेश:** विभाग ने हिमालय नर्सिंग संस्थान, अम्बाला, हरियाणा के दो लाभार्थियों के लिए प्रबंधन कोटा के अंतर्गत ₹2.89 लाख की फीस की प्रतिपूर्ति की। इसके अतिरिक्त, 2018-20 के दौरान हिमालय नर्सिंग स्कूल ने प्रबंधन कोटा की सीटों के अंतर्गत चयनित सामान्य नर्सिंग एवं प्रसूति विद्या

(जीएनएम) के नौ लाभार्थियों के संबंध में कुल ₹5.60 लाख के छात्रवृत्ति शुल्क का दावा किया तथा उसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त की।

उपर्युक्त मामलों ने त्रुटिपूर्ण नियंत्रण वातावरणों के कारण योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितताओं को उजागर किया तथा परिणामस्वरूप योजनाओं का निष्पादन उप-इष्टतम रहा जिससे वास्तविक लाभार्थी वंचित रह गए।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि मंत्रालय प्रभावी कार्यान्वयन तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु राज्यों/यूटी से राज्य-स्तरीय पदाधिकारियों की एक प्रणालीगत निगरानी व्यवस्था स्थापित करने का अनुरोध करे। वह शैक्षणिक संस्थानों तथा आय/जाति प्रमाणपत्रों से छात्रों के डेटा की प्रति जांच करने हेतु डिजिटल सत्यापन का प्रयोग भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय लेखापरीक्षा में इंगित त्रुटियों का निपटान करे तथा जवाबदेही सुनिश्चित करे।

(VII) जनजातीय कार्य मंत्रालय

2.14 अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ

अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केन्द्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनका उद्देश्य निम्न-आय वाले परिवारों को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 2017-2024 की अवधि के दौरान, मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 87.10 लाख प्री-मैट्रिक छात्रों पर ₹2,354.51 करोड़ और 151.66 लाख पोस्ट-मैट्रिक छात्रों पर ₹13,695.74 करोड़ खर्च किए।

2017-2021 की अवधि के लिए इन छात्रवृत्ति योजनाओं के परिचालन की लेखापरीक्षा से इनके कार्यान्वयन में कई प्रणालीगत कमियां सामने आईं। इनमें छात्रों के आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए निर्धारित समय-सीमा का अभाव, संस्थानों, जिलों और राज्यों में नोडल अधिकारियों के लिए निर्धारित परिभाषित भूमिका का अभाव, वित्त पोषण पैटर्न से संबंधित योजना दिशा-निर्देशों में अस्पष्टता, केन्द्रीय सहायता जारी करने के

लिए संरचित तंत्र का अभाव और निगरानी एवं शिकायत निवारण में कमियां शामिल थीं।

नवंबर 2021 से मार्च 2022 के दौरान प्रारंभिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के संप्रेषण के बाद, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा के दौरान चिन्हित जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करने हेतु योजना दिशानिर्देशों में संशोधन किया। ये प्रावधान थे: हितधारकों के लिए निर्धारित भूमिकाएँ, आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए निर्धारित समय-सीमा, केन्द्रीय सहायता का दावा करने और उसे जारी करने की निर्धारित प्रक्रियाएँ तथा निगरानी और शिकायत निवारण की प्रक्रियाएँ थीं। मंत्रालय ने सभी कार्यान्वयन करने वाले राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को लेखापरीक्षा अनुशंसाएँ भी संप्रेषित की हैं, और उन्हें तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

छात्रवृत्ति संवितरण की दक्षता में सुधार हेतु मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाईयाँ उल्लेखनीय हैं। हालांकि, कुछ मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं और उन पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस पैरा में चिन्हित की गई प्रमुख लेखापरीक्षा चिंताओं, इन चिंताओं के समाधान हेतु मंत्रालय और राज्यों/यूटी द्वारा की गई कार्रवाईयाँ तथा आगे की कार्रवाई की आवश्यकता वाले शेष मामलों पर चर्चा की गई है, जो इस प्रकार हैं:

(i) योजना और वित्तीय प्रबंधन:

- मंत्रालय ने मुद्रा स्फीति को प्रतिबिंबित करने के लिए माता-पिता की वार्षिक आय सीमा में अभी तक संशोधन नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पैरा 2.14.3.1) के अंतर्गत पात्रता मानदंड और वर्तमान आर्थिक रुझानों के बीच संभावित बदलाव हो सकता है।
- यद्यपि इन योजनाओं का उद्देश्य कम आय वाले छात्रों को समयोचित, नियमित और अधिमानतः मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, लेकिन लेखापरीक्षा निष्कर्षों से प्रकट हुआ कि छात्रवृत्तियां देरी से संवितरित की गईं और उन्हें बकाया के रूप में जारी किया गया। एकल नोडल लेखा (एसएनए) तंत्र के कार्यान्वयन के बावजूद यह समस्या बनी रही, जिसे मंत्रालय ने एक उपचारात्मक उपाय के रूप में प्रस्तावित किया था (पैरा 2.14.3.2)।
- योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी की गई निधियां परिचालन संबंधी कमियों जैसे राज्यों द्वारा अवास्तविक प्रारंभिक मांग अनुमान, राज्य स्तर पर खराब

अंतर-विभागीय समन्वय, कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां और मंत्रालय द्वारा इन मुद्दों की प्रभावी रूप से चिन्हित और समाधान करने में विफलता के कारण लंबे समय तक अप्रयुक्त रही। लेखापरीक्षा ने एक ऐसे मामले का भी संज्ञान लिया जहाँ योजना निधियों पर अर्जित ब्याज भारत की समेकित निधि में जमा नहीं किया गया (पैरा 2.14.3.3)।

(ii) कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे: लेखापरीक्षा में ऐसे कई मामले भी सामने आए जहाँ छात्रवृत्तियाँ अपात्र लाभार्थियों को संवितरित की गईं या गलत तरीके से गणना की गईं, जिसका मुख्य कारण फील्ड स्तर के पदाधिकारियों द्वारा अपर्याप्त जांच थी। कुछ प्रमुख अनियमितताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- जिन छात्रों के माता-पिता की आय निर्धारित सीमा से अधिक थी, उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करना (पैरा 2.14.4.1);
- वैध आय प्रमाण पत्र के बिना छात्रों का चयन (पैरा 2.14.4.2);
- अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाण पत्रों में विसंगतियों वाले आवेदनों को स्वीकृति देना (पैरा 2.14.4.3);
- एक ही कक्षा/पाठ्यक्रम के लिए कई बार लाभ प्रदान करना (पैरा 2.14.4.4);
- अनावासी छात्रों को छात्रावासी की दर पर तथा छात्रावासी छात्रों को अनावासी दर पर छात्रवृत्ति का वितरण (पैरा 2.14.4.5);
- पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुमोदित शुल्क संरचना से भिन्न दरों पर शुल्क का भुगतान (पैरा 2.14.4.6);
- पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुरक्षण भत्ते की गलत गणना (पैरा 2.14.4.7)।

यद्यपि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया है और प्रारंभिक सुधारात्मक उपाय शुरू किए हैं, फिर भी नीति निर्माता और नोडल कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में अपनी भूमिका को देखते हुए मंत्रालय के लिए संशोधित योजना दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निरीक्षण तंत्र स्थापित करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, प्रभावी कार्यान्वयन और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए राज्य-स्तरीय पदाधिकारियों के निष्पादन और अनुपालन की निरंतर और व्यवस्थित निगरानी आवश्यक है।

2.14.1 पृष्ठभूमि

अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ जनजातीय कार्य मंत्रालय (जिसे आगे मंत्रालय के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पात्र एसटी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित योजनाएं हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को शिक्षा में प्रगति के बेहतर अवसर प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान करना है।

इन योजनाओं पर होने वाला व्यय केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों/यूटी¹²⁵ के बीच साझा किया जाता है। राज्य स्तर पर इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु व्यापक रूपरेखा मंत्रालय द्वारा जारी कार्यान्वयन दिशानिर्देशों¹²⁶ में प्रदान की गई है। इन दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं **अनुलग्नक-2.29** में दी गई हैं।

मंत्रालय इन योजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करता है और राज्य स्तर पर समाज कल्याण, जनजातीय कल्याण और शिक्षा विभाग जैसे विभिन्न राज्य विभाग योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

2.14.2 प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं की लेखापरीक्षा

2017-24 की अवधि के दौरान, भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के 87.10 लाख प्री-मैट्रिक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ₹2,354.51 करोड़ और 151.66 लाख पोस्ट-मैट्रिक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ₹13,695.74 करोड़ खर्च किए (विवरण **अनुलग्नक-2.30** में दिया गया है)। योजनाओं

¹²⁵ केंद्र और विधानमंडल वाले राज्यों/यूटी के बीच 75:25 के अनुपात में, पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में, विधायिका रहित यूटी के लिए इसे 100 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान में साझा किया जाता है।

¹²⁶ प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 2012 में और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 2010 में योजना कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी किए गए थे। प्री-मैट्रिक योजना के लिए मंत्रालय के संशोधित दिशानिर्देश 2021-26 की अवधि के लिए और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 01-04-2022 से प्रभावी थे।

के कार्य निष्पादन का आकलन करने के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं की लेखापरीक्षा की गई और इसमें योजनाओं की योजना, वित्तीय प्रबंधन और कार्यान्वयन के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

योजना कार्यान्वयन जोखिमों को चिन्हित करने के लिए, मंत्रालय और सभी कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/यूटी से प्राप्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए प्रासंगिक योजना डेटा का विश्लेषण किया गया और इससे सामने आए जोखिम वाले क्षेत्रों को प्रबंधन पत्र के माध्यम से मंत्रालय के साथ साझा किया गया (जुलाई 2021)। डेटा विश्लेषण के दौरान पता लगे जोखिम वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के लिए नमूना¹²⁷ तैयार किया गया (राज्य-वार नमूनाकरण विवरण **अनुलग्नक-2.31** में दिया गया है)। 26 अक्टूबर 2021 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन के दौरान मंत्रालय के साथ लेखापरीक्षा का दायरा, लेखापरीक्षा पद्धति और नमूनाकरण पद्धति साझा की गई। 09 मई 2023 को आयोजित निर्गम सम्मेलन के दौरान मंत्रालय के साथ प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। वित्तीय और निष्पादन डेटा एवं लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर की गई कार्रवाई की स्थिति को यथासंभव 2023-24 तक अद्यतित किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ-साथ मंत्रालय का उत्तर (मार्च 2025) और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर संबंधित राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई, जहां भी उपलब्ध हो, का विवरण आगामी पैराग्राफों में दिया गया है। साथ ही, संशोधित दिशानिर्देशों में पूर्व दिशानिर्देशों की तुलना में किए गए प्रमुख संशोधन **अनुलग्नक-2.32** में दर्शाया गया है।

¹²⁷ प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (24 राज्यों और 5 यूटी के 143 जिलों से 1,419 संस्थानों से 26,529 आवेदनों का नमूना लिया गया)। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (25 राज्यों और 5 यूटी के 152 जिलों से 1,522 संस्थानों से 30,867 आवेदनों का नमूना लिया गया)।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.14.3 योजना एवं वित्तीय प्रबंधन में कमियां

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा को योजना और वित्तीय पहलुओं में कई मुद्दे मिले, जैसे कि माता-पिता की वार्षिक आय सीमा में संशोधन न होना, निधियाँ जारी करने में देरी, निधियों का कम उपयोग और दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन, जिससे योजनाओं के सुचारु संचालन में बाधा उत्पन्न हुई, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

2.14.3.1 पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत माता-पिता की वार्षिक आय सीमा में संशोधन न होना

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु माता-पिता की वार्षिक आय की सीमा ₹2.00 लाख से बढ़ाकर ₹2.50 लाख कर दी गई (शैक्षणिक सत्र 2013-14 से लागू - 01 अप्रैल 2013 से प्रभावी)। संशोधन आदेश में *अन्य बातों के साथ-साथ* यह भी प्रावधान किया गया कि आय सीमा को औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) से जोड़कर प्रत्येक दो वर्ष में एक बार संशोधित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि माता-पिता की वार्षिक आय की सीमा में अप्रैल 2013 के बाद संशोधन नहीं किया गया था। सीपीआई-आईडब्ल्यू सूचकांक के विश्लेषण से पता चला कि 01.04.2013 (अंतिम संशोधन की प्रभावी तिथि) को सीपीआई-आईडब्ल्यू सूचकांक का मूल्य 226 था, जो अगस्त 2020 (आधार वर्ष 2001=100 के अनुसार) में बढ़कर 338 हो गया, अर्थात् लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि मंत्रालय द्वारा पात्रता मानदंड पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को स्वीकार किया गया था, फिर भी आय सीमा में समय पर संशोधन करने की कार्रवाई नहीं की गई।

मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत योजनाओं और आय सीमाओं के युक्तिकरण के मामले की जांच के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है।

हालांकि, मार्च 2025 तक आय सीमाओं में संशोधन अभी भी किया जाना शेष है।

2.14.3.2 निधियाँ जारी करने में विलंब

प्री-मैट्रिक योजना दिशानिर्देश के पैरा 16.2 के अनुसार, राज्यों से छात्रों को समय पर और नियमित रूप से, अधिमानतः मासिक आधार पर, छात्रवृत्ति का संवितरण सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है। केन्द्रीय सहायता जारी होने तक, छात्रवृत्ति का भुगतान राज्य के बजट से किया जाएगा, जिसके सापेक्ष में प्रतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है। राज्यों/यूटी द्वारा छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय को भी समय पर केन्द्रीय सहायता जारी करने और बकाया भुगतान से बचने की आवश्यकता है।

हालांकि, मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संस्वीकृति आदेशों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 2017-21 के दौरान, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (49-97 प्रतिशत, औसत 73 प्रतिशत) और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (59-70 प्रतिशत, औसत 66 प्रतिशत) के अंतर्गत जारी वर्षवार निधियों का एक महत्वपूर्ण भाग पिछले वर्षों के बकाया का हिस्सा था, जैसा कि **अनुलग्नक-2.33** में विवरण दिया गया है।

इसके उत्तर में, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल/मई, 2023) कि व्यय विभाग (डीओई) के आदेशानुसार, अब एकल नोडल लेखे (एसएनए) के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियाँ जारी करने की एक नई प्रक्रिया अपनाई¹²⁸ जा रही है, जिससे जारी की गई निधियों की निगरानी संभव हो सके। हालांकि, उपरोक्त उत्तर के अनुपालन की जांच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान जारी की

¹²⁸ अप्रैल 2022 से।

गई निधियों का प्री-मैट्रिक योजना के मामले में 57 प्रतिशत और पोस्ट-मैट्रिक योजना के मामले में 61 प्रतिशत हिस्सा बकाया रहा।

2.14.3.3 अप्रयुक्त निधियाँ और अनुदानों पर अर्जित ब्याज का सीएफआई में जमा न होना

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए सहायता अनुदान से संबंधित जीएफआर प्रावधानों में अपेक्षित है कि निधियां जारी करने से पहले, मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों के पास पिछले वर्षों की शेष राशि और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई राशि को वास्तव में खर्च करने की क्षमता है।

इसके अतिरिक्त, किसी भी अनुदान प्राप्त संस्था को जारी किया गया सहायता अनुदान या अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त) पर सभी ब्याज या अन्य आय, लेखे¹²⁹ को अंतिम रूप देने के बाद शीघ्र ही भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में जमा की जानी चाहिए। ऐसे अग्रिमों को भविष्य में जारी की गई राशि के सापेक्ष में समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में निधि जारी करते समय राज्यों/यूटी की निधि उपयोग क्षमता के बारे में मंत्रालय का गलत मूल्यांकन राज्य विभागों के बीच समन्वय की कमी, प्रक्रियागत देरी के कारण निधि जारी करने में असमर्थता जैसे विभिन्न परिचालन कारणों से लंबी अवधि तक निधियों के अप्रयुक्त रहने के मामले सामने आए। सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज को सीएफआई में जमा न करने और कार्यान्वयन विभागों/एजेंसियों के पास लंबी अवधि तक निधियों के अप्रयुक्त पड़े रहने के भी मामले सामने आए, जिनका विवरण आगामी पैराग्राफों में दिया गया है:

- (i) **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह:** प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए अगस्त 2020 में प्राप्त ₹12.33 लाख में से ₹8.37 लाख अव्ययित रहे और 18 महीने की देरी के बाद जनवरी 2022 में ही उपयोग किए गए। कार्यान्वयन

¹²⁹ जीएफआर 2017 का नियम 230 (8)।

प्राधिकारियों ने इस देरी का कारण पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) सॉफ्टवेयर से लिंक अथवा ऑनबोर्ड न हो पाना बताया।

01 फरवरी 2021 से 30 अप्रैल 2022 की अवधि के दौरान, ₹0.34 लाख ब्याज के रूप में अर्जित किए गए। संबंधित विभाग ने बताया (मई 2024) कि ब्याज सरकारी खाते में जमा कर दिया गया है।

इसी प्रकार, लेखापरीक्षा ने पाया कि पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए अगस्त 2020 में प्राप्त ₹13.29 लाख जनवरी 2022 तक बैंक खाते में पड़े रहे क्योंकि संबंधित विभाग की एनएसपी को पीएफएमएस के साथ एकीकृत करने में असमर्थता के कारण निधियां संवितरित नहीं की जा सकी।

इसके अतिरिक्त, 25 मार्च 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक की अवधि के दौरान अर्जित ₹0.35 लाख की ब्याज राशि भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में जमा नहीं की गई। इंगित किए जाने पर, संबंधित विभाग ने बताया (मई 2024) कि ब्याज राशि सरकारी खाते में जमा कर दी गई है।

- (ii) **अरुणाचल प्रदेश:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के विभागों में निगरानी और समन्वय की कमी के कारण, अक्टूबर 2013 में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए जारी ₹2.18 करोड़ लंबे समय तक अप्रयुक्त रहे। जून 2021 तक, राज्य के पास ₹1.17 करोड़ अप्रयुक्त शेष थे।

इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने (अगस्त 2022) बताया कि वे राज्य के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करके योजना के कार्यान्वयन में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि मार्च 2021 से जून 2022 के दौरान अप्रयुक्त निधि पर ब्याज के रूप में अर्जित ₹0.94 लाख योजना खाते में पड़े थे और सीएफआई को नहीं भेजे गए थे। संबंधित विभाग ने अपने उत्तर (अगस्त 2022) में सीएफआई में धनराशि जमा करने का आश्वासन दिया।

- (iii) **असम:** प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए वर्ष 2016-17 हेतु मार्च 2017 में जारी ₹3.21 करोड़ में से 2017-18 के दौरान ₹2.03 करोड़ खर्च किए गए, जबकि एनएसपी के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान में आने वाली समस्याओं के कारण 2018-19 के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹1.18 करोड़ की शेष राशि 24 महीनों तक अप्रयुक्त रही। चूँकि अव्ययित राशि राजकोष से आहरित की गई एवं राज्य नोडल खाते में रखी गई थी, इसलिए केन्द्रीय सहायता/अव्ययित निधि पर ब्याज अर्जित नहीं किया गया।

बिहार: लेखापरीक्षा में पाया गया कि बिहार के एससी एवं एसटी कल्याण विभाग को वर्ष 2019-20 के दौरान एसटी लाभार्थियों हेतु प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹71.31 करोड़ प्राप्त हुए। हालांकि, इसने कार्यान्वयन विभाग अर्थात् शिक्षा विभाग को 2019-20 के लिए ₹7.05 करोड़, 2020-21 के लिए ₹8.05 करोड़ जारी किए और ₹56.21 करोड़ अप्रयुक्त रह गए।

इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (दिसंबर 2022) कि 2021-22 के लिए ₹8.05 करोड़ जारी करने के बाद ₹48.16 करोड़ सीएफआई में जमा कर दिए गए हैं। यह दर्शाता है कि प्रारंभिक मांग अवास्तविक अनुमानों पर आधारित थी, जिसके परिणामस्वरूप निधियां लंबे समय तक निष्क्रिय रही।

इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि शिक्षा विभाग के पास एसटी और एससी दोनों छात्रों की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए एक ही खाता था, जिसमें नवंबर 2019 से ₹8.90 करोड़ की ब्याज राशि सहित ₹126.18 करोड़ की अप्रयुक्त निधि पड़ी थी। अर्जित ब्याज को संबंधित योजना के लिए अलग नहीं किया गया था और सीएफआई में हस्तांतरित नहीं किया गया था।

इसे इंगित किए जाने पर, शिक्षा विभाग ने बताया कि ब्याज राशि को संबंधित शीर्ष में हस्तांतरित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

इसी प्रकार, **पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना** के मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यान्वयन एजेंसी, बीईपीसी, पटना द्वारा मई 2018 में वर्ष 2018-19 के लिए एसटी छात्रों को छात्रवृत्ति संवितरित करने हेतु प्राप्त ₹5 करोड़ में से ₹4.72 करोड़ संवितरित किए गए और शेष ₹0.28 करोड़ अव्ययित रहे।

संबंधित विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि बीईपीसी को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए निर्दिष्ट खाते में शेष राशि अंतरित करने का निर्देश दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य ने एससी और एसटी दोनों के लिए पोस्ट-मैट्रिक से संबंधित निधियों को एक ही बैंक खाते में संयुक्त रूप से रखा, जिससे निधियों को अलग करने में कठिनाई हुई।

इसे इंगित किए जाने पर, संबंधित विभाग ने बताया कि ब्याज राशि को यथाअनुपातिक आधार पर संबंधित शीर्ष में हस्तांतरित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

- (iv) **हिमाचल प्रदेश-** पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के मामले में, विभाग के पास वर्ष 2020-21 के अंत में ₹35.29 करोड़ की राशि अव्ययित थी। यह अव्ययित राशि पोर्टल पर प्राप्त छात्रवृत्ति दावों का सत्यापन/अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थी।

संबंधित विभाग ने बताया कि राशि अनुमानित प्रस्ताव के आधार पर जारी की गई थी जो वास्तविक आवश्यकता से अधिक थी। इसके अतिरिक्त, नए पोर्टल एनएसपी और कोविड के कारण बहुत कम छात्रों ने आवेदन किया।

यह भी नोट किया गया कि 2017-18 की अवधि के दौरान केन्द्र प्रायोजित और राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए एक ही खाता संचालित किया जा रहा था। प्रत्येक योजना पर अर्जित ब्याज का विवरण विभाग के पास अलग से उपलब्ध नहीं था। परिणामस्वरूप, संबंधित योजना के ब्याज का हिस्सा (केन्द्र और राज्य-वार) ज्ञात नहीं किया जा सका।

2018-19 के दौरान प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग खाते खोलने के बाद भी, अर्जित ब्याज में केन्द्र का हिस्सा विभाग द्वारा अलग से नहीं किया गया। कुल निधि (केन्द्र और राज्य का हिस्सा) पर अर्जित ₹1.86 लाख (प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना) और ₹7.15 करोड़ (पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना) का कुल ब्याज सीएफआई में नहीं अपितु राज्य के राजकोष में जमा किया गया।

विभाग ने बताया (अगस्त 2024) कि केन्द्रीय हिस्से पर अर्जित ब्याज सीएफआई में जमा करने के लिए मंत्रालय से ऐसा कोई अनुदेश प्राप्त नहीं हुआ था। हालांकि, वर्ष 2021-22 से एसएनए के प्रावधान के साथ, केन्द्रीय हिस्से पर अर्जित ब्याज नियमित रूप से सीएफआई में जमा किया जाता है।

- (v) **जम्मू और कश्मीर:** विभाग के पास 2017-21 के दौरान पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के संबंध में ₹9.12 करोड़ की अप्रयुक्त राशि थी। इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया कि आवेदनों की प्राप्ति में कमी या बैंकिंग विवरणों में विसंगति के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त शेष राशि संचित हो गई।

छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए विभाग द्वारा एक अलग खाता रखा गया था और 2017-21 की अवधि के दौरान ₹1.34 करोड़ ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे। संबंधित विभाग ने बताया (मई 2024) कि ₹5.05 करोड़ के ब्याज सहित अप्रयुक्त राशि फरवरी 2023 में प्रशासनिक विभाग के एसएनए को हस्तांतरित की गई।

- (vi) **लद्दाख:** पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में, राज्य के हिस्से की अप्रयुक्त निधियां वर्ष के अंत में अभ्यर्पित कर दी गईं, लेकिन वर्ष के अंत में केन्द्रीय हिस्से की अप्रयुक्त शेष राशि को अगले वित्तीय वर्ष में उपयोग के लिए प्रशासनिक विभाग से पुनः सत्यापित करवाया गया।

वर्ष 2017-19 के दौरान छात्रों के खाता संख्या अमान्य होने और वर्ष 2019-20 के बाद से एनएसपी स्तर पर छात्रों के आवेदनों का निपटान न होने के कारण, पात्र छात्रों के पक्ष में छात्रवृत्ति राशि के संवितरण हेतु भुगतान फाइलें तैयार नहीं की जा सकीं, परिणामस्वरूप इन वर्षों के दौरान निधियां अप्रयुक्त रहीं। वर्ष 2020-21 के अंत में, अप्रयुक्त राशि ₹7.38 करोड़ थी। इसका उपयोग अगले वर्ष में किया गया। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट

किया गया कि वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान ब्याज के रूप में अर्जित ₹0.80 लाख सीएफआई को नहीं भेजे गए।

- (vii) **महाराष्ट्र:** प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए फरवरी 2013 में प्राप्त ₹2.51 करोड़ नौ वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त रहे। राज्य सरकार प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अपनी स्वयं की योजना चला रही थी और केन्द्रीय योजना को लागू नहीं कर रही थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में यह निधि अभ्यर्पित कर दी। यह भी आगे नोट किया गया कि अप्रयुक्त निधि पर कोई ब्याज नहीं लगाया गया।

- (viii) **नागालैंड:** वर्षों से बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त शेष राशि बनी हुई थी। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के लिए राज्य को दिसंबर 2015 में ₹8.51 करोड़ का केन्द्रीय हिस्सा जारी किया गया था। 2015-16 के अंत में ₹9.46 करोड़, 2016-17 के अंत में ₹5.24 करोड़ और 2017-18 के अंत में ₹2.82 करोड़ की शेष राशि (राज्य हिस्सा सहित) अप्रयुक्त रही। इन निधियों का पूर्ण उपयोग 2018-19 के अंत तक ही किया जा सका।

मंत्रालय ने स्वीकार किया कि ₹8.51 करोड़ की प्रथम निर्गम राशि लाभार्थियों की अधिक अनुमानित संख्या पर आधारित थी।

इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि विभाग ने 2017-18 और 2018-19 के दौरान चालू खाता बनाए रखा। वर्ष 2019-20 और 2020-21 की निधि 2021-22 में एसएनए में जारी की गई। ₹0.26 लाख की राशि ब्याज के रूप में अर्जित हुई।

विभाग ने बताया (मई 2024) कि उसने अब तक का अर्जित ब्याज जमा कर दिया था।

(ix) **सिक्किम:** प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में, विभाग के बचत बैंक खाते में ₹7.34 लाख से ₹10.47 लाख के बीच अव्ययित राशि पड़ी हुई थी।

2017-21 की अवधि के लिए ₹1.09 लाख का ब्याज संचित हुआ। हालांकि, इसे सीएफआई को नहीं भेजा गया।

विभाग ने बताया (नवंबर 2022) कि अर्जित ब्याज का उपयोग बाद में छात्रों को छात्रवृत्ति के संवितरण हेतु किया गया है, जब केन्द्र और राज्य ने निधियां उपलब्ध नहीं कराई थी।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के वितरण के लिए विभाग द्वारा अनुरक्षित बचत बैंक खातों में 2017-21 की अवधि के लिए ₹20.15 लाख का ब्याज संचित हुआ। हालांकि, इसे सीएफआई को नहीं भेजा गया।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि **कर्नाटक** और **मेघालय** में संबंधित विभागों ने निधियों को चालू खातों में रखा, और इस प्रकार, कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान कोई ब्याज अर्जित नहीं हुआ।

तमिलनाडु में, प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक दोनों छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए निधियों को एक ही खाते में रखा गया और ₹1.06 करोड़ का ब्याज राज्य सरकार को भेजा गया। अर्जित ब्याज का वह हिस्सा जो केन्द्रीय अंशदान के रूप में देय था, सीएफआई को नहीं भेजा गया।

इसे इंगित किए जाने पर, राज्य ने उत्तर दिया कि केन्द्र सरकार की निधियों से अर्जित ब्याज के भुगतान के लिए एक अलग लेखा शीर्ष प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल/मई 2023) कि सीएसएस के अंतर्गत निधियां जारी करने की नई प्रक्रिया अपनाने के बाद, एसएनए पर अर्जित ब्याज राशि राज्य/यूटी द्वारा सीएफआई को हस्तांतरित कर दी जाएगी और इसलिए, ब्याज की कोई हानि नहीं होगी।

यद्यपि यह स्वीकार्य है कि नई प्रक्रिया से निधियों के सुचारु प्रवाह में सहायता मिलेगी, तथापि, निधियों के अप्रयुक्त रह जाने में अंतर्निहित कारण, जैसे कि राज्यों द्वारा वार्षिक मांग का अनुचित अनुमान, एनएसपी और ऑनलाइन पोर्टलों में तकनीकी गड़बड़ियां, आवेदनों के प्रसंस्करण में देरी और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी को पहचाने जाने की आवश्यकता है तथा योजना की बेहतर प्रभावशीलता के लिए उपचारात्मक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

2.14.3.4 उपयोगिता प्रमाणपत्रों का प्रस्तुतीकरण

जीएफआर प्रावधानों¹³⁰ में गैर-आवर्ती अनुदानों के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह महीनों के भीतर उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत करना अनिवार्य है और आवर्ती अनुदानों के लिए आगामी वर्ष के अनुदानों के लिए पिछले वर्ष के अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत करना आवश्यक है। लेखापरीक्षित लेखे द्वारा समर्थित प्रतिपूर्ति-आधारित अनुदानों के लिए अपवाद मौजूद हैं। लेखापरीक्षा में कई राज्यों द्वारा गलत यूसी प्रस्तुत किए जाने के दृष्टांत पाए गए:

- (i) **हिमाचल प्रदेश** ने पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए ₹47.89 करोड़ के यूसी प्रस्तुत किए लेकिन राज्य के अभिलेखों के अनुसार वास्तविक व्यय ₹36.29 करोड़ था।

राज्य प्राधिकारियों ने बताया कि सत्यापन में देरी के कारण समय पर निधियां संवितरित नहीं हुईं। बजट की समाप्ति से बचने के लिए, निधियां आहरित की गईं और अगले वर्ष के वित्तपोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूसी प्रस्तुत किए गए।

- (ii) **मेघालय** ने प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ₹19.41 लाख के वास्तविक संवितरण के सापेक्ष में ₹37.50 लाख के यूसी और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ₹28.13 करोड़ के वास्तविक संवितरण के सापेक्ष में ₹58.64 करोड़ के यूसी प्रस्तुत किए।

¹³⁰ नियम 238 (1),(2) एवं (3)

राज्य प्राधिकारियों ने बताया कि अगले वर्ष के लिए समय पर संस्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण प्राप्त निधि को व्यय मानकर यूसी प्रस्तुत किए गए थे।

- (iii) **बिहार** में, लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित विभाग ने शिक्षा विभाग/कार्यान्वयन एजेंसियों से निधि के वास्तविक व्यय को प्राप्त किए बिना, प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में क्रमशः ₹173.14 लाख और ₹53.25 लाख के यूसी मंत्रालय को भेज दिए थे।

इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया कि अनुदानों को तब उपयोग किया हुआ माना जाता है जब विभाग द्वारा इसे संस्वीकृत किया जाता है और तदनुसार यूसी तैयार किए जाते हैं एवं मंत्रालय को भेजे जाते हैं।

उपरोक्त दृष्टांत निधि उपयोग की रिपोर्टिंग में कमियों को उजागर करते हैं, जो वास्तविक व्यय का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करने में बाधा डालते हैं। यूसी की गलत रिपोर्टिंग से निधियों का गैर-उपयोग या दुरुपयोग हो सकता है, जिसका अंततः लक्षित लाभार्थियों तक लाभों के प्रभावी वितरण पर प्रभाव पड़ सकता है।

2.14.3.5 मध्य प्रदेश में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत निधियों का विचलन

जीएफआर 2017 के नियम 239 के अनुसार, राज्य सरकारों को दिए गए सहायता-अनुदान का उपयोग केवल उनके संस्वीकृत उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, योजना के दिशानिर्देश इच्छित उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता के उपयोग पर रोक लगाते हैं।

लेखापरीक्षा ने मध्य प्रदेश में एसटी के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए आवंटित निधियों के विचलन को प्रकट किया। इस योजना के लिए निर्धारित अलीराजपुर जिले में ₹1.27 करोड़ और मंडला जिले में ₹29.05 लाख का अन्य कार्यक्रमों जैसे *आवास सहायता योजना* एवं एससी छात्रों (2017-21) के लिए छात्रवृत्तियों हेतु विचलन कर दिया गया।

इंगित किए जाने पर, मध्य प्रदेश के सरकारी प्राधिकारियों ने बताया (सितंबर 2024) कि बजट की कमी के कारण एससी छात्रवृत्तियों और एसटी छात्रों के लिए आवास सहायता योजना का भुगतान एसटी के लिए छात्रवृत्ति योजना की निधियों से किया गया था।

निधियों के जारी करने और उपयोग के संबंध में उपरोक्त प्रणालीगत मुद्दे न केवल जरूरतमंद आदिवासी छात्रों के अभिभावकों को समय पर सहायता प्रदान करने के उद्देश्य के विरुद्ध हैं, बल्कि निधियों को अलग रखने के कारण राजकोष पर भी बोझ डालते हैं।

मंत्रालय ने बताया (मार्च 2025) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को ध्यान में रखते हुए, दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है और सख्त अनुपालन के अनुदेश जारी किए गए हैं। संशोधित दिशानिर्देशों में वार्षिक कार्यान्वयन समय-सीमा और केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल हैं।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि मंत्रालय को रियल टाइम मॉनीटरिंग के लिए तकनीकी उपकरणों का लाभ उठाकर छात्रवृत्ति योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। मंत्रालय को राज्यों/यूटी को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित सभी मामलों पर उपचारात्मक कार्रवाई करने के अनुदेश देने की भी आवश्यकता है।

2.14.4 योजनाओं के कार्यान्वयन में कमियां

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के 26,529 आवेदनों और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के 30,867 आवेदनों तथा विभिन्न स्तरों पर नोडल एजेंसियों द्वारा अनुरक्षित डेटाबेस की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा को योजना के कार्यान्वयन में कई विसंगतियाँ मिलीं। राज्यवार विवरण अनुलग्नक-2.31 में दिया गया है। नमूने के निष्कर्ष आगामी पैराओं में दर्शाए गए हैं।

2.14.4.1 उन छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना जिनके माता-पिता की आय निर्धारित सीमा से अधिक हो

लेखापरीक्षा निष्कर्षों से पता चला कि छात्रवृत्तियां उन छात्रों को प्रदान की गई थी जिनके माता-पिता/अभिभावकों की आय निर्धारित सीमा¹³¹ से अधिक थी।

छत्तीसगढ़ में समग्र छात्रवृत्ति आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित 589 छात्रों को ₹45.02 लाख की राशि उनके माता-पिता की निर्धारित आय सीमा से अधिक होने के बावजूद प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त अभिलेखों की आगे की नमूना जांच से पता चला कि **त्रिपुरा** में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, छः लाभार्थियों को ₹0.20 लाख की राशि प्राप्त हुई, जबकि उनके माता-पिता की आय निर्धारित सीमा से अधिक थी। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए, **अरुणाचल प्रदेश** (22 छात्र, ₹6.00 लाख), **ओडिशा** (3 छात्र, ₹0.76 लाख) और **त्रिपुरा** (3 छात्र, ₹0.63 लाख) में भी इसी तरह के मामले देखे गए।

उत्तर में, **छत्तीसगढ़** के सरकारी प्राधिकारियों ने बताया कि उन्होंने अयोग्य छात्रों से वसूली शुरू कर दी है। **त्रिपुरा** और **ओडिशा** सरकारों ने बताया कि सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। **अरुणाचल प्रदेश** ने एनएसपी आवेदन में तकनीकी गड़बड़ियों को समस्या का कारण बताया और कहा कि उसने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए मंत्रालय को सूचित कर दिया है।

मूल पात्रता आवश्यकता का गैर-अनुपालन ज़रूरतमंद एसटी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य के विरुद्ध है।

2.14.4.2 वैध आय प्रमाणपत्र के बिना छात्रों का चयन

दोनों प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार, छात्रवृत्ति आवेदनों में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए: (i) स्व-नियोजित माता-पिता/अभिभावकों द्वारा आय की घोषणा, जिसमें गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर

¹³¹ (2019-20 तक ₹2.00 लाख, बाद में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में ₹2.50 लाख प्रति वर्ष एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में ₹2.50 लाख प्रति वर्ष)।

शपथ-पत्र के माध्यम से सभी स्रोतों से निश्चित आय का उल्लेख हो या (ii) नियोजित माता-पिता/अभिभावकों को अपने नियोक्ता से आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है और उन्हें अन्य स्रोतों से किसी भी अतिरिक्त आय के लिए गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र के माध्यम से घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

फील्ड लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से प्रकट हुआ कि सात राज्यों/यूटी¹³² के 3,267 छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति मिली, जबकि आवेदनों के साथ आय प्रमाण पत्र या आय-प्रमाण नहीं था। इसी प्रकार, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए, छः राज्यों/यूटी¹³³ के 1,126 छात्रों को आवश्यक आय दस्तावेजों के बिना ही छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

उत्तर में, **जम्मू और कश्मीर, लद्दाख** एवं **उत्तराखंड** राज्यों के सरकारी प्राधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। **त्रिपुरा** में, राज्य सरकार ने बताया कि संस्थानों को छात्रों के दस्तावेजों की प्रामाणिकता सत्यापित करने और भविष्य के निरीक्षण के लिए उन्हें बनाए रखने का अनुदेश दिया जाएगा। **केरल** में, राज्य सरकार ने बताया कि उसने जिला अधिकारियों को ई-ग्रांट पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदकों के आय प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। ओडिशा राज्य सरकार ने बताया कि उसने प्री-मैट्रिक छात्रों के लिए आय प्रमाण पत्र के बजाय बीपीएल/अंत्योदय/अन्नपूर्णा कार्ड जमा करने के नियमों में छूट दी है और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों के लिए, सत्यापन हेतु एक विस्तृत एसओपी प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रणाली में सुधार के लिए अतिरिक्त उपायों की योजना बनाई गई है। **तमिलनाडु** में, राज्य सरकार ने बताया कि स्व-वित्तपोषित संस्थान आय प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं, जबकि सरकारी संस्थान प्रवेश के दौरान इन प्रमाणपत्रों पर निर्भर

¹³² जम्मू और कश्मीर (633 छात्र), केरल (421 छात्र), मध्य प्रदेश (934 छात्र), ओडिशा (73 छात्र), तमिलनाडु (1160 छात्र), त्रिपुरा (6 छात्र) एवं उत्तराखंड (40 छात्र)।

¹³³ जम्मू और कश्मीर (343 छात्र), लद्दाख (15 छात्र), ओडिशा (26 छात्र), तमिलनाडु (723 छात्र), त्रिपुरा (3 छात्र) एवं उत्तराखंड (16 छात्र)।

रहते हैं। संस्थानों को छात्रवृत्ति सहायता के लिए संबंधित दस्तावेजों को एकत्रित करने के लिए अनुदेश जारी किए जाएंगे।

2.14.4.3 एसटी प्रमाण पत्र में विसंगतियों वाले आवेदनों की स्वीकृति

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना दिशानिर्देश के पैरा 12 (सी) और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना दिशानिर्देश के पैरा XI (डी) के अनुसार, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र (मूल प्रति) शामिल होना चाहिए, जिस पर प्राधिकृत राजस्व अधिकारी के विधिवत हस्ताक्षर हों जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।

आवेदनों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि बिहार में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, एसटी समुदाय के बजाय एससी या ओबीसी के 20 छात्रों को ₹0.36 लाख प्रदान किए गए। इसी प्रकार, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, मध्य प्रदेश में 34 एससी और ओबीसी के छात्रों को ₹3.91 लाख एवं हिमाचल प्रदेश में एक एससी छात्र को ₹0.30 लाख संवितरित किए गए।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के मामले में, आवेदनों और संलग्न अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि छः राज्यों/यूटी¹³⁴ में 1,560 आवेदनों के साथ अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था, फिर भी उन पर छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इसी प्रकार, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में, लेखापरीक्षा ने पाया कि जिन छः राज्यों/यूटी¹³⁵ में 532 मामलों में अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था, उन्हें भी छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

राज्यों ने उत्तर दिया है कि मामले की जांच की जाएगी और उत्तरदायित्व निर्धारित करने जैसे सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

¹³⁴ गुजरात (418 छात्र), जम्मू और कश्मीर (488 छात्र), लद्दाख (14 छात्र), तमिलनाडु (617 छात्र), त्रिपुरा (6 छात्र) एवं उत्तराखंड (17 छात्र)।

¹³⁵ जम्मू और कश्मीर (141 छात्र), लद्दाख (40 छात्र), ओडिशा (8 छात्र), तमिलनाडु (301 छात्र), त्रिपुरा (3 छात्र) एवं उत्तराखंड (39 छात्र)।

2.14.4.4 एक ही कक्षा/पाठ्यक्रम के लिए कई बार लाभ प्रदान करना

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के दिशानिर्देशों¹³⁶ के अनुसार, किसी भी कक्षा में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी। इसी प्रकार, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के दिशानिर्देशों¹³⁷ में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि, (i) इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति धारक कोई अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा प्राप्त न करे, (ii) एक बार प्रदान की गई छात्रवृत्ति, उस चरण से लेकर पाठ्यक्रम पूरा होने तक मान्य रहेगी, और (iii) जो अभ्यर्थी शिक्षा के एक चरण को उत्तीर्ण करने के बाद, उसी चरण में किसी अन्य विषय में किसी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं, वे छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

आवेदनों की नमूना-जांच, छात्रवृत्ति भुगतान और छात्रवृत्ति पोर्टल की जांच के दौरान यह पाया गया कि छः राज्यों में 1,048 लाभार्थियों को एक ही कक्षा/योजना/पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए एक से अधिक बार प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति मिली, जिसके परिणामस्वरूप ₹27.88 लाख का अधिक भुगतान हुआ। इसी प्रकार, पाँच राज्यों में 84 मामलों में, एक ही पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे लाभार्थियों को एक से अधिक बार पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹7.77 लाख का अधिक भुगतान हुआ। एक ही कक्षा/पाठ्यक्रम के लिए एक से अधिक बार छात्रवृत्ति प्राप्त करने का विवरण तालिका 2.21 में दिया गया है।

तालिका 2.21: एक ही कक्षा/पाठ्यक्रम के लिए दो या अधिक बार छात्रवृत्ति का संवितरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्री-मैट्रिक योजना		पोस्ट-मैट्रिक योजना	
		लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि
1.	बिहार	3	0.05	-	-
2.	गुजरात	180	4.99	-	-
3.	हिमाचल प्रदेश	-	-	6	1.80
4.	जम्मू और कश्मीर	92	2.07	11	0.59
5.	मध्य प्रदेश	639	16.35	24	1.00

¹³⁶ प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के दिशानिर्देशों का पैरा 4 (v)।

¹³⁷ पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के दिशानिर्देशों का पैरा III(xii), पैरा VII(i) एवं पैरा III(iv)।

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्री-मैट्रिक योजना		पोस्ट-मैट्रिक योजना	
		लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि
6.	मणिपुर	27	1.08	33	3.76
7.	मेघालय	-	-	10	0.62
8.	ओडिशा	107	3.34	-	-
कुल		1048	27.88	84	7.77

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर में, राज्यों ने बताया कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश ने बताया कि उसने पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छः छात्रों से ₹0.25 लाख वसूल किए हैं; शेष वसूली प्रगति पर है।

2.14.4.5 छात्रावासी दर पर अनावासी छात्रों को छात्रवृत्तियां और इसके विपरीत

अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन राज्यों में 1,212 अनावासी छात्रों को छात्रावासी को मिलने वाले लाभ प्रदान किए गए, जिसके परिणामस्वरूप प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ₹32.13 लाख का अधिक भुगतान हुआ। इसी प्रकार, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के मामले में, दो राज्यों में 253 अनावासी छात्रों को छात्रावासी की दर पर छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹18.59 लाख का अधिक भुगतान हुआ। विवरण तालिका 2.22 में दिया गया है।

तालिका 2.22: छात्रावासी दर पर अनावासी छात्रों को स्वीकार्य लाभ प्रदान करना

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्री-मैट्रिक योजना		पोस्ट-मैट्रिक योजना	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	गुजरात	23	0.51	-	-
2.	ओडिशा	36	0.96	242	17.87
3.	सिक्किम	-	-	11	0.72
4.	त्रिपुरा	1153	30.66	-	-
कुल		1212	32.13	253	18.59

उत्तर में, गुजरात के सरकारी प्राधिकारियों ने बताया कि छात्र छात्रावास में रह रहे थे और तदनुसार छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया था। यह उत्तर तथ्यात्मक रूप से

गलत है क्योंकि लेखापरीक्षा में छात्रावास के रजिस्ट्रों की जांच की गई और यह पाया गया कि ये छात्र छात्रावास में नहीं रह रहे थे।

ओडिशा में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के मामले में, सरकारी प्राधिकारियों ने बताया कि 2021-22 से ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल (ओएसएसपी) पर योजना को लागू करने के बाद मैनुअल प्रविष्टि की व्यवस्था और जनशक्ति की कमी को दूर किया गया है। पोस्ट-मैट्रिक योजना के मामले में, संबंधित संस्थानों द्वारा छात्रावासी होने के दावे के उचित सत्यापन के लिए एसओपी जारी की गई है।

त्रिपुरा के मामले में, यह बताया गया कि संस्थान को किसी छात्र के छात्रावासी या अनावासी छात्र होने के सत्यापन की पुष्टि करने का अनुदेश दिया जाएगा और विसंगतियों के मामले में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

2.14.4.6 पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुमोदित शुल्क संरचना से भिन्न दरों पर शुल्क का भुगतान

पोस्ट-मैट्रिक योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, छात्र नामांकन/पंजीकरण, ट्यूशन, खेल, संघ, पुस्तकालय, पत्रिका, चिकित्सा परीक्षण और संस्थान या विश्वविद्यालय/बोर्ड को उनके द्वारा अनिवार्य रूप से देय अन्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं, जो सक्षम राज्य/केन्द्र सरकार प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार देय है। लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्नलिखित तीन राज्यों में, छात्रों की ओर से संस्थानों को सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना की तुलना में अधिक शुल्क प्रतिपूर्ति की गई थी:

(क) आंध्र प्रदेश: राज्य सरकार प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना की तुलना में 63 छात्रों की ओर से ₹7.54 लाख की ट्यूशन फीस का अधिक भुगतान किया गया।

(ख) हिमाचल प्रदेश: 2018-20 की अवधि के दौरान, हिमालयन नर्सिंग स्कूल काला अंब, सिरमौर ने तीन छात्रों के संबंध में संबंधित कोटे के अंतर्गत राज्य सरकार¹³⁸ द्वारा अनुमोदित शुल्क से अधिक शुल्क प्रतिपूर्ति का दावा किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹0.99 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

संबंधित विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि सत्यापन प्रक्रिया में देरी के कारण इस अवधि के दौरान लाभार्थियों को भुगतान किया गया था। विभाग मामले की जांच करेगा और जहाँ तक संभव होगा, इसकी वसूली करेगा।

(ग) महाराष्ट्र: गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों के लिए शुल्क नियामक प्राधिकरण¹³⁹ (एफआरए) द्वारा निर्धारित शुल्क में *अन्य बातों के साथ-साथ* ट्यूशन फीस, पुस्तकालय शुल्क, जिमखाना शुल्क, परीक्षा शुल्क, विकास शुल्क या किसी भी पाठ्यचर्या या सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों के लिए देय राशि, प्रयोगशाला शुल्क, सूचना विवरणिका शुल्क और छात्रों से एकत्र की गई कोई अन्य राशि शामिल है। इस प्रकार, चूंकि एफआरए द्वारा निर्धारित शुल्क में सभी शुल्क शामिल थे, इसलिए कोई अन्य शुल्क अलग से देय नहीं था।

महाडीबीटी पोर्टल डेटा के विश्लेषण से पता चला कि गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थानों को 2018-21 के दौरान एफआरए द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त 'अन्य शुल्क' का भुगतान किया गया था। पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य शुल्क का अतिरिक्त भुगतान नीचे तालिका 2.23 में दिया गया है:

¹³⁸ हिमाचल प्रदेश सरकार, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने हिमाचल प्रदेश निजी चिकित्सा शिक्षण संस्थान (प्रवेश का विनियमन और शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2006 की धारा 3 और 7 के अनुसरण में 2011-12 से शुरू होने वाले शैक्षणिक वर्ष के लिए राज्य और प्रबंधन कोटा के अंतर्गत चयनित छात्रों के लिए शुल्क अधिसूचित (अगस्त 2011) किया।

¹³⁹ महाराष्ट्र गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश और शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2015 के माध्यम से गठित।

तालिका 2.23: 'अन्य शुल्क' का अधिक भुगतान

(₹ लाख में)

संस्थानों के प्रकार	2018-19		2019-20		2020-21		कुल योग	
	छात्रों की संख्या	अधिक भुगतान						
गैर-सहायता प्राप्त मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज	558	1.24	188	5.30	104	2.93	850	9.47
गैर-सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज	6632	47.84	6460	69.26	3149	47.55	16,241	164.65
कुल	7,190	49.08	6,648	74.56	3,253	50.48	17,091	174.12

उत्तर में विभाग ने बताया कि शुल्क विनियामक प्राधिकरण से शुल्क का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाएगा।

2.14.4.7 पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुरक्षण भत्ते की गलत गणना

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के दिशानिर्देश विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों (समूह-I से IV)¹⁴⁰ के लिए निर्दिष्ट दरों पर अनावासी छात्रों और छात्रावासियों को देय अनुरक्षण भत्ते के भुगतान के लिए मानदंड और आवधिकता प्रदान करते हैं।

लेखापरीक्षा के दौरान छात्रवृत्ति आवेदनों और संस्थान के अभिलेखों की जांच से पता चला कि पाँच राज्यों में 238 छात्रों के संबंध में, अनावासी छात्रों और छात्रावासियों को देय अनुरक्षण भत्ते की गणना गलत तरीके से की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹4.84 लाख का अधिक भुगतान हुआ और आंध्र प्रदेश में 269 छात्रों के मामले में ₹15.30 लाख का कम भुगतान हुआ, जैसा कि तालिका 2.24 में विवरण दिया गया है:

¹⁴⁰ पोस्ट-मैट्रिक योजना दिशानिर्देशों का पैरा V ।

तालिका 2.24: अनुरक्षण भत्ते की गलत गणना

(₹ लाख में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	छात्रों की सं.	राशि	टिप्पणियां
अनुरक्षण भत्ते की गलत गणना के कारण अधिक भुगतान				
1.	आन्ध्र प्रदेश	89	0.53	राज्य द्वारा अधिसूचित लागू दरों की तुलना में अनुरक्षण भत्ते का अधिक भुगतान किया गया।
2.	मणिपुर	36	1.47	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) के अंतर्गत निःशुल्क बोर्डिंग या आवास सुविधा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को छात्रावासियों के लिए लागू दर के एक तिहाई के प्रावधान के बजाय पूर्ण दर पर अनुरक्षण भत्ते का भुगतान किया गया।
3.	ओडिशा	27	0.79	योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रवेश की तिथि से गणना करने के बजाय अधिक महीनों के लिए अनुरक्षण भत्ते का भुगतान किया गया।
4.	सिक्किम	20	1.18	योजना दिशानिर्देशों में लागू दरों की तुलना में अनुरक्षण भत्ते का अधिक भुगतान किया गया।
5.	तेलंगाना	66	0.87	योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रवेश की तिथि से गणना करने के बजाय अधिक महीनों के लिए अनुरक्षण भत्ते का भुगतान किया गया।
कुल		238	4.84	
अनुरक्षण भत्ते की गलत गणना के कारण कम भुगतान				
	आन्ध्र प्रदेश	269	15.30	राज्य द्वारा अधिसूचित लागू दरों की तुलना में कम अनुरक्षण भत्ते का भुगतान किया गया।

मणिपुर और सिक्किम ने बताया कि भविष्य में अनुपालन हेतु लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया गया है। तेलंगाना ने उत्तर दिया कि ई-पास पोर्टल में एडिट विकल्प (आंशिक भुगतान सक्रिय करने हेतु) को सक्रिय करके इस समस्या के समाधान हेतु कार्रवाई की जाएगी। ओडिशा में, संबंधित विभाग ने बताया कि छात्रवृत्ति का भुगतान संबंधित संस्थान द्वारा प्रेरणा पोर्टल में दर्ज महीनों की संख्या के आधार पर किया गया था। विभाग ने संस्थानों के निरीक्षण और निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर भुगतान करने के अनुदेश जारी किए हैं।

2.14.4.8 पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया

- (i) लेखापरीक्षा ने पाया कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत चार राज्यों के 3,830 पात्र छात्रों को तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छः राज्यों/यूटी के 19,588 पात्र छात्रों को विभिन्न कारणों से छात्रवृत्ति संवितरित नहीं की जा सकी, जैसा कि तालिका 2.25 में दिया गया है।

तालिका 2.25: पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का संवितरण न होना

क्र. सं.	राज्य/यूटी का नाम	प्री-मैट्रिक योजना		पोस्ट-मैट्रिक योजना		टिप्पणियां
		छात्रों की सं.	वर्ष	छात्रों की सं.	वर्ष	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	472	2017-20	संबंधित विभाग के अनुसार, 2017-18 में पीएफएमएस के साथ निधियों को न जोड़े जाने के कारण इसका उपयोग नहीं हो सका, जिससे 308 छात्र प्रभावित हुए। 2018-2020 के दौरान, निधियों की कमी के कारण 164 छात्र प्रभावित हुए। विभाग ने बताया कि 2019-20 से पंजीकरण के लिए ऑफलाइन पद्धति अपनाई गई है और भुगतान डीबीटी मोड के माध्यम से किया गया है

क्र. सं.	राज्य/यूटी का नाम	प्री-मैट्रिक योजना		पोस्ट-मैट्रिक योजना		टिप्पणियां
		छात्रों की सं.	वर्ष	छात्रों की सं.	वर्ष	
						जिससे छात्रों को बकाया भुगतान करना मुश्किल है क्योंकि भारत सरकार एनएसपी/पीएफएमएस का उपयोग किए बिना भुगतान करने की अनुमति नहीं देती है।
2.	आन्ध्र प्रदेश	136	2017-18 और 2018-19	-	-	पुराने आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण राज्य सरकार के जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा राशि का संवितरण न करने के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका।
3.	बिहार	2371	2018-19	-		केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संबंधित विभाग को कम निधियां जारी करने के कारण।
		-		49	2017-18	भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण। राज्य विभाग ने बताया कि डीडब्ल्यूओ से रिपोर्ट मांगी गई है।
		173	2017-18 से 2020-21	209	2019-20 और 2020-21	अनुमोदन पदानुक्रम के विभिन्न चरणों में आवेदनों के प्रसंस्करण न होने के कारण। विभाग ने बताया कि संबंधित डीपीओ से रिपोर्ट मांगी गई है।
4.	दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली	-	-	616	2019-20 और 2020-21	यूटी प्रशासन ने राशि के संवितरित न होने के लिए केन्द्रीय अनुदान का जारी न होना कारण बताया।
5.	गुजरात	183	2017-18	-		राज्य विभाग ने बताया कि डिजिटल

क्र. सं.	राज्य/यूटी का नाम	प्री-मैट्रिक योजना		पोस्ट-मैट्रिक योजना		टिप्पणियां
		छात्रों की सं.	वर्ष	छात्रों की सं.	वर्ष	
			और 2019-20			गुजरात पोर्टल में कुछ तकनीकी खराबी के कारण 105 छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जा सका। शेष 78 मामलों में, स्कूल/संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति के आवेदनों को संसाधित नहीं किया गया।
		-	-	463	2019-20 और 2020-21	संबंधित विभाग ने बताया कि छात्रवृत्ति का संवितरण प्रक्रियाधीन है क्योंकि छात्र राज्य से बाहर अध्ययन कर रहे हैं।
6.	जम्मू और कश्मीर	-	-	757	2019-20	शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से संबंधित आवेदन मार्च 2022 तक सत्यापन के लिए लंबित थे। संबंधित विभाग ने लंबित सत्यापन के कारण देरी की पुष्टि की, हालांकि, उन्होंने आगे बताया कि विभाग ने हमेशा उन छात्रों को छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान किया है जिन्होंने अपने दस्तावेज सही रूप से और समय पर जमा किए थे।
7.	केरल	967	2017-18 से 2020-21	-	-	उत्तर में यह बताया गया कि छात्रों के खाता/आधार संख्या से संबंधित सूचना की अनुपलब्धता के कारण पात्र छात्रों के आवेदन ई-ग्रांट पोर्टल पर अपलोड नहीं किए जा सके, जिसके परिणामस्वरूप छात्रवृत्ति का वितरण नहीं हो सका।
8.	तेलंगाना	-		17,022	2017-18 से	संस्थाओं द्वारा बार-कोडेड हार्ड कॉपी जमा न करने, आधार प्रमाणीकरण

क्र. सं.	राज्य/यूटी का नाम	प्री-मैट्रिक योजना		पोस्ट-मैट्रिक योजना		टिप्पणियां
		छात्रों की सं.	वर्ष	छात्रों की सं.	वर्ष	
					2020-21	लंबित रहने, निधि की समाप्ति आदि के कारण 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लाभार्थियों को छात्रवृत्ति संस्वीकृत और भुगतान नहीं की गई। संबंधित विभाग ने उत्तर दिया (जून 2024) कि मांगे गए जिला-वार आवेदन की स्थिति अभी प्राप्त नहीं हुई है।
	कुल	3,830		19,588		

- (ii) **तेलंगाना** राज्य ने पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप माता-पिता की आय पात्रता सीमा को ₹2.50 लाख तक नहीं बढ़ाया। इसलिए, जिन छात्रों के माता-पिता की आय ₹2.00 से ₹2.50 लाख के बीच थी और जो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने एवं प्राप्त करने के पात्र थे, वे इस लाभ से वंचित रह गए।

संबंधित विभाग ने बताया (जून 2024) कि आय सीमा को ₹2.00 लाख से बढ़ाकर ₹2.50 लाख करने का प्रस्ताव तेलंगाना सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

- (iii) लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि वर्ष 2017-21 के दौरान प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आठ राज्यों/यूटी के 13,090 छात्रों और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आठ राज्यों/यूटी के 16,045 छात्रों को छात्रवृत्ति उनके बैंक खाते से संबंधित कारणों, जैसे बैंक खाते का अवरुद्ध/फ्रीज होना, या खाता बंद होना, या खाता न होना, के कारण संवितरित नहीं की जा सकी। राज्य-वार विवरण **तालिका 2.26** में दिया गया है।

तालिका 2.26: बैंक खातों से संबंधित समस्याओं के कारण छात्रवृत्ति का संवितरण न होना

क्र. सं.	राज्य/यूटी का नाम	प्री-मैट्रिक योजना	पोस्ट-मैट्रिक योजना
1.	अरुणाचल प्रदेश	1680	1932
2.	बिहार	259	-
3.	जम्मू और कश्मीर	2,958	185
4.	कर्नाटक	4,364	5,096
5.	लद्दाख	40	198
6.	मणिपुर	328	3,391
7.	पुदुचेरी	-	3
8.	तमिलनाडु	2,285	2,150
9.	पश्चिम बंगाल	1,176	3,090
कुल		13,090	16,045

राज्य सरकार के प्राधिकारियों ने उत्तर दिया कि उन्होंने छात्रवृत्ति संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें खाता विवरण सही करना (बिहार, पुदुचेरी), आधार से जुड़े बैंक खातों के बारे में जागरूकता पैदा करना (कर्नाटक), छात्रों से असफल लेनदेन विवरण अपडेट करने का अनुरोध करना (मणिपुर), और संस्थागत नोडल शिक्षकों को दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करने के लिए जागरूक करना (पश्चिम बंगाल) शामिल हैं। लद्दाख के सरकारी प्राधिकारियों ने प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के मामले में बताया कि उन्होंने भविष्य में अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया है, जबकि पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के मामले में उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रिंट मीडिया में दिए गए नोटिस पर छात्रों की खराब प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने असंवितरित राशि राजकोष में जमा कर दी थी।

2.14.4.9 गलत प्रमाणपत्रों पर छात्रवृत्तियां प्रदान करना

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के दिशानिर्देशों¹⁴¹ के अनुसार, छात्रवृत्ति सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा IX या X में अध्ययनरत नियमित, पूर्णकालिक छात्र

¹⁴¹ प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के दिशानिर्देशों का पैरा 4(iv)

को प्रदान की जानी है। इसी प्रकार, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के दिशानिर्देशों¹⁴² में अपेक्षित है कि मान्यता प्राप्त संस्थानों में सभी मान्यता प्राप्त पोस्ट-मैट्रिकुलेशन के बाद के पोस्ट-माध्यमिक पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी।

आवेदनों और संबंधित अभिलेखों की जांच से पता चला कि **जम्मू और कश्मीर** में 25 लाभार्थियों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया गया था, हालांकि, अभिलेखों से पता चला कि वे कक्षा VIII में अध्ययनरत थे।

संबंधित विभाग ने बताया (मई 2024) कि मामले को सुधार हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी के समक्ष उठाया गया है।

यह पाया गया कि **बिहार** के आठ छात्रों और **झारखंड** के छः छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत क्रमशः ₹0.14 लाख और ₹0.13 लाख की छात्रवृत्ति मिली। हालांकि, स्कूल अभिलेखों की जांच करने पर यह पाया गया कि वे इन स्कूलों में अध्ययनरत नहीं थे।

इसी प्रकार, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए, सात राज्यों के 949 छात्रों को योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹3.30 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जैसा कि **तालिका 2.27** में विवरण दिया गया है:

तालिका 2.27: अपात्र संस्थानों से दावा की गई पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति

क्रम सं.	राज्य/यूटी का नाम	छात्रों की संख्या	राशि	टिप्पणियां
1	हिमाचल प्रदेश	5	1.50	वर्ष 2017-18 के दौरान, एनआईईएलआईटी केन्द्र, नेहान के छात्रों को छात्रवृत्ति संवितरित की गई, जबकि यह पाया गया कि ये छात्र राजकीय महाविद्यालय, रामपुर में नियमित छात्र के रूप में नामांकित थे। विभाग ने बताया (अगस्त 2024) कि

¹⁴² पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के दिशानिर्देशों का पैरा III (ii)

क्रम सं.	राज्य/यूटी का नाम	छात्रों की संख्या	राशि	टिप्पणियां
				एनआईईएलआईटी केन्द्र को फर्जी प्रवेश दावे की राशि को जमा करने का निर्देश दिया गया है।
2	जम्मू और कश्मीर	74	31.78	<p>कुछ कंप्यूटर संस्थाओं से जुड़े लाभार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति के लिये अनेक दावे किए गए और 2017-18 के दौरान शुल्क और अनुरक्षण भत्ते के रूप में भुगतान किया गया।</p> <p>लेखापरीक्षा ने पाया कि इन कंप्यूटर संस्थानों ने उन छात्रों के दस्तावेज एकत्र किए जो सरकारी कॉलेजों/संस्थानों में नामांकित थे और इन संस्थानों में नहीं गए थे।</p> <p>उत्तर में, विभाग ने बताया कि फर्जी लाभार्थियों/धोखेबाजों या एक से ज्यादा बार छात्रवृत्ति का दावा करने वाले फर्जी छात्रों की पहचान करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। वर्तमान में यह योजना एनएसपी में शामिल है, जिससे फर्जी पहचान द्वारा छात्रवृत्ति पाने की संभावना बहुत कम है।</p>
3	लद्दाख	105	28.08	<p>आंकड़ों के विश्लेषण से यह पाया गया कि कारगिल जिले के छात्रों ने 2017-21 के दौरान निजी कंप्यूटर संस्थानों और सरकारी डिग्री कॉलेजों में एक साथ पंजीकरण करके छात्रवृत्ति प्राप्त की।</p> <p>संबंधित विभाग ने बताया कि उस समय फर्जी लाभार्थियों/धोखेबाजों की पहचान करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। वर्तमान में यह एनएसपी पर आधारित है और नए ऑनलाइन मोड में एक से अधिक बार छात्रवृत्ति का दावा करने की संभावना बहुत कम है।</p>

क्रम सं.	राज्य/यूटी का नाम	छात्रों की संख्या	राशि	टिप्पणियां
4	मिज़ोरम	53	4.07	आवेदक संस्थानों के वास्तविक छात्र नहीं थे, क्योंकि संस्थान के प्राधिकारियों ने नमूना जांच के दौरान दावा किया कि वे उनके संस्थान के नहीं हैं।
5	ओडिशा	14	3.65	वर्ष 2016-17 की अवधि के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान वर्ष 2018-19 के दौरान किया गया, लेकिन छात्रों के नाम वर्ष 2016-17 के लिए कॉलेज के प्रवेश रजिस्टर में उपलब्ध नहीं थे।
		49	16.64	फर्जी बैंक खाता संख्या बताकर अथवा अन्य तरीकों से दो अलग-अलग संस्थानों से छात्रवृत्ति का लाभ उठाया।
6	उत्तराखंड	76	2.29	<p>छात्रवृत्ति लाभ के विस्तार के ऐसे मामले भी सामने आए जहाँ लाभार्थियों का नामांकन उन संस्थानों में नहीं था जिनका उन्होंने आवेदन पत्र में दावा किया था।</p> <ul style="list-style-type: none"> • यू.एस. नगर जिले में, वर्ष 2017-18 के लिए 57 लाभार्थियों को ₹1.31 लाख का भुगतान किया गया। • चमोली जिले में, वर्ष 2017-18 के लिए 17 लाभार्थियों को ₹0.94 लाख का भुगतान किया गया। • देहरादून जिले में, वर्ष 2017-18 से संबंधित दो लाभार्थियों को ₹4600 का भुगतान किया गया।
7	पश्चिम बंगाल	573	241.86	डिलिजेंट टेक से प्राप्त ओएसआईएस डेटा का जनजातीय विभाग और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के परामर्श से विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि ऐसे संस्थानों और डिग्री कॉलेजों में बी.टेक/बी.ई. पाठ्यक्रम

क्रम सं.	राज्य/यूटी का नाम	छात्रों की संख्या	राशि	टिप्पणियां
				कर रहे छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान जारी किया गया, जो ये पाठ्यक्रम प्रदान नहीं करते थे। विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2024) कि परियोजना अधिकारियों को भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कहा गया है।
	कुल	949	329.87	

2.14.4.10 आवेदक के बैंक खाते के अतिरिक्त अन्य खातों में छात्रवृत्ति का भुगतान

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के दिशानिर्देशों¹⁴³ में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, डाकघरों/बैंकों में आवेदकों के खातों के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, सभी राज्य सरकारों और यूटी के प्रशासनों को एक लाभार्थी डेटाबेस बनाना आवश्यक है, जिसे यूआईडीएआई के साथ (क) आधार संख्या (यूआईडी संख्या) जोड़कर, (ख) छात्रवृत्ति जमा करने के लिए यूआईडीएआई सक्रिय बैंक खाते (यूईबीए) का उपयोग करके, और (ग) लाभार्थी की पहचान के लिए यूआईडीएआई प्रमाणीकरण सेवाओं का उपयोग करके एकीकृत किया जा सकता है।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए, मंत्रालय के पत्र (मई 2013) में राज्यों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि सभी लाभार्थियों के पास बैंक खातों को आधार से जोड़ने के लिए आधार संख्या हो ताकि आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) के माध्यम से बैंक खातों में छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने तीसरे पक्ष के बैंक खाते, अर्थात् लाभार्थियों या उनके माता-पिता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति के भुगतान के मामले पाए।

¹⁴³ प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के दिशानिर्देशों का पैरा 13।

मध्य प्रदेश में, 2017-21 के लिए चयनित जिलों के शिक्षा पोर्टल डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 475 मामलों में, ₹13.90 लाख की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति 25 ऐसे बैंक खातों के माध्यम से भुगतान की गई, जो छात्रों या उनके माता-पिता के नाम पर नहीं थे। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि एक ही खाते को दो से 87 बार तक दोहराया गया था। सत्यापन पर, ये बैंक खाते अन्य लोगों के नाम पर पाए गए। बार-बार अनुस्मारकों के बाद भी संबंधित प्राधिकारियों ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

योग्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई योजनाओं के कार्यान्वयन में उपरोक्त विसंगतियां इसके कार्य-निष्पादन और प्रभावशीलता को कम कर सकती हैं।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि मंत्रालय को स्कूल नामांकन अभिलेखों और आय प्रमाण पत्रों जैसे डेटाबेस के आधार पर आवेदनों की जांच करने, विसंगतियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए आवधिक लेखापरीक्षा आयोजित करने; एवं योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से तृतीय-पक्ष मूल्यांकन आयोजित करने के लिए तकनीक का उपयोग करके सत्यापन तंत्र में सुधार करने की आवश्यकता है।

अध्याय -III

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

इस अध्याय में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर हुए एक लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल है।

(I) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड

3.1 डीपीई दिशानिर्देशों के विचलन में छुट्टी का नकदीकरण

अर्जित छुट्टी के ऑटोमेटिक नकदीकरण तथा डीपीई दिशानिर्देशों के विचलन में 30 दिनों के बजाए 26 दिनों के आधार पर ईएल/एचपीएल के नकदीकरण के परिणामस्वरूप 2015-16 से 2023-24 के दौरान कम्पनी द्वारा ₹33.68 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा अप्रैल 1987 में जारी दिशानिर्देशों तथा दिनांक 17 जुलाई 2012 एवं 7 फरवरी 2014 के बाद के स्पष्टीकरणों के अनुसार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) को भारत सरकार द्वारा निर्धारित विस्तृत मापदण्डों के भीतर अपनी स्वयं की छुट्टी नीतियां तैयार करने की अनुमति है। विशेष रूप से:

- अधिवर्षिता पर अर्जित छुट्टी (ईएल)/अर्ध वेतन छुट्टी (एचपीएल) के नकदीकरण का विचार किया जा सकता है बशर्ते कि समग्र सीमा 300 दिनों की हो।

- एकरूपता के लिए, डीपीई ने सभी सीपीएसई को कार्यालय जापन (ओएम) दिनांक 11 दिसंबर 2008 के द्वारा) छुट्टी नकदीकरण की गणना करने हेतु 30-दिन के महीने को अपनाने का अनुदेश दिया।
- दिनांक 8 अप्रैल 1991 के डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार, जारी की गई नीतियों से कोई भी विचलन लिखित में दर्ज कारणों सहित सीपीएसई बोर्ड द्वारा अनुमोदित होना चाहिए एवं प्रशासनिक मंत्रालय और डीपीई को सूचित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड (आरसीएफएल) ने ऐसी छुट्टी नकदीकरण नीति को अपनाया कि:

- जब संचय 297 दिनों से अधिक हो जाए तो 33 दिनों की अर्जित छुट्टी के ऑटोमेटिक नकदीकरण की राशि, आरसीएफ परिपत्र सं. 840 दिनांक 13 मई 2017 के अनुसार, संबंधित कर्मचारियों के वेतन में अदा हो जाए।
- 11 दिसंबर 2008 तक संचित छुट्टी हेतु 26-दिन के महीने तथा मार्च 2009 में बोर्ड के अनुमोदनानुसार, 11 दिसंबर 2008 के पश्चात 30-दिन के महीने के आधार पर सेवानिवृत्ति पर ईएल/एचपीएल नकदीकरण का परिकलन।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छुट्टी शेष 297 दिनों से अधिक हो जाने पर 33 दिनों की ईएल का ऑटोमेटिक नकदीकरण डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है जिसके द्वारा नकदीकरण हेतु 300 दिनों की सीमा निर्धारित की गई है। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस नीति को सीएमडी द्वारा 5 मई 2017 को अनुमोदित किया गया था परंतु न तो बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही प्रशासनिक मंत्रालय या डीपीई को सूचित किया जैसा कि 8 अप्रैल 1991 के डीपीई के निर्देशों द्वारा अपेक्षित था।

2017-18 तथा 2023-24 के बीच, आरसीएफएल ने 300 दिनों की सीमा से अधिक के ऐसे ऑटोमेटिक नकदीकरण के प्रति ₹23.77 करोड़ का संवितरण किया जैसा नीचे तालिका 3.1 में विवरण दिया गया है:

तालिका 3.1: छुट्टी का नकदीकरण

वर्ष	मामलों की सं.	अदा की गई राशि (₹ करोड़ में)
2017-18	238	2.52
2018-19	209	2.31
2019-20	254	2.96
2020-21	314	3.65
2021-22	306	3.68
2022-23	332	4.04
2023-24	360	4.61
कुल		23.77

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि छुट्टी नकदीकरण का परिकलन करने हेतु 30 दिन के महीने को अपनाने के दिसंबर 2008 के डीपीई अनुदेशों के बावजूद आरसीएफएल ने कई मामलों में ईएल/एचपीएल नकदीकरण का परिकलन करने हेतु 11 दिसंबर 2008 तक संचित छुट्टी हेतु 26 दिन के महीने के अनुपालन जारी रखा तथा केवल 11 दिसंबर 2008 के पश्चात ही संचित छुट्टी हेतु 30-दिन के महीने को अपनाया था। क्योंकि डीपीई के दिशानिर्देशों में छुट्टियों के इस प्रकार विभाजन का कोई प्रावधान नहीं था, इसके परिणामस्वरूप ₹9.91 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ जिसे कम्पनी द्वारा प्रस्तुत डाटा के आधार पर **अनुलग्नक-3.1** में दिया गया है।

आरसीएफएल प्रबंधन ने बताया कि:

- डीपीई के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 अगस्त 2017 के अनुसार, सीपीएसई को परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर अपनी स्वयं की छुट्टी नीतियों तैयार करने की अनुमति है बशर्ते सेवानिवृत्ति पर 300 दिनों की सीमा हो।

- आरसीएफ के 24x7 परिचालन के कारण ऑटोमेटिक ईएल नकदीकरण को छुट्टी लेने से रोकने तथा निर्बाध संयंत्र कार्य पद्धति को सुनिश्चित करने हेतु एक साधन के रूप में प्रारम्भ किया गया था।
- विभिन्न दिन - माह फार्मूला (26 बनाम 30 दिन) को लागू करने का निर्णय 11 दिसंबर 2008 से पहले तथा उसके बाद में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के बीच भेदभाव से बचने के लिए लिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व ईएल के ऑटोमेटिक नकदीकरण के परिणामस्वरूप 300-दिनों की सीमा पार होना डीपीई की स्पष्ट सीमा का उल्लंघन है। अलग-अलग परिकलन पद्धतियों को लागू करने के लिए दिसंबर 2008 से पूर्व/बाद में छुट्टी शेष को बांटने का डीपीई अनुदेशों में कोई आधार नहीं है। 30 दिन का फार्मूला एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिए था तथा इस प्रक्रिया से विचलन अनियमित अधिक भुगतान का कारण बना। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के अनुमोदन का अभाव तथा डीपीई या प्रशासनिक मंत्रालय को सूचित न करना विचलन पर डीपीई के 1991 के दिशानिर्देश का उल्लंघन करता है।

मंत्रालय का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित था।

इस प्रकार, डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में, कम्पनी ने 300 दिनों की सीमा से अधिक छुट्टी के नकदीकरण, 30 दिनों के महीने के बजाय 26 दिनों के महीने को अपनाकर छुट्टी नकदीकरण के भुगतान की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप ₹33.68 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि मंत्रालय इसी प्रकार के विचलनों से बचने के लिए सभी उर्वरक सीपीएसई को एकरूपता बनाए रखने तथा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु एक स्पष्टीकरण जारी करने पर विचार करे

क्योंकि मद्रास उर्वरक लिमिटेड से संबंधित इसी प्रकार के मामले को 2022 के सीएजी के प्रतिवेदन सं. 24 (पैरा 4.1) संघ सरकार (सिविल-अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ) में पहले इंगित किया गया है।

नई दिल्ली
दिनांक: 19 जनवरी 2026


(सौरभ कुमार जयपुरियार)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 02 फरवरी 2026


(के संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(विहंगावलोकन एवं पैराग्राफ संख्या 1.3 में संदर्भित)

सामान्य और सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत सिविल मंत्रालयों/विभागों का विवरण

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	
1.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
2.	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
आयुष मंत्रालय	
3.	आयुष मंत्रालय
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
4.	उर्वरक विभाग
5.	औषध विभाग
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
6.	उपभोक्ता मामले विभाग
7.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
सहकारिता मंत्रालय	
8.	सहकारिता मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय	
9.	संस्कृति मंत्रालय
उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	
10.	उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय	
11.	उच्चतर शिक्षा विभाग
12.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
विदेश मंत्रालय	
13.	विदेश मंत्रालय

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	
14.	पशुपालन और डेयरी विभाग
15.	मत्स्य पालन विभाग
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
16.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
17.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
18.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
गृह मंत्रालय	
19.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
20.	मंत्रिमंडल
21.	चंडीगढ़
22.	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव
23.	लद्दाख
24.	लक्षद्वीप
25.	गृह मंत्रालय
26.	पुलिस
27.	दिल्ली में स्थानांतरण
28.	जम्मू एवं कश्मीर में स्थानांतरण
29.	पुडुचेरी में स्थानांतरण
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
30.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
जलशक्ति मंत्रालय	
31.	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
32.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	
33.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
विधि और न्याय मंत्रालय	
34.	निर्वाचन आयोग
35.	विधि एवं न्याय
36.	भारत का सर्वोच्च न्यायालय
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	
37.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
पंचायती राज मंत्रालय	
38.	पंचायती राज मंत्रालय
संसदीय कार्य मंत्रालय	
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	
39.	केंद्रीय सतर्कता आयोग
40.	संसदीय कार्य मंत्रालय
41.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
योजना मंत्रालय	
42.	योजना मंत्रालय
ग्रामीण विकास मंत्रालय	
43.	भूमि संसाधन विभाग
44.	ग्रामीण विकास विभाग
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	
45.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	
46.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
47.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	
48.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
जनजातीय कार्य मंत्रालय	
49.	जनजातीय कार्य मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	
50.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
युवा मामले और खेल मंत्रालय	
51.	युवा मामले और खेल मंत्रालय
संवैधानिक निकाय एवं सचिवालय	
52.	लोकसभा
53.	राज्यसभा
54.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय
55.	राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते
56.	संघ लोक सेवा आयोग
57.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
58.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

परिशिष्ट-II

(विहंगावलोकन एवं पैराग्राफ संख्या 1.4 में संदर्भित)

2022-23 तथा 2023-24 के दौरान संस्वीकृत प्रावधान, व्यय और बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	2022-23			2023-24		
		संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय							
1.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	8,658.91	8,578.15	-80.76	9,877.06	9,804.39	-72.67
2.	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	1,24,000.08	1,01,572.54	-22,427.54	2,16,445.62	2,03,290.33	-13,155.29
आयुष मंत्रालय							
3.	आयुष मंत्रालय	3,050.02	2,663.30	-386.72	3,647.54	2,916.31	-731.23
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय							
4.	उर्वरक विभाग	2,54,856.54	2,54,841.43	-15.11	1,95,479.31	1,95,466.72	-12.59
5.	औषध विभाग	2,270.36	2,050.10	-220.26	3,224.33	2,432.45	-791.88
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय							
6.	उपभोक्ता मामले विभाग	1,769.15	249.72	-1,519.43	346.26	311.58	-34.68
7.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	3,06,311.10	2,93,774.96	-12,536.14	2,46,944.39	2,44,330.83	-2,613.56

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	2022-23			2023-24		
		संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
सहकारिता मंत्रालय							
8.	सहकारिता मंत्रालय	2,056.04	1,636.52	-419.52	1,150.92	688.88	-462.04
संस्कृति मंत्रालय							
9.	संस्कृति मंत्रालय	3,363.10	3,284.12	-78.98	3,695.53	3,406.90	-288.63
उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय							
10.	उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	2,924.78	1,118.71	-1,806.07	5,892.03	1,976.76	-3,915.27
शिक्षा मंत्रालय							
11.	उच्चतर शिक्षा विभाग	55,091.06	53,244.90	-1,846.16	63,244.50	61,941.11	-1,303.39
12.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	1,11,549.40	96,890.12	-14,659.28	1,08,473.87	1,03,325.47	-5,148.40
विदेश मंत्रालय							
13.	विदेश मंत्रालय	17,706.62	16,684.78	-1,021.84	38,184.92	37,196.04	-988.88
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय							
14.	पशुपालन और डेयरी विभाग	4,319.99	2,660.83	-1,659.16	4,835.21	3,485.50	-1,349.71
15.	मत्स्य पालन विभाग	2,118.50	1,360.56	-757.94	2,248.79	1,333.29	-915.50

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	2022-23			2023-24		
		संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय							
16.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	2,942.02	1,455.13	-1,486.89	4,032.69	2,944.52	-1,088.18
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय							
17.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1,13,458.10	98,985.70	-14,472.40	1,04,683.17	95,561.01	-9,122.16
18.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	3,200.67	2,432.11	-768.56	2,980.02	2,857.48	-122.54
गृह मंत्रालय							
19.	गृह मंत्रालय	7,621.08	4,287.64	-3,333.44	6,152.81	5,119.54	-1,033.27
20.	मंत्रिमंडल	1,711.05	1,057.14	-653.91	1,803.01	1,048.86	-754.15
21.	पुलिस	1,22,016.86	1,16,509.67	-5,507.19	1,30,072.36	1,26,010.49	-4,061.87
22.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5,763.97	5,558.69	-205.28	6,100.38	5,927.56	-172.82
23.	चंडीगढ़	5,846.07	5,778.80	-67.27	6,777.54	6,639.27	-138.27
24.	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	3,882.12	2,493.42	-1,388.70	2,543.82	2,527.15	-16.67
25.	लद्दाख	5,958.22	4,179.88	-1,778.34	5,968.41	4,355.70	-1,612.71
26.	लक्षद्वीप	1,457.46	1,283.37	-174.09	1,628.95	1,579.11	-49.84
27.	दिल्ली में स्थानांतरण	1,168.01	960.49	-207.52	1,168.01	951.00	-217.01

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	2022-23				2023-24			
		संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)		
28.	जम्मू और कश्मीर में स्थानांतरण	44,696.13	44,696.13	0.00	41,751.44	41,604.44	-147.00		
29.	पुडुचेरी में स्थानांतरण	3,129.79	3,129.77	-0.02	3,388.77	3,388.75	-0.02		
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय									
30.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	4,182.01	4,024.13	-157.88	4,700.05	4,314.23	-385.82		
जल शक्ति मंत्रालय									
31.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	19,047.06	12,201.48	-6,845.58	24,034.62	23,387.51	-647.11		
32.	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	1,34,413.14	59,790.44	-74,622.70	77,224.43	76,826.75	-397.68		
श्रम और रोजगार मंत्रालय									
33.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	16,893.69	14,800.61	-2,093.08	13,221.75	11,539.62	-1,682.13		
विधि एवं न्याय मंत्रालय									
34.	निर्वाचन आयोग	327.25	320.23	-7.02	466.04	439.10	-26.94		
35.	विधि और न्याय	6,789.22	6,323.31	-465.91	8,690.29	8,493.40	-196.89		
36.	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	405.47	392.78	-12.69	517.28	514.00	-3.28		

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	2022-23			2023-24		
		संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय							
37.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	5,020.50	837.68	-4,182.82	3,097.60	1,032.65	-2,064.96
पंचायती राज मंत्रालय							
38.	पंचायती राज मंत्रालय	905.78	901.18	-4.60	1,016.42	980.49	-35.93
संसदीय कार्य मंत्रालय							
39.	संसदीय कार्य मंत्रालय	66.40	52.20	-14.20	65.07	58.70	-6.37
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय							
40.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	2,502.68	2,280.59	-222.09	2,533.83	2,358.31	-175.52
41.	केंद्रीय सतर्कता आयोग	43.46	43.16	-0.30	47.73	44.60	-3.13
योजना मंत्रालय							
42.	योजना मंत्रालय	960.30	849.11	-111.19	824.39	290.82	533.57
सांविधिक निकाय एवं सचिवालय							
43.	राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते	84.80	80.38	-4.42	97.69	94.24	-3.45
44.	लोकसभा	800.02	666.57	-133.45	822.01	711.64	-110.37

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	2022-23				2023-24			
		संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
45.	राज्यसभा	431.71	383.52	-48.19	484.41	401.69	-82.72		
46.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	8.64	8.31	-0.33	9.96	9.21	-0.75		
47.	संघ लोक सेवा आयोग	370.00	369.99	-0.01	426.24	421.48	-4.76		
ग्रामीण विकास मंत्रालय									
48.	ग्रामीण विकास विभाग	3,37,943.79	3,31,820.80	-6,122.99	2,74,069.46	2,65,376.51	-8,692.95		
49.	भूमि संसाधन विभाग	2,269.62	1,259.13	-1,010.49	3,637.62	3,497.38	-140.24		

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	2022-23			2023-24		
		संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय							
50.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	2,999.01	1,387.85	-1,611.16	4,993.54	4,480.26	-513.28
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय							
51.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	13,030.68	7,769.89	-5,260.79	13,257.17	9,579.97	-3,677.20
52.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	1,212.43	989.35	-223.08	1,225.17	1,143.89	-81.28
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय							
53.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	5,398.09	3,716.30	-1,681.79	5,443.41	2,469.48	-2,973.93
जनजातीय कार्य मंत्रालय							
54.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	8,461.88	7,278.77	-1,183.11	12,461.94	7,545.23	-4,916.71
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय							
55.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	25,672.30	24,012.07	-1,660.23	25,954.82	25,518.46	-436.36
युवा मामले और खेल मंत्रालय							
56.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	3,062.63	2,568.49	-494.14	3,401.04	3,024.04	-377.01

स्रोत: संघ सरकार विनियोग लेखा (सिविल) 2022-23 और 2023-24

परिशिष्ट III

(पैराग्राफ संख्या 1.5 में संदर्भित)

लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभागा मंत्रालय	लेखापरीक्षा अवलोकन	वसूल की गई राशि
1.	न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय	ग्राम न्यायालयों (जीएन) की स्थापना और संचालन के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने की योजना के तहत समयबद्ध लक्ष्यों के अभाव के परिणामस्वरूप पांच राज्यों में तीन से 13 वर्षों के लिए ₹12.16 करोड़ की केंद्रीय अनुदान राशि अवरुद्ध रही तथा इन राज्यों में अधिसूचित 107 में से 102 जीएन का संचालन नहीं हो सका। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद (दिसंबर 2022, मार्च 2024), विभाग ने राज्यों से ब्याज सहित अप्रयुक्त शेष राशि वापस करने को कहा (अप्रैल 2024)। जून 2024 से अगस्त 2024 के दौरान, चार राज्यों (हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक तथा तेलंगाना) ने भारत की समेकित निधि में जमा करने के लिए ₹7.79 करोड़ की अप्रयुक्त शेष राशि वापस कर दी। इसके अतिरिक्त, तेलंगाना ने ₹32.24 लाख का ब्याज भी वापस किया। आंध्र प्रदेश ने 42 जीएन स्थापित करने के लिए जून 2020 में जारी ₹4.37 करोड़ के केंद्रीय अनुदान राशि का उपयोग नहीं किया तथा जीएन स्थापित करने हेतु अतिरिक्त समय मांगने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया है (सितंबर 2024)।	8.11

परिशिष्ट-IV

(पैराग्राफ संख्या 1.6 में संदर्भित)

सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत सीपीएसई/पीएसयू

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	
1.	एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
2.	गंगावती शुगर्स लिमिटेड ¹⁴⁴
3.	सीसीएस एनआईएम नवाचार एवं उद्यमिता महासंघ
4.	कर्नाटक मीट एंड पोल्ट्री मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ¹⁴⁵
5.	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
आयुष मंत्रालय	
6.	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
उर्वरक विभाग	
7.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8.	एफएसीटी-आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड ¹⁴⁶
9.	फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
10.	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
11.	हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड
12.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
13.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
14.	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड

¹⁴⁴ कंपनी परिसमापन के अधीन¹⁴⁵ कंपनी बंद हो गई¹⁴⁶ 11 जनवरी 2024 से आईबीसी कोड के तहत दिवालियापन कार्यवाही के तहत

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
15.	रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
16.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
17.	तालचर फर्टिलाइजर लिमिटेड
18.	द एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड
19.	द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
20.	उर्वरक विदेश लिमिटेड
औषध विभाग	
21.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
22.	बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड ¹⁴⁷
23.	बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
24.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
25.	आईडीपीएल (तमिलनाडु) लिमिटेड
26.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल)
27.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
28.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
29.	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
30.	उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
31.	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
32.	स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ¹⁴⁸
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
33.	केंद्रीय भंडारण निगम
34.	भारतीय खाद्य निगम

¹⁴⁷ कंपनी परिसमापन के अधीन

¹⁴⁸ कंपनी परिसमापन के अधीन

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
35.	हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सहकारिता मंत्रालय	
36.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	
37.	नेडफी ट्रस्टी लिमिटेड (नेडफी की सहायक)
38.	नेडफी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (नेडफी की सहायक)
39.	नॉर्थ-ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेडफी)
40.	उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
41.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
शिक्षा मंत्रालय	
42.	ईडीसीआईएल
43.	ईडीसीआईएल विद्यांजलि फाउंडेशन
44.	उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
45.	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
46.	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड
47.	एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड
48.	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड
49.	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड
50.	एचएलएल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड
गृह मंत्रालय	
51.	एआईसी आरआरयू इनक्यूबेशन फाउंडेशन
52.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम
53.	अंडमान फिशरीज लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
54.	चंडीगढ़ बाल एवं महिला विकास निगम
55.	चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
56.	चंडीगढ़ एससी, बीसी और अल्पसंख्यक वित्तीय और विकास निगम लिमिटेड
57.	चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड
58.	दादरा और नगर हवेली दमन दीव एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वित्तीय और विकास निगम लिमिटेड
59.	दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
60.	दीव स्मार्ट सिटी लिमिटेड
61.	डीएनएच एंड डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
62.	कवारती स्मार्ट सिटी लिमिटेड
63.	लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड
64.	लक्षद्वीप पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
65.	नई दिल्ली नगर परिषद स्मार्ट सिटी लिमिटेड
66.	दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली ओमनीबस औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
67.	पोर्ट ब्लेयर स्मार्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
68.	सुरक्षा और वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधान संघ
69.	सिलवासा स्मार्ट सिटी लिमिटेड
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
70.	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
71.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
जल शक्ति मंत्रालय	
72.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड
73.	वैपकोस लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	
74.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम
75.	राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	
76.	कर्मयोगी भारत
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	
77.	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
78.	राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	
79.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
80.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
81.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
जनजातीय कार्य मंत्रालय	
82.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां	
83.	एएफसी इंडिया लिमिटेड
84.	नाबार्ड कंसल्टेंसी लिमिटेड
85.	नैबकिसान फाइनेंस लिमिटेड
86.	नालंदा सिरेमिक्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ¹⁴⁹

¹⁴⁹ कंपनी परिसमापन के अधीन

परिशिष्ट-V

(पैराग्राफ संख्या 1.6 में संदर्भित)

(क) सीपीएसई की पूरक लेखापरीक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

क्रम सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियाँ
1.	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	<p>कर्मचारी लाभ व्यय: ₹13.25 करोड़</p> <p>इसमें प्रदर्शन-संबंधित वेतन (पीआरपी) के लिए ₹84.67 लाख का प्रावधान शामिल है। लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सीपीएसई पर पीआरपी लागू होता है तथा निर्धारित सीमा एवं दिशानिर्देशों के भीतर पीआरपी के भुगतान पर निर्णय लेने के लिए एक पारिश्रमिक समिति है।</p> <p>चूँकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ कोई समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित नहीं हुआ है, इसलिए कंपनी के लिए पीआरपी लागू नहीं है। इस प्रकार, पीआरपी के लिए प्रावधान सही नहीं है तथा इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी हितलाभ व्यय को अधिक तथा वर्ष के लाभ को ₹84.67 लाख कम दर्शाया गया है।</p>
2.	वैपकोस लिमिटेड (स्वतंत्र)	<p>व्यापार प्राप्य तथा प्रतिधारण राशि के लिए प्रावधान- ₹53.77 करोड़</p> <p>कंपनी की लेखांकन नीति संख्या 1.9 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के लिए प्रावधान करती है- जिसमें व्यापार प्राप्य, सुरक्षा जमा (एसडी), और बयाना राशि जमा (ईएमडी) शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 तक, कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) की गणना करने के लिए आंतरिक ग्रेड मैट्रिक्स का उपयोग कर रही थी। चालू वित्तीय वर्ष (2023-24) में, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक के तहत आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्य पोर्टफोलियो के लिए अपेक्षित ऋण हानि का अनुमान प्रदान करने के लिए एक बीमांकक की नियुक्ति कर आंतरिक-ग्रेड मैट्रिक्स के स्थान पर एक</p>

क्रम सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियाँ
		<p>बीमांकिक-आधारित मूल्यांकन पद्धति से ईसीएल की गणना शुरू की। कंपनी ने इस बदलाव को लेखांकन नीति में एक बदलाव के रूप में माना तथा इस पद्धति को पूर्वव्यापी रूप से पिछली अवधियों पर लागू किया।</p> <p>भारतीय लेखा मानक 8 (पैरा 32, 32 ए, 35) के अनुसार, वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में ईसीएल के मापन के लिए आकलन तकनीक में बदलाव लेखांकन अनुमान में बदलाव है इसलिए, प्रभाव को भारतीय लेखा मानक 8 के पैरा 36 के अनुसार कंपनी द्वारा पूर्वव्यापी रूप से लागू किये जाने के बजाय भविष्य में लागू किया जाना चाहिए था।</p> <p>वर्ष के दौरान प्रभारित किया जाने वाला कुल प्रावधान ₹186.53 करोड़ है (₹164.22 करोड़ बीमांकिक पद्धति के अनुसार प्रावधान तथा ₹22.31 करोड़ अतिरिक्त प्रावधान एवं लेखांकन नीति के अनुसार 10 वर्ष से अधिक की प्राप्तियों के लिए बट्टे खाते में डाली गई राशि के बीच का अंतर है)। लेकिन कंपनी ने वर्ष के दौरान केवल ₹54.41 करोड़ प्रभारित किया, जबकि ₹132.12 करोड़ पिछले वर्ष के व्यय के रूप में गलत तरीके से प्रभारित किया गया (नोट-49)।</p> <p>गलत लेखांकन पद्धति के परिणामस्वरूप अन्य व्ययों को कम दर्शाया गया है, जिसका परिणाम वर्ष के लिए लाभ ₹132.12 करोड़ अधिक दर्शाये जाने में हुआ है।</p>
3.	वैपकोस लिमिटेड (समेकित)	<p>व्यापार प्राप्य तथा प्रतिधारण धन के लिए प्रावधान- ₹77.83 करोड़</p> <p>कंपनी की लेखांकन नीति संख्या 1.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के लिए प्रावधान करती है-जिसमें व्यापार प्राप्य, सुरक्षा जमा (एसडी), तथा बयाना राशि जमा (ईएमडी) शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 तक, कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) की गणना करने के लिए</p>

क्रम सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियाँ
		<p>आंतरिक ग्रेड मैट्रिक्स का उपयोग कर रही थी। चालू वित्तीय वर्ष (2023-24) में, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक के तहत आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्य पोर्टफोलियो के लिए अपेक्षित ऋण हानि का अनुमान प्रदान करने के लिए एक बीमांकक की नियुक्ति कर आंतरिक-ग्रेड मैट्रिक्स के स्थान पर एक बीमांकिक-आधारित मूल्यांकन पद्धति से ईसीएल की गणना शुरू की। कंपनी ने इस बदलाव को लेखांकन नीति में एक बदलाव के रूप में माना तथा इस पद्धति को पूर्वव्यापी रूप से पिछली अवधियों पर लागू किया जिससे पूर्व सूचित वित्तीय विवरणों में समायोजन हुआ।</p> <p>भारतीय लेखा मानक 8 (पैरा 32, 32 ए, 35) के अनुसार, वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में ईसीएल के मापन के लिए आकलन तकनीक में बदलाव लेखांकन अनुमान में बदलाव है तथा इसलिए, प्रभाव को भारतीय लेखा मानक 8 के पैरा 36 के अनुसार कंपनी द्वारा पूर्वव्यापी रूप से लागू किये जाने के बजाय भविष्य में लागू किया जाना चाहिए था।</p> <p>वर्ष के दौरान प्रभारित किया जाने वाला कुल प्रावधान ₹280.96 करोड़ है (₹258.65 करोड़, बीमांकिक पद्धति के अनुसार प्रावधान तथा ₹22.31 करोड़ अतिरिक्त प्रावधान तथा लेखांकन नीति के अनुसार 10 वर्ष से अधिक की प्राप्तियों के लिए बट्टे खाते में डाली गई राशि के बीच का अंतर है)। लेकिन कंपनी ने वर्ष के दौरान केवल ₹78.47 करोड़ प्रभारित किये, जबकि ₹202.48 करोड़ को पिछले वर्ष के व्यय के रूप में गलत तरीके से प्रभारित किया गया (नोट-49)।</p> <p>गलत लेखांकन पद्धति के परिणामस्वरूप अन्य व्ययों को कम दर्शाया गया है, जिसका परिणाम वर्ष के लिए लाभ ₹202.48 करोड़ अधिक दर्शाये जाने में हुआ है।</p>

क्रम सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियाँ
4.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	<p>अन्य व्यय- ₹38.98 करोड़ (नोट 26)</p> <p>कंपनी की लेखांकन नीति संख्या 1.9 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के लिए प्रावधान करती है, जिसमें व्यापार प्राप्य, सुरक्षा जमा (एसडी), तथा बयाना राशि जमा (ईएमडी) शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 तक, एनपीसीसी वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) की गणना करने के लिए आंतरिक ग्रेड मैट्रिक्स का उपयोग कर रहा था। चालू वित्तीय वर्ष (2023-24) में, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्य पोर्टफोलियो के लिए अपेक्षित ऋण हानि का अनुमान प्रदान करने के लिए एक बीमांकक की नियुक्ति कर आंतरिक-ग्रेड मैट्रिक्स के स्थान पर एक बीमांकिक-आधारित मूल्यांकन पद्धति से ईसीएल की गणना शुरू की। कंपनी ने इस बदलाव को लेखांकन नीति में एक बदलाव के रूप में माना तथा इस पद्धति को पूर्वव्यापी रूप से पिछली अवधियों पर लागू किया। जिससे पूर्व सूचित वित्तीय विवरणों में समायोजन हुआ।</p> <p>भारतीय लेखा मानक 8 (पैरा 32, 32 ए, 35) के अनुसार, वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में ईसीएल के मापन के लिए आकलन तकनीक में बदलाव लेखांकन अनुमान में बदलाव है तथा इसलिए, प्रभाव को कंपनी द्वारा पूर्वव्यापी रूप से किए जाने के बजाय भारतीय लेखा मानक 8 के पैरा 36 के अनुसार भविष्य में लागू किया जाना चाहिए था। कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹94.42 करोड़ के कुल ईसीएल प्रावधान में से ₹24.06 करोड़ प्रभारित किया (2022-23 तक ₹75.51 करोड़ के संचित प्रावधान को घटाकर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ₹169.94 करोड़ का संचित प्रावधान) जबकि ₹94.42 करोड़ की सम्पूर्ण राशि वर्ष के दौरान प्रभारित की जानी थी क्योंकि बदलाव एक लेखांकन अनुमान में बदलाव था।</p>

क्रम सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियाँ
		गलत लेखांकन पद्धति के परिणामस्वरूप अन्य व्ययों (अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान-वित्तीय परिसंपत्ति) को कम दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ को ₹ 70.36 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।
वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ		
1.	हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड	<p>प्रावधान (नोट 20) - ₹30.13 करोड़</p> <p>उपरोक्त में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई मांग के अनुसार गोरखपुर संयंत्र के लिए आयातित उपकरणों/सामग्री तथा अनिवार्य पुर्जों के परियोजना आयात के लिए देय ₹71.64 करोड़ के सीमा शुल्क के कम भुगतान के लिए प्रावधान शामिल नहीं है।</p> <p>कंपनी ने ₹1155.86 करोड़ का माल (उपकरण एवं सामग्री तथा अनिवार्य स्पेयर पार्ट्स) आयात किया, जिस पर सीमा शुल्क विभाग ने स्पष्ट किया (19.04.2022) कि 5 प्रतिशत (मात्र) की मूल सीमा शुल्क की रियायती दर का गलत तरीके से लाभ उठाया गया है क्योंकि अनिवार्य शर्त (स्पेयर पार्ट्स का मूल्य मुख्य उपकरण के मूल्य का 10 प्रतिशत या उससे कम होना चाहिए) का अनुपालन नहीं किया गया है तथा इस प्रकार एचयूआरएल रियायती शुल्क दर के लिए पात्र नहीं था।</p> <p>इस प्रकार, शुल्क की अंतर राशि ₹71.64 करोड़ (कुल शुल्क ₹ 75.01 करोड़ में से भुगतान की गई ₹3.37 करोड़ की राशि घटाकर) का जो प्रावधान किया जाना आवश्यक था, वह नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप प्रावधानों को कम दर्शाया गया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ ₹71.64 करोड़ अधिक दर्शाया गया।</p> <p>इस खाते में आकस्मिक देयता को भी बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया गया है।</p>

क्रम सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियाँ
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ		
1.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	कंपनी के लाभ-हानि विवरण में दर्शाए गए ₹10.91 करोड़ के लाभ पर लेखापरीक्षा टिप्पणी का प्रभाव 23.10 प्रतिशत है। इसलिए, कंपनी के वित्तीय विवरण "सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण" प्रस्तुत नहीं करते हैं तथा स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा यह आश्वासन देना उचित नहीं था कि वित्तीय विवरण "सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण" प्रस्तुत करते हैं।
2.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	कंपनी के लाभ-हानि विवरण में दर्शाए गए ₹74.79 करोड़ के लाभ पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव 126.15 प्रतिशत है तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव ₹19.56 करोड़ की हानि के रूप में होगा। इसलिए, कंपनी के वित्तीय विवरण 'सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण' प्रस्तुत नहीं करते हैं तथा स्वतंत्र लेखा परीक्षक की ओर से यह आश्वासन देना उचित नहीं था कि वित्तीय विवरण 'सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण' प्रस्तुत करते हैं।
3.	वैपकोस लिमिटेड (स्वतंत्र)	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट कंपनी के लाभ-हानि विवरण में दर्शाए गए ₹59.30 करोड़ के लाभ पर उपरोक्त टिप्पणियों का प्रभाव 222.80 प्रतिशत है तथा उपरोक्त टिप्पणियों का प्रभाव ₹72.82 करोड़ की हानि के रूप में होगा। इसलिए, कंपनी के वित्तीय विवरण 'सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण' का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और स्वतंत्र लेखापरीक्षक की ओर से यह आश्वासन देना उचित नहीं था कि वित्तीय विवरण 'सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण' प्रस्तुत करते हैं।
4.	वैपकोस लिमिटेड (समेकित)	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट कंपनी के लाभ-हानि विवरण में दर्शाए गए ₹120.23 करोड़ के लाभ पर उपरोक्त टिप्पणियों का प्रभाव 194.85 प्रतिशत

क्रम सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियाँ
		<p>है तथा उपरोक्त टिप्पणियों का प्रभाव ₹114.04 करोड़ की हानि के रूप में होगा।</p> <p>इसलिए, कंपनी के वित्तीय विवरण 'सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण' प्रस्तुत नहीं करते हैं तथा स्वतंत्र लेखा परीक्षक की ओर से यह आश्वासन देना उचित नहीं था कि वित्तीय विवरण 'सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण' प्रस्तुत करते हैं।</p>

(ख) सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

क्रम सं.	निगम का नाम	टिप्पणियाँ
तुलन पत्र पर टिप्पणियाँ		
1.	भारतीय खाद्य निगम	<p>अन्य चालू देयताएं (नोट-6)- ₹3,391.85 करोड़</p> <p>उपरोक्त में खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 34 (2) के अनुसार वर्ष 2017-18 से 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को देय लेखापरीक्षा शुल्क के कारण ₹64.10 करोड़ (लागू जीएसटी को छोड़कर) की राशि शामिल नहीं है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों (नोट-6) को ₹64.10 करोड़ कम करके दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य व्यय-लेखापरीक्षा शुल्क तथा वर्ष के लिए हानि को ₹9.70 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया है (चालू वर्ष की राशि की गणना पिछले वर्ष की बिल राशि को लेकर अनुमानित आधार पर की गई है क्योंकि वर्ष के लिए बिल अभी भी जारी किया जाना है) तथा पिछले वर्ष से संबंधित व्यय को ₹54.40 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया है।</p> <p>इसके अतिरिक्त, नीचे दिया गया नोट-के (अन्य व्यय) तथ्यात्मक रूप से गलत है, लेखापरीक्षा शुल्क विवादित नहीं है तथा डीएफपीडी के माध्यम से एफसीआई द्वारा किए गए अनुरोध पर, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है (अप्रैल 2023) कि लेखापरीक्षा शुल्क एक सांविधिक</p>

क्रम सं.	निगम का नाम	टिप्पणियाँ																					
		दायित्व है और इसलिए विभाग तब तक लेखापरीक्षा शुल्क का भुगतान जारी रख सकता है जब तक कि कानून में कोई बदलाव नहीं होता। <i>पिछले वर्षों के लेखे में इस ओर ध्यान दिलाए जाने के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।</i>																					
2.	भारतीय खाद्य निगम	<p>व्यापार प्राप्य (नोट 11)-₹ (-) 4,171.99 करोड़</p> <p>केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग</p> <p>खाद्य सब्सिडी तथा बफर स्टॉक की वहन लागत के लिए-</p> <p>₹ (-) 6,257.80 करोड़</p> <p>उपरोक्त आँकड़ा दावे (₹1,33,344.62 करोड़) से अधिक प्राप्त सब्सिडी (₹1,39,602.42 करोड़) को दर्शाता है। लेकिन इसे सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार डीएफपीडी को देय दर्शाने के बजाय, ₹6,257.80 करोड़ के ऋणात्मक (क्रेडिट) शेष के रूप में दर्शाया गया है। इस राशि के गलत दर्शाए जाने के कारण, तुलन पत्र के मुखपृष्ठ पर दर्शाई गई व्यापार प्राप्य राशि गलत है क्योंकि ऋणात्मक आँकड़ों को घटाए बिना व्यापार प्राप्य राशि ₹2,085.81 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य एवं देयताओं दोनों में ₹6,257.80 करोड़ की कमी आई है।</p>																					
लाभ और हानि खाता/आय और व्यय लेखे पर टिप्पणियाँ																							
1.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	<p>संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान- ₹414.87 करोड़</p> <p>गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रावधानीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की क्रम संख्या 4 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि एनपीए के संबंध में प्रावधानीकरण निम्नलिखित दरों से कम नहीं किया जाएगा:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>क्रम सं.</th> <th>विवेकपूर्ण वर्गीकरण</th> <th>प्रावधान का %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>i)</td> <td>उप अवमानक परिसंपत्तियां</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>ii)</td> <td>संदिग्ध परिसंपत्तियां</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 वर्ष तक संदिग्ध</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 से 3 वर्ष तक संदिग्ध</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 वर्षों से अधिक समय से संदिग्ध</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>iii)</td> <td>हानि परिसंपत्तियां</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	क्रम सं.	विवेकपूर्ण वर्गीकरण	प्रावधान का %	i)	उप अवमानक परिसंपत्तियां	15 %	ii)	संदिग्ध परिसंपत्तियां			1 वर्ष तक संदिग्ध	25 %		1 से 3 वर्ष तक संदिग्ध	40%		3 वर्षों से अधिक समय से संदिग्ध	100%	iii)	हानि परिसंपत्तियां	100%
क्रम सं.	विवेकपूर्ण वर्गीकरण	प्रावधान का %																					
i)	उप अवमानक परिसंपत्तियां	15 %																					
ii)	संदिग्ध परिसंपत्तियां																						
	1 वर्ष तक संदिग्ध	25 %																					
	1 से 3 वर्ष तक संदिग्ध	40%																					
	3 वर्षों से अधिक समय से संदिग्ध	100%																					
iii)	हानि परिसंपत्तियां	100%																					

क्रम सं.	निगम का नाम	टिप्पणियाँ																																										
		<p>निगम ने निर्धारित लेखांकन नीति का पालन करने के बजाय, सभी श्रेणियों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹142.86 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान हुआ, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:</p> <p style="text-align: right;"><i>राशि ₹ लाख में</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>विवेकपूर्ण वर्गीकरण</th> <th>प्रावधान का %</th> <th>31.03.2024 तक बकाया राशि</th> <th>एनपीए का प्रावधान किया जाना चाहिए</th> <th>31.03.2024 तक प्रावधान</th> <th>किया गया अतिरिक्त प्रावधान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>उप अवमानक परिसंपत्तियां</td> <td>15%</td> <td>10301.255</td> <td>1545.18825</td> <td>10301.255</td> <td>8756.06675</td> </tr> <tr> <td>1 वर्ष तक संदिग्ध</td> <td>25%</td> <td>9.92277</td> <td>2.4806925</td> <td>9.92277</td> <td>7.4420775</td> </tr> <tr> <td>1 से 3 वर्ष तक संदिग्ध</td> <td>40%</td> <td>9203.84631</td> <td>3681.53852</td> <td>9203.8463</td> <td>5522.30779</td> </tr> <tr> <td>3 वर्षों से अधिक समय से संदिग्ध</td> <td>100%</td> <td>21304.67502</td> <td>21304.675</td> <td>21304.675</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>हानि परिसंपत्ति</td> <td>100%</td> <td>667.44</td> <td>667.44</td> <td>667.44</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">कुल</td> <td>41487.139</td> <td>27201.3225</td> <td>41487.139</td> <td>14285.8166</td> </tr> </tbody> </table> <p>इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को अधिक दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप व्यय की तुलना में आय की अधिकता को ₹142.86 करोड़ कम दर्शाया गया है, जो महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में उल्लिखित प्रावधान के न्यूनतम मानदंडों से अधिक है।</p>	विवेकपूर्ण वर्गीकरण	प्रावधान का %	31.03.2024 तक बकाया राशि	एनपीए का प्रावधान किया जाना चाहिए	31.03.2024 तक प्रावधान	किया गया अतिरिक्त प्रावधान	उप अवमानक परिसंपत्तियां	15%	10301.255	1545.18825	10301.255	8756.06675	1 वर्ष तक संदिग्ध	25%	9.92277	2.4806925	9.92277	7.4420775	1 से 3 वर्ष तक संदिग्ध	40%	9203.84631	3681.53852	9203.8463	5522.30779	3 वर्षों से अधिक समय से संदिग्ध	100%	21304.67502	21304.675	21304.675	0	हानि परिसंपत्ति	100%	667.44	667.44	667.44	0	कुल		41487.139	27201.3225	41487.139	14285.8166
विवेकपूर्ण वर्गीकरण	प्रावधान का %	31.03.2024 तक बकाया राशि	एनपीए का प्रावधान किया जाना चाहिए	31.03.2024 तक प्रावधान	किया गया अतिरिक्त प्रावधान																																							
उप अवमानक परिसंपत्तियां	15%	10301.255	1545.18825	10301.255	8756.06675																																							
1 वर्ष तक संदिग्ध	25%	9.92277	2.4806925	9.92277	7.4420775																																							
1 से 3 वर्ष तक संदिग्ध	40%	9203.84631	3681.53852	9203.8463	5522.30779																																							
3 वर्षों से अधिक समय से संदिग्ध	100%	21304.67502	21304.675	21304.675	0																																							
हानि परिसंपत्ति	100%	667.44	667.44	667.44	0																																							
कुल		41487.139	27201.3225	41487.139	14285.8166																																							
2.	भारतीय खाद्य निगम	<p>खाद्यान्न पर सब्सिडी (नोट-बी) ₹1,32,744.17 करोड़</p> <p>(क) उपरोक्त में ₹5558.88 करोड़ की खुला बाजार बिक्री (घरेलू) से संबंधित ₹7,262.50 करोड़ की सब्सिडी तथा इथेनॉल में रूपांतरण हेतु तेल विपणन कंपनियों को ₹1703.62 करोड़ की चावल की बिक्री शामिल है। ये कार्य भारत सरकार के 31 जनवरी 1979 एवं 25 अप्रैल, 1980 के परिपत्रों के दायरे में भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए जाने वाले केंद्रीय</p>																																										

क्रम सं.	निगम का नाम	टिप्पणियाँ
		<p>कार्यों के अंतर्गत खाद्यान्न संचालन नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा को कोई ऐसा अधिदेश उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लागत अन्तराल को खाद्य सब्सिडी माना जाएगा। इसलिए, लेखे में इसे अलग से दर्शाया जाना चाहिए था।</p> <p>(ख) इस सब्सिडी में ग्रामीण विकास मंत्रालय से एसजीआरवाई दावों के कारण प्राप्त ₹2,454.03 करोड़ भी शामिल हैं, जिन्हें वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाल दिया गया था तथा डीएफपीडी द्वारा प्रतिपूर्ति (मार्च 2024) की गई थी। यह सामान्य व्यावसायिक गतिविधि से संबंधित राशि नहीं है क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय से कोई भुगतान प्राप्त नहीं होने के कारण इसका भुगतान डीएफपीडी द्वारा किया गया है। इसलिए, इसे असाधारण मद माना जाना चाहिए था तथा लेखे में इसी रूप में दर्शाया जाना चाहिए था।</p>
3.	भारतीय खाद्य निगम	<p>खरीद (नोट-एफ) ₹1,63,971.75 करोड़</p> <p>30 जून तक राज्य एजेंसियों से स्टॉक न उठाने के लिए उन्हें दिए गए अग्रनयन शुल्क को शामिल करने के कारण खरीद को ₹1859.14 करोड़ अधिक दर्शाया गया है। अग्रनयन शुल्क को शामिल करना सही नहीं है क्योंकि 9 जुलाई 2002 के भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अग्रनयन लागत बफर स्टॉक की लागत का हिस्सा है। इसके परिणामस्वरूप खरीद को ₹1859.14 करोड़ अधिक और अन्य परिचालन व्यय को ₹1859.14 करोड़ कम दर्शाया गया है।</p>
4.	भारतीय खाद्य निगम	<p>भंडारण लागत (नोट-एच) ₹2,472.63 करोड़</p> <p>उपरोक्त भंडारण शुल्क में गोदामों से संबंधित कर्मचारी पारिश्रमिक (₹988.73 करोड़), मूल्यहास (₹111.25 करोड़) तथा माल ढुलाई एवं संभलाई का पर्यवेक्षण शुल्क (₹67.52 करोड़) शामिल नहीं होने के कारण ₹1,167.50 करोड़ शामिल नहीं हैं। ये व्यय भारत सरकार के 25 अप्रैल 1980 के परिपत्र (खाद्य सब्सिडी का दावा करने के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर) के अनुसार गोदाम/भंडारण शुल्क का हिस्सा हैं, जिसके अनुसार गोदाम शुल्क में किराए के गोदामों के लिए किराया शुल्क, मूल्यहास,</p>

क्रम सं.	निगम का नाम	टिप्पणियाँ
		<p>मरम्मत, संभलाई, भंडार एवं पुर्जे तथा अपने गोदामों के लिए गोदाम स्थापना शुल्क शामिल हैं।</p> <p>इस प्रकार, भंडारण प्रभार ₹1,167.50 करोड़ कम दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी पारिश्रमिक ₹988.73 करोड़, मूल्यहास ₹111.25 करोड़, माल ढुलाई ₹20.85 करोड़ तथा संभलाई प्रभार ₹46.67 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।</p>
5.	भारतीय खाद्य निगम	<p>कर्मचारी पारिश्रमिक एवं हितलाभ (नोट जे)- ₹3,226.42 करोड़</p> <p>लेखांकन नीति के अनुसार, निगम उपदान एवं अवकाश नकदीकरण का लेखा नकद आधार पर करता है। यह लेखांकन नीति, लेखांकन मानक-15 के पैरा-61 के अनुरूप नहीं है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि किसी उद्यम को लाभ-हानि विवरण में सेवानिवृत्ति लाभ लागत को शामिल करना चाहिए। लेखांकन मानक-1 में लेखांकन नीति के चयन के लिए दिए गए तीन प्रमुख विचारों - विवेक, स्वरूप पर सार और भौतिकता - में से, निगम द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति भौतिकता की दृष्टि से सही नहीं है।</p> <p>नोट 16(3) में दर्शायी गई कुल देयता ₹3,370.22 करोड़ थी (उपदान के लिए ₹2353.53 करोड़ तथा अवकाश नकदीकरण के लिए ₹1,016.69 करोड़)। लेखा नोट्स में किया गया प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं है क्योंकि एस-1 के पैरा 23 के अनुसार, लेखांकन नीतियों या उनमें परिवर्तनों का प्रकटीकरण लेखों में मद के गलत या अनुपयुक्त उपचार का समाधान नहीं कर सकता।' गलत लेखांकन के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए व्यय एवं हानि दोनों को ₹737.89 करोड़ कम दर्शाया गया, जिसके परिणामस्वरूप देयताओं को ₹3,370.22 करोड़ तथा पिछले वर्ष के व्यय को ₹2632.33 करोड़ कम दर्शाया गया।</p> <p>पिछले वर्षों के लेखा-जोखा में इस ओर ध्यान दिलाए जाने के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।</p>

परिशिष्ट-VI

(अनुच्छेद संख्या 1.6 में संदर्भित)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखाओं की लेखापरीक्षा पर शून्य टिप्पणियां देने वाले सीपीएसई की सूची

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1.	एएफसी इंडिया लिमिटेड
2.	एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम
4.	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
5.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6.	केंद्रीय भंडारण निगम
7.	डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8.	एडसिल
9.	एडसिल विद्यांजलि फाउंडेशन
10.	एफएसीटी-आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट लिमिटेड
11.	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी
12.	हिंदुस्तान एंटीबायोटेक्स लिमिटेड
13.	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14.	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड
15.	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड
16.	सीसीएस एनआईएएम का नवाचार और उद्यमिता महासंघ
17.	कर्मयोगी भारत
18.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
19.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
20.	राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम
21.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
22.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम
23.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
24.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
25.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
26.	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
27.	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
28.	रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
29.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
30.	तालचर फर्टिलाइजर लिमिटेड
31.	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड
32.	द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
33.	उर्वरक विदेश लिमिटेड

परिशिष्ट-VII

(पैराग्राफ संख्या 1.7 में संदर्भित)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से कार्यवाही संबंधी विवरण अपेक्षित/पत्राचाराधीन
(31 अगस्त 2025 तक)

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट	देय	प्राप्त नहीं	पत्राचार के तहत
1.	संस्कृति	2021	1	0	1
2.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	2022	1	1	0
3.	उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास	2014	1	0	1
4.	शिक्षा	2022	1	0	1
5.	उर्वरक	2022	1	1	0
6.	गृह मंत्रालय	2009	3	0	3
7.	सूचना और प्रसारण	2022	1	0	1
8.	जल शक्ति	2017	1	1	0
		2023	1	0	1
9.	अल्पसंख्यक मामले	2011	1	0	1
10.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	2022	1	0	1
11.	कौशल विकास और उद्यमिता	2022	1	0	1
12.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	2011	1	0	1
13.	जनजातीय मामले	2022	1	0	1
कुल			16	03	13

अनुलग्नक

अनुलग्नक 2.1

(पैराग्राफ सं. 2.1.4 में संदर्भित)

लेखापरीक्षा में चयनित स्मारकों की सूची

क्र. सं.	स्मारक का नाम	स्थान	क्षेत्र
टिकट वाले/आदर्श/डब्ल्यूएचएस			
1.	आगरा किला	आगरा किला, आगरा	आगरा क्षेत्र
2.	अकबर का मकबरा, प्रवेशद्वार और मैदान की चारदीवारी।	सिकंदरा, आगरा	-वही-
3.	फतेहपुर सीकरी स्मारक समूह	फतेहपुर सीकरी, तहसील किरवाली, आगरा	-वही-
4.	इतिमाद-उद-दौला का मकबरा		-वही-
5.	मथुरा रोड पर मरियम का मकबरा।	सिकंदरा, आगरा	-वही-
6.	नदी के किनारे मेहताब बाग, ताज के सामने।	ताज के सामने, आगरा	-वही-
7.	ज़ोहरा बाग से सटे राम बाग के प्रवेश द्वार।	चीनी का रौजा के पास, आगरा	-वही-
8.	ताज स्मारक समूह	ताज गंज, आगरा	-वही-
9.	कालिंजर का किला	कालिंजर, बांदा	झांसी क्षेत्र
10.	रानी लक्ष्मी बाई महल	झांसी	-वही-
11.	झांसी किला	झांसी	-वही-
12.	गुप्त मंदिर	देवगढ़, ललितपुर	-वही-
13.	रेजीडेंसी भवन	रेजीडेंसी, लखनऊ	लखनऊ क्षेत्र
14.	पिपरहवा में शाक्यों के स्तूप तथा मठ का स्थल	पिपरहवा तहसील-नौगढ़ सिद्धार्थनगर	-वही-
15.	सहेत-महेत का स्थल इकौना और बलरामपुर परगना में	श्रावस्ती और बलरामपुर	-वही-
16.	लार्ड कार्नवालिस का मकबरा, गाज़ीपुर	गाज़ीपुर	सारनाथ क्षेत्र
17.	जौनपुर किला, जौनपुर	जौनपुर	-वही-
18.	चौखंडी स्तूप के नाम से ज्ञात प्राचीन बौद्ध स्थल	सारनाथ वाराणसी	-वही-
19.	धमेख स्तूप सहित सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्तूप	सारनाथ वाराणसी	-वही-
20.	लाल खान का मकबरा	राजघाट वाराणसी	-वही-

क्र. सं.	स्मारक का नाम	स्थान	क्षेत्र
21.	मान सिंह वेधशाला	वाराणसी	-वही-
गैर-टिकटीकृत स्मारक			
22.	ईदगाह	रापरी, फिरोजाबाद	आगरा क्षेत्र
23.	कांच महल	सिकंदरा, आगरा	-वही-
24.	वृत्ताकार सड़क पर कोस मीनार	मथुरा	-वही-
25.	गंगीरी में विजय के समय शहीद हुए वीर पुरुषों की स्मृति में स्मारक।	गंगीरी, अलीगढ़	-वही-
26.	रथबानपुर में मेजर रॉबर्ट नैर्न का स्मारक	पिपलगावां, हाथरस	-वही-
27.	भानकौर तालाब के पार्श्व बुर्ज में संवत् 1666 के संस्कृत शिलालेख वाला स्तंभ	बरसाना, मथुरा	-वही-
28.	दयाराम के किले के अंदर एक पुराने हिंदू मंदिर के अवशेष	हाथरस	-वही-
29.	चंडी मंदिर के नीचे घाटी के बिस्तर पर लेटे हुए गणेश के साथ सात माताओं की एक बड़ी शिला	दौलतपुर, ललितपुर	झांसी क्षेत्र
30.	सकरार गांव में चंदेल मंदिर	सकरार तहसील-मऊरानीपुर, झाँसी	-वही-
31.	बंद ब्रिटिश कब्रिस्तान.	कैथा, हमीरपुर	-वही-
32.	जैन मंदिर.	दुधई, तहसील-पाली ललितपुर	-वही-
33.	चंदेल शैली के एक बड़े लिंग मंदिर के खंडहर	हटोवर, चित्रकूट	-वही-
34.	पत्थर का मंदिर	कर्वी, चित्रकूट	-वही-
35.	तालबेहट किला.	तालबेहट, ललितपुर	-वही-
36.	मदन सागर झील	मदन सागर, महोबा	-वही-
37.	अमजद अली शाह का मकबरा	हजरतगंज, लखनऊ	लखनऊ क्षेत्र
38.	बिबियापुर हाउस	छावनी, लखनऊ	-वही-
39.	कब्रिस्तान	हुसैनाबाद, लखनऊ	-वही-
40.	कैसर बाग के द्वार	कैसर बाग लखनऊ	-वही-
41.	रूमी दरवाजा.	बड़ा इमामबाड़ा, लखनऊ	-वही-
42.	सिकंदर बाग की इमारतें	सिकंदरबाग, लखनऊ	-वही-
43.	नवाब राशिद खान का मकबरा	रशीदाबाद, फरुखाबाद	-वही-
44.	दो प्राचीन ईंट के मंदिर	खुर्दा तहसील घाटमपुर, कानपुर नगर	-वही-

क्र. सं.	स्मारक का नाम	स्थान	क्षेत्र
45.	दो कब्रिस्तान.	लखनऊ	-वही-
46.	दो कब्रिस्तान.	मील 4 पर, फैजाबाद रोड लखनऊ	-वही-
47.	टीला.	सरथल खेड़ा, मुरादाबाद	मेरठ क्षेत्र
48.	पुराना रोहिल्ला किला	सहारनपुर	-वही-
49.	रोमन कैथोलिक चर्च	सरधना	-वही-
50.	हरमित शाह दाना का मकबरा या मज़ार	श्यामगंज, बरेली	-वही-
51.	खसरा संख्या 384 में 7 एकड़ और 800 कड़ी क्षेत्रफल वाला प्राचीन स्थल	गढ़वा आजमगढ़/ गरहुआ	सारनाथ क्षेत्र
52.	प्राचीन स्थल, घोसी	मऊ	-वही-
53.	इलाहाबाद किले में पत्थर का अशोक स्तंभ एवं जनाना महल	इलाहाबाद	-वही-
54.	गोलाकार टीला तथा एक स्तूप के अवशेष	छेतियों, कुशीनगर	-वही-
55.	पुराने किले में हम्माम या तुर्की स्नान	जौनपुर	-वही-
56.	जामा मस्जिद	जौनपुर	-वही-
57.	फ्यूहरर द्वारा बुद्ध अश्वघोष (4.5 फीट ऊंची) के रूप में पहचानी गई खड़ी आकृति, जिसके ऊपर पांच सिर वाला सांप का छत्र है, भीटा बारा तहसील के पास देवड़ा	इलाहाबाद	-वही-

अनुलग्नक 2.2

(पैराग्राफ सं. 2.1.6.3 में संदर्भित)

लुप्त स्मारकों की स्थिति

क्र. सं.	लुप्त बताए गए सीपीएम का नाम	स्थिति
1.	आंवला रेलवे स्टेशन, बरेली का स्थल।	लुप्त
2.	लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन गुथरी का मकबरा, मिट्टी के किले में, फर्रुखाबाद	मिल गया
3.	प्राचीन मूर्तिकला, नक्काशी, चित्र, मूल अवशेष, शिलालेख, पत्थर और इसी प्रकार की वस्तुएं, मथुरा।	हालांकि, यह पता लगाना असंभव नहीं है, लेकिन अधिसूचना में दिए गए संदर्भ के साथ मिलान करने के लिए उनकी सटीक समानता का आगे अध्ययन करने तथा उसमें संशोधन की आवश्यकता है।
4.	कटरा टीले का वह भाग जिस पर नजूल काश्तकार नहीं रह रहे हैं, जिस पर पहले केशव देव का मंदिर था जिसे तोड़ दिया गया तथा उस स्थान का उपयोग मथुरा में औरंगजेब की मस्जिद के लिए किया गया।	हालांकि, यह पता लगाना असंभव नहीं है, लेकिन अधिसूचना में दिए गए संदर्भ के साथ मिलान करने के लिए उनकी सटीक समानता का आगे अध्ययन करने तथा उसमें संशोधन की आवश्यकता है।
5.	किला चांदपुर का स्मारक, बिजनौर।	लुप्त
6.	किला रेलवे स्टेशन के निकट स्मारक, हाथरस।	हालांकि, यह पता लगाना असंभव नहीं है, लेकिन अधिसूचना में दिए गए संदर्भ के साथ मिलान करने के लिए उनकी सटीक समानता का आगे अध्ययन करने की आवश्यकता है और आगे कहा गया कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है।
7.	पुराना ब्रिटिश कब्रिस्तान, बिजनौर	लुप्त
8.	बड़े मंदिर के अवशेष, राम नगर, चित्रकूट	लुप्त
9.	बंद कब्रिस्तान, कटरा नाका, बांदा	राजपत्र 08.03.2024 का एसएन 11
10.	संदी खेड़ा नामक विशाल खंडहर स्थल, पाली, शाहाबाद, हरदोई	मिल गया
11.	कब्रिस्तान, जालौन (बस स्टैंड), जालौन	लुप्त

क्र. सं.	लुप्त बताए गए सीपीएम का नाम	स्थिति
12.	गनर बर्किल का मकबरा, रणगांव, महरौनी, ललितपुर	राजपत्र 08.03.2024 की क्र. सं. 12
13.	इमामबाड़ा अमीन-उद-दौला, लखनऊ	लुप्त
14.	लखनऊ-फैजाबाद रोड पर 3, 4 एवं 5 मील पर तीन मकबरे, लखनऊ	राजपत्र 08.03.2024 की क्र. सं. 15
15.	जहरैला रोड पर 6 एवं 7 मील पर कब्रिस्तान, लखनऊ	राजपत्र 08.03.2024 की क्र. सं. 14
16.	लखनऊ के गऊघाट स्थित कब्रिस्तान	राजपत्र 08.03.2024 की क्र. सं. 13
17.	1000 ईशवी के तीन छोटे लिंग मंदिरों के खंडहर समूह, अहूगी मिर्जापुर	राजपत्र 08.03.2024 की क्र. सं. 16
18.	पहाड़ी के पश्चिमी एवं उत्तर-पूर्वी भाग पर महापाषाणकालीन तीन स्थल, चंदौली	लुप्त
19.	कोषागार भवन पर पट्टिका, वाराणसी	राजपत्र 08.03.2024 की क्र. सं. 18
20.	तेलिया नाला बौद्ध खंडहर, वाराणसी	राजपत्र 08.03.2024 की क्र. सं. 17
21.	प्राचीन इमारतों के अवशेष युक्त एक बरगद का बाग, अमावे, बलिया	राजपत्र 08.03.2024 की क्र. सं. 10
22.	सुरिका-राज नामक खंडहर का टीला या डीह, खंडहर, गाजीपुर	लुप्त
23.	ईंटों के अवशेषों का टीला, सहिया, कुशीनगर	लुप्त
24.	विशाल टीलों की एक श्रृंखला, गोरखपुर	लुप्त
25.	चेटियन में विशाल टीला या डीह, कसिया, कुशीनगर	लुप्त
26.	सरेया नामक खंडहरों का टीला, कुशीनगर	लुप्त
27.	सीकचा वाली कोठी, पुराना उच्च न्यायालय लखनऊ	अधिसूचना रद्द करने हेतु भेजा गया
28.	लखनऊ के दो कब्रिस्तान (भौतिक सत्यापन)	लुप्त
29.	लखनऊ-रायबरेली रोड 6 मील स्थित कब्रिस्तान, लखनऊ	लुप्त
30.	लखनऊ-कानपुर रोड पर 13 मील स्थित कब्रिस्तान, लखनऊ	लुप्त
31.	कोस मीनार, भोगनीपुर, कानपुर देहात	लुप्त
32.	कोस मीनार, भोगनीपुर, कानपुर देहात	लुप्त
33.	कोस मीनार, चपरघाटा, कानपुर देहात	लुप्त
34.	कोस मीनार, रैगावां कानपुर देहात	लुप्त

क्र. सं.	लुप्त बताए गए सीपीएम का नाम	स्थिति
35.	कोस मीनार, खलासपुर कानपुर देहात	लुप्त
36.	कोस मीनार, देवसर कानपुर देहात	लुप्त
37.	कोस मीनार, हलिया घाटमपुर कानपुर नगर	लुप्त
38.	जिले के विभिन्न भागों से विविध पुरावशेषों का संग्रहण, फतेहपुर के महिपालदेव के असनी स्तंभ के चारों ओर समूहित	लुप्त
39.	एक पुराने चंदेल मंदिर के अवशेष, बांदा	लुप्त
40.	मंदिर, झांसी	लुप्त
41.	कठोहिया मरिहा नामक एक शिखर-युक्त मंदिर, ललितपुर	लुप्त
42.	दो मंदिर एवं कई अवशेष, ललितपुर	लुप्त
43.	जैन मंदिर समूह, ललितपुर	लुप्त
44.	मुडियानिओर स्तंभों की एक मध्ययुगीन पुनर्व्यवस्था ललितपुर	लुप्त
45.	ललितपुर में विष्णु की तीन आकृतियों वाला एक छोटा मंदिर	लुप्त

अनुलग्नक 2.3

(पैराग्राफ सं. 2.1.7.1 में संदर्भित)

एक ही परिसर में एकाधिक अधिसूचनाएँ

क्षेत्र	स्मारक/परिसर	स्मारकों की संख्या
आगरा	अकबर का मकबरा, सिकंदरा , आगरा	2
	ईदगढ़ रापरी, फिरोजाबाद	3
झांसी	चंडी मंदिर के नीचे घाटी में लेटे हुए गणेश के साथ सात माताओं की एक बड़ी शिला", दौलतपुर, पाली, ललितपुर	2
	कालिंजर किला, बांदा	3
	जैन मंदिर, दुधई, ललितपुर	12
	मदन सागर झील, महोबा	5
	गुफा संख्या 212 के बाहर स्थित एक गर्भगृह तथा सपाट छत वाला एक छोटा मंदिर, बरहा कोटरा	2
	एक पुराने किले के अवशेष, रसिन तहसील कर्वी	3
लखनऊ	सिकंदर बाग भवन, लखनऊ	2
	बड़ा इमामबाड़ा	2
	टाउन हॉल से जुड़ा नगरपालिका उद्यान परिसर, फतेहपुर	2
	पुराना किला, नाहर खोर, फतेहपुर	3
	मखदूम जहानियां, कन्नौज	3
	पिपराहवा सिद्धार्थ नगर	2
	दिलकुशा महल, लखनऊ	3
	बाग बादशाही, फतेहपुर	2
	नंदन महल, लखनऊ	2
	बाला पीर मकबरा, कन्नौज	5
सारनाथ	जौनपुर किला, जौनपुर	2
	जामा मस्जिद, जौनपुर	2

अनुलग्नक 2.4

(पैराग्राफ सं. 2.1.9.3 (ii) में संदर्भित)

स्मारकों का अनुचित संरक्षण

फोटोग्राफ एवं उनका विवरण	
सारनाथ क्षेत्र	
	
लॉर्ड कार्नवालिस मकबरा, गाजीपुर के स्मारक में एक बड़ी दरार दिनांक 24.07.24	
आगरा क्षेत्र	
	
अकबर का मकबरा, सिंकंदरा, आगरा की क्षतिग्रस्त नकली छत दिनांक 10.09.24	जोधाबाई महल, फतेहपुर सीकरी, आगरा में रासायनिक उपचार की आवश्यकता दिनांक 29.08.24

	
मेहताब बाग, आगरा की जर्जर स्थिति दिनांक 26.09.24	मोती मस्जिद ताज, आगरा में जीर्ण-शीर्ण जड़ाई कार्य दिनांक 24.09.24

मेरठ क्षेत्र



रोमन कैथोलिक चर्च, मेरठ का अलग रंगावट दिनांक 16.10.24

लखनऊ क्षेत्र



कोठी बिबियापुर, कैंट, लखनऊ में बिखरे पड़े साइनेज बोर्ड दिनांक 05.11.24

अनुलग्नक 2.5

(पैराग्राफ सं. 2.1.11.2 में संदर्भित)

वार्षिक संरक्षण योजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	क्षेत्र	स्वीकृत एसीपी	राशि	बजट आवंटन	कम आवंटन (%)	स्वीकृत एसीपी जो निष्पादित नहीं किए गए
2021-22	आगरा	260	28.32	20.29	8.03 (28)	54
2022-23		316	34.48	22.57	11.91 (35)	84
2023-24		275	40.53	24.43	16.10 (40)	74
2021-22	झांसी	111	14.46	4.15	10.31 (71)	20
2022-23		121	17.23	7.12	10.11 (59)	6
2023-24		129	20.33	6.05	14.28 (70)	0
2021-22	लखनऊ	239	23.08	10.88	12.20 (53)	68
2022-23		259	29.14	19.06	10.08 (35)	96
2023-24		190	35.69	17.32	18.38 (51)	34
2021-22	मेरठ	68	10.23	2.89	7.34 (72)	4
2022-23		81	14.29	6.69	7.60 (53)	10
2023-24		73	17.91	9.73	8.18 (46)	11
2021-22	सारनाथ	143	18.58	7.89	10.69 (58)	21
2022-23		165	22.21	11.63	10.58 (48)	30
2023-24		163	26.29	13.30	12.99 (49)	53
कुल		2593	352.77	184.00	168.70	565

अनुलग्नक-2.6

(पैराग्राफ सं. 2.2 में संदर्भित)

अप्रयुक्त स्थान के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में ₹ 27.43 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

क्र. सं.	महीना	संपूर्ण भवन का मासिक किराया	दो मंजिलों का आनुपातिक मासिक किराया	मंत्रालय द्वारा वास्तव में भुगतान किया गया किराया	किराए का अधिक/कम भुगतान
				(₹ में मूल्य)	
1.	फरवरी-23	3,72,60,974	74,52,195	3,72,60,974	2,98,08,779
2.	मार्च-23	3,72,60,974	74,52,195	3,72,60,974	2,98,08,779
3.	अप्रैल-23	4,02,41,852	80,48,370	4,02,41,852	3,21,93,482
4.	मई-23	4,02,41,852	80,48,370	4,02,41,852	3,21,93,482
5.	जून-23	4,02,41,852	80,48,370	4,02,41,852	3,21,93,482
6.	जुलाई-23	4,02,41,852	80,48,370	4,02,41,852	3,21,93,482
7.	अगस्त-23	4,02,41,852	80,48,370	4,02,41,852	3,21,93,482
8.	सितंबर-23	4,02,41,852	80,48,370	4,02,41,852	3,21,93,482
9.	अक्टूबर-23	4,02,41,852	80,48,370	4,02,41,852	3,21,93,482
10.	नवंबर-23	4,02,41,852	80,48,370	4,02,41,852	3,21,93,482
11.	दिसंबर-23	4,02,41,852	80,48,370	0	-80,48,370
12.	जनवरी-24	4,02,41,852	80,48,370	0	-80,48,370
13.	फरवरी-24	4,02,41,852	80,48,370	0	-80,48,370
14.	मार्च-24	4,02,41,852	80,48,370	0	-80,48,370
15.	अप्रैल-24	4,34,61,200	86,92,240	0	-86,92,240
16.	मई-24 (07.05.24 तक)	98,13,819	19,62,764	0	-19,62,764
कुल			12,21,39,838	39,64,56,764	27,43,16,926

अनुलग्नक-2.7

(पैराग्राफ सं. 2.3 में संदर्भित)

छ: आवासीय इकाइयों के संबंध में किराया परिव्यय

क्रम सं.	इकाई सं.	अवकाश का महीना	महीनों में रिक्ति की अवधि (फरवरी 2025 तक)	खाली इकाइयों के एवज में मिशन द्वारा दिया जाने वाला मासिक किराया (आरएमबी)	रिक्ति की अवधि के लिए किराये का परिव्यय (आरएमबी)
1.	ए 1	मई 2022	34	27,000	9,18,000
2.	ए2	अक्तूबर 2022	29	19,000	5,51,000
3.	ए4	नवंबर 2024	4	19,000	76,000
4.	बी 1	अगस्त 2021	43	18,000	7,74,000
5.	बी 3	सितंबर 2024	6	18,000	1,08,000
6.	सी2	दिसंबर 2022	27	10,000	2,70,000
कुल (आरएमबी में)					2,69,7000
फरवरी 2025 की आधिकारिक विनिमय दर, 1 आरएमबी = ₹ 11.9474					
कुल रुपये में					3,22,22,138 (3.22 करोड़)

अनुलग्नक-2.8

(पैराग्राफ सं. 2.6 में संदर्भित)

आरपीओ, मुंबई द्वारा भुगतान किया गया विद्युत शुल्क तथा कर

(राशि ₹ में)

वर्ष	महीना	विद्युत शुल्क	बिक्री पर कर
2017	जुलाई	96124.65	8665.94
2017	अगस्त	165739.04	16702.99
2017	सितंबर	147745.1	14778.83
2017	नवंबर	150847.71	14262.45
2018	जनवरी	133852.37	12338.29
2018	मार्च	151672.74	14248.03
2018	अप्रैल	163096.22	15921.21
2018	जुलाई	154870.94	14816.33
2018	अगस्त	154842.85	15211.55
2018	सितंबर	139881.38	13855.69
2018	अक्टूबर	160515.32	17034.74
2018	नवंबर	144705.62	14210.52
2018	दिसंबर	118943.79	11493.04
2019	जनवरी	116145.57	15804.09
2019	फरवरी	121081.38	16645.56
2019	मार्च	136930.34	19280.26
2019	अप्रैल	159097.99	21608.59
2019	मई	191270.33	26698.25
2019	जून	177772.07	24557.82
2019	जुलाई	179892.78	24868.26
2019	अगस्त	160132.07	21759.73
2019	सितंबर	152164.34	20509.78
2019	अक्टूबर	165700.77	22662.47
2019	नवंबर	160292.6	21776.07
2019	दिसंबर	146602.57	19627.46

वर्ष	महीना	विद्युत शुल्क	बिक्री पर कर
2020	जनवरी	141628.22	18835.01
2020	फरवरी	137553.5	18185.53
2020	मार्च	101716.4	16290.18
2020	अप्रैल	54240.48	11679.12
2020	मई	48934.37	9961.47
2020	जून	94504.17	14750.55
2020	जुलाई	114645.01	19329.95
2020	अगस्त	109086.02	17439.37
2020	सितंबर	117229.3	19023.59
2020	अक्टूबर	113968.02	18477.59
2020	नवंबर	110885.25	17222.88
2020	दिसंबर	104887.52	16856.95
2021	जनवरी	103771.01	16082.54
2021	फरवरी	98740.79	15618.57
2021	मार्च	117030.55	19982.5
2021	अप्रैल	122307.73	20429.11
2021	मई	130825.3	22095.36
2021	जून	142639.26	24397.15
2021	जुलाई	141581.12	24704.19
2021	अगस्त	132899.04	22680.5
2021	सितंबर	131814.83	22498.74
2021	अक्टूबर	138293.35	23367.1
2021	नवंबर	135839.14	23776.26
2021	दिसंबर	118608.42	19972.97
2022	जनवरी	106573.45	17127.57
2022	फरवरी	115361.42	18374.11
2022	मार्च	144961.57	25283.55
2022	अप्रैल	148042.65	25927.25
2022	मई	157760.4	28197.71
2022	जून	157422.09	28090.49

वर्ष	महीना	विद्युत शुल्क	बिक्री पर कर
2022	जुलाई	154319.84	23922.29
2022	अगस्त	148341.02	22606.99
2022	सितंबर	152472.05	23451.18
2022	अक्टूबर	159056.81	24569.73
2022	नवंबर	144157.19	21843.81
2022	दिसंबर	155254.13	23914.46
2023	जनवरी	127812.21	18146.72
2023	फरवरी	137450.46	19770.43
2023	मार्च	158741.18	23689.46
2023	अप्रैल	154300.51	22889.86
2023	मई	174559.77	26488.91
2023	जून	162411.23	24444.8
2023	जुलाई	167358.24	25905.12
2023	अगस्त	177038.42	27833.15
2023	सितंबर	151313.2	22172.98
कुल		9668257.18	1387645.7

अनुलग्नक-2.9

(पैराग्राफ सं. 2.6 में संदर्भित)

आरपीओ, पुणे का विद्युत शुल्क तथा कर

वर्ष	महीना	विद्युत शुल्क	कर
2021	जनवरी	41499.11	2192.46
	फरवरी	38125.1	1911.81
	मार्च	46207.96	2676.83
	अप्रैल	47163.42	2730.53
	मई	46100.35	2609.62
	जून	43260.4	2330.5
	जुलाई	42546.1	2195.69
	अगस्त	41482.36	2090.02
	सितंबर	40778.49	2037.47
	अक्तूबर	43035.29	2259.48
	नवंबर	40367.73	2030.43
	दिसंबर	38760.28	1797.95
2022	जनवरी	38032.11	1691.13
	फरवरी	37042.3	1688.47
	मार्च	38621.12	1916.19
	अप्रैल	38534.54	1808.8
	मई	40173.52	1969.69
	जून	43634.46	1932.56
	जुलाई	43758.22	1900.95
	अगस्त	47769.67	2179.7
	सितंबर	49115.56	2301.75
	अक्तूबर	49739.27	2318.12
	नवंबर	48409.13	2232.25
	दिसंबर	50121.84	2375.81
2023	जनवरी	50798.59	2432.74
	फरवरी	46711.26	2127.91

वर्ष	महीना	विद्युत शुल्क	कर
	मार्च	53163.84	2652.08
	अप्रैल	59227.92	3045.07
	मई	65311.91	3552.86
	जून	65891.11	3575.14
	जुलाई	59641.93	3018.41
	अगस्त	60524.63	3099.33
	सितंबर	61424.27	3108.09
	अक्तूबर	63835.13	3311.25
	नवंबर	55836.56	2564.69
	दिसंबर	54372.41	2373.34
2024	जनवरी	55306.06	2493.48
	फरवरी	54227.51	2450.45
	मार्च	0	0
	अप्रैल	80797.37	4084.84
	मई	81217.4	4089.41
	जून	71821.36	3352.32
	जुलाई	67212.38	2964.34
	अगस्त	68068.27	3041.45
	सितंबर	65072.09	2819.44
	अक्तूबर	68131.77	3046.02
	नवंबर	59784.73	2387.81
	दिसंबर	45404.76	1437.14
2025	जनवरी	46016.29	1473.51
	फरवरी	48780.18	1711.12
	मार्च	58453.6	2454.26
	अप्रैल	50109.27	1989.11
	मई	52033.47	2068.51
कुल		2703454.4	127902.33

अनुलग्नक-2.10

(पैराग्राफ सं. 2.6 में संदर्भित)

आरपीओ, गोवा का विद्युत शुल्क

वर्ष	महीना	विद्युत शुल्क
2018	अगस्त	11112.5
	सितंबर	10675
	अक्तूबर	12817
	नवंबर	11231.5
	दिसंबर	10619
2019	जनवरी	7444.5
	फरवरी	6405
	मार्च	9915.5
	अप्रैल	12743.5
	मई	14322
	जून	11301.5
	जुलाई	12791.1
	अगस्त	12791.1
	सितंबर	12791.1
	अक्तूबर	12791.1
	नवंबर	12791.1
	दिसंबर	12791.1
2020	जनवरी	12791.1
	फरवरी	12791.1
	मार्च	12791.1
	अप्रैल	12791.1
	मई	12791.1
	जून	12791.1
	जुलाई	12241.6
	अगस्त	12176.5
	सितंबर	11928.7

वर्ष	महीना	विद्युत शुल्क
	अक्तूबर	11528.3
	नवंबर	8181.6
	दिसंबर	8652.7
2021	जनवरी	8756.3
	फरवरी	7460.6
	मार्च	10166.8
	अप्रैल	9797.2
	मई	10222.1
	जून	8159.9
	जुलाई	7264.6
	अगस्त	7268.8
	सितंबर	7351.4
	अक्तूबर	8352.4
	नवंबर	7926.8
	दिसंबर	7575.4
2022	जनवरी	6741.7
	फरवरी	7210.7
	मार्च	10453.1
	अप्रैल	10451.6
	मई	11121.6
	जून	9459.8
	जुलाई	5807.9
	अगस्त	9033.5
	सितंबर	9368.1
	अक्तूबर	9363.2
	नवंबर	9840.6
	दिसंबर	10165.4
2023	जनवरी	8082.2
	फरवरी	10022.6
	मार्च	10712.1

वर्ष	महीना	विद्युत शुल्क
	अप्रैल	10951.5
	मई	12039.3
	जून	11512.9
	जुलाई	8600.9
	अगस्त	10776.1
	सितंबर	9493.4
	अक्तूबर	11940.6
	नवंबर	10794
	दिसंबर	11601.1
2024	जनवरी	10585.4
	फरवरी	10494.4
	मार्च	10875.9
	अप्रैल	12451.6
	मई	13428.8
	जून	9737
	जुलाई	9284.8
	अगस्त	8853.6
	सितंबर	9232.3
	अक्तूबर	9653
	नवंबर	7967.4
	दिसंबर	15466.5
2025	जनवरी	1374
	फरवरी	7602
	मार्च	9023.7
	अप्रैल	9666.3
कुल		828332.5

अनुलग्नक-2.11

(पैरग्राफ सं. 2.8.7 (i) में संदर्भित)

सर्वेक्षण और परियोजना प्रदेय में कमी

जहाजों	परियोजना	लक्ष्य						उपलब्धि						उपलब्धि %						कमी %		
		जलयाना	समुद्र पर बिताने दिन	मछली पकड़ने के दिन	नमूनाकरण प्रयास	जलयाना	समुद्र पर बिताने दिन	मछली पकड़ने के दिन	नमूनाकरण प्रयास	यात्रा %	समुद्र में %	मछली पकड़ने का %	% नमूनाकरण प्रयास	यात्रा %	समुद्र में %	मछली पकड़ने का %	% नमूनाकरण प्रयास	यात्रा %	समुद्र में %	मछली पकड़ने का %	% नमूनाकरण प्रयास	
एमएफवी मत्स्य दर्शनी	तल/मध्य जल में ट्रॉलिंग	47	940	752	3228	42	752	590	2314.1	89	80	78	71.68	11	20	22	28.32					
एमएफवी मत्स्य शिकारी	बॉटम ट्रॉलिंग	49	960	758	3505	39	654	433	1625.4	80	68	57	46.37	20	32	43	53.63					
एमएफवी मत्स्य सागरिका	बॉटम ट्रॉलिंग	48	950	760	3562.5	35	654	456	1765.16	73	69	60	49.55	27	31	40	50.45					
एमएफवी मत्स्य समुद्रिका	बॉटम ट्रॉलिंग	48	960	768	3600	27	480	378	1666	62	50	49.22	46.28	43.75	50	53.78	53.72					
एमएफवी मत्स्य लावणिका	बॉटम ट्रॉलिंग	97	971	776	3642	83	738	540	1535.73	86	76	70	42.17	14	24	30	57.83					
एमएफवी मत्स्य वर्षिणी	बॉटम ट्रॉलिंग	49	980	784	3675	29	508	337	791.47	59	52	43	21.54	41	48	57	78.46					
एमएफवी मत्स्य निरीक्षणी	बॉटम ट्रॉलिंग	51	1010	808	3787.5	7	73	38	153.55	14	7	5	4.05	86	93	95	95.95					
कुल (ए)		389	6771	5406	25000	262	3859	2772	9851.41	67.35	56.99	51.28	39.41	32.65	43.01	48.72	60.59					
एमएफवी मत्स्य ब्लू मालिन	टूना लंबी लाइन	51	1000	755	471875	13	198	103	41882	33	20	14	8.87	68	80	86	91.13					
एमएफवी मत्स्य वृष्टि	टूना लंबी लाइन	50	1000	676	424920	43	823	542	278825	86	82	80	65.62	14	18	20	34.38					
एमएफवी मत्स्य पीला फिन	टूना लंबी लाइन	49	980	734	431250	30	515	313	81200	61	53	43	18.83	39	47	57	81.17					
एमएफवी मत्स्य वृष्टि	टूना लंबी लाइन	47	940	692	435960	24	342	194	89047	51	36	28	20.43	49	64	72	79.57					
कुल (बी)		197	3920	2857	1764005	110	1878	1152	490954	55.84	47.91	40.32	27.83	44.16	52.09	59.68	72.17					
कुल (ए+बी)		586	10691	8263		372	5737	3924		63.48	53.66	47.49		36.52	46.34	52.51						

अनुलग्नक-2.12

(पैराग्राफ सं. 2.8.7 (i) में संदर्भित)

यात्रा का लक्ष्य और उपलब्धि

जहाँ	लक्ष्य				उपलब्धि				% उपलब्धि				% कमी			
	जलयान	समुद्र पर बितारे दिन	मछली पकड़ने के दिन	नमूनाकरण प्रयास	जलयान	समुद्र पर बितारे दिन	मछली पकड़ने के दिन	नमूनाकरण प्रयास का %	यात्रा का %	समुद्र में %	मछली पकड़ने का %	नमूनाकरण प्रयास का %	यात्रा का %	समुद्र में %	मछली पकड़ने का %	नमूनाकरण प्रयास का %
एमएफवी मत्स्य दक्षिणी	42	780	624	2694	42	752	590	2314.1	100.00	96.41	94.55	85.90	0.00	3.59	5.45	14.10
एमएफवी मत्स्य शिकारी	39	760	600	2850	39	654	433	1625.4	100.00	86.05	72.17	57.03	0.00	13.95	27.83	42.97
एमएफवी मत्स्य सागरिका	35	650	520	2437.5	35	654	456	1765.16	100.00	100.00	87.69	72.42	0.00	0.00	12.31	27.58
एमएफवी मत्स्य समुद्रिका	27	520	416	1950	27	480	378	1666	100.00	92.31	90.87	85.44	0.00	7.69	9.13	14.56
एमएफवी मत्स्य लावणिका	83	820	656	3075	83	738	540	1535.73	100.00	90.00	82.32	49.94	0.00	10.00	17.68	50.06
एमएफवी मत्स्य वर्षिणी	29	560	448	2100	29	508	337	791.47	100.00	90.71	75.22	37.69	0.00	9.29	24.78	62.31
एमएफवी मत्स्य निरीक्षणी	7	140	112	525	7	73	38	153.55	100.00	52.14	33.93	29.25	0.00	47.86	66.07	70.75
कुल (ए)	262	4230	3376	15631.5	262	3859	2772	9851.41	100.00	91.23	82.11	63.02	0.00	8.77	17.89	36.98
एमएफवी मत्स्य बू मालिन	13	260	196.22	105000	13	198	103	41882	100.00	76.15	52.49	39.89	0.00	23.85	47.51	60.11
एमएफवी मत्स्य दृष्टि	43	800	542.74	307201.1	43	823	542	278825	100.00	100.00	99.86	90.76	0.00	0.00	0.14	9.24

जहाँ	लक्ष्य				उपलब्धि				% उपलब्धि				% कमी			
	जलयान	समुद्र पर बिताने दिन	मछली पकड़ने के दिन	नमूनाकरण प्रयास	जलयान	समुद्र पर बिताने दिन	मछली पकड़ने के दिन	नमूनाकरण प्रयास का %	यात्रा का %	समुद्र में %	मछली पकड़ने का %	नमूनाकरण प्रयास का %	यात्रा का %	समुद्र में %	मछली पकड़ने का %	नमूनाकरण प्रयास का %
एमएफवी मत्स्य पीला फिन	30	580	434.22	178750	30	515	313	81200	100.00	88.79	72.08	45.43	0.00	11.21	27.92	54.57
एमएफवी मत्स्य वृष्टि	24	480	354.63	122220	24	342	194	89047	100.00	71.25	54.70	72.86	0.00	28.75	45.30	27.14
कुल (बी)	110	2120	1527.81	713171.1	110	1878	1152	490954	100.00	88.58	75.40	68.84	0.00	11.42	24.60	31.16
कुल योग (ए+बी)	372	6350	4903.81	728802.6	372	5737	3924		100.00	90.35	80.02		0.00	9.65	19.98	

अनुलग्नक-2.13

(पैराग्राफ सं. 2.8.7 (ii) में संदर्भित)

गियर संचालन के कार्यान्वयन के लक्ष्य में कमी

आधार का नाम	पोत	प्रायोगिक गियर संचालन				
		2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2022-23
मुंबई	एमएफवी मत्स्य दृष्टि	--	--	--	--	--
	एमएफवी मत्स्य निरीक्षणी	--	--	--	--	--
मुरगांव	एमएफवी येलोफिन	--	--	--	--	आरटीएलएल - 56,250 हुक डीजीएन- 176 घंटे बीएसवीएलएल 18,750 हुक
	एमएफवी सागरिका	--	--	--	--	--
कोचीन	एमएफवी मत्स्य वर्षिणी	--	--	--	--	--
	एमएफवी लावणिका	--	--	--	--	--
चेन्नई	एमएफवी मत्स्य दृष्टि	बीएसवीएलएल 9,600 हुक.	बीएसवीएलएल - 9,600 हुक.	--	--	--
	एमएफवी मत्स्य समुद्रिका	--	--	--	--	--

		प्रायोगिक गियर संचालन				
आधार का नाम	पोत	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2022-23
विशाखापत्तनम	एमएफवी शिकारी मत्स्य	*ध्वनिक सर्वेक्षण- अंडमान जल।	--	--	--	--
	एमएफवी दर्शनी मत्स्य	*ध्वनिक सर्वेक्षण	*ध्वनिक सर्वेक्षण	*ध्वनिक सर्वेक्षण	*ध्वनिक सर्वेक्षण	*ध्वनिक सर्वेक्षण
पोर्ट ब्लेयर	एमएफवी ब्लू मार्लिन	बीएसएलएल- 18,750 हुक डीएलएल- 10,000 हुक बीएसवीएलएल- 18,750 हुक।	बीएसएलएल- 28,750 हुक, डीएलएल-8,750 हुक, बीएसवीएलएल- 18,750 हुक	बीएसएलएल- 18,750 हुक, डीएलएल-18750 हुक बीएसवीएलएल- 18750 हुक.	बीएसएलएल- 18,750 हुक डीएलएल - 14,375 हुक बीएसवीएलएल- 28,750 हुक.	आरटीएलएल -47,500 हुक एमडीएलएल- 18,750 हुक डीएल- 18,750 हुक बीएसवीएलएल- 18,750 हुक

अनुलग्नक-2.14

(पैराग्राफ सं. 2.8.7 (ii) में संदर्भित)

गियर संचालन के कार्यान्वयन में लक्ष्य से कम

आधार का नाम	पोत	प्रायोगिक गियर संचालन				
		2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2022-23
मुंबई	एमएफवी मत्स्य वृष्टि	--	--	--	--	--
	एमएफवी मत्स्य निरीक्षणी	--	--	--	--	--
मुरगांव	एमएफवी येलोफिन	--	--	--	--	बीएसवीएलएल -5185 प्रयास
	एमएफवी सागरिका	--	--	--	--	--
कोचीन	एमएफवी मत्स्य वर्षिणी	--	एचएल+वीएलएल+बीएसपीएलएल+बीएसवीएलएल 2076 हुक	--	स्विड जिगिंग- 45 घंटे.	--
	एमएफवी लावणिका	--	--	--	एचएल/बीएसएल -320.5 घंटे स्विड जिगिंग - 23.3 घंटे	बीएसएल 9.3 घंटे स्विड जिगिंग - 19.1 घंटे

प्रायोगिक गियर संचालन						
आधार का नाम	पोत	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2022-23
चेन्नई	एमएफवी मत्स्य दृष्टि	--	बीएसवीएलएल-2820 प्रयास	--	--	--
	एमएफवी समुद्रिका	--	--	--	--	--
विशाखापत्तनम	एमएफवी मत्स्य शिकारी	--	--	--	--	--
	एमएफवी मत्स्य दर्शिनी	--	--	--	--	--
पोर्ट ब्लेयर	एमएफवी ब्लू मार्लिन	बीएसवीएलएल- 7407 प्रयास	बीएसवीएलएल- 475 प्रयास	--	--	--

(ए) एसवीएलएल-बॉटम सेट वर्टिकल लॉन्गलाइन, (बी) बीएसएलएल-बॉटम सेट लाइन, (सी) बीएसपीएलएल-बॉटम सेट पार्च लॉन्गलाइन, (डी) डीजीएन-ड्रिफ्ट गिल नेट, (ई) डीएलएल-ड्रिफ्ट लॉन्गलाइन, (एफ) एचएल-हैंडलाइन, (जी) एमडीएलएल-संशोधित ड्रिफ्ट लॉन्गलाइन, (एच) आरटीएल-रेगुलर ट्यून लॉन्गलाइन, (आई) वीएलएल- वर्टिकल लॉन्गलाइन।

अनुलग्नक-2.15

(पैराग्राफ सं. 2.8.7.1 में संदर्भित)

पर्यावरणीय डेटा संग्रह की उपलब्धि

पोत	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल
एमएफवी येलो फिन	संचालित	11	2	0	6	11	30
	डेटा एकत्रित	0	0	0	0	1	1
एमएफवी मत्स्य दृष्टि	संचालित	7	3	3	4	7	24
	डेटा एकत्रित	1	2	1	1	0	5
एमएफवी मत्स्य दृष्टि	संचालित	9	12	4	6	12	43
	डेटा एकत्रित	6	6	3	3	3	21

अनुलग्नक -2.16

(पैराग्राफ सं. 2.8.8.1 (i) में संदर्भित)

पोत का दीर्घकालीन एवं अनियोजित अनुरक्षण

क्र. सं.	पोत/आयु	वर्ष	ड्राईडॉकिंग की योजना (महीनों में)	ड्राईडॉकिंग में लगा समय (महीने में)	ड्राईडॉकिंग में लगा समय (योजना का %)	एचएसडी की आपूर्ति/ गैर-उपलब्धता (दिनों में)
1.	एमएफवी मत्स्य निरीक्षणी 46 वर्ष	2018-19	-	6		60
		2019-20	2	5		27
		2020-21	2	8		-
		2021-22	-	-		-
		2022-23	-	3		-
	कुल		4	22	550	87
2.	एमएफवी मत्स्य शिकारी 45 वर्ष	2018-19	-	-		21
		2019-20	2	6		-
		2020-21	-	-		-
		2021-22	-	-		26
		2022-23	2	4		-
	कुल		4	10	250	47
3.	एमएफवी मत्स्य दर्शिनी 44 वर्ष	2018-19	1*	-		-
		2019-20	2	-		-
		2020-21	2	-		-
		2021-22	2	4		20
		2022-23	-	-		-
	कुल		7	4	100	20
4.	एमएफवी मत्स्य वर्षिणी 44 वर्ष	2018-19	2	2		-
		2019-20	-	-		-
		2020-21	2	3		-
		2021-22	-	-		-
		2022-23	-	-		-
	कुल		4	5	125	0
5.	एमएफवी ब्लू मार्लिन ¹⁵⁰	2018-19	2	9		-
		2019-20	-	4.8		-
		2020-21	2	-		-

¹⁵⁰ एमपीवी ब्लू मार्लिन- 2020-21 तथा 2021-22 में इस पोत के क्षतिग्रस्त प्रोपेलर की ड्राई डॉकिंग/ मरम्मत की गई थी तथा इसे सर्वेक्षण के लिए तैनात नहीं किया गया था।

क्र. सं.	पोत/आयु	वर्ष	ड्राईडॉकिंग की योजना (महीनों में)	ड्राईडॉकिंग में लगा समय (महीने में)	ड्राईडॉकिंग में लगा समय (योजना का %)	एचएसडी की आपूर्ति/ गैर-उपलब्धता (दिनों में)
	35 वर्ष	2021-22	1	-		-
		2022-23	-	-		12
	कुल		5	13.8	276	12
6.	एमएफवी येलो फिन 35 वर्ष	2018-19	-	1		9
		2019-20	2	4		-
		2020-21	2	10		-
		2021-22	-	3		20
		2022-23	-	1		1
	कुल		4	19	475	30
7.	एमएफवी मत्स्य समुद्रिका 30 वर्ष	2018-19	-	-		-
		2019-20	2	6		-
		2020-21	2	-		-
		2021-22	-	-		-
		2022-23	2	3		-
	कुल		6	9	150	0
8.	एमएफवी सागरिका 30 वर्ष	2018-19	2	-		-
		2019-20	2	11		-
		2020-21	2	6		-
		2021-22	-	-		24
		2022-23	2	5		7
	कुल		8	22	275	31
9.	एमएफवी लवणिका 29 वर्ष	2018-19	-	-		-
		2019-20	2	-		-
		2020-21	3	4		-
		2021-22	-	-		-
		2022-23	2	2.5		-
	कुल		7	6.5	92.85	0.00
10.	एमएफवी मत्स्य दृष्टि 19 वर्ष	2018-19	1*	2		-
		2019-20	-	-		-
		2020-21	2	3		-
		2021-22	1	4		10
		2022-23	-	-		-
	कुल		4	9	225	10

क्र. सं.	पोत/आयु	वर्ष	ड्राईडॉकिंग की योजना (महीनों में)	ड्राईडॉकिंग में लगा समय (महीने में)	ड्राईडॉकिंग में लगा समय (योजना का %)	एचएसडी की आपूर्ति/ गैर-उपलब्धता (दिनों में)
11.	एमएफवी मत्स्य वृष्टि 19 वर्ष	2018-19	-	1		64
		2019-20	2	3		-
		2020-21	2	4		-
		2021-22	-	-		40
		2022-23	-	-		-
	कुल		4	8	200	104

अनुलग्नक-2.17

(पैराग्राफ सं. 2.11 में संदर्भित)

सीएपीएफ इकाइयों द्वारा कटौती न किए गए व्यावसायिक कर का विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	इकाई का नाम	व्यावसायिक कर की गैर-कटौती	
			अवधि	मात्रा (₹ लाख में)
1.	मध्य प्रदेश	1. बीएसएफ, अकादमी, टेकनपुर, ग्वालियर	04/2017 से 09/2023	245.18
		2. बीएसएफ, सीएसएमटी, टेकनपुर, ग्वालियर	04/2017 से 09/2023	41.19
		3. बीएसएफ, एनटीसीडी, ग्वालियर	04/2017 से 03/2024	35.15
		4. बीएसएफ, सामूहिक अस्पताल, ग्वालियर	04/2017 से 03/2024	17.40
		5. बीएसएफ, एसटीसी, टेकनपुर, ग्वालियर	04/2017 से 03/2024	71.23
		6. बीएसएफ, टीएसयू, टेकनपुर, ग्वालियर	11/2018 से 03/2022	25.77
		7. सीआरपीएफ, सामूहिक अस्पताल, नीमच	04/2017 से 03/2025	10.75
		8. सीआरपीएफ, सीटीसी, नीमच	04/2017 से 03/2018	7.73
		9. सीआरपीएफ, जीसी, नीमच	04/2017 से 04/2023	98.75
		10. आईटीबीपी, एसपीटी बटालियन, शिवपुरी	04/2017 से 03/2018	8.53
		11. आईटीबीपी, सीएफ मुख्यालय, भोपाल	04/2017 से 03/2025	47.40
		12. आईटीबीपी, एसटीएस, शिवपुरी	04/2017 से 03/2018	2.53
		13. आईटीबीपी, आरटीसी, शिवपुरी	04/2017 से 09/2024	49.95
		(ए) कुल		
2.	तेलंगाना	1. सीआरपीएफ, दक्षिणी सेक्टर, जुबली हिल्स, हैदराबाद	04/2017 से 07/2024	18.36
		2. सीआरपीएफ, जीसी, हैदराबाद,	04/2017 से 07/2024	146.98
		3. आरएएफ, जीसी, परिसर, रंगारेड्डी	04/2017 से 09/2024	185.44
		4. सीआरपीएफ, सामूहिक अस्पताल, जीसी, परिसर, हैदराबाद	04/2017 से 09/2024	13.50
		5. सीआरपीएफ, जीसी, चंद्रयानगुट्टा, रंगारेड्डी	04/2017 से 09/2024	134.85
		6. सीआरपीएफ, रैंज मुख्यालय- हैदराबाद	04/2017 से 07/2024	7.51
		7. सीआरपीएफ, द्वितीय बटालियन, चंद्रयानगुट्टा, हैदराबाद	04/2017 से 07/2024	424.76
		8. सीआरपीएफ, विशेष महानिदेशक दक्षिण	04/2017 से 07/2024	06.46

क्र. सं.	राज्य का नाम	इकाई का नाम	व्यावसायिक कर की गैर-कटौती	
			अवधि	मात्रा (₹ लाख में)
		क्षेत्र, जीसी परिसर, हैदराबाद		
		बी) कुल		937.86
3.	असम	1. एसएसबी, 37 बटालियन, मंगलदोई	03/2020 से 03/2024	103.68
		(सी) कुल		103.68
4.	त्रिपुरा	1. बीएसएफ, 96 बटालियन, बागफा,	04/2021 से 03/2024	76.28
		2. बीएसएफ, 199 बटालियन, पानीसागर,	04/2021 से 03/2024	79.44
		(डी) कुल		155.72
5.	पंजाब	1. बीएसएफ, 183 बटालियन, अमृतसर	08/2021 से 03/2024	37.15
		2. बीएसएफ, सामूहिक अस्पताल, जालंधर	04/2018 से 03/2025	7.64
		3. बीएसएफ, सेक्टर मुख्यालय, गुरुदासपुर	04/2018 से 03/2025	43.08
		(ई) कुल		87.87
6.	केरल	1. सीआईएसएफ, गुप मुख्यालय, कोच्चि	04/2017 से 03/2024	21.06
		2. सीआईएसएफ, बीपीसीएल-केआर, कोच्चि	08/2017 से 02/2024	49.93
		3. सीआईएसएफ, सीआईएएल, कोच्चि	08/2017 से 02/2024	157.95
		4. सीआईएसएफ, एफएसीटी, कोच्चि	08/2017 से 02/2024	57.75
		5. सीआईएसएफ, वीएसएससी, थुम्बा, त्रिवेंद्रम	08/2017 से 02/2024	104.64
		6. सीआईएसएफ, एलपीएससी, वलियामाला, त्रिवेंद्रम	08/2017 से 02/2024	24.19
		7. आईटीबीपी, नूरानाड, अल्लपुझा	08/2017 से 02/2024	224.94
		8. सीआईएसएफ, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट	08/2017 से 02/2024	53.06
		(एफ) कुल		693.52
		कुल योग (ए)+(बी)+(सी)+(डी)+(ई)+(एफ)		2640.21

अनुलग्नक-2.18

(पैराग्राफ सं. 2.12 में संदर्भित)

अतिरिक्त भुगतान

क्र. सं.	महीने	कुल जीओ की संख्या	एससीए आहरित-जीओ की दर	एससीए-जीओ की पात्रता दर	कुल अतिरिक्त दावा जीओ	एनजीओ की कुल संख्या	एससीए आहरित-एनजीओ की दर	एससीए-एनजीओ की पात्रता दर	कुल अतिरिक्त दावा एनजीओ
		(ए)	(बी)	(सी)	डी= (बी-सी) *ए	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच) = (एफ-जी)*ई
1.	मार्च-19	7	4875	3900	6825	606	3750	3000	454500
2.	अप्रैल-19	6	4875	3900	5850	612	3750	3000	459000
3.	मई-19	6	4875	3900	5850	480	3750	3000	360000
4.	जून-19	6	4875	3900	5850	620	3750	3000	465000
5.	जुलाई-19	6	4875	3900	5850	610	3750	3000	457500
6.	अगस्त-19	4	4875	3900	3900	632	3750	3000	474000
7.	सितंबर-19	5	4875	3900	4875	560	3750	3000	420000
8.	अक्टूबर-19	4	4875	3900	3900	500	3750	3000	375000
9.	नवंबर-19	4	4875	3900	3900	552	3750	3000	414000
10.	दिसंबर-19	6	4875	3900	5850	615	3750	3000	461250
11.	जनवरी-20	6	4875	3900	5850	630	3750	3000	472500
12.	फरवरी-20	7	4875	3900	6825	641	3750	3000	480750
13.	मार्च-20	7	4875	3900	6825	619	3750	3000	464250
14.	अप्रैल-20	7	4875	3900	6825	593	3750	3000	444750
15.	मई-20	3	4875	3900	2925	497	3750	3000	372750
16.	जून 20	4	4875	3900	3900	513	3750	3000	384750
17.	जुलाई-20	9	4875	3900	8775	583	3750	3000	437250
18.	अगस्त-20	9	4875	3900	8775	485	3750	3000	363750
19.	सितंबर-20	8	4875	3900	7800	489	3750	3000	366750
20.	अक्टूबर-20	8	4875	3900	7800	553	3750	3000	414750
21.	नवंबर-20	7	4875	3900	6825	612	3750	3000	459000
22.	दिसंबर-20	7	4875	3900	6825	646	3750	3000	484500
23.	जनवरी-21	9	4875	3900	8775	600	3750	3000	450000
24.	फरवरी-21	8	4875	3900	7800	642	3750	3000	481500
25.	मार्च-21	9	4875	3900	8775	611	3750	3000	458250
26.	अप्रैल-21	8	4875	3900	7800	664	3750	3000	498000

क्र. सं.	महीने	कुल जीओ की संख्या	एससीए आहरित-जीओ की दर	एससीए-जीओ की पात्रता दर	कुल अतिरिक्त दावा जीओ	एनजीओ की कुल संख्या	एससीए आहरित-एनजीओ की दर	एससीए-एनजीओ की पात्रता दर	कुल अतिरिक्त दावा एनजीओ
		(ए)	(बी)	(सी)	डी= (बी-सी) *ए	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच) = (एफ-जी)*ई
27.	मई-21	6	4875	3900	5850	548	3750	3000	411000
28.	जून-21	9	4875	3900	8775	628	3750	3000	471000
29.	जुलाई-21	10	4875	3900	9750	750	3750	3000	562500
30.	अगस्त-21	9	4875	3900	8775	797	3750	3000	597750
31.	21 सितंबर	10	4875	3900	9750	808	3750	3000	606000
32.	अक्टूबर-21	9	4875	3900	8775	811	3750	3000	608250
33.	21 नवंबर	8	4875	3900	7800	714	3750	3000	535500
34.	21 दिसंबर	10	4875	3900	9750	699	3750	3000	524250
35.	जनवरी-22	9	4875	3900	8775	710	3750	3000	532500
36.	फरवरी-22	9	4875	3900	8775	717	3750	3000	537750
37.	मार्च-22	9	4875	3900	8775	543	3750	3000	407250
38.	अप्रैल-22	9	4875	3900	8775	726	3750	3000	544500
39.	मई-22	7	4875	3900	6825	652	3750	3000	489000
40.	जून-22	5	4875	3900	4875	635	3750	3000	476250
41.	जुलाई-22	6	4875	3900	5850	768	3750	3000	576000
42.	अगस्त-22	6	4875	3900	5850	789	3750	3000	591750
43.	सितंबर- 22	7	4875	3900	6825	896	3750	3000	672000
44.	अक्टूबर-22	10	4875	3900	9750	739	3750	3000	554250
45.	नवंबर-22	10	4875	3900	9750	849	3750	3000	636750
46.	दिसंबर-22	10	4875	3900	9750	854	3750	3000	640500
47.	जनवरी-23	9	4875	3900	8775	871	3750	3000	653250
48.	फरवरी-23	10	4875	3900	9750	857	3750	3000	642750
49.	मार्च-23	10	4875	3900	9750	831	3750	3000	623250
50.	अप्रैल-23	12	4875	3900	11700	879	3750	3000	659250
51.	मई-23	11	4875	3900	10725	889	3750	3000	666750
52.	जून-23	11	4875	3900	10725	869	3750	3000	651750
53.	जुलाई-23	10	4875	3900	9750	779	3750	3000	584250
54.	अगस्त-23	10	4875	3900	9750	784	3750	3000	588000
55.	सितंबर-23	10	4875	3900	9750	773	3750	3000	579750
56.	अक्टूबर-23	9	4875	3900	8775	685	3750	3000	513750

क्र. सं.	महीने	कुल जीओ की संख्या	एससीए आहरित-जीओ की दर	एससीए-जीओ की पात्रता दर	कुल अतिरिक्त दावा जीओ	एनजीओ की कुल संख्या	एससीए आहरित-एनजीओ की दर	एससीए-एनजीओ की पात्रता दर	कुल अतिरिक्त दावा एनजीओ
		(ए)	(बी)	(सी)	डी= (बी-सी) *ए	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच) = (एफ-जी)*ई
57.	नवंबर-23	9	4875	3900	8775	781	3750	3000	585750
58.	दिसंबर-23	11	4875	3900	10725	989	3750	3000	741750
59.	जनवरी-24	12	4875	3900	11700	998	3750	3000	748500
60.	फरवरी-24	14	4875	3900	13650	1008	3750	3000	756000
कुल					473850	कुल			31343250
कुल योग (जीओ एवं एनजीओ)				(₹)	31817100				

अनुलग्नक-2.19

(पैराग्राफ सं. 2.13.1 में संदर्भित)

(क) प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के दिशा-निर्देशों की प्रमुख विशेषताएं

छात्रवृत्ति प्रदान करने की शर्तें	<ul style="list-style-type: none"> छात्र अनुसूचित जाति से होना चाहिए। मूल कार्यक्रम के अनुसार, उसके माता-पिता/अभिभावक की आय ₹2.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। हालाँकि, 19 सितंबर 2017 को इसे बढ़ाकर ₹2.50 लाख प्रति वर्ष कर दिया गया। वह कक्षा IX एवं X में अध्ययन के लिए कोई अन्य केन्द्रीय वित्तपोषित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं ले रहा/रही हो। वह किसी सरकारी स्कूल या सरकार या केन्द्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में नियमित, पूर्णकालिक छात्र हो। किसी भी कक्षा में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी। यदि कोई छात्र एक कक्षा को दोहराता है, तो उसे उस कक्षा के लिए दूसरे (अथवा अनुवर्ती) वर्ष के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। 																					
छात्रवृत्ति की दर	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3">18 सितंबर 2017 तक की छात्रवृत्ति तथा अन्य अनुदान</th> </tr> <tr> <th>विवरण</th> <th>अनावासी</th> <th>छात्रावासी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 महीने के लिए छात्रवृत्ति (₹ प्रति माह)</td> <td>150</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>पुस्तकें एवं तदर्थ अनुदान (₹ प्रति वर्ष)</td> <td>750</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">19 सितंबर 2017 से लागू छात्रवृत्ति एवं अन्य अनुदान</td> </tr> <tr> <td>10 महीने के लिए छात्रवृत्ति (₹ प्रति माह)</td> <td>225</td> <td>525</td> </tr> <tr> <td>पुस्तकें एवं तदर्थ अनुदान (₹ प्रति वर्ष)</td> <td>750</td> <td>1000</td> </tr> </tbody> </table>	18 सितंबर 2017 तक की छात्रवृत्ति तथा अन्य अनुदान			विवरण	अनावासी	छात्रावासी	10 महीने के लिए छात्रवृत्ति (₹ प्रति माह)	150	350	पुस्तकें एवं तदर्थ अनुदान (₹ प्रति वर्ष)	750	1000	19 सितंबर 2017 से लागू छात्रवृत्ति एवं अन्य अनुदान			10 महीने के लिए छात्रवृत्ति (₹ प्रति माह)	225	525	पुस्तकें एवं तदर्थ अनुदान (₹ प्रति वर्ष)	750	1000
18 सितंबर 2017 तक की छात्रवृत्ति तथा अन्य अनुदान																						
विवरण	अनावासी	छात्रावासी																				
10 महीने के लिए छात्रवृत्ति (₹ प्रति माह)	150	350																				
पुस्तकें एवं तदर्थ अनुदान (₹ प्रति वर्ष)	750	1000																				
19 सितंबर 2017 से लागू छात्रवृत्ति एवं अन्य अनुदान																						
10 महीने के लिए छात्रवृत्ति (₹ प्रति माह)	225	525																				
पुस्तकें एवं तदर्थ अनुदान (₹ प्रति वर्ष)	750	1000																				
पुरस्कारों की अवधि एवं नवीकरण	<ul style="list-style-type: none"> यह छात्रवृत्ति एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने के लिए देय होगी। एक बार दिया गया पुरस्कार अच्छे आचरण एवं नियमित उपस्थिति के आधार पर जारी रहेगा। छात्र के कक्षा 9 उत्तीर्ण कर लेने के बाद कक्षा 10 के लिए इसका नवीकरण किया जाएगा। 																					

(ख) पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के दिशानिर्देशों की प्रमुख विशेषताएं

छात्रवृत्ति प्रदान करने की शर्तें	<ul style="list-style-type: none"> छात्र अनुसूचित जाति से होना चाहिए। केवल भारत में अध्ययन के लिए उपलब्ध, तथा किसी राज्य विशेष में स्थायी रूप से रह रहे अथवा वहां के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो पोस्ट-मैट्रिकुलेशन अथवा पोस्ट-सेकेंडरी स्तर का अध्ययन कर रहे हैं। मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों (सरकारी और निजी दोनों) में सभी मान्यता प्राप्त पोस्ट-मैट्रिकुलेशन या पोस्ट-सेकेंडरी पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए दी जाएगी।
-----------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • छात्रवृत्ति आवेदन जमा करते समय संस्थानों को आवेदकों का पूरा विवरण प्रस्तुत करना होगा। • उसके माता-पिता/अभिभावक की आय प्रति वर्ष ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। • शिक्षा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इत्यादि आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन है। • आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 7 में निहित प्रावधानों से संबंधित मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 428 दिनांक 16.02.2017 में निर्धारित शर्तों का आगे इस स्पष्टीकरण के साथ पालन किया जाना है कि यदि किसी कारणवश आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, तो संबंधित व्यक्ति को किसी अन्य माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। (इसे 6 सितंबर 2019 को जारी निर्देशों में जोड़ा गया है)।
छात्रवृत्ति की दर	<ul style="list-style-type: none"> • छात्रवृत्ति में अनुरक्षण भत्ता, अनिवार्य गैर-वापसी योग्य शुल्क, अध्ययन दौरा शुल्क, थीसिस टंकण शुल्क, पुस्तक भत्ता, पुस्तक बैंक सुविधा तथा अनुसूचित जाति के दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ता शामिल है। • 10 महीने/ पाठ्यक्रम की अवधि के लिए अनुरक्षण भत्ते की दर (प्रति माह ₹में) समूह I पाठ्यक्रम¹⁵¹- छात्रावासियों के लिए ₹1200 तथा अनावासियों के लिए ₹550 समूह II पाठ्यक्रम¹⁵²- छात्रावासियों के लिए ₹820 तथा अनावासियों के लिए ₹530 समूह III पाठ्यक्रम¹⁵³- छात्रावासियों के लिए ₹570 तथा अनावासियों के लिए ₹300 समूह IV पाठ्यक्रम¹⁵⁴- छात्रावासियों के लिए ₹380 तथा अनावासियों के लिए ₹230 • राज्यों/यूटी द्वारा गठित शुल्क निर्धारण समिति/शुल्क युक्तीकरण समिति द्वारा अनुशंसित शुल्क के अनुसार नामांकन/पंजीकरण, ट्यूशन, खेल, यूनियन, पुस्तकालय, पत्रिका इत्यादि अनिवार्य गैर-वापसी योग्य शुल्क। • अध्ययन दौरा शुल्क- प्रति वर्ष ₹1,600 तक • थीसिस टंकण/मुद्रण शुल्क- ₹1,600 प्रति वर्ष तक • पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए पुस्तक भत्ता- ₹1,200 • पुस्तक बैंक- स्वीकार्य पाठ्यक्रमों के आधार पर ₹2,400 से ₹7,500 तक
पुरस्कारों की अवधि तथा नवीकरण	<ul style="list-style-type: none"> • पाठ्यक्रम की अवधि/10 माह के लिए अनुरक्षण भत्ता देय होगा। • एक बार दिया गया पुरस्कार अच्छे आचरण तथा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में 75 प्रतिशत उपस्थिति के अधीन जारी रहेगा।

¹⁵¹ चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कृषि, व्यवसाय प्रशासन इत्यादि में डिग्री तथा स्नातकोत्तर, प्रबंधन एवं चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, एम.फिल, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम आदि।

¹⁵² डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम आदि के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम।

¹⁵³ बीए/बीएससी/बीकॉम/एमए/एमएससी/एमकॉम इत्यादि जैसे समूह I एवं समूह II के अंतर्गत शामिल न किए गए स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

¹⁵⁴ सभी पोस्ट-मैट्रिकुलेशन स्तर के गैर-डिग्री पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश के लिए योग्यता हाई स्कूल है।

अनुलग्नक-2.20 (ए)

(पैराग्राफ सं. 2.13.1 में संदर्भित)

अनुसूचित जातियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का राज्य/वर्षवार व्यय (केंद्रीय एवं राज्य का अंशदान) तथा लाभार्थियों की संख्या

(व्यय ₹ करोड़ में तथा लाभार्थी लाख में)

क्रम सं.	राज्य/यूटी	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		व्यय	लाभार्थी												
1.	आंध्र प्रदेश	19.74	0	88.03	0.04	81.74	2.24	84.81	2.36	98.20	2.46	0.00	0.00	93.56	2.21
2.	असम	0.75	0	0.02	0	0.05	0.01	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	^0.00
3.	बिहार	0.00	4.92	86.48	4.80	91.12	3.07	95.67	5.32	125.57	4.73	24.49	1.32	26.26	1.47
4.	छत्तीसगढ़	32.02	0	20.24	0.85	17.12	0.88	22.71	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	14.81	0.41
5.	गोवा	0.02	0	0.03	0	0.03	0	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	20.29	0	22.47	0.74	18.42	0.61	16.93	0.57	90.63	2.70	27.38	0.77	95.98	2.73
7.	हरियाणा	0.00	1.47	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	6.71	0.27	0.00	0.24	0.00	0.21	2.78	0.15	6.23	0.17	0.00	0.00	12.83	0.24
9.	झारखंड	9.40	0.41	10.73	0.46	10.05	0.44	8.57	0.38	7.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	36.82	0	58.25	2.23	59.26	2.61	58.05	3.23	127.63	2.72	70.03	2.00	82.01	2.36
11.	केरल	16.49	0.76	12.82	0.42	15.82	0.76	15.81	0.59	18.20	0.62	14.85	0.42	4.26	0.12
12.	मध्य प्रदेश	79.12	0	110.11	3.46	106.29	3.24	97.45	3.19	78.95	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	0.00	0	0.00	0	23.32	0.67	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मणिपुर	0.36	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.17	0.00	0.42	0.01	0.00	0.00	0.43	0.01

क्रम सं.	राज्य/यूटी	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		व्यय	लाभार्थी												
15.	ओडिशा	56.41	2.18	60.29	1.83	54.35	1.71	48.49	1.53	47.93	0.92	10.75	0.29	11.80	0.31
16.	पंजाब	0.00	2.06	0.00	2.29	0.00	1.82	0.46	2.18	59.18	1.97	32.50	0.93	36.09	1.03
17.	राजस्थान	16.63	0	59.25	2.34	50.42	1.68	47.42	1.83	61.22	2.41	0.00	0.00	47.05	1.35
18.	सिक्किम	0.06	0.00	0.04	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	^0.00	^0.00
19.	तमिलनाडु	77.72	2.84	77.81	2.57	78.31	2.58	79.40	2.79	101.07	3.41	36.87	1.04	117.60	3.36
20.	तेलंगाना	8.47	0.41	3.98	0.18	3.77	0.15	2.67	0.09	3.68	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	त्रिपुरा	0.00	0.14	0.00	0.16	1.07	0.04	1.38	0.05	0.33	0.10	2.15	0.04	1.11	0.02
22.	उत्तराखंड	9.61	0	7.13	0.31	5.99	0.22	4.34	0.27	7.82	0.14	0.00	0.00	5.20	0.10
23.	उत्तर प्रदेश	88.49	4.21	142.15	5.32	149.26	5.32	89.42	3.63	62.20	3.20	101.37	3.74	132.76	3.83
24.	पश्चिम बंगाल	16.53	3.02	135.10	2.68	87.24	2.84	64.49	2.10	39.62	2.23	27.07	0.77	60.60	1.69
25.	चंडीगढ़	0.42	0.03	0.12	0.02	0.21	0.02	0.00	0.01	0.36	0.02	0.45	0.01	0.64	0.01
26.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	^0.00	^0.00
27.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34	0.17	0	0.17	11.65	0.04	0.17	0.01	0.26	0.01
28.	जम्मू एवं कश्मीर	0.47	0	0.25	0.01	0.53	0.05	0.25	0.01	0.38	0.13	0.00	0.00	0.90	0.03
29.	पुडुचेरी	1.02	0.09	1.09	0.03	0.96	0.03	0.57	0.02	1.37	0.01	0.00	0.00	0.25	0.01
	कुल	497.55	22.82	896.39	30.99	859.72	31.38	742.02	31.24	949.66	32.38	348.08	11.34	744.41	21.30

अनुलग्नक-2.20 (बी)

(पैराग्राफ सं. 2.13.1 में संदर्भित)

अनुसूचित जातियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का राज्य/वर्षवार व्यय (केंद्रीय एवं राज्य का अंशदान) तथा लाभार्थियों की संख्या

(व्यय ₹ करोड़ में तथा लाभार्थी लाख में)

क्रम सं.	राज्य/श्रृटी	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		व्यय	लाभार्थी												
1.	आंध्र प्रदेश	629.59	6.59	613.10	6.60	642.17	3.69	443.97	4.10	298.55	2.44	620.98	2.39	333.83	1.95
2.	असम	14.55	0.24	7.36	0.08	7.63	0.07	6.81	0.08	0.00	0.00	10.22	0.11	15.46	0.08
3.	बिहार	40.31	0.89	79.90	0.96	0.00	1.10	0.00	0.78	0.00	0.00	62.57	1.36	35.33	0.69
4.	छत्तीसगढ़	51.67	0.96	54.99	1.05	55.32	0.96	54.41	1.02	29.00	0.87	75.02	0.96	60.38	0.79
5.	गोवा	0.49	0.00	0.31	0.00	0.14	0	0.28	0	0.00	0.00	0.01	0.00	0.07	^0.00
6.	गुजरात	280.97	1.31	304.37	1.27	324.61	1.31	249.31	1.45	102.58	0.98	367.10	1.14	637.86	1.79
7.	हरियाणा	110.22	1.23	153.95	1.23	30.29	0.91	110.31	0.68	0.00	0.00	219.30	0.88	200.58	0.70
8.	हिमाचल प्रदेश	37.91	0.33	15.50	0.25	17.27	0.21	4.83	0.16	0.00	0.00	29.33	0.22	37.44	0.24
9.	झारखंड	21.98	0.20	23.10	0.23	23.31	0.24	20.69	0.31	4.12	0.08	30.30	0.34	52.46	0.45
10.	कर्नाटक	361.20	3.23	425.10	3.02	425.16	3.30	175.28	3.18	65.42	1.31	570.00	4.59	702.81	4.04
11.	केरल	130.39	1.32	137.47	1.47	142.03	1.40	127.80	1.26	45.78	0.91	94.70	0.43	199.13	1.55
12.	मध्य प्रदेश	314.07	3.61	374.86	3.61	445.63	3.40	439.54	4.76	8.28	0.48	558.42	4.45	597.05	3.46
13.	महाराष्ट्र	883.48	5.41	871.62	4.27	1053.35	3.26	372.08	3.92	63.01	0.69	599.03	1.49	2565.55	7.49
14.	मणिपुर	7.50	0.07	5.37	0.06	5.13	0.08	5.94	0.06	0.00	0.00	8.15	0.09	2.16	0.02

क्रम सं.	राज्य/स्टी	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		व्यय	लाभार्थी												
15.	ओडिशा	300.17	2.02	323.78	2.03	315.60	1.70	311.40	1.73	78.22	0.76	563.88	2.99	212.66	1.44
16.	पंजाब	119.76	2.75	388.18	2.01	303.92	0	369.29	1.76	209.76	1.52	104.68	0.41	475.13	2.00
17.	राजस्थान	287.41	1.91	425.78	3.39	518.42	4.58	237.09	3.66	95.67	2.17	402.30	3.03	259.66	1.52
18.	सिक्किम	0.99	0.00	0.95	0.00	0.92	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.58	^0.00
19.	तमिलनाडु	1689.34	7.61	1481.24	7.61	1245.38	6.11	1075.94	6.54	278.88	4.42	1210.42	5.44	1184.65	6.44
20.	तेलंगाना	426.44	2.13	434.70	2.72	433.18	2.20	246.37	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	त्रिपुरा	20.48	0.15	27.05	0.17	33.77	0.18	30.50	0.15	0.00	0.00	43.24	0.22	45.51	0.17
22.	उत्तराखंड	29.68	0.70	25.69	0.74	22.59	0.38	16.02	0.31	0.00	0.00	20.98	0.28	21.53	0.24
23.	उत्तर प्रदेश	1931.37	12.38	1594.11	12.75	1745.50	13.60	1089.16	8.03	537.28	8.69	1543.33	12.70	1118.28	9.50
24.	पश्चिम बंगाल	364.17	3.83	206.29	4.50	239.32	5.19	155.26	3.62	112.26	4.93	105.60	2.74	104.39	2.68
25.	चंडीगढ़	6.40	0.02	4.08	0.01	3.42	0	1.37	0.01	1.54	0.01	4.03	0.01	0.99	^0.00
26.	दमन एवं दीव	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.13	0	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
27.	दिल्ली	3.32	0.20	15.42	0.14	14.38	0.20	0.00	0.21	0.00	0.00	22.78	0.08	16.65	0.03
28.	जम्मू और कश्मीर	10.61	0.11	9.12	0.07	5.63	0.12	9.07	0.10	0.03	0.00	9.05	0.10	7.82	0.07
29.	पुडुचेरी	12.02	0.06	13.52	0.06	14.66	0.06	8.95	0.04	0.00	0.00	6.02	0.04	4.77	0.03
	कुल	8086.49	59.26	8016.91	60.30	8068.73	54.25	5562.73	50.16	1930.38	30.26	7282.61	46.49	8892.73	47.37

अनुलग्नक-2.21

(पैराग्राफ सं. 2.13.4 में संदर्भित)

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए लेखापरीक्षा नमूना

क्रम सं.	राज्य/यूटी	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना						पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना					
		जिलों की कुल संख्या	चयनित जिलों की संख्या	चयनित संस्थानों की संख्या	लेखापरीक्षित आवेदनों की संख्या	सर्वोक्ति लाभार्थियों की संख्या	जिलों की कुल संख्या	चयनित जिलों की संख्या	चयनित संस्थानों की संख्या	लेखापरीक्षित आवेदनों की संख्या	सर्वोक्ति लाभार्थियों की संख्या		
1.	आंध्र प्रदेश	13	4	40	800	451	13	4	40	800	381		
2.	असम	33	8	64	437	309	33	8	79	1127	711		
3.	बिहार	38	10	100	2031	1125	38	10	100	1802	1006		
4.	छत्तीसगढ़	27	7	70	1400	700	27	7	70	1400	277		
5.	गोवा	2	2	95	199	105	2	2	90	400	173		
6.	गुजरात	33	7	68	1400	700	33	7	70	737	376		
7.	हरियाणा	22	0	0	0	0	22	5	50 ¹⁵⁵	908	302		
8.	हिमाचल प्रदेश	12	3	30	600	391	12	3	30	600	310		
9.	झारखंड	24	6	60	1200	509	24	6	57	1200	318		
10.	कर्नाटक	30	8	80	1600	800	30	8	80	1600	800		
11.	केरल	14	4	40	800	400	14	4	40	803	400		
12.	मध्य प्रदेश	52	10	96	1831	1041	52	10	100	1821	939		
13.	महाराष्ट्र	36	9	90	1386	819	36	9	90	2059	1067		
14.	मणिपुर	16	3	26	227	88	16	2	20	389	91		

क्रम सं.	राज्य/यूटी	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना						पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना					
		जिलों की कुल संख्या	चयनित जिलों की संख्या	चयनित संस्थानों की संख्या	लेखापरीक्षित आवेदनों की संख्या	सर्वसिद्ध लाभार्थियों की संख्या	जिलों की कुल संख्या	चयनित जिलों की संख्या	चयनित संस्थानों की संख्या	लेखापरीक्षित आवेदनों की संख्या	सर्वसिद्ध लाभार्थियों की संख्या		
15.	ओडिशा	30	8	80	1513	790	30	8	80	1561	796		
16.	पंजाब	23	6	60	1190	1007	23	6	60	1181	801		
17.	राजस्थान	33	8	80	1520	985	33	8	80	1367	802		
18.	सिक्किम	4	2	20	151	6	4	2	20	400	10		
19.	तमिलनाडु	32	8	80	1805	806	32	8	80	2063	801		
20.	तेलंगाना	33	8	80	1600	800	33	8	80	1600	800		
21.	त्रिपुरा	8	2	20	428	328	8	2	20	408	248		
22.	उत्तर प्रदेश	75	10	100	2500	718	75	10	100	2500	819		
23.	उत्तराखंड	13	3	30	600	302	13	3	30	600	294		
24.	पश्चिम बंगाल	23	6	60	77	489	23	6	60	46	412		
25.	चंडीगढ़	1	1	10	200	100	1	1	10	200	100		
26.	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	3	2	18	184	115	3	2	20	256	146		
27.	दिल्ली	10	3	30	390	258	10	3	30	353	219		
28.	जम्मू एवं कश्मीर	20	5	50	980	491	20	5	50	1000	500		
29.	पुडुचेरी	2	2	25	412	257	2	2	21	499	209		
कुल		662	155	1,602	27,461	14,890	662	159	1,657	29,680	14,108		

अनुलग्नक-2.22 (ए)

(पैराग्राफ सं. 2.13.4.1 में संदर्भित)

प्री-मैट्रिक: छात्रवृत्ति के वितरण में देरी

क्र. सं.	राज्य/यूटी	लाभार्थी	लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ
1.	बिहार	82	एक स्कूल, यूएचएस पघारी, दरभंगा ने अप्रैल 2019 में वर्ष 2018-19 के लिए छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए जिला प्राधिकरण से ₹1.48 लाख प्राप्त किए, लेकिन स्कूल ने 14 महीने की देरी के बाद भी जून 2020 तक 82 लाभार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित नहीं की थी।
2.	चंडीगढ़	3592	2017-18 से 2019-20 के दौरान अनुसूचित जाति के 3592 लाभार्थी छात्रों को एक महीने से लेकर 25 महीने की देरी से छात्रवृत्ति वितरित की गई।
3.	दिल्ली	53843	वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक 53,843 लाभार्थियों को ₹1605.45 लाख के भुगतान में प्रत्येक वर्ष 12 महीने की देरी हुई।
4.	जम्मू एवं कश्मीर	1012	दो चयनित जिलों में, 353 छात्रों को ₹8.35 लाख की छात्रवृत्ति का भुगतान देरी से किया गया तथा धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद अगले वित्तीय वर्ष के लिए टाल दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप छात्रवृत्ति भुगतान में 2 से 2.5 महीने की देरी हुई। इसके अलावा, तीन चयनित जिलों में, 659 छात्रों को ₹19.75 लाख की छात्रवृत्ति का भुगतान में देरी हुई तथा धनराशि की कमी के कारण अगले वित्तीय वर्ष के लिए टाल दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान में देरी हुई।
5.	पुडुचेरी	314	कराईकल में, विभाग ने फरवरी 2022 में 314 छात्रों के संबंध में 2020-21 से संबंधित ₹9.42 लाख की छात्रवृत्ति जारी करने के लिए जिला कलेक्टर से संस्वीकृति आदेश प्राप्त किए। इसके परिणामस्वरूप इन पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान एक वर्ष से अधिक समय तक विलंबित रहा, हालांकि योजना के तहत अव्ययित शेष राशि उपलब्ध थी।
6.	हिमाचल प्रदेश	26346	विभाग ने 2017-21 के दौरान एक से 30 महीने की देरी से 26,346 लाभार्थियों को ₹671.96 लाख की छात्रवृत्ति वितरित की।
7.	महाराष्ट्र	13247	चयनित जिलों (कोल्हापुर, मुंबई उपनगर, उस्मानाबाद, सोलापुर, औरंगाबाद) में, वर्ष 2017-20 से संबंधित छात्रवृत्ति एक से 47 महीने तक की देरी से शैक्षणिक वर्ष के बाद वितरित की गई थी।
8.	मणिपुर	1852	छात्रों से आवेदन आमंत्रित करने तथा विभिन्न स्तरों पर आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए विशिष्ट समय-सीमा के अभाव के परिणामस्वरूप 2016-17 में 1367 छात्रों तथा 2020-21 में 485 छात्रों को शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति के 10 महीने बाद देरी से छात्रवृत्ति का वितरण किया गया।

क्र. सं.	राज्य/यूटी	लाभार्थी	लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ
9.	राजस्थान	387057	2018-19 में 2,31,664 लाभार्थियों में से केवल 51,523 (22.24 प्रतिशत), वर्ष 2019-20 में 1,64,863 में से केवल 1,02,525 (62.19 प्रतिशत) तथा वर्ष 2020-21 में 1,83,410 में से केवल 38,832 (21.17 प्रतिशत) को ही उस वर्ष छात्रवृत्ति वितरित की गई।
10.	तमिलनाडु	468061	2017-18 से 2020-21 के दौरान 4,68,061 छात्रों को शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति के बाद एक से नौ महीने के समय अंतराल से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई।
11.	तेलंगाना	48095	2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान 78116 छात्रों में से 38 प्रतिशत (30,021 छात्र) को उसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान छात्रवृत्ति संस्वीकृत एवं वितरित की गई तथा शेष 62 प्रतिशत (48,095 छात्र) को एक महीने से लेकर 48 महीने तक की देरी से छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया।
12.	उत्तर प्रदेश	83588	वर्ष 2020-21 के दौरान 23,450 लाभार्थियों को एक वर्ष के बाद तथा 60,138 लाभार्थियों को दो वर्षों के बाद छात्रवृत्ति वितरित की गई।
कुल		10,87,089	

अनुलग्नक-2.22 (बी)

(पैराग्राफ सं. 2.13.4.1 में संदर्भित)

पोस्ट-मैट्रिक: छात्रवृत्ति के वितरण में देरी

क्र. सं.	राज्य/यूटी	लाभार्थियों की संख्या	लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ
1.	आंध्र प्रदेश	305	नमूना जांच किए गए जिलों के 305 मामलों में, वर्ष 2017-21 के दौरान लाभार्थियों के खातों में ₹5.06 लाख की छात्रवृत्ति के भुगतान में एक से 22 महीने के बीच देरी हुई।
2.	चंडीगढ़	4125	शैक्षणिक सत्र 2017-18 से 2019-20 के दौरान 4,125 लाभार्थियों को 12 महीने से 36 महीने के बीच की देरी से छात्रवृत्ति वितरित की गई।
3.	दिल्ली	24657	2017-18 से 2020-21 के दौरान 51,729 लाभार्थियों में से 24,657 को 12 से 24 महीने की देरी से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई।
4.	गुजरात	11837	चयनित अहमदाबाद, बनासकांठा, भावनगर और मेहसाणा जिलों में, 11,837 मामलों में, जिला प्राधिकारियों को छात्रवृत्ति आवेदनों के सत्यापन में 181 दिनों से लेकर 702 दिनों तक का समय लगा।
5.	हरियाणा	102274	2.35 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिली। उनमें से 1.02 लाख छात्रों को एक महीने से लेकर 89 महीने तक की देरी से छात्रवृत्ति मिली।
6.	हिमाचल प्रदेश	79444	फरवरी 2018 से मार्च 2021 के बीच 2015-16 से 2018-19 से संबंधित 79,444 लाभार्थियों को ₹10872.95 लाख की छात्रवृत्ति वितरित की गई। 2017-2021 के दौरान संवितरण में 3 से 45 महीने तक की देरी हुई।
7.	जम्मू एवं कश्मीर	1501	निदेशालय स्तर पर रिकॉर्ड से पता चला कि 2017-18 से 2019-20 के दौरान 1501 छात्रों को 166.09 लाख रुपये की छात्रवृत्ति के वितरण में 180 से 992 दिनों (6 से 33 महीने) तक की देरी हुई।
8.	झारखंड	3264	राज्य में एक शैक्षणिक वर्ष में एक बार छात्रवृत्तियाँ वितरित की जाती हैं। हालाँकि, 2018-21 के दौरान, 3264 छात्रों को अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गईं।
9.	मणिपुर	17718	वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान दो से 19 महीने की देरी से 17,718 लाभार्थियों को 219.91 लाख रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की गई।

क्र. सं.	राज्य/यूटी	लाभार्थियों की संख्या	लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ
10.	ओडिशा	5567	जाजपुर जिले में भुगतान फाइल के विश्लेषण से पता चला कि 2015-20 से संबंधित 5567 छात्रों को एक/दो साल बाद और यहाँ तक कि पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद भी ₹6.20 करोड़ का भुगतान किया गया था।
11.	राजस्थान	1214	चयनित 1,367 आवेदनों में से 1,214 मामलों में छात्रवृत्ति का वितरण तीन से 49 महीने की देरी से किया गया, जो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि से दो महीने से अधिक था।
12.	तमिलनाडु	1646679	12,57,191 छात्रों को शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति के बाद एक से नौ महीने की देरी से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई।
13.	तेलंगाना	547845	छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले 8,27,823 छात्रों में से 5,47,845 को 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान उसी शैक्षणिक वर्ष में छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया। छात्रवृत्ति के भुगतान में एक से लेकर 48 महीने से अधिक की देरी हुई।
14.	उत्तर प्रदेश	541170	वर्ष 2017-21 के दौरान 4,47,068 लाभार्थियों को एक वर्ष बाद, 36798 लाभार्थियों को दो वर्ष बाद, 57,098 लाभार्थियों को तीन वर्ष बाद तथा 206 लाभार्थियों को चार वर्ष बाद छात्रवृत्ति लाभ वितरित किया गया। इस प्रकार, विभाग द्वारा 5,41,170 लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ अत्यधिक विलम्ब से वितरित किया गया।
कुल		29,87,600	

अनुलग्नक-2.23 (ए)

(पैराग्राफ सं. 2.13.4.2 में संदर्भित)

प्री-मैट्रिक योजना: छात्रों को छात्रवृत्ति का गैर-वितरण

क्र. सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ	शामिल निधि (₹ करोड़)	लाभार्थियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1.80 लाख पंजीकृत आवेदनों में से, 1.65 लाख आवेदनों का सत्यापन किया गया, जिनमें 2017-19 के लिए 1919 अस्वीकृत आवेदन भी शामिल हैं। इस प्रकार, 14,826 आवेदनों का सत्यापन नहीं किया गया। हालाँकि, 1.63 लाख (164879-1919) सत्यापित आवेदनों में से, विभाग ने 1.54 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति संस्वीकृत की तथा 82,321 छात्रों को छात्रवृत्ति जारी की, जिससे 72,155 छात्र शेष रह गए। आवेदनों की गैर-संस्वीकृति के कारण, 72,155 छात्रों को छात्रवृत्ति जारी नहीं की गई।	--	72,155
2.	बिहार	मेधासॉफ्ट पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान, 1,999 छात्रों से संबंधित छात्रवृत्ति भुगतान के लेन-देन बैंक द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए तथा खाता बंद होने, बैंक खाता न होने आदि के कारण ₹35.98 लाख की छात्रवृत्ति राशि अस्वीकृत कर दी गई। लेखापरीक्षा ने अस्वीकृत/असफल आवेदनों के पुनर्भुगतान के बारे में पूछताछ की, परन्तु डीबीटी प्रकोष्ठ इन आवेदनों के पुनर्प्रसंस्करण की स्थिति स्पष्ट नहीं कर सका।	0.36	1,999
3.	हिमाचल प्रदेश	₹4.28 करोड़ की राशि अव्ययित रही तथा 59,952 पात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली (मार्च 2021)। निदेशालय ने बताया (सितंबर 2022) कि एनएसपी के सत्यापन में देरी तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य अंशदान की गैर-प्राप्ति के कारण राशि वितरित नहीं की जा सकी।	4.28	59,952
4.	जम्मू एवं कश्मीर	अमान्य/निष्क्रिय/निष्क्रिय खातों के कारण 123 छात्रों को कुल ₹3.07 लाख की छात्रवृत्ति वितरित नहीं की गई तथा यह राशि संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारियों (डीएसडब्ल्यूओ) के बैंक खातों में वापस कर दी गई। विभाग द्वारा छात्रों का पता लगाने एवं खाता संख्या में आवश्यक सुधार करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई ताकि राशि संबंधित लाभार्थियों के खातों में जमा की जा सके। यह भी पाया गया कि दो चयनित जिलों (जम्मू और उधमपुर) में, छात्रवृत्ति भुगतान के लिए अनुशंसित 8120 पात्र लाभार्थियों में से, 6566 ¹⁵⁶ अनुसूचित जाति के छात्रों (81 प्रतिशत) को 2018-21	2.00	6,689

¹⁵⁶ उधमपुर-1659 छात्र, जम्मू-4907 छात्र।

क्र. सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ	शामिल निधि (₹ करोड़)	लाभार्थियों की संख्या
		के दौरान ₹196.98 लाख ¹⁵⁷ की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया। डीएसडब्ल्यूओ जम्मू ने बताया (अप्रैल-मई 2022) कि इस योजना के तहत उच्च अधिकारियों से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।		
5.	केरल	पीएफएमएस/ईबीटी पोर्टल के उपयोग के बारे में कर्मचारियों में तकनीकी जागरूकता की कमी के कारण ₹16.39 करोड़ (31 मार्च 2021) की धनराशि होने के बावजूद 2017-21 के दौरान 22,274 पात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित नहीं की गई।	16.39	22,274
6.	मणिपुर	वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए 2589 स्वीकृत पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु ₹90.44 लाख की निधि की आवश्यकता थी। तथापि, राज्य द्वारा अपना हिस्सा (प्रतिबद्ध दायित्व) प्रदान करने में विफलता के कारण, 2589 स्वीकृत पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई।	0.90	2,589
7.	ओडिशा	दो चयनित जिलों (सुंदरगढ़ और अंगुल) में, छात्रों के गलत तथा अमान्य खाता संख्या के कारण 734 लाभार्थियों को ₹24.48 लाख की राशि वितरित नहीं की गई। राज्य सरकार ने बताया (मई 2023) कि संबंधित छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।	0.24	734
8.	पंजाब	मार्च 2021 के अंत में ₹6.14 करोड़ की निधि उपलब्ध होने के बावजूद 2,72,363 लाभार्थियों (2019-20 के लिए 54,634 लाभार्थी तथा 2020-21 के लिए 2,17,729 लाभार्थी) को छात्रवृत्ति वितरित नहीं की गई। 2021-22 के दौरान, 1,87,453 लाभार्थियों (सभी वर्ष 2020-21 के लिए) को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया, जिससे मार्च 2022 के अंत में 84,910 लाभार्थियों (2019-20 के लिए 54,634 लाभार्थी तथा 2020-21 के लिए 30,276 लाभार्थी) का भुगतान नहीं हुआ। स्कूल शिक्षा महानिदेशक, पंजाब सरकार ने बताया (मई 2024) कि 2020-21 एवं 2021-22 के लिए पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की गई थी, जबकि 2019-20 के लिए निधि की कमी के	--	54,677

¹⁵⁷ उधमपुर- ₹49.77 लाख और जम्मू- ₹147.21 लाख।

क्र. सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ	शामिल निधि (₹ करोड़)	लाभार्थियों की संख्या
		कारण छात्रवृत्ति के लंबित रहने का मामला वित्त विभाग के समक्ष उठाया गया था। यह भी पाया गया कि योजना के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में, पंजाब के अलावा अन्य राज्यों के 43 अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने पर विचार नहीं किया गया। अब, विभाग ने (मई 2024) बताया है कि वे सत्र 2023-24 से एनएसपी पोर्टल पर स्थानांतरित हो गए हैं, और अन्य राज्यों के पात्र लाभार्थियों के लिए भी प्रावधान है।		
9.	तमिलनाडु	विफल/अपूर्ण लेनदेन के कारण, वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान ₹7.24 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि 24,588 लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा नहीं की गई।	7.24	24,588
10.	त्रिपुरा	₹126.18 लाख की निधि उपलब्ध होने के बावजूद ₹12.34 लाख की छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया गया। लाभार्थियों को छात्रवृत्ति न दिए जाने का कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है।	0.12	451
11.	पश्चिम बंगाल	छह चयनित जिलों में ¹⁵⁸ , "विफल लेनदेन" के मामले देखे गए जिसकी वजह से 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान 6,005 लाभार्थियों को ₹1.76 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित नहीं हुयी। विभाग ने बताया (जून 2024) कि पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान, जिला प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि वे लाभार्थियों से आधार एवं आवश्यक दस्तावेज़ मिशन मोड में एकत्र करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएँ। विभाग ने आगे बताया कि भविष्य में विफल लेनदेन की घटनाओं से बचने के लिए लाभार्थियों के सत्यापन हेतु आधार आधारित ई-केवाईसी प्रणाली तैयार की जा रही है।	1.76	6,005
कुल			33.29	2,52,113

¹⁵⁸ उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पश्चिममेदिनीपुर, पूर्वमेदिनीपुर, उत्तर दिनाजपुर एवं जलपाईगुड़ी।

अनुलग्नक-2.23 (बी)

(पैराग्राफ सं. 2.13.4.2 में संदर्भित)

पोस्ट मैट्रिक- छात्रों को छात्रवृत्ति का गैर-वितरण

क्रम सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ	शामिल निधि (₹ करोड़)	लाभार्थियों की संख्या
1.	बिहार	शिक्षा विभाग ने वर्ष 2018-19 के लिए योजना के क्रियान्वयन हेतु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बीईपीसी) को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया। लाभार्थियों को भुगतान हेतु बीईपीसी को ₹53.00 करोड़ (मई 2018) जारी किए गए। हालाँकि, बीईपीसी ने शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए सितंबर 2019 के बाद अपना कार्य शुरू किया और 87,023 लाभार्थियों को ₹42.71 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की। शेष ₹10.29 करोड़ की राशि खर्च नहीं की गई और शेष 20274 लाभार्थी छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित रह गए (जून 2022)। विभाग ने बताया (दिसंबर 2022) कि एनएसपी पर टोकन जनित न होने के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया।	10.29	20274
2.	छत्तीसगढ़	वर्ष 2019-20 में, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा 43,464 पंजीकृत लाभार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित करने के लिए डीपीआई को ₹10.90 करोड़ आवंटित किए गए थे। लेकिन केवल 1,471 लाभार्थियों को ₹0.40 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई तथा शेष ₹10.50 करोड़ विभाग के बैंक खाते में ही पड़े रहे। इसके परिणामस्वरूप, निधि उपलब्ध होने के बावजूद 41,993 पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया।	10.50	41993
3.	हरियाणा	2020-21 के अंत तक, 31,815 लाभार्थियों को ¹⁵⁹ छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया। ₹12.66 करोड़ का केंद्रीय अंश (2018-19 तक जारी निधि के सापेक्ष में) मई 2022 तक अव्ययित रहा।	12.66	31815
4.	हिमाचल प्रदेश	एपीजी विश्वविद्यालय, शिमला को 2019-20 के दौरान पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के 104 आवेदन त्रुटिपूर्ण मिले, जिसका मुख्य कारण विस्तृत अंक पत्र (डीएमसी) पर पिता का नाम न छपा होना था। कोविड महामारी तथा मई 2020 के अंतिम सप्ताह में कार्यालय खुलने के कारण, विभाग ने एपीजी विश्वविद्यालय को आवेदनों के पुनर्सत्यापन के लिए समय पर सूचित नहीं किया, जिसके	0.24	211

159

2018-19 के लिए 6468 छात्र, 2019-20 के लिए 4840 छात्र और 2020-21 के लिए 20507 छात्र

क्रम सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ	शामिल निधि (₹ करोड़)	लाभार्थियों की संख्या
		परिणामस्वरूप लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो सका। बैंक लेनदेन विफल होने के कारण 2017-21 के दौरान 107 लाभार्थियों को ₹23.95 लाख का भुगतान न किए जाने के मामले भी पाए गए।		
5.	जम्मू एवं कश्मीर	वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर ₹3.37 करोड़ (₹2.04 करोड़ का सीए एवं ₹1.33 करोड़ का राज्य अंशदान) की अव्ययित शेष राशि होने के बावजूद, 417 लाभार्थियों को ₹0.29 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित नहीं की गई। अव्ययित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर ₹1.33 करोड़ का राज्य अंशदान समाप्त हो गया।	0.29	417
6.	मणिपुर	विभाग ने 6,512 छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान करने के लिए राजकोष से ₹6.78 करोड़ आहरित किए (नवंबर 2018) ¹⁶⁰ तथा 6,033 छात्रों को ₹6.32 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की ¹⁶¹ । छात्रवृत्ति राशि ₹46.55 लाख (₹678.20-₹631.65) थी। शेष 479 छात्रों को छात्रवृत्ति के भुगतान का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। विभाग ने बताया (जून 2024) कि लेन-देन संबंधी समस्याओं के कारण 178 छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण असफल रहा।	0.46	479
7.	ओडिशा	नमूना-जाँच किए गए तीन जिलों (खोरधा, देवगढ़ एवं जाजपुर) में 1,190 लाभार्थियों को ₹4.95 करोड़ की छात्रवृत्ति नहीं मिली। इसमें से 870 लाभार्थियों को ₹3.96 करोड़ का भुगतान किया गया। शेष 320 लाभार्थियों को ₹99.37 लाख का भुगतान नहीं किया गया।	0.99	320
8.	पंजाब	वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में ₹330.32 करोड़ की अव्ययित राशि होने के बावजूद, वर्ष 2020-21 के लिए ₹231.48 करोड़ की छात्रवृत्ति लाभार्थियों को वितरित नहीं की गई। इसमें से ₹217.85 करोड़ की छात्रवृत्ति 2021-22 के दौरान वितरित की गई और शेष ₹13.63 करोड़ की छात्रवृत्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक वितरित नहीं की गई।	13.63	-

¹⁶⁰ 2016-17 के 15 छात्र और 2017-18 के 6497 छात्र।

¹⁶¹ 2016-17 के पांच छात्र और 2017-18 के 6028 छात्र।

क्रम सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ	शामिल निधि (₹ करोड़)	लाभार्थियों की संख्या
9.	पश्चिम बंगाल	छह चयनित जिलों में ¹⁶² , "विफल लेनदेन" के मामले सामने आए, जिसके कारण 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान 11,391 लाभार्थियों को ₹5.73 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित नहीं की गई। विभाग ने कहा (सितंबर 2022) कि भविष्य में विफल लेनदेन की समस्या के समाधान के लिए उचित सावधानी बरती जाएगी।	5.73	11391
कुल			54.79	1,06,900

¹⁶² उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, उत्तर दिनाजपुर और जलपाईगुड़ी।

अनुलग्नक-2.24

(पैराग्राफ सं. 2.13.4.3 में संदर्भित)

आय पात्रता की संवीछा के बिना चयनित लाभार्थी

क्र. सं.	राज्य/यूटी	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना			पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना		
		बिना आय प्रमाण पत्र के	अमान्य आय प्रमाण पत्र	माता-पिता की आय सीमा से अधिक/सरकारी कर्मचारी	बिना आय प्रमाण पत्र के	अमान्य आय प्रमाण पत्र	माता-पिता की आय सीमा से अधिक/सरकारी कर्मचारी
1.	बिहार	239	--	03	--	37	07
2.	गुजरात	260	35	13	24	01	1178
3.	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	03	01	--
4.	केरल	31	--	03	--	--	--
5.	मध्य प्रदेश	--	--	04	--	--	--
6.	महाराष्ट्र	20	--	01	01	--	--
7.	ओडिशा	123	04	01	27	23	07
8.	पंजाब	95	439	--	--	109	--
9.	राजस्थान	11	15	05	--	--	22
10.	तमिलनाडु	1125	--	--	647	--	449
11.	त्रिपुरा	--	--	--	--	--	04
12.	उत्तर प्रदेश	--	139	--	--	--	--
13.	चंडीगढ़	102	46	--	29	101	--
14.	दिल्ली	27	155	--	--	-	--
15.	जम्मू एवं कश्मीर	08	--	23	37	--	--
16.	पुडुचेरी	--	01	--	--	--	--
कुल		2041	834	53	768	272	1667

अनुलग्नक-2.25 (ए)

(पैराग्राफ सं. 2.13.4.5 में संदर्भित)

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में कई बार छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का विवरण

क्रम सं.	राज्य/यूटी	लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
(i) एक ही योजना के अंतर्गत एकाधिक दावे				
1.	केरल	824	24.92	कोल्लम जिले के सस्थामकोटा ब्लॉक के 562 छात्रों तथा चित्तुमाला ब्लॉक के 262 छात्रों को वर्ष 2019-20 के लिए एक ही योजना के तहत दो बार छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया था। बाद में इन अनियमितताओं का पता चला तथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए उपाय शुरू किए गए।
2.	गुजरात	164	-	नमूना जांच वाले जिलों में 164 विद्यार्थियों ने एक ही योजना के अंतर्गत एक अलग वर्ष में उसी कक्षा के लिए पुनः छात्रवृत्ति का दावा किया।
3.	जम्मू एवं कश्मीर	78	1.77	उधमपुर, किशतवाड़, जम्मू एवं रियासी में 78 छात्रों ने 2017-21 के दौरान एक ही शैक्षणिक वर्ष में एक ही योजना के तहत दो बार ₹1.77 लाख की छात्रवृत्ति का दावा किया। इंगित किए जाने पर, संबंधित डीएसडब्ल्यूओ ने कहा (अप्रैल-मई 2022) कि मामले को उच्च प्राधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा।
4.	मध्य प्रदेश	872	26.53	एक ही योजना के अंतर्गत आगामी वर्षों में उसी कक्षा में अध्ययन करने के लिए 872 छात्रों को दो/तीन बार छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया, जिसके कारण 2017-21 के दौरान ₹26.53 लाख की छात्रवृत्ति का अधिक भुगतान किया गया।

क्रम सं.	राज्य/यूटी	लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
(II) एक से अधिक योजनाओं के अंतर्गत दावे				
5.	मध्य प्रदेश	439	13.74	439 ऐसे छात्रों को ₹13.74 लाख की एससी छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी, जिन्हें अन्य वर्षों में एसटी छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई थी।
(iii) केंद्र तथा राज्य दोनों योजनाओं के तहत किए गए दावे				
6.	छत्तीसगढ़	6,154	136.32	वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान 6,130 छात्रों को विभिन्न राज्य योजनाओं के अंतर्गत दो या अधिक छात्रवृत्तियाँ प्राप्त हुईं, साथ ही दो या अधिक विभिन्न संस्थानों से इस योजना के अंतर्गत कुल ₹1.36 करोड़ का लाभ प्राप्त हुआ। इसी प्रकार, 24 छात्रों को एक ही योजना के अंतर्गत दो अलग-अलग संस्थानों से दो बार छात्रवृत्तियाँ प्राप्त हुईं। इन मामलों में छात्रवृत्ति की राशि ₹32,400 थी।
7.	ओडिशा	31	-	चयनित जिलों में 31 ऐसे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया जिन्होंने राज्य बनिश्री योजना के तहत भी छात्रवृत्ति प्राप्त की थी।
कुल		8,562	203.28	

अनुलग्नक-2.25 (बी)

(पैराग्राफ सं. 2.13.4.5 में संदर्भित)

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में कई बार छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का विवरण

क्रम सं.	राज्य/यूटी	लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
(i) एक ही योजना के अंतर्गत एकाधिक दावे				
1.	हिमाचल प्रदेश	77	22.01	तीन संस्थानों ने ¹⁶³ लाभार्थियों द्वारा उसी पाठ्यक्रम के लिए पहले किए गए छात्रवृत्ति के पिछले दावों का सत्यापन नहीं किया। इसके कारण वर्ष 2017-18 के दौरान 53 लाभार्थियों को ₹16.35 लाख का अस्वीकार्य भुगतान हुआ। यह भी नोट किया गया कि कौशल विकास निजी आईटीआई, बडूखर, कांगड़ा ने 2017-18 के दौरान 24 लाभार्थियों के छात्रवृत्ति दावों को अग्रोषित किया। इन लाभार्थियों ने हलफनामे के माध्यम से गलत घोषणा की थी कि उन्होंने अंतराल अवधि के दौरान किसी भी संस्थान में भाग नहीं लिया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन लाभार्थियों ने 2014-16 के दौरान विभिन्न संस्थानों से अध्ययन किया था तथा छात्रवृत्ति का दावा किया था। इस प्रकार, पोर्टल पर उनके रिकॉर्ड के गैर-सत्यापन के परिणामस्वरूप ₹5.66 लाख के अनियमित दावों का भुगतान हुआ।
2.	हरियाणा	805	87.88	658 छात्रों ने विभिन्न निजी एवं सरकारी आईटीआई के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दो या अधिक बार प्रवेश लिया। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने इन छात्रों को उसी चरण के बाद के पाठ्यक्रमों के लिए ₹64.74 लाख की छात्रवृत्ति का भुगतान किया। यह भी देखा गया कि 142 छात्रों ने एक ही पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद एक ही निजी आईटीआई में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दो या अधिक बार प्रवेश लिया तथा इन छात्रों को ₹21.11 लाख की छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया। इसके अलावा, सोनीपत जिले में, 2014-19 के दौरान पाँच एससी छात्रों को दो बार में ₹2.03 लाख वितरित किए गए।
3.	जम्मू एवं कश्मीर	26	4.58	17 छात्रों ने एक ही शैक्षणिक वर्ष में एक ही योग्यता का उपयोग करते हुए, लेकिन अलग-अलग आवेदन संख्याओं के साथ, एक सामान पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के दावे दो बार

¹⁶³ नाइलिट केंद्र, चंबा, नाइलिट केंद्र, नाहन और नाइलिट केंद्र, ऊना।

क्रम सं.	राज्य/यूटी	लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
				प्रस्तुत किए थे। आईएनओ तथा निदेशालय स्तर पर सत्यापन के दौरान यह अनियमितता पकड़ में नहीं आई, जिसके परिणामस्वरूप ₹3.04 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त, योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, समान स्तर पर लेकिन अलग-अलग वर्षों में पाठ्यक्रम कर रहे नौ छात्रों को ₹1.54 लाख गलत तरीके से वितरित कर दिए गए।
4.	ओडिशा	331	179.11	छह चयनित जिलों अर्थात् अंगुल, बालासोर, ढेंकनाल, गंजम, जाजपुर एवं खुर्दा में 331 लाभार्थियों को एक ही योजना के अंतर्गत दो या अधिक संस्थानों में नामांकन दर्शाकर पाठ्यक्रमों के लिए ₹179.11 लाख की छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया।
5.	पुडुचेरी	01	0.21	एक छात्र को एक ही योजना के अंतर्गत एक ही पाठ्यक्रम (XII विज्ञान) के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के दौरान एक संस्थान में दो अलग-अलग आवेदन आईडी के साथ दो बार ₹ 21,300 की छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया।
6.	उत्तर प्रदेश	459	53.98	पाँच चयनित जिलों (अंबेडकर नगर, बाराबंकी, जौनपुर, झांसी एवं मेरठ) में 100 छात्रों ने बीए, बीकॉम आदि उत्तीर्ण करने के बाद भी बाद के वर्षों में उसी स्तर के पाठ्यक्रम में पुनः प्रवेश लिया तथा अनियमित रूप से ₹16.27 लाख की छात्रवृत्ति प्राप्त की। यह भी देखा गया कि उपरोक्त जिलों के 206 छात्रों ने विभिन्न शैक्षणिक वर्षों में अलग-अलग/समान संस्थानों से समान पाठ्यक्रम/समान कक्षा में प्रवेश लिया तथा ₹24.70 लाख की छात्रवृत्ति प्राप्त की। इसके अलावा, झांसी जिले में 153 छात्रों ने एक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया एवं छात्रवृत्ति का लाभ उठाया। हालाँकि, उन्होंने पाठ्यक्रम छोड़ दिया तथा अन्य पाठ्यक्रमों में पुनः प्रवेश लिया एवं अनियमित रूप से ₹13.01 लाख की छात्रवृत्ति का लाभ उठाया।
(ii) एक से अधिक योजनाओं के तहत दावे				
7.	छत्तीसगढ़	1204	36.37	1,204 छात्रों ने दो या अधिक विभिन्न संस्थानों से ₹36.37 लाख मूल्य की विभिन्न योजनाओं की दो या अधिक छात्रवृत्तियां प्राप्त की।

क्रम सं.	राज्य/यूटी	लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
(iii) केंद्र तथा राज्य दोनों योजनाओं के तहत किए गए दावे				
8.	ओडिशा	2373	192.49	अंगुल, बालासोर, गंजम, जाजपुर एवं सुबरनपुर में 2,351 छात्रों को मेधाब्रुति (₹1.02 करोड़) के साथ पीएमएस (₹1.89 करोड़) दोनों प्रदान किए गए। इसी तरह, 16 छात्रों को दोनों छात्रवृत्ति योजनाओं के दिशा-निर्देशों के विपरीत, बनिश्री छात्रवृत्ति (₹0.61 लाख) के साथ भुगतान किया गया पीएमएस (₹0.74 लाख) प्रदान किया गया। इसके अलावा, गंजम जिले में, हालांकि चार नर्सिंग छात्राओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ₹1.01 लाख की छात्रवृत्ति मिली, उन्हें 2019-21 के दौरान ₹2.68 लाख का पीएमएस भी दिया गया। इसी तरह, दो छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से प्रबंधित राष्ट्रीय साधन सह मेरिट छात्रवृत्ति के तहत ₹0.12 लाख तथा पीएमएस से ₹0.07 लाख की छात्रवृत्ति इसी अवधि-2018-19 के दौरान मिली। मंत्रालय ने कहा (मई 2023) कि इस समस्या को दूर करने के लिए, राज्य सरकार ने इस प्रकार की बहु छात्रवृत्तियों की जांच के लिए एक एकीकृत छात्रवृत्ति पोर्टल अर्थात ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल (ओएसएसपी) विकसित किया है।
9.	राजस्थान	13	1.12	(चूरू जिले में प्रेरणा गर्ल्स कॉलेज सहावा) में एक ही शैक्षणिक वर्ष में 13 लाभार्थियों को एससी पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के साथ-साथ मुख्यमंत्री उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया।
10.	पश्चिम बंगाल	58	9.19	37 संस्थानों के 58 लाभार्थियों ने ₹9.19 लाख की केन्द्रीय एवं राज्य छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ उठाया था, जो योजनाओं के दिशा-निर्देशों के तहत अस्वीकार्य था।
कुल		5347	586.94	

अनुलग्नक-2.26

(पैराग्राफ सं. 2.13.4.8 में संदर्भित)

लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का कम भुगतान

क्र. सं.	राज्य/यूटी	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना		पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	
		लाभार्थियों की संख्या	कम भुगतान (₹ लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	कम भुगतान (₹ लाख में)
1.	आंध्र प्रदेश	--	--	308	16.63
2.	छत्तीसगढ़	312095	248.70	---	---
3.	हिमाचल प्रदेश	--	--	69	1.13
4.	मध्य प्रदेश	60571	359.58	---	--
5.	महाराष्ट्र	17198	130.00	---	--
6.	जम्मू एवं कश्मीर	4869	23.36	--	--
कुल		3,94,733	761.64	377	17.76

अनुलग्नक-2.27

(पैराग्राफ सं. 2.13.4.9 में संदर्भित)

लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का अतिरिक्त भुगतान

क्र. सं.	राज्य/यूटी	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना		पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	
		लाभार्थियों की संख्या	अतिरिक्त भुगतान (₹ लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	अतिरिक्त भुगतान (₹ लाख में)
1.	बिहार			2095	14.60
2.	छत्तीसगढ़			19728	239.00
3.	हरियाणा			09	0.23
4.	हिमाचल प्रदेश	153	0.47	171	12.24
5.	जम्मू एवं कश्मीर			16	1.44
6.	मध्य प्रदेश ¹⁶⁴			37	12.36
7.	महाराष्ट्र			1,05,227	1037.00
8.	ओडिशा	71	2.31	2471	681.00
कुल		224	2.78	129754	1997.87

¹⁶⁴ लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर 32 लाभार्थियों से ₹11.90 लाख वसूल किये गये।

अनुलग्नक-2.28

(पैराग्राफ सं. 2.13.4.10 में संदर्भित)

उच्च दरों पर भरण-पोषण भत्ते का वितरण

राज्य	लाभार्थियों की संख्या	मात्रा (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा अवलोकन
बिहार	02	0.21	बुद्ध प्रौद्योगिकी संस्थान, बोधगया एवं गांधी हाई स्कूल, कोंच, गया में दो अनावासी छात्रों को छात्रावास के रूप में ₹0.21 लाख की छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया।
गुजरात	1,65,355	749.00	1,65,355 मामलों में, दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, 10 महीने से ज्यादा समय तक अनुरक्षण भत्ता दिया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹7.49 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। जवाब में (मई 2024) बताया गया कि अनुरक्षण भत्ता पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर दिया गया था। आगे बताया गया कि पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए दिशा-निर्देश 2021-22 से संशोधित किए गए हैं तथा नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, निश्चित वार्षिक अनुरक्षण भत्ते देय हैं।
हिमाचल प्रदेश	57	1.20	समूह III के बजाय समूह-II ¹⁶⁵ के अनुसार भरण-पोषण भत्ते की प्रतिपूर्ति की, ¹⁶⁶ जिसके परिणामस्वरूप सात संस्थानों में अध्ययनरत 57 छात्रों के संबंध में ₹1.20 लाख के अनुरक्षण भत्ते का अधिक भुगतान हुआ।
ओडिशा	538	38.26	अंगुल, बालासोर, गंजम एवं सुब्रनपुर में, 2017-21 के दौरान पाँच संस्थानों के 27 छात्रों के नाम संबंधित संस्थानों के छात्रावास रजिस्ट्रारों में नहीं पाए गए। हालाँकि, उन्हें छात्रावासियों के लिए लागू दरों पर अनुरक्षण भत्ता दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.72 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ। इसके अलावा, देवगढ़, गंजम एवं जाजपुर में, आठ संस्थानों के 511 छात्रों को 2017-21 के दौरान छात्रावासियों के रूप में ₹36.54 लाख का अनुरक्षण भत्ता दिया गया, जबकि उक्त संस्थानों में कोई छात्रावास सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि राज्य सरकार ने उपरोक्त पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

¹⁶⁵ ग्रुप I और ग्रुप II के अंतर्गत शामिल न किए गए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जैसे बीए/बीएससी/बीकॉम/एमए/एमएससी/एमकॉम आदि।

¹⁶⁶ डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम आदि के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम।

राज्य	लाभार्थियों की संख्या	मात्रा (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा अवलोकन
उत्तर प्रदेश	59	11.26	<p>झाँसी के जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ) के कार्यालय में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में, जिला कार्यक्रम अधिकारी, झाँसी द्वारा चार निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि इनमें से एक आईटीआई, अर्थात् संत उमर प्राइवेट आईटीआई, झाँसी, पंजीकृत पते पर नहीं पाई गई। 2017-2021 के दौरान संस्थान के 59 छात्रों को शिक्षण शुल्क के रूप में ₹11.26 लाख वितरित किए गए। आईटीआई के अस्तित्व में न होने की सूचना डीएसडब्ल्यूओ को फरवरी 2019 में दी गई थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।</p> <p>डीएसडब्ल्यूओ ने बताया (जुलाई 2022) कि संस्थान अस्तित्व में है तथा उसका पुनः भौतिक सत्यापन किया जाएगा। डीएसडब्ल्यूओ का उत्तर न्यायोचित नहीं था क्योंकि भौतिक सत्यापन के दौरान संस्थान नहीं पाया गया था और उक्त आईटीआई के अस्तित्व में न होने की सूचना फरवरी 2019 में ही दे दी गई थी, लेकिन विभाग ने तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी भौतिक सत्यापन के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार ने अपने नवीनतम उत्तर (मई 2024) में कहा कि संबंधित जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है।</p>
पुडुचेरी	16	0.48	<p>वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान 16 छात्रों को ₹530 प्रति माह की दर से उच्च अनुरक्षण भत्ता दिया गया तथा उन्हें स्वीकार्य राशि से अधिक ₹0.48 लाख का भुगतान किया गया।</p> <p>विभाग ने बताया (मई 2024) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित चूकों के लिए जिम्मेदार तकनीकी मुद्दों की पहचान/समाधान विभाग द्वारा नहीं किया जा सका।</p>
कुल	1,66,027	800.41	

अनुलग्नक-2.29

(पैराग्राफ सं. 2.14.1 में संदर्भित)

प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना			
उद्देश्य	<ul style="list-style-type: none"> अनुसूचित जनजाति के बच्चों के अभिभावकों को कक्षा 9 और 10 में अध्ययनरत उनके बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करना ताकि विशेष रूप से प्राथमिक से माध्यमिक स्तर में पहुँचने के दौरान, स्कूल छोड़ने की घटनाओं को न्यूनतम किया जा सके। प्री-मैट्रिक स्तर की कक्षा IX और X में एसटी के बच्चों की भागीदारी में सुधार करना ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें तथा शिक्षा के पोस्ट-मैट्रिक स्तर पर आगे बढ़ने के लिए उनके बेहतर अवसर हों। 		
छात्रवृत्ति अनुदान के लिए शर्तें	<ul style="list-style-type: none"> माता-पिता/अभिभावक की आय ₹2.50 लाख प्रति वर्ष (शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से पूर्व ₹2.00 लाख) से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्र को कक्षा IX और X में अध्ययन के लिए कोई अन्य केन्द्रीय वित्तपोषित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं मिल रही होनी चाहिए। छात्र किसी सरकारी स्कूल या सरकार या केंद्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में नियमित, पूर्णकालिक अध्ययनरत एक छात्र होना चाहिए। किसी भी कक्षा में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी। यदि किसी छात्र को एक कक्षा दोहरानी पड़ती है, तो उसे उस कक्षा के लिए दूसरे (या अनुवर्ती) वर्ष के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। 		
छात्रवृत्ति की दर	ब्योरा	अनावासी छात्र	छात्रावासी
	10 महीने के लिए छात्रवृत्ति (प्रति माह)	₹150, दिसंबर 2019 से बढ़कर ₹225 हो गयी	₹350, दिसंबर 2019 से बढ़कर ₹525 हो गयी
	पुस्तकें और तदर्थ अनुदान (प्रति वर्ष)	₹ 750	₹ 1000
पुरस्कारों की अवधि एवं नवीकरण	<ul style="list-style-type: none"> यह छात्रवृत्ति एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने के लिए देय होगी। एक बार प्राप्त होने के बाद, यह छात्रवृत्ति अच्छे आचरण तथा नियमित उपस्थिति के अधीन जारी रहेगी। छात्र के कक्षा 9 उत्तीर्ण करने पर कक्षा 10 के लिए इसका नवीकरण किया जाएगा। 		

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना				
उद्देश्य	अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित बच्चों के माता-पिता को पोस्ट-मैट्रिकुलेशन स्तर पर अध्ययनरत उनके बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना/पूरित करना, ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।			
छात्रवृत्ति अनुदान के लिए शर्तें	<ul style="list-style-type: none"> माता-पिता/अभिभावक की आय ₹2.50 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह छात्रवृत्ति मान्यता प्राप्त संस्थानों में उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों के लिए सभी मान्यता प्राप्त पोस्ट-मैट्रिकुलेशन पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए दी जाएगी। केवल वे अभ्यर्थी छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे जो उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हों, जिससे आवेदक वास्तव में संबंधित है (अर्थात् स्थायी रूप से बसा हुआ है)। वे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जो शिक्षा के एक चरण को उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षा के उसी चरण में किसी अन्य स्ट्रीम में अध्ययन कर रहे हैं, जैसे आई. ए. करने के बाद आई. एससी. अथवा बीए करने के बाद बी. कॉम. या किसी अन्य विषय में एम. ए. हो। ऐसे छात्र जो कला/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण होने के बाद, किसी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं, तो उन्हें अन्यथा पात्र होने पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। वर्ग 'I' के पाठ्यक्रमों को छोड़कर, किसी भी बाद की अनुत्तीर्णता को क्षमा नहीं किया जाएगा तथा पाठ्यक्रम में आगे किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति धारक कोई अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा प्राप्त नहीं करेगा मिलेगा तथा संतोषजनक प्रगति एवं आचरण के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त करता रहेगा। 			
छात्रवृत्ति की दर				
अनुरक्षण भता	(प्रति माह ₹ में)			
	वर्ग	पाठ्यक्रम	छात्रावासी	अनावासी छात्र
	I	डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम	1200	550
	II	स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं	820	530
	III	स्नातक डिग्री के लिए अग्रणी अन्य सभी पाठ्यक्रम जो वर्ग I और II के अंतर्गत शामिल नहीं हैं	570	300
	IV	पोस्ट-मैट्रिकुलेशन स्तर के सभी गैर-डिग्री पाठ्यक्रम जिनके लिए प्रवेश योग्यता हाई स्कूल (कक्षा X) है	380	230

दिव्यांग छात्रों के लिए भत्ते	दिव्यांग छात्र अनुरक्षण भत्ते के अतिरिक्त पाठक भत्ता, परिवहन भत्ता (अनावासी छात्रों के लिए), अनुरक्षक भत्ता (निम्न अंग दिव्यांगता वाले गंभीर रूप से दिव्यांग अनावासी छात्रों के लिए) इत्यादि जैसे अन्य भत्तों के भी हकदार हैं।	
शुल्क	नामांकन/पंजीकरण, ट्यूशन, खेल, यूनियन, पुस्तकालय, पत्रिका, इत्यादि जैसे अनिवार्य गैर-वापसी योग्य शुल्क की प्रतिपूर्ति।	राज्यों द्वारा गठित शुल्क निर्धारण समिति की सिफारिशों के अनुसार

अनुलग्नक-2.30

(पैराग्राफ सं. 2.14.2 में संदर्भित)

मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत वास्तविक व्यय एवं छात्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्री-मैट्रिक				पोस्ट-मैट्रिक			
	बजट अनुमान (बी.ई.)	संशोधित अनुमान (आर.ई.)	वास्तविक व्यय (कोष्ठक में दिए गए आंकड़े आर. ई. पर व्यय की प्रतिशतता दर्शाते हैं)	संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या (लाख में)	बजट अनुमान (बी.ई.)	संशोधित अनुमान (आर.ई.)	वास्तविक व्यय (कोष्ठक में दिए गए आंकड़े आर. ई. पर व्यय की प्रतिशतता दर्शाते हैं)	संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या (लाख में)
2017-18	265.00	318.00	294.08 (92)	14.31	1347.07	1436.00	1463.87 (102)	19.33
2018-19	350.00	310.00	311.50 (100)	14.49	1586.00	1643.03	1647.53 (100)	19.67
2019-20	340.00	440.00	439.99 (100)	13.86	1613.50	1826.39	1862.65 (102)	18.61
2020-21	400.00	250.00	248.90 (100)	13.45	1900.00	1833.00	1830.14 (100)	18.69
2021-22	400.00	400.00	394.14 (99)	12.94	1993.00	2257.72	2257.72 (100)	22.33
2022-23	419.00	357.30	357.30 (100)	9.10	1965.00	1965.00	1965.00 (100)	21.07
2023-24	411.63	411.63	308.60 (75)	8.95	1970.77	2371.01	2668.83 (112)	31.96
कुल	2585.63	2486.93	2354.51	87.10	12375.34	13332.15	13695.74	151.66

(स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना, एमओटीए की वार्षिक रिपोर्ट और बजट दस्तावेज)

अनुलग्नक-2.31

(पैराग्राफ सं. 2.14.2 और 2.14.4 में संदर्भित)

एसटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए लेखापरीक्षा नमूना

राज्य/यूटी	प्री-मैट्रिक योजना			पोस्ट-मैट्रिक योजना		
	चयनित जिले	चयनित स्कूल	लेखापरीक्षित आवेदन	चयनित जिले	चयनित संस्थान	लेखापरीक्षित आवेदन
1. आंध्र प्रदेश	4	40	800	4	40	800
2. अरुणाचल प्रदेश	6	47	1040	6	52	1385
3. असम	8	80	1621	8	80	1600
4. बिहार	10	100	1758	10	100	1121
5. छत्तीसगढ़	7	70	1400	7	70	1400
6. गोवा	2	20	400	2	20	400
7. गुजरात	7	70	1400	7	70	1400
8. हिमाचल प्रदेश	3	30	600	3	30	600
9. झारखंड	6	59	1200	6	52	1200
10. कर्नाटक	8	80	1600	8	80	1600
11. केरल	4	40	801	4	40	861
12. मध्य प्रदेश	10	100	1892	10	96	1863
13. महाराष्ट्र	योजना राज्य में कार्यान्वित नहीं की गई			9	90	1659
14. मणिपुर	3	27	437	3	30	600
15. मेघालय	3	30	352	3	30	546
16. मिज़ोरम	2	20	888	2	20	1000
17. नगालैंड	3	30	349	3	30	507
18. ओडिशा	8	80	1461	8	80	1589
19. राजस्थान	8	80	1415	8	80	1530
20. सिक्किम	2	20	248	2	20	843
21. तमिलनाडु	8	80	1618	8	80	1603
22. तेलंगाना	8	80	1600	8	80	1600
23. त्रिपुरा	2	20	797	2	20	902
24. उत्तराखंड	3	30	600	3	30	600

राज्य/यूटी	प्री-मैट्रिक योजना			पोस्ट-मैट्रिक योजना		
	चयनित जिले	चयनित स्कूल	लेखापरीक्षित आवेदन	चयनित जिले	चयनित संस्थान	लेखापरीक्षित आवेदन
25. पश्चिम बंगाल	6	60	247	6	60	1512
26. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश	2	16	320	2	14	327
27. दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश	2	20	398	2	20	341
28. जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश	5	50	1004	5	50	1001
29. लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश	2	20	208	2	20	400
30. केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी	1	20	75	1	38	77
कुल	143	1419	26,529	152	1522	30,867

अनुलग्नक-2.32

(पैराग्राफ सं. 2.14.2 में संदर्भित)

प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के संशोधित दिशानिर्देशों में मुख्य परिवर्तन

क्र. सं.	मापदंड से प्रभावी	पुराने दिशा-निर्देश	संशोधित दिशा-निर्देश
1.	हितधारकों की भूमिका (दोनों प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक योजना)	प्री-मैट्रिक योजना के लिए 01.07.2012 एवं पोस्ट-मैट्रिक योजना के लिए 01.07.2010 कोई निर्धारित भूमिका नहीं	प्री-मैट्रिक योजना के लिए शैक्षणिक सत्र 2021 एवं पोस्ट-मैट्रिक योजना के लिए 01.04.2022) एवं जिला/राज्य नोडल अधिकारी (डीएनओ/एसएनओ) के लिए निर्धारित भूमिकाएँ आईएनओ की भूमिका <ul style="list-style-type: none"> पोर्टल पर आवेदनों का प्रथम स्तर का सत्यापन करना। आवेदन पत्र तथा अपलोड किए गए दस्तावेजों में दिए गए विवरणों की सत्यता की पुष्टि करना। सहायक दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां रखना। आवेदन को या तो सत्यापित करना, अस्वीकार करना या दोषपूर्ण बनाना। यदि वह आवेदन को अस्वीकार या दोषपूर्ण करने का विकल्प चुनता है तो अस्वीकृति या दोषपूर्ण होने का कारण बताना होगा ताकि इसे छात्र या आवेदक को दिखाया जा सके। डीएनओ/एसएनओ की भूमिका <ul style="list-style-type: none"> द्वितीय या तृतीय स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन करना। आवेदन पत्र तथा अपलोड किए गए दस्तावेजों में दिए गए विवरणों की सत्यता की पुष्टि करना। या तो आवेदन का सत्यापन करना, आवेदन को दोषपूर्ण घोषित करना या कारण बताते हुए आवेदन को अस्वीकार करना। संस्थान स्तर पर आवेदनों की समग्र लंबितता की निगरानी करना।

क्र. सं.	मापदंड से प्रभावी	पुराने दिशा-निर्देश	संशोधित दिशा-निर्देश								
	प्री-मैट्रिक योजना के लिए 01.07.2012 एवं पोस्ट-मैट्रिक योजना के लिए 01.07.2010		प्री-मैट्रिक योजना के लिए शैक्षणिक सत्र 2021 एवं पोस्ट-मैट्रिक योजना के लिए 01.04.2022								
2.	शुल्क घटक (केवल पोस्ट-मैट्रिक योजना के लिए)	मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की निःशुल्क तथा सशुल्क सीटों के लिए ली जाने वाली अनिवार्य गैर-प्रतिदाय शुल्क की प्रतिपूर्ति सक्षम केन्द्रीय/राज्य सरकार प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार की जाती है।	<ul style="list-style-type: none"> यह सुनिश्चित करना कि संस्थान द्वारा आवेदनों की समय पर जांच की जाए, जिससे आवेदनों के सत्यापन के लिए अंतिम समय में होने वाली भागदौड़ से बचा जा सके। 								
3.	केंद्रीय सहायता जारी करने, आवेदन की प्रक्रिया तथा राज्य स्तर पर छात्रवृत्ति के संवितरण के लिए समय-सीमा।	<p>प्री-मैट्रिक योजना</p> <p>केंद्रीय सहायता की पहली किस्त, जहां तक संभव हो, वर्ष की दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान तदर्थ आधार पर जारी की जाएगी, बशर्ते कि पूर्व में जारी की गयी केन्द्रीय सहायता का, यदि कोई हो, संतोषजनक उपयोग हो।</p> <p>राज्य सरकारों/यूटी प्रशासनों से अपेक्षा की जाएगी कि वे इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए अपने पूर्ण प्रस्ताव प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तक प्रस्तुत करें, जो सभी शर्तों को पूरा करने पर 31 दिसम्बर तक उन्हें जारी कर दिए जाएंगे।</p>	<p>शुल्क घटक का निर्धारण राज्य की राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा।</p> <p>निजी क्षेत्र के संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के मामले में, जहां तक भारत सरकार के समर्थन का संबंध है, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए प्रति छात्र ₹2.50 लाख प्रति वर्ष, एमबीबीएस/एमएस/एमडी पाठ्यक्रमों के लिए ₹6.00 लाख प्रति वर्ष तथा अन्य पाठ्यक्रमों के लिए ₹1.00 लाख प्रति वर्ष की सीमा होगी।</p> <p>हालाँकि, संबंधित राज्य सरकार/यूटी प्रशासन निजी क्षेत्र के संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को ऊपर निर्दिष्ट सीमा से अधिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है।</p>								
		<p>प्री-मैट्रिक योजना</p> <p>राज्य सरकारें/यूटी प्रशासन 1 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल खोलने का हर संभव प्रयास करेंगे। आवेदक को आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि से पहले निर्धारित प्राधिकारी को पूरा आवेदन जमा/अपलोड करना होगा।</p> <p>पोर्टल खोलने, बंद करने, छात्र तथा संस्थान के सत्यापन एवं छात्रवृत्ति के वितरण के लिए निम्नलिखित समय-सीमा सुझाई गई है।</p>	<table border="1"> <tr> <td>छात्रों के लिए पंजीकरण</td> <td>01 अप्रैल-31 जुलाई</td> </tr> <tr> <td>संस्थानों के सत्यापन का पूरा होना</td> <td>31 अगस्त</td> </tr> <tr> <td>संस्थान/राज्य द्वारा सत्यापन पूरा होना</td> <td>30 सितंबर</td> </tr> <tr> <td>छात्रवृत्ति का संवितरण</td> <td>31 अक्टूबर</td> </tr> </table>	छात्रों के लिए पंजीकरण	01 अप्रैल-31 जुलाई	संस्थानों के सत्यापन का पूरा होना	31 अगस्त	संस्थान/राज्य द्वारा सत्यापन पूरा होना	30 सितंबर	छात्रवृत्ति का संवितरण	31 अक्टूबर
छात्रों के लिए पंजीकरण	01 अप्रैल-31 जुलाई										
संस्थानों के सत्यापन का पूरा होना	31 अगस्त										
संस्थान/राज्य द्वारा सत्यापन पूरा होना	30 सितंबर										
छात्रवृत्ति का संवितरण	31 अक्टूबर										

क्र. सं.	पुराने दिशा-निर्देश	संशोधित दिशा-निर्देश								
<p>मापदंड से प्रभावी</p>	<p>प्री-मैट्रिक योजना के लिए 01.07.2012 एवं पोस्ट-मैट्रिक योजना के लिए 01.07.2010</p>	<p>प्री-मैट्रिक योजना के लिए शैक्षणिक सत्र 2021 एवं पोस्ट-मैट्रिक योजना के लिए 01.04.2022)</p>								
	<p>राज्य सरकारों/यूटी प्रशासनों से अपेक्षा की जाएगी कि वे छात्रवृत्तियों का समय पर तथा नियमित संवितरण अधिमानतः मासिक आधार पर सुनिश्चित करें।</p> <p>पोस्ट-मैट्रिक योजना सभी राज्य सरकारें मई-जून में योजना का विवरण घोषित करेंगी तथा आवेदन आमंत्रित करेंगी। आवेदक को आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि से पहले निर्धारित प्राधिकारी को पूरा आवेदन जमा करना होगा।</p>	<p>पोस्ट-मैट्रिक योजना राज्य सरकारें/यूटी प्रशासन 01 मई तक आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल खोलने का हर संभव प्रयास करेगा। पोर्टल खोलने और बंद करने की तिथि के उचित विज्ञापन की जिम्मेदारी राज्य की होगी। आवेदक को आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तिथि से पहले निर्धारित प्राधिकारी को पूरा आवेदन जमा/अपलोड करना होगा। पोर्टल खोलने, बंद करने, छात्रों एवं संस्थान के सत्यापन तथा छात्रवृत्ति के वितरण के लिए निम्नलिखित समय-सीमा सुझाई गई है।</p> <table border="1" data-bbox="783 136 1201 1093"> <tr> <td>छात्रों के लिए पंजीकरण</td> <td>01 अप्रैल-30 सितंबर</td> </tr> <tr> <td>संस्थानों के सत्यापन का पूरा होना</td> <td>30 अक्टूबर</td> </tr> <tr> <td>संस्थान/राज्य द्वारा सत्यापन का पूरा होना</td> <td>नए आवेदनों के लिए 15 नवंबर तथा नवीकरण आवेदनों के लिए 30 अक्टूबर</td> </tr> <tr> <td>छात्रवृत्ति का संवितरण</td> <td>नए आवेदनों के लिए 31 दिसंबर तथा नवीकरण आवेदनों के लिए 15 नवंबर</td> </tr> </table>	छात्रों के लिए पंजीकरण	01 अप्रैल-30 सितंबर	संस्थानों के सत्यापन का पूरा होना	30 अक्टूबर	संस्थान/राज्य द्वारा सत्यापन का पूरा होना	नए आवेदनों के लिए 15 नवंबर तथा नवीकरण आवेदनों के लिए 30 अक्टूबर	छात्रवृत्ति का संवितरण	नए आवेदनों के लिए 31 दिसंबर तथा नवीकरण आवेदनों के लिए 15 नवंबर
छात्रों के लिए पंजीकरण	01 अप्रैल-30 सितंबर									
संस्थानों के सत्यापन का पूरा होना	30 अक्टूबर									
संस्थान/राज्य द्वारा सत्यापन का पूरा होना	नए आवेदनों के लिए 15 नवंबर तथा नवीकरण आवेदनों के लिए 30 अक्टूबर									
छात्रवृत्ति का संवितरण	नए आवेदनों के लिए 31 दिसंबर तथा नवीकरण आवेदनों के लिए 15 नवंबर									
<p>4. वित्तपोषण पैटर्न (दोनों प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक योजना)</p>	<p>राज्य/यूटी को इस योजना के अंतर्गत व्यय के लिए भारत सरकार से 100% केन्द्रीय सहायता प्राप्त होगी, जो उनकी प्रतिबद्ध देयता से अधिक होगी।</p>	<p>भारत सरकार का अंशदान 75% तथा राज्य का अंशदान 25% होगा। उत्तरपूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों के संबंध में, भारत सरकार का अंशदान 90% तथा राज्य का अंशदान 10% होगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जैसे विधायिका रहित एवं स्वयं के अनुदान वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में, भारत सरकार का योगदान 100% होगा।</p>								

क्र. सं.	मापदंड से प्रभावी	पुराने दिशा-निर्देश	संशोधित दिशा-निर्देश
		प्री-मैट्रिक योजना के लिए 01.07.2012 एवं पोस्ट-मैट्रिक योजना के लिए 01.07.2010	प्री-मैट्रिक योजना के लिए शैक्षणिक सत्र 2021 एवं पोस्ट-मैट्रिक योजना के लिए 01.04.2022
5.	केंद्रीय सहायता का दावा करने एवं जारी करने की प्रक्रिया	<p>प्री-मैट्रिक योजना राज्यों/यूटी को केंद्रीय सहायता दो किस्तों में जारी की जाएगी। पहली किस्त तदर्थ आधार पर जारी की जाएगी, बशर्ते कि पूर्व में जारी केंद्रीय सहायता का उपयोग संतोषजनक हो। राज्यों/यूटी से अपेक्षा की जाएगी कि वे प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तक केंद्रीय सहायता के लिए अपने पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करें, जो सभी शर्तों को पूरा करने पर, 31 दिसम्बर तक उन्हें जारी कर दिए जाएंगे। अगले वर्ष के दावे के साथ यू.सी. तथा पिछले वर्ष की केंद्रीय सहायता के लिए लेखापरीक्षित विवरण भी संलग्न करना होगा। पिछले वर्ष के अनुदान से अव्ययित या गैर-हिसाबी शेष राशि को अगले वर्ष का अनुदान जारी करते समय समायोजित किया जाएगा।</p> <p>पोस्ट-मैट्रिक योजना कोई प्रावधान नहीं</p>	<p>दोनों प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक योजना राज्यों/यूटी को केंद्रीय सहायता दो या अधिक किस्तों में जारी की जाएगी, जो निधियों की उपलब्धता तथा राज्य/यूटी द्वारा जीएफआर के अनुपालन पर निर्भर करेगी। केंद्रीय सहायता व्यय विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी की जाएगी। राज्यों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा: क) राज्य ने पिछले वर्ष दी गई राशि का उपयोग कर लिया है तथा यूसी जमा कर दिया है। ख) लाभार्थियों को राशि संवितरित कर दी गई है तथा व्यय पीएफएमएस में दर्शाया गया है। ग) राज्य ने भी पिछले वर्ष केंद्रीय हिस्से के अनुरूप अपना योगदान दिया है। घ) राज्य ने पिछले वर्ष का एसओई, यूसी द्वारा समर्थित वास्तव में उपयोग की गई राशि जमा कर दी है। ङ) राज्य ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल खोल दिया है। च) राज्य ने पिछले वर्ष के वास्तविक व्यय के आधार पर अनुमानित व्यय जमा कर दिया है।</p>
6.	निवास मानदंड (दोनों प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक योजना)	निवास प्रमाण पत्र के लिए कोई अलग आवश्यकता नहीं	निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता
7.	अन्य योजना छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए अयोग्यता	प्री-मैट्रिक योजना उसे कोई अन्य केंद्रीय वित्तपोषित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं मिल रही होनी चाहिए।	दोनों प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक योजना छात्र को कोई अन्य छात्रवृत्ति नहीं मिल रही हो।

क्र. सं.	मापदंड से प्रभावी	पुराने दिशा-निर्देश	संशोधित दिशा-निर्देश
	प्री-मैट्रिक योजना के लिए 01.07.2012 एवं पोस्ट-मैट्रिक योजना के लिए 01.07.2010	प्री-मैट्रिक योजना के लिए 01.07.2012 एवं पोस्ट-मैट्रिक योजना के लिए 01.07.2010	प्री-मैट्रिक योजना के लिए शैक्षणिक सत्र 2021 एवं पोस्ट-मैट्रिक योजना के लिए 01.04.2022
	पोस्ट-मैट्रिक योजना	इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति धारक को कोई अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा नहीं मिलेगा। जो छात्र पहले से ही सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त किसी भी परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में कोचिंग प्राप्त कर चुके हैं, वे पात्र नहीं होंगे।	
8.	आंतरिक नियंत्रण तथा मूल्यांकन की निगरानी	<p>प्री-मैट्रिक तथा/अथवा पोस्ट-मैट्रिक योजना योजना को लागू करने वाला राज्य/यूटी:</p> <ol style="list-style-type: none"> योजना के अंतर्गत लाभार्थियों तथा व्यय के आंकड़े भारत सरकार को तिमाही प्रगति रिपोर्ट में नियमित रूप से प्रस्तुत करेगा। योजना के अंतर्गत दी गई वित्तीय सहायता का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा। लाभार्थियों का डेटाबेस बनाएगा जिसे (ए) आधार संख्या (यूआईडी संख्या) अंतर्निहित कर, (बी) छात्रवृत्ति जमा करने के लिए यूआईडीएआई सक्षम बैंक खाते (यूबीए) का उपयोग कर, तथा, (सी) लाभार्थी पहचान के लिए यूआईडीएआई प्रमाणीकरण सेवाओं का उपयोग कर यूआईडीएआई के साथ एकीकृत किया जा सके। छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक विवरण के साथ पुरस्कार विजेताओं की संस्थावार सूची 	<p>दोनों प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक योजना निगरानी एवं मूल्यांकन का उद्देश्य आउटपुट, परिणाम तथा प्रभाव के वर्तमान एवं भविष्य के प्रबंधन में सुधार करना है। इस संबंध में, डीबीटी मिशन ने दिशानिर्देश तैयार किए हैं जिनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटक हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> आवेदन आमंत्रित करने, सत्यापन एवं धन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आईटी आधारित प्रणाली। डेटा में आधार संख्या सहित लाभार्थी की जानकारी शामिल होनी चाहिए तथा इसे आधार सीआईडीआर के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। राज्यों/यूटी को स्थानीय सरकार निदेशिका (एलजीडी) मानक का पालन करना चाहिए। संस्थाओं को डीआईएसई/एआईएसएचई कोड का उपयोग करना चाहिए। बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए तथा पीएफएमएस/राज्य कोषागार के साथ एकीकृत होना चाहिए। मंत्रालय अपनी स्वयं की योजना एमआईएस विकसित करे। राज्यों/यूटी को लाभार्थियों का डेटा एक समान डेटा विनिमय प्रारूप में साझा करना होगा।

क्र. सं.	मापदंड से प्रभावी	पुराने दिशा-निर्देश	संशोधित दिशा-निर्देश
	प्री-मैट्रिक योजना के लिए 01.07.2012 एवं पोस्ट-मैट्रिक योजना के लिए 01.07.2010	जिला स्तर पर एनआईसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेगा।	प्री-मैट्रिक योजना के लिए शैक्षणिक सत्र 2021 एवं पोस्ट-मैट्रिक योजना के लिए 01.04.2022
			यदि धनराशि के किसी धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग का पता चलता है, तो राज्य/यूटी की जिम्मेदारी होगी कि वह एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर जांच करेगा। राज्य/यूटी जांच के परिणाम मंत्रालय के साथ साझा करे। राज्य, मंत्रालय/विकास के मूल्यांकन एवं निगरानी प्रभाग, नीति आयोग के निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) प्रभाग या योजना के आउटपुट-आउटकम या प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए अपेक्षित किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी द्वारा नियुक्त निगरानी एजेंसी को डेटा, लाभार्थी विवरण के प्रावधान सहित आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। मंत्रालय राज्य सरकार के समन्वय से एक विशेष एजेंसी के माध्यम से योजना का आवधिक मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र विकसित करेगा।
9.	शिकायत निवारण प्रणाली (दोनों प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक योजना)	छात्रों की छात्रवृत्ति संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) नियुक्त किए जाएं।	सभी राज्यों/यूटी को छात्रों के प्रश्नों के समाधान हेतु एक समर्पित हेल्पडेस्क/शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना आवश्यक है। राज्य/यूटी स्तर पर हेल्पडेस्क की प्राथमिक भूमिका पोर्टल के विभिन्न स्तरों पर उपयोगकर्ताओं को प्रथम स्तर की सहायता प्रदान करना है। राज्य/यूटी: <ul style="list-style-type: none"> • पंजीकरण तथा आवेदन पत्र भरने में छात्र/आवेदक को सहायता प्रदान करेगा तथा शुल्क, संस्थान विवरण इत्यादि जैसे प्रश्नों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। • आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण मुद्दों को राज्य/एनएसपी टीम तक पहुंचाएगा।

अनुलग्नक-2.33

(पैराग्राफ सं. 2.14.3.2 में संदर्भित)

2017-24 के दौरान पिछले वर्षों के बकाया के लिए जारी किए गए अनुदान का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष जिसके दौरान अनुदान जारी किया गया	जारी किए गए अनुदान की कुल राशि	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति			प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति			
		जारी किए गए अनुदान (कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं)	चालू वर्ष	पिछले वर्षों का बकाया	पिछले वर्ष जब तक अनुदान जारी किया गया था	जारी अनुदान की कुल राशि	चालू वर्ष	पिछले वर्षों का बकाया
2017-18	294.09	9.55 (3)	284.54 (97)	2016-17 अथवा उसके पूर्व	1463.91	601.44 (41)	862.47 (59)	2016-17
2018-19	311.50	61.35 (20)	250.15 (80)	2016-17, 2017-18	1646.98	533.74 (32)	1113.24 (68)	2017-18
2019-20	439.99	146.61 (33)	293.38 (67)	2015-16 अथवा उसके पूर्व 2018-19 तक	1862.65	574.07 (31)	1288.58 (69)	2017-18, 2018-19
2020-21	248.47	127.88 (51)	120.59 (49)	2017-18 से 2019-20 तक	1821.72	542.36 (30)	1279.36 (70)	2017-18 से 2019-20 तक
2021-22	391.34	196.96 (50)	194.38 (50)	2018-19 से 2020-21 तक	2234.67	1152.02 (52)	1082.65 (48)	2016-17 से 2020-21 तक
2022-23	357.30	232.55 (65)	124.75 (35)	2019-20 से 2021-22 तक	1964.65	1033.06 (53)	931.59 (47)	2020-21 तथा 2021-22
2023-24	308.59	132.87 (43)	175.73 (57)	2020-21 से 2022-23 तक	2650.68	1042.64 (39)	1626.04 (61)	2020-21 से 2022-23 तक

(स्रोत - संसदीय प्रतिवेदन)

अनुलग्नक-3.1

(पैराग्राफ सं. 3.1 में संदर्भित)

'26 दिन मासिक आधार' अपनाने के कारण अतिरिक्त नकदीकरण का भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मामलों की संख्या	26 दिन मासिक आधार पर सेवानिवृत्ति पर भुगतान की जाने वाली राशि	30 दिन मासिक आधार पर सेवानिवृत्ति पर देय नकदीकरण	अवकाश नकदीकरण पर भुगतान की गई अतिरिक्त राशि
अर्जित अवकाश का नकदीकरण				
2015-16	30	0.21	0.18	0.03
2016-17	28	0.23	0.20	0.03
2017-18	18	0.28	0.24	0.04
2018-19	19	0.16	0.14	0.02
2019-20	29	0.36	0.31	0.05
2020-21	18	0.19	0.17	0.03
2021-22	16	0.25	0.21	0.03
2022-23	13	0.19	0.16	0.02
2023-24	16	0.29	0.26	0.04
कुल		2.16	1.87	0.29
अर्ध वेतन अवकाश का नकदीकरण				
2015-16	164	4.60	3.98	0.61
2016-17	200	5.83	5.05	0.78
2017-18	162	5.95	5.16	0.79
2018-19	220	8.31	7.20	1.11
2019-20	248	10.06	8.72	1.34
2020-21	244	10.21	8.85	1.36
2021-22	211	9.49	8.23	1.27
2022-23	202	9.43	8.17	1.26
2023-24	164	8.27	7.17	1.10
कुल		72.15	62.53	9.62
कुल योग		74.31	64.40	9.91

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/hi/page-36-of-25>

